

मेरे  
कुछ मौलिक  
विचार

पं० किशोरीदास बाजपेयी

कुटीर

# मेरे कुछ मौलिक विचार

• • •

# मेरे कुछ भौतिक विचार

द्वितीय संस्करण  
प्रकाशन संस्कार

उद्भावक

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी

•

प्रकाशक

कुटीर-प्रकाशन,  
एफ-१३/२ माडल टाउन, दिल्ली-११०००६

प्रकाशक  
कुटीर प्रकाशन,  
एफ-१३/२ माडल टाउन  
दिल्ली-११०००६

पहला संस्करण  
मूल्य : ६ रुपये

मुद्रक :  
उद्योगशाला  
किरसवे, दिल

## प्रकाशकीय

श्रद्धेय आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के कतिपय मौलिक विचारों का यह सकलन प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता होती है। कुटीर-प्रकाशन इसे प्रकाशित कर अपने को अत्यत गौरवान्वित मानता है।

आशा है, इस विचार-प्रधान पुस्तक का सर्वत्र समुचित आदर होगा।

—भगवद्गति ‘शिशु’

## मैं क्या कहूँ ?

अपने इन विचारों के सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ ? कहना यही है कि इन विचारों पर विट्जन विचार करे और फिर इनपर अपने स्पष्ट विचार प्रकट करे । इससे जन-हित होगा ।

—किशोरीदास वाजपेयी

## दो शब्द

आचार्य किशोरीदाम वाजपेयी के 'कुछ मौलिक विचार' मेरे सामने हैं। मौलिक अर्थात् स्वतंत्र चिन्तन से उद्भूत विचार। विचार तब मौलिक नहीं रहते हैं, जब वे दूसरों को चाहे जिस प्रकार अभिभूत करने के लिए, अथवा अमुक हेतु से प्रेरित होकर या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे विचारों को तर्क से भी सिद्ध कर दिया जाता है। स्वतंत्र चिन्तन से तब उनका कोई खास मम्बन्ध नहीं रहता है।

मौलिकता का दावा यों सभी करते हैं। मानते हैं कि धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी मौलिक चिन्तन होता है या हो सकता है। लेकिन असल में वह चिन्तन बहुत करके प्रतिवद्ध होता है, स्वतंत्र नहीं। दर्शन तक को पक्ष और विपक्ष के विविध तर्कों से अथवा खण्डन-भण्डन ने ढक लिया है, कौशलपूर्वक न्यून खीच-तान हुई है। मौलिकता को वहाँ देख पाना कठिन-सा हो गया है।

दो प्रकार के विचार बहुधा देखने में आते हैं,—एक तो यह कि जैना जो कुछ सामने आया उसे वैसाही स्वीकार कर लेना, और आख मूँदकर उसका समर्थन करना, और दूसरा यह कि भाइ-भखाइ के साथ मूल को भी उखाइ फेकना। यह सही नहीं। भगवान् बुद्ध ने कहा है कि 'वनम् छिन्दथ, मा रुखम्' अर्थात् जगल को काट डालो, पर ऐड को नहीं। अन्धश्रद्धा के साथ-साथ अन्ध अश्रद्धा भी जहाँ-तहाँ देखने में आती है।

वाजपेयीजी इन दोनों ही प्रकार के विचारों या विकारों ने बच निकले हैं। सत्य के ऊपर जहाँ भी पर्दा पड़ा देखा, उसे उन्होंने निर्ममता-पूर्वक फाड़ डाला है। ऐसा करने हुए तथाकथित वडों-वडों को भी नहीं बखशा है। परवाह नहीं की कि ऐसा करने हुए परम्परा से अमुक मान्यताओं के अनुयायियों को धक्का पहुँचेगा या ठेस लगेगी। किन्तु मूल का परित्याग उन्होंने कही भी नहीं किया है। अपनी विवेकयुक्त श्रद्धा का अवलम्ब हाथ में नहीं जाने दिया है।

प्रस्तुत मौलिक विचार प्रेरणा देते हैं सत्य-शीधक को गहरे में उत्तरने की। वाजपेयीजी ने यह नहीं माना है कि उनके पे विचार निर्विवाद है अथवा अंतिम है। उनका कहना है कि 'इन विवारों पर विद्वज्जन

विचार कर और फिर इनपर व्यपत स्पष्ट विचार प्रकार वर

इस स्कलन में सबस पहले रामचरित के तीन नायक हम दखन हैं। यह सर्वथा मौलिक उद्भावना है। इसमे कई भ्रान्तियों का निवारण किया गया है, जैसे 'कुशीलवी' का अर्थ कुश-लव लगा नेना और भीना का निवासिन। राम द्वारा तपस्वी शम्बुक के वध की कहानी भी इसी प्रकार की एक कुकल्पना है। ऐसी कहानियाँ उत्तरकाण्ड में भी गयी हैं, जो निस्मदेह प्रक्षिप्त काण्ड है।

अभिज्ञान गाकृन्तल नाटक में कालिदाम द्वारा कल्पित जाप की कहानी की भी उन्होंने भर्तीना की है। 'कवि-समय' का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कई मौलिक विचार प्रकट किये हैं।

'काव्य और काव्यशास्त्र' शीर्षक लेख कई दृष्टियों में मौलिक कहे जा सकते हैं। गंभीर गवेषणा इनपर की गई है। उतकी दृष्टि समाज को स्वस्थ और पुरुषार्थी देखने की है। काव्य और कहानी के नाम पर समाज को जिसने भी अस्वस्थ और बीर्धनी बनाने का प्रयत्न किया, उसे वाजपेयीजी ने आड़े हाथो लिया है।

'आर्य और द्रविड़ : ये क्रमवेद के पंचजना : ' है, इसे ऐसे तर्कों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिनको काटना आमान नहीं है। शुन की मजीवनी विद्या पर मौलिक विचार प्रकट करते हुए उन्होंने यह रहस्य खोला है कि गीता में श्रीकृष्ण ने कवियों में 'उशना' अर्थात् शुक्र को क्यों थोर्प्ठ कवि बताया है।

'धर्म और सप्रदाय' का अत्यन्त प्रभावकारी विश्लेषण किया गया है, यह कि किसी सप्रदाय विशेष की धर्म मान नेना गलत है।

'मानव-धर्म' पर जो विस्तारपूर्वक मौलिक विचार वाजपेयीजी ने रखे हैं वे वस्तुतः बुद्धिग्राह्य और युगानुकूल हैं। क्या तो सनातन मह्य है और क्या कुसस्कारों से ग्रस्त रुद्धिगत विचार, इस प्रदन की व्याख्या इतनी समीचीन की गई है कि लगता है, जैसे एक निष्पक्ष 'जज' निरंय दे रहा है कि वास्तविक अर्थ का किस प्रकार अनर्थ किया गया है।

'होम और यज्ञ' पर वाजपेयीजी ने वास्तव में मौलिक और अपूर्व विचार प्रस्तुत किये हैं। यह विषय ध्यानपूर्वक पठनीय और विचार-शीय है।

यह उपादेय पुस्तक अनेक दृष्टियों से विचारकों के लिए अपूर्व सामग्री प्रस्तुत करती है, इसमें सदेह नहीं। इन विचारों से अनेक प्रचलित भ्रान्तियों का कोहरा छिन्न-भिन्न हो सकता है। दन्धुवर बाजपेयीजी न केवल शब्दशास्त्र एवं व्याकरण के आधुनिक पाणिनि है, वे धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जगत् को मौलिक और स्वतंत्र विचार देने की भी ऊँची क्षमता रखते हैं।

— वियोगी हरि



## विषय-सूची

००

रामचरित के तीन गायक :	१
काव्य और काव्य-शास्त्र :	१७
आर्य और द्रविड़—ऋग्वेद के पञ्चजनाः :	५७
धर्म :	६२
धर्म और सम्प्रदाय :	६५

## रामचरित के तीन गायक

पौलस्त्यवध, वाल्मीकीय रामायण, और रामचरित-मानस इनमें से एक (पौलस्त्यवध) नाटक है, और ज्येष्ठ दोनों महाकाव्य। 'महाकाव्य' की जो परिभाषा अर्वाचीन साहित्यग्रस्त्रीय ग्रन्थों में दी गई है, उसमें यदि वाल्मीकीय रामायण तथा 'रामचरित-मानस' प्रहीत नहीं होते, तो यह 'परिभाषा' बनानेवालों का दोष है कि वे अपनी परिभाषा में इन महाकाव्यों को न ला सके। यह भी सभव है कि उनके सामने 'महाकाव्य' मस्कृत के ही रहे हों और 'मानस' पर उनका ध्यान न गया हो; या 'परिभाषा' वनारं तक 'मानस' का अवतरण न हुआ हो। और वाल्मीकीय रामायण को वे साधारण महाकाव्यों में न रखना चाहने हों। वह तो 'आदिकाव्य' के नाम से प्रसिद्ध है। तब 'महाकाव्य' की अर्वाचीन परिभाषा में वह कैसे आये !

वाल्मीकि रामचरित के आदि गायक है। उन्होंने कहण रसात्मक 'पौलस्त्यवध' नाटक लिखा था, जिसका पता वाल्मीकीय रामायण के प्रारभिक चार सर्गों में चलता है। प्रारभिक सर्ग उस अज्ञातनाम महाकवि ने भूमिका के रूप में लिखे हैं, और फिर पाँचवें सर्ग से महाकाव्य की कथा आरंभ होती है।

'वाल्मीकीय रामायण' नाम इसलिए प्रबलित हो गया, क्योंकि महाकवि ने आरभ के चार सर्गों में वताया कि रामायण (रामचरित) के प्रथम गायक वाल्मीकि है, और फिर अन्त में कृतज्ञतापूर्वक कहा—

### 'आदिकाव्यविदं चार्षम्, पुरा वाल्मीकिना 'कृतम्'

'पुरा' अति प्राचीन काल में मुनि वाल्मीकि ने इस आपेक्षाकाव्य की—'रामायण' की रचना की थी। नाटक व्याख्य काव्य है, और वाल्मीकि का 'पौलस्त्यवध' नाटक था, जिसे 'रामायण' नाम से प्रनिहित मिली। रामायण का, रामचरित का निवन्धन 'पौलस्त्यवध' से होने के बारण उसे 'रामायण' लोग कहने लगे। पहले 'रामचरित' के अथ में 'रामायण' का प्रयोग होता था। वाल्मीकि रामायण के छाँट टीकाकार श्रीभान् राम महोदय ने लिखा है—रामस्य अथनम्, चरितम्—'रामायणम्'। यानी 'रामायण' तब तक काव्य-विशेष की मना न थी। आगे चलकर 'रामायण' शब्द का प्रयोग उन काव्य-विशेषों के लिए होने लगा, जिनमें रामचरित (रामायण) का निवन्धन हुआ हो—'अध्यान्मरामायण' आदि। यहाँतक कि तुलमीदाम के 'रामचरित-भानस' की भी 'तुलमीकृत रामायण' नाम ने ही अधिक प्रभिद्धि है।

सो, वाल्मीकि के 'पौलस्त्यवध' नाटक को 'रामायण' नाभ मिला और फिर रामायण (रामचरित) को लेकर जब विभी महात्मवि ने एक महाकाव्य की रचना की तो उसे भी 'रामायण' नाम मिला आगे वह वाल्मीकि के नाम से प्रभिद्ध हो गया। इस महाकाव्य को भी पीलस्त्यवध (रावण-वध) तक ही रखा गया था। 'युद्धकाण्ड' (लका-काण्ड) के अन्त में ही राम का, अयोध्या-आगमन और राज्य-भार ग्रहण करने का बर्णन है और यहाँ 'फल-शृति' आदि हैं, जो ग्रन्थ की ममानि पर ही लिखी जाती है। 'उत्तरकाण्ड' उत्तरकालीन प्रक्षेप है। यहाँ गव आगे बताया जायगा।

रामचरित के तीसरे एमुख गायक हैं गोस्थामी 'तुलमीदाम' जिनका 'रामचरित-भानस' तुलसीकृत 'रामायण' नाम से देश भर में तथा विदेशों में भी गुजित हो रहा है। जितना व्यापक प्रचार इस महान् काव्य का हुआ, उतना अन्य किसी भी ग्रन्थ का नहीं। इस लोकोत्तर लोक-काव्य ने भारतीय जनता को काव्यानन्द के साथ-साथ आत्मवल तथा मदाचार की भी शिक्षा दी है। अपढ़-निरक्षर से लेकर बड़े-पे-बड़े विद्वान् भी तुलमी के शब्दों का आनन्द लेने रहे। यह काव्य पाञ्चाली और अवधी में

है। ये दोनों भाषाएँ 'हिन्दी-संव' की प्रमुख भाषाएँ हैं। परन्तु कहा यही जाता है कि 'रामचरित-मानस' अबधी भाषा का काव्य है।

वे तीन रामचरित के प्रमुख गायक हैं। इनका तथा इनकी काव्य-कृतियों का विशद विवेचन इस छोटे-से लेख में बया होगा ! सक्षेप में आगे परिचय दिया जायगा ।

### १ वाल्मीकि और उनका 'पौलस्त्यवध काव्य'

'वाल्मीकीय रामायण' के प्रमुख टीकाकार श्रीमान् राम महोदय ने लिखा है कि वल्मीकि नाम के कोई ऋषि थे। उनके पुत्र 'वाल्मीकि'। यों 'वाल्मीकि' नाम नहीं, नाम का विशेषण ठहरता है, जैसे—'दाशरथि'। परन्तु यह विशेषण ही नाम के रूप में चल पड़ा, और नाम लोग भूल ही गये ! बादशाह अकबर का नाम कितने लोग जानते हैं ? 'अकबर' तो उनके महत्व के लिए लगाया गया शब्द है। नाम था-'जलालुद्दीन,' जो प्रथमः लुप्त ही हो गया। हिन्दी के महाकवि भूषण का नाम भी लुप्त है। 'कवि-भूषण' की पदबी उन्हें दी गई थी। फिर 'कविभूषण' लोग कहने लगे। जैसे 'भूषण' नाम, और 'कवि' उसका विशेषण, आगे 'भूषण' ही नाम प्रसिद्ध हो गया। वर्म, कुछ यही स्थिति 'वाल्मीकि' मुनि की है।

मरम्बनी-उपासक मुनियों में केवल वाल्मीकि का ही नाम अमर है, जेप सब लुप्त हो गये। भरतमुनि तो बहुत बाद के हैं। इसी तरह असुर-कवियों में 'उशना' का नाम लिया जाता है—'कवीनामुशना: कविः' 'उशना-शुक्रः'। शुक्र (असुरों के गुरु, नेता तथा महाकवि) का नाम 'उशना' था। वे वीर-भाव (वीर्य वीरता) के पुज थे, अपनी मृतसंजीवनी काव्य-शक्ति के कारण। इसलिए उन्हें शुक्र कवि कहा गया। कालान्तर में 'शुक्र कवि' ही प्रसिद्ध हो गये और उनका नाम (उशना) भी कृष्ण-जैसे वीरता-प्रेरकों की ही जानकारी तक रह गया। नाम भर वाल्मीकि की कृति का शोष है, पर शुक्रकवि की कृति का नाम भी लुप्त हो गया।

एक दूसरे वाल्मीकि भक्त हुए हैं द्वापर में, जिन्हें युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ में भगवान् श्रीकृष्ण ने उजागर किया, और सर्वोमरि महत्व दिया। ये भक्त वाल्मीकि सफाई का काम करनेवाले हरिजन (भंगी)

परिवार में पैदा हुए थे। इनका वर्णन नाभा जी ने 'भवन-माल' में किया है। वह नाम के एक होने के कारण कुछ लोग द्वापर के भवन वाल्मीकि को ही राम-गायक मुनि वाल्मीकि समझ देते हैं।

वाल्मीकि मुनि में साहित्यिक प्रत्यक्षिति थी। वे कीड़ ऐसा काव्य लिखना चाहते थे, जो आदर्श वीरता का प्रेरण द्वा। इसके लिए उन्होंने मूलिक नारद में प्रेरणा मिली कि राम ही एक आदर्श पुरुष है। उन्हें इस काव्य का नायक बनाया। इसके बाद वक्ष्याजी वाल्मीकि में मिले। वक्ष्याजी नाट्य-शास्त्र के आदाकार्य हैं। उन्होंने ही कठाचित् 'दृश्य काव्य' लिखने की सलाह दी हो, क्योंकि 'श्रद्धय काव्य' की अपेक्षा 'दृश्य काव्य' में अधिक प्रेरकता होती है। अपद-कुपट भी दृश्य काव्य (नाटक आदि) में वरावर आनन्द लेते हैं और (लिपि-मासायन के द्विना ही) सीधे कवि की वाणी सुनते हैं उन अभिनेताओं के द्वारा, जो राम, भीता, हनुमान आदि की भूमिका में आकर अभिनय करते हैं। भी, वाल्मीकि का यह बात अच्छी लगी। उन्होंने 'पौलस्त्यवध' नाटक लिखा। रामायण-महाकाव्य के रचयिता ने भूमिकात्मक (वाल-काण्ड के आरम्भ में) नीति गग में लिखा है—

काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं सहृत् ।  
पौलस्त्यवधभित्तिवं चकार चरितब्रत ॥

रामायणम् — रामचरितम् ‘पौलस्त्यवधभित्तिवय्’-पालगम्पवधभ-  
नामकम् ।

कृत्स्नम्-मम्पूर्णम्। वस्तुतः ‘पौलस्त्य-वध’ में मम्पूर्ण रामचरित आ जाता है। वन-गमन के प्रकरण में अयोध्या आ गई, और फिर विजय करके अयोध्या लौटने पर राज-काज संभालना। ‘नीतायाश्चयचरितं सहृत्’ ‘पौलस्त्यवध’ का दीज ही है।

सो, ‘पौलस्त्य-वध’ काव्य महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, यह म्पर्ट हुआ। पता नहीं, ‘वाल्मीकीय रामायण’ के रचयिता ने ‘पौलस्त्यवध’ काव्य देखा भी था; या विद्वत्यरम्परा से प्राप्त कथा भर सुनी थी। परन्तु यह पक्की बात है कि वाल्मीकि ने पौलस्त्यवध काव्य लिखा था।

अब यह देखना है कि यह काव्य किस वर्ग का था। हमने लिखा है कि यह 'दृश्य काव्य' या नाटक था। इसमें आप प्रमाण मार्गेंगे। प्रमाण में हम 'वाल्मीकीय रामायण' के भूमिका-मर्गों को ही सामने रखेंगे। वहाँ लिखा है कि वाल्मीकि 'पौलस्त्यवध' लिखकर इस चिन्ता में थे कि —

‘कोऽन्वेतत्प्रयुज्जीयत् ।’

अब इमका 'प्रयोग' कौन करे ! 'प्रयोग' 'दृश्य काव्य' का ही होता है। शब्दकार्य तो पढ़ा जाता है। कौन इसे 'पढ़ेगा,' यह चिन्ता तो थी ही नहीं, क्योंकि मुनि-समाज में तथा उस समय के साधारण जन-समाज में सब निरक्षर तो होंगे ही नहीं ! हाँ, नाटक आदि का 'प्रयोग' करने—बांगे कलाकार (नट, कुशीलव) दुर्लभ होंगे। आज भी अच्छे नाट्य कला-कार बहुत कम हैं। कोई भी नाटककार यह सोचता है, कामना करता है कि मेरे नाटक का कहीं गुणपाही समाज में कुशल नाट्यकलाकारों के द्वारा 'प्रयोग' हो—मेरा नाटक रंगमच पर 'खेला जाय'। अङ्गूष्ठी की शोभा बढ़िया नग ज्ञे होती है और नग की अङ्गूष्ठी में। काव्य-रचना—नाटक का निर्माण एक कला है और उसका 'प्रयोग' रंगमच पर करना दूसरी कला। एक चीज़ कवि की है, दूसरी कुशीलवों की—नाट्यकला-विशारदों की। कभी-कभी कवि भी कुशीलव का काम करता है। महाकवि रवीन्द्र—तात्र ठाकुर तथा भारतेन्दु हरिहरन्द्र अपने नाटकों के 'प्रयोग' में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करके मच पर अभिनय किया करते थे। परंतु ये अपने ही नाटकों के प्रयोग में पात्र-विशेष की भूमिका ग्रहण करते थे; इसलिए कुशीलव नहीं, कवि ही कहे जायेंगे। कुशीलवों की कला का बहुत सम्मान था और राज-परिवार के जन भी इन क्षेत्र में आते थे।

सो, जब वाल्मीकि 'पौलस्त्य-वध' के प्रयोग की चिन्ता में थे, तभी

तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभीवितात्मनः ।

अगृहीतां ततः पादौ सुनिवेशौ कुशीलवौ ॥

— जब मुनि उस तरह नाटक के प्रयोग की चिन्ता में थे, तभी दो कुशीलव सीधे सादे वेश में वहाँ पहुँचे और मुनि की चरण-वन्दना की।

उस समय मुनि का यत्न नाटक-प्रयोग के बारे में भावना विभीत हो रहा था।

जैसे कवि कुशीलबो की खोज करता है, उसी तरह कुशीलब भी उसम नवीन नाटक की खोज में रहते हैं। पता लगा होगा कि वामभीक्षि ने 'पौलस्थवध' नाटक लिखा है, सो पहुँच गये। एक 'मृत्रधार' और दूसरा उसका प्रमुख महत्व-महयोगी 'पारिपार्श्विक' था।

इन दोनों कुशीलबों के बारे में कहा है—

कुशीलबौ तु धर्मज्ञौ नाजपुत्रौ यशस्विनौ ।  
भूतरौ रथरस्थ्यन्नौ ददशश्रितवास्तिनौ ॥

'आश्रमवासिनी'—जब कुछ दिन आश्रम में दोनों कुशीलब रहे, तब ज्ञात हुआ कि वे दोनों मुनि-वेश में हैं; परं राजपुत्र हैं, सो भाई हैं, उन का स्वर भराहनीय है और वे (अपनी कला में) बहुत यज्ञ प्राप्त कर चुके हैं। यह भी लिखा है कि यगीत विद्या में दोनों वहुत निपुण थे। वामभीक्षि ऐसे न थे कि किसी ऐरे-गैरे को नाटक मौप देते। खूब ठोंक-बजाकर देख लिया, तब—'अग्रायत प्रभु।' अपना नाटक उन्हें सौप दिया।

इसके अनन्तर उन कुशीलबों ने नाटक का अभ्ययन किया, अपानी मडली बुलाई, प्रयोग की तैयारी की, जिस पात्र का अभिनय जिसको सौपा गया, उसमें उसमें दक्षता प्राप्त की और किर मुनि-समाज में ही 'पौल-स्थवध' नाटक का प्रथम प्रयोग हुआ। नाटक देखकर मुनिजन मुरथ हो गये और आवाज उठी—

‘चरनिर्वृत्तस्थ्येतत्, प्रत्यक्षमिव दर्शितम्’

जो घटना बहुत पहले घटी थी, उसे आँखों के सामने लाए दिया ! ऐसा जान पड़ा कि वह सब हमारे सामने ही हुआ !

मुनियों ने फिर कुशीलबों को उपहार में तरह-तरह की वस्तुएँ भेट कीं, जो उनके पास थीं। वे 'राजकुमार' थे कुशीलब, तो भी मुनिजनों के दिये हुए थे (चलकल आदि) उपहार उन्होंने सम्मान-पूर्वक गहण किये।

इसके बाद वे कुशीलब नाटक लेकर चले गये।

### 'कुशीलव' और 'कुशलव'

वाल्मीकीय रामायण के टीकाकारों ने 'कुशीलवौ' को 'कुशलवौ' समझ लिया है ! लिखा है कि 'कुशलवौ' का आर्थ-प्रयोग है — 'कुशीलवौ' । कितना अस्त्र ! आर्थ-प्रयोग जो ऐसे हुए है, उनमें स्वर दीर्घ भर हुआ है, स्वर-परिवर्तन नहीं । 'अ' को 'आ' रूप मिल गया है— 'सूर्यचन्द्रमसौ' का 'भूयचिन्द्रमसौ' और 'इन्द्रवरुणौ' का 'इन्द्रावरुणौ' प्रयोग आर्थ है 'अ' को कहीं भी 'ई' रूप नहीं मिला है ।

फिर, यदि कुश-लव नाट्यकलाकार थे और उनके आश्रम में ही थे, तो फिर मुनि चिन्ता में क्यों पड़े कि 'कोन्वेततप्रयुज्जीत'— इस नाटक का प्रयोग कौन करेगा ! क्या अपने आश्रम के कलाकारोंको कोई नहीं जान पाता ? और फिर उन कुशीलवों को 'राजपुत्रौ' कहा गया है; एक जगह नहीं, दीसों जगह । यदि कुश-लव हीते, तो 'राजपुत्रौ' की जगह 'रामपुत्रौ' विशेषण होता ।

वस्तुतः 'प्रयुज्जीत' तथा 'कुशीलवौ' का अर्थ ही लोग नहीं समझे ?

### २. अङ्गात महाकवि का महाकाव्य 'वाल्मीकीय रामायण'

#### 'पौलस्त्य-वध' का 'रस'

'पौलस्त्य-वध' इस नाम से आभास मिलता है कि वह नाटक बीर-रस-प्रधान रहा होगा । परन्तु लोक-विश्रुति यह है कि वाल्मीकि की वह रचना करुण रस से ओतप्रोत थी । इसपर विचार करना चाहिए ।

कुशल कुशीलव ऐसा ही दृश्यकाव्य पसन्द करते हैं जिसका प्रयोग पाँच-छह घटे में सम्पन्न हो जाय, और चतुर नाटककार कुशीलवों की इस रचि का ध्यान रखते हैं । ऐसी स्थिति में सरलता से समझा जा सकता है कि 'पौलस्त्य-वध' के लिए वाल्मीकि ने राम-चरित का कितना अंश लिया होगा । पाँच-छह घटे में सुकर-प्रयोग नाटक को पाँच-छह अंकों में विभक्त किया जा सकता है । नित्य ही राम-निर्वासन से ही नाटक का थीगणेश हुआ होगा । 'आदौ रामतपोवनाडि गमनम्' । प्रथम अंक में वयोध्या से राम का निर्वासन और उस समय राज-परिवार की दशा का चित्रण मर्मस्पर्शी रहा होगा । दूसरे अंक में राम की वन में

स्थिति, सीता का वह वन्य जीवन चित्रित हुआ होगा, जिसे देखकर दर्शकों के हृदय द्रवीभूत हो जाते होंगे। तीसरे अंक में सीता-अपहरण का कार्य-प्रिणिक दृश्य दर्शकों को रुला देता होगा। चौथे अंक में सीता के विद्योग में राम की कथा दशा हुई, इसका चित्रण कवि ने किया होगा। पांचवें अंक में लंकास्थित सीता का विरह-सन्नाप चित्रित हुआ होगा और छठे अंक में किसी प्रमुख पात्र के मुख में सीता को सूचना मिली होगी कि भयकर युद्ध में पौलस्त्य भारा गया और राम की विजय हो गई है। एन भमाचार से सीता का पुनरुज्जीवन—‘सूखत धान परा जनु पानी’ की तरह दर्शकों को आलादित करता होगा; किर राम और सीता का पूर्णमिलन। यो यह सुखान्त नाटक रहा होगा।

इस अन्तिम अंश (छठे अंक) कोछोड़, शेष पूरे नाटक में करुणात्मक दृश्य और एक में एक बढ़कर दिन दहलानेवाले। तो, प्रधानता करुण रस की स्पष्ट ही है।

युद्ध रणमध्य पर दिखाया नहीं जा सकता; इसलिए उसकी मृचना किसी ढंग से देवी जाती है। तो फिर बीर रस में परिणति होने पर भी उसका परिपाक तो नहीं हुआ न! दर्शकों के मन तो करुण रस में भरे हुए। उनमें पौलस्त्य-वध की सूचना से सुख-सचार होने पर भी वह करुण दृश्यावली ही जमी रहना स्वाभाविक है और इसीलिए ‘पौलस्त्य-वध’ में करुण रस प्रधान रहा।

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। अर्वाचीन काव्य-विवेचकों ने पारिभाषिक ‘करुण’ रस की जो परिभाषा दी है, वह अद्यूरी है। उसके अनुसार तो किसीकी मृत्यु हो गई हो, तभी वह ‘करुण रस’ की परिभ्र में आता है।

हों, ‘पौलस्त्य-वध’ के अक-विभाजन की जो बात मैन कही है, उस पर पाश्चात्य आलोचक और उनके भारतीय चिले कहेंगे कि “उस अनि प्राचीन युग में ‘लिखने’ की कोई बात ही नहीं; क्यों कि तबतक लिपि का निर्माण आर्यों में हुआ ही न था और इसीलिए ‘वेद’ को ‘श्रुति’ कहा जाता था। सुनते-सुनते वह चलता था।”

ऐसे मृत्यों को कैसे बताया जाये कि “कालिदास ने ‘रघुबंश’ में और

तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में कहा है— " वया इनके युग मे भी लिपि न थी ? आज-कल 'श्रव्य काव्य' ही अधिक लिखे जाते हैं । इस का क्या मतलब ? क्या आज भी लिपि नहीं है ? फिर 'श्रव्य काव्य' 'लिखे जाते हैं', यह क्या ? इन्हे कैसे समझाया जाय कि 'लिखना-पढ़ना' भी ( लिपि के माध्यम से ) कहना-बोलना ही है । सासार के सबसे प्राचीन साहित्य 'ऋग्वेद' के भी 'मण्डल' तथा 'सूक्त' रूपों मे परिच्छेद है । तब उसके बहुत दिन बाद वाल्मीकि ने अपने दृश्य काव्य का विभाजन अको मे किया, तो शंका किस बात की ?

वाल्मीकि के समय दृश्य काव्यों का प्रयोग करने के लिए रामचंद्र की भी उत्तम व्यवस्था रही होगी और अभिजात वर्ग के विद्वान् कलाकार अपने को 'कुशीलव' कहलाने मे गर्व का अनुभव करने होंगे । तभी तो दो राजकुमार कुशीलव वाल्मीकि की सेवा में जाकर हाजिर हुए थे ।

एक बात और । वह क्रौंच पक्षी की हत्यावाली बात कुछ जमती नहीं है और वाल्मीकि के प्रस्तुत करुण काव्य से मेन भी नहीं खाती । महाकवि निराला के सामने ही, उनकी प्रकृति बताने के लिए, लोग कहानियाँ गढ़ लेने थे और मेरे सामने ही ( मेरे दिल्ली-अभिनन्दन पर ) अनेक विद्वान् मित्रों ने मेरी प्रकृति बतलाने के लिए कई कल्पित प्रसंग उप-प्रिथ्वि किये थे । अन्यथा भी ऐसा होता है । सो, वाल्मीकि की मनोदशा को वैसे काव्य की रचना के अनुकूल बनाने के लिए वह क्रौंच पक्षी की हत्यावाली कहानी गढ़ी गई है, जो जमती नहीं है ।

### 'पौलस्त्य-वध' से पहले और बाद में

'पौलस्त्य-वध' मे पहले और उसके बाद सस्कृत में कितना साहित्य अवतरित हुआ होगा, इसका अनुभान कोई लगा नहीं सकता । यह हो नहीं सकता कि अचानक 'पौलस्त्य-वध' यूद पड़ा हो, उसके पहले कोई साहित्य प्रकट न हुआ हो । अन्यविध साहित्य के अतिरिक्त दृश्यकाव्य भी काफी बन चुके होंगे और उनके प्रयोग करनेवाले कुशीलवों की कला का विकास भी हो चुका होगा । अन्यथा, एकदम वे कुशीलव कहाँ से टपक पड़ते, जो वाल्मीकि के आश्रम मे नवीन नाटक की प्राप्ति के लिए

पहुँचे थे ! हाँ, यह हो सकता है कि रामचरित को लेकर वह पहला ही नाटक हो, जिसकी चर्चा 'वाल्मीकीय रामायण' के रचयिता ने की है। उसे तो अपनी परम्परा से मतलब । यह भी हो सकता है कि रामचरित को लेकर भी काव्य-रचना हुई हो, जो 'पौलस्त्य-वध' के उदय से अस्त हो गई हो ! पाणिनि से पहले जो व्याकरणकार हुए, उनके नाम ही 'अष्टाध्यायी' से मालूम हैं, उनके मत भी थोड़े-वहुत मालूम हैं। पर उनके ग्रन्थों का कहीं पता नहीं । इसी तरह यास्क ने अपने 'निश्चक्त' में जिन भाषाविज्ञानियों के नामों का और उनके मतों का उल्लेख किया है, सामने है । परन्तु उनके ग्रन्थों का पता नहीं । पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' के बाद पहले के सब व्याकरण ग्रन्थ अस्त हो गये और यास्क के 'निश्चक्त' ने पहले के सभी निश्चक्तीय (भाषाविज्ञानिक) ग्रन्थों को निरस्त-अस्त कर दिया । पाणिनि तथा यास्क के सभय अन्य विषयों का भी साहित्य होगा; अन्यथा व्याकरण तथा निश्चक्त का प्रादुर्भाव ही सभव न था । परन्तु अपने-अपने विषय के ही पूर्वार्थों के नाम और मत दोनों आवार्यों ने यत्र-तत्र प्रकट कर दिये हैं । इसी तरह 'वाल्मीकीय रामायण' के रचयिता ने वाल्मीकि तथा उनकी कृति 'पौलस्त्य-वध' की चर्चा कर दी है । वही सर्वोत्कृष्ट जँचा होगा ।

संभव है, 'पौलस्त्य-वध' के बाद भी रामचरित पर साहित्य बना हो, पर नगण्य रहा हो और इसीलिए उसकी चर्चा अनावश्यक समझी गई हो । ५० कामताप्रसाद 'गुरु' के हिन्दी-व्याकरण के बाद भी सैकड़ों हिन्दी-व्याकरण बने, पर 'हिन्दी शब्दानुशासन' में केवल 'गुरु' जी का ही उल्लेख है । इस निवन्ध में रामचरित के तीन 'गायक' निर्दिष्ट हैं, परन्तु उनकी मरुया तीन ही तो नहीं हैं न ! तीन पर हमें विचार करना था ।

### लिपि का उल्लेख

लोग यह भी कहते हैं कि वैदिक साहित्य में कहीं 'लिपि' का उल्लेख नहीं है; जिससे स्पष्ट है कि उस सभय 'लिखने' की व्यवस्था न थी !

इन लोगों को यह भी कहना चाहिए कि 'चालीस' वर्ष पहले तक हिन्दी में 'लिखने' की व्यवस्था न थी; क्योंकि अंग्रेजी के 'स्पेलिंग' और

उर्द्द के 'हिज्जे' की तरह हिन्दी साहित्य में कोई बैसा शब्द नहीं मिलता। हिन्दी में 'वर्तनी' शब्द चले अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं। यदि पहले हिन्दी में लिखने की व्यवस्था होती तो 'वर्तनी' शब्द जरूर मिलता।"

बस, और अधिक क्या कहा जाय। 'वाल्मीकीय रामायण' महाकाव्य जिस महाकवि ने लिखा, उसके नाम-धारा का कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि वे कव हुए और कव अपने इस महाकाव्य की रचना की। इतनी ही बात पक्की है कि यह 'वाल्मीकीय रामायण' अति प्राचीन रचना है।

शुक्र तथा मुनि वाल्मीकि का नाम कवि-रूप में सबको विदित है; पर उनके काव्य लुप्त हो गये और इस महाकवि की रचना मामने हैं; पर नाम लुप्त हो गया। महाकवि का नाम 'वाल्मीकि' में अन्तर्हित हो गया।

'वाल्मीकीय रामायण' ऊँचे दर्जे की काव्य-रचना है। इसमें प्रष्टुति का तथा मानव-प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। महाकवि पर अपने युग के समाज का भी प्रभाव पड़ा है। प्रभिद्वि थी 'लका में सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई और उसमें वे खरी उतरी। वैसी भयंकर स्थिति में अपना सतीत्व सुरक्षित रखना भयकर अग्नि-परीक्षा में खरा उतरना है। लोग इसका भतलब यह समझने लगे थे कि परीक्षा के लिए बहुत बड़ी चिता बनाई गई और सीताजी उस धधकती हुई चिता में दब पड़ीं और फिर अपने सतीत्व के प्रभाव से ज्यों-की-त्यो, दमकते हुए कुन्दन की तरह प्रकट हुई। महाकवि भी ऐसा ही समझे और यह भी कल्पना की होगी कि वाल्मीकि ने भी अपने रामचरित (रामायण) काव्य 'पौलस्त्यवध' में सीताजी के ऐसे ही अग्नि-प्रवेश का वर्णन किया होगा ! वह कैसा कारणिक दृश्य रहा होगा ! महाकवि को इस प्रसंग ने अत्यधिक प्रभावित किया और उनकी यह भावना बनी कि 'पौलस्त्य-वध' इसी घटना के कारण 'करुण रम' का कहा जायगा; इसीकी संगति के लिए महाकवि ने अपने महाकाव्य के आरम्भिक (भूमिकात्मक) सर्गों में और सब लिखते हुए क्रौच पक्षियों की कल्पना-प्रसूत कथा लिखी।

महाकवि ने अपने महाकाव्य (वाल्मीकीय रामायण) में सीता के अग्नि-प्रवेश का अत्यन्त करुणात्मक वर्णन किया है। उसे पढ़नेवाले के

मन में (सीता के प्रति वैसी कटूकितयाँ सद्बके सामने कहते हुए) राम के प्रति असद्भावना पैदा न हो, यह सम्भव नहीं और वही पाठक का सिर माता सीता के चरणों पर भुक जाता है। लोकोत्तर शील, संयम और शालीनता के दर्शन हैं।

जो भी हो, महाकवि का यह वर्णन अद्वितीय है। राम का वैभा रूप वर्णन करके भी महाकवि उन्हे 'धर्मज्ञ' कहता है; यह लोक-लीक ! निरपराध सीता का अग्निप्रवेश वर्णन भी लोक-लीक का ही पीटना है; अन्यथा, महाकवि की पूर्ण सहानुभूति माना सीता की ओर है। लोक-मान्य बाल गंगाधर तितक को निरपराध देश-भक्त भमभक्ते हुए भी न्यायाधीश ने उन्हे दण्ड दिया था। दण्ड देना पड़ा था। वह कानून से वैधा हुआ था। इसी तरह महाकवि लोक लीक से विषपका हुआ था। उसे वैसा वर्णन करना पड़ा और सूख किया।

### उत्तर काण्ड का प्रक्षेप

'वाल्मीकीय रामायण' युद्ध-काण्ड (लका-काण्ड) पर ही समाप्त है। सातवाँ काण्ड बहुत बाद का प्रक्षेप है, यह उसके नाम से ही स्पष्ट है 'उत्तरकाण्ड'—बाद का जोड़ा हुआ काण्ड। महाकाव्य के असली छहों काण्डों के नाम न्यान या घटनाओं को लेकर हैं—बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किंकिन्ध्याकाण्ड, सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्ड। 'वाल्मीकीय रामायण' का अग यह सातवाँ काण्ड होता, तो नाम होता — राजयपालन काण्ड, या सीतानिवासिन काण्ड।

दुनिया कितनी विचित्र है ! कैसे-कैसे कूर राक्षस यहाँ पैदा होते हैं ! सीता की उस 'अग्नि-परीक्षा' से भी सन्तोष न हुआ और तब 'उत्तर काण्ड' रच डाला। इसी काण्ड में तपस्वी शम्भूक की हत्या राम के द्वारा कराई गई है। और भी बहुत-सी ऐसी ही कहानियाँ हैं, परन्तु सबसे कूर कल्पना सीता-निवासिन की है। निरपराध, अबला, गर्भवती और फिर उसकी वह दुर्गति ! वियावान जगल में हित्र जानवरों को चीर-फाड़कर खा जाने के लिए उसे छोड़ आना ! फिर, कहा क्या गया है—अपने वश की मर्यादा, अपनी कीर्ति तथा धर्म की रक्षा के लिए वैसा करना पड़ा !

## रामचरित के तीन गायक

१३

यदि यही बात होती, तो घर्मज्ज राम स्वयं प्रायश्चित्त करते और वैमा कोई दण्ड स्वयं भुगतते; क्योंकि दोषी वे ही ठहरते हैं। वे सीताजी को पुष्पक-विमान में लका से अयोध्या लाये और राजभवन में सम्मान के साथ रखा। तब प्रजा ने किसको दोषी समझा होगा?

पत्नी का परित्याग आगे दुष्यन्त ने जो किया, वह सच्ची घटना ह कल्पित नहीं। दुष्यन्त ने शोहदेष्ट में मुनि-आश्रम की एक बालिका को अपने जाल में फँसा लिया और फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे अपमानित करके भगा दिया कि यह मुझे कल्पित करके रानी बनने के लिए रौड़ कहाँ से आ पहुँची! शोहदे ऐसा करते ही हैं और जो लड़कियाँ गुरुजनों के परामर्श-अनुमति के बिना वैसा 'प्रेम विवाह' कर लेती हैं, उनमें से अधिकाश प्रायः पछताती ही देखी जाती है। परन्तु दुष्यन्त ने बकुन्तला को पकड़वाकर यियाबान जगत में नहीं छुड़वाया।

'सीता-निर्वासिन' की क्रूर कल्पना हृदय दहलानेवाली है और इसके जोड़ की केवल एक ही और क्रूर कल्पना मिलती है, जो राजा मधूरध्वज की कथा है। कुछ ठिकाना है। एक साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसके जानवर के लिए, माता और पिता अपने हाथों आरे से अपने पुत्र को चीर दे! मुनते ही रोम खड़े हो जाने हैं। सीता-निर्वासिन के जोड़ की केवल यही एक क्रूरतम कलाना और है। अन्य सब कुत्सित कल्पनाएँ इसके बाद हैं।

खैर, अधिक कहने को मन नहीं करता—'कथाऽपि खलु पापानामल-मथेयसे यतः।' चाहिए था कि किसी मधुर प्रसग में इस प्रकरण की समाप्ति की जाती। परन्तु सामने यह बीभत्स नारकीय प्रसग आ गया। अँखें दब्द करके सब भूला दो।

### ३. गोस्वामी तुलसीदास और 'रामचरित-मानस'

ऊपर रामचरित के दो प्रमुख गायकों की चर्चा हुई, जिनके काव्य सस्कृत में बने। तीसरे महाकवि हमारे गोस्वामी तुलसीदासजी है, जिनकी 'भाषाभनिति' है—'रामचरित-मानस'। यह महाकाव्य 'तुलसीकृत रामायण' नाम से अधिक प्रसिद्ध है। परन्तु इधर हिन्दी के जागरूक विद्वानों

के सम्पादकत्व में जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, वे 'रामचरित-मानस' नाम से ही अलकृत हैं; तो भी कथा-परिच्छेदों के नाम 'काण्ड' ही रखे गये हैं। गोस्वामीजी ने अपने 'मानस' के सात 'सोपान' रखे थे—'सप्त सोपान'। सातवें 'सोपान' का नाम लोगों ने 'उत्तर काण्ड' रख लिया, परन्तु इसमें बाल्मीकीय रामायण के 'उत्तरकाण्ड' की कूरता नहीं है। न यहाँ 'सीता-निर्वासन' की चर्चा है; न किसी तपस्वी की हत्या ही रामजी से कराई गई है। इस 'सोपान' या 'उत्तरकाण्ड' को कृति का उत्तमाङ्ग कहना चाहिए; 'उत्तरकाण्ड' यह 'उत्तमकाण्ड' है। सीता और लक्ष्मण के साथ राम का अयोध्या-आगमन, राज्याभिषेक, अपने (लका-युद्ध के) सहयोगी सुश्रीव, अंगद, हनुमान आदि का कृतज्ञता-पूर्वक सम्मान, प्रजा की सुख-ममृद्धि का वर्द्धन, धर्म-स्थापन आदि का वर्णन है और फिर विविध कथा-प्रसंगों में भवित्व, ज्ञान, वैराग्य आदि का विशद वर्णन है तथा सर्वोपरि राम-भक्त का प्रतिष्ठापन है।

यानी इस सातवें 'सोपान' को गोस्वामीजी ने लोक तथा परलोक, दोनों का 'आठवाँ' (दर्पण) बना दिया है—अपना हृदय प्रकट कर दिया है।

### 'आठवाँ काण्ड'

बाल्मीकीय रामायण छह काण्डों में है और उसमें सातवाँ 'उत्तरकाण्ड' प्रक्षिप्त है, गोस्वामी तुलसीदास का 'मानस' सात सोपानों में पूर्ण है। परन्तु लोगों ने एक आठवाँ 'काण्ड' गढ़कर 'लव-कुश काण्ड' नाम से इसमें जोड़ दिया था, जिसमें वे सब कूर-कथाएँ तथा ऊल-जलुल निरर्थक कथाएँ भर दी गईं, जिनसे गोस्वामी तुलसीदास बहुत उद्विग्न थे। बीच-बीच में, अन्य सभी काण्डों में 'क्षेपक' भर दिये गये। ऐसे 'क्षेपकों' सहित तुलसीकृत रामायण, 'आठों काण्ड' छाप-छापकर लोगों ने खूब धन कमाया। यह धमाचौकड़ी देखकर हिन्दी के विद्वान् सजग हुए और सभी 'क्षेपक' हटाकर तथा आठवाँ 'लवकुश काण्ड' काटकर पुनः 'मानस' को अपने निज रूप में कर दिया। अब उन क्षेपकों का तथा आठवें 'लवकुश काण्ड' का कहीं पता ठिकाना नहीं है।

तुलसी ने एक कुंजी दे दी है

गोस्वामी तुलसीदाम ने राम-चरित समझने के लिए विद्वानों के द्विसागों पर लगे सशय-संदेहों के कपाट खोल दिये हैं। जड़ता का ताला खोलने की उनकी कुञ्जी यह है—

‘कल्प-भेद हरि-चरित सुहाए,  
मौति अनेक मुनीसन गाए’

गोस्वामीजी ने लिखा है कि रामजी के चरित्र में जो यह भिन्नता है, वह ‘कल्प-भेद’ से है। प्रत्येक ‘कल्प’ में रामजी का नवीन अवतार होता है, और यो कथा-भेद होता है। राम एक ही है।

निश्चय ही ‘कल्प भेद’ का मतलब ‘कल्पना-भेद’ है, कवि सब तरह के होते हैं। वे अपने मन से कल्पना करते हैं। जो जैसा हुआ, उसने वैसी ही कल्पना कर ली। यह कल्पला ही काव्य को ‘सुकाव्य’ या ‘कुकाव्य’ बना देती है। समाज की स्थिति तथा माध्यता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कविजन अपने समय की सामाजिक स्थिति से प्रभावित होते हैं और उसीके अनुसार काव्य-कल्पना कर लेते हैं। सो, राम-चरित में जो तरह-तरह के वर्णन-प्रसंग देश-विदेश में मिलते हैं, वे सब कवि-कल्पनाओं की सृष्टि हैं। उन कल्पनाओं को विवेक-इष्टि से देखना चाहिए कि मर्यादा पूर्षोत्तम राम से इसका कोई सामर्छजस्य (मेल) है भी कि नहीं! राम से भी क्या कोई ऐसा क्रूर तथा अन्यायपूरण कृत्य संभव है? इस तरह विवेक के सूप से फटकने पर असार तत्त्व उड़कर दूर जा पड़ेगे और सार तत्त्व पास रह जायगा।

‘हरि चरित सुहाए’ जो चरित जिसे सुहाया, मनभाया, उसीको राम के माये थोप दिया।

‘मुनीसन गाए’ ‘मुनीसन’ शब्द वडे काम का है। कुत्सित कल्पना करनेवाले भी ‘मुनीस’। खंबीस भी ‘मुनीस’! ‘कथिता पुण्यजना निशा-चराः’। राक्षसों का एक नाम ‘पुण्यजन’ भी है। यही वात कुकवि जनों को ‘मुनीस’ कहने मे है। और, सुकवि रामगायक तो ‘मुनीस’ हैं ही; मुनीश वालमीकि की परम्परा में हैं इसीलिए सब ‘मुनीस’

सिख को भी आदर से 'सरदार' कहा जाता है। सो राम-चरित के सभी गायक 'मुनीस' हैं, तुलसी की दृष्टि में।

मैं सभभता हूँ, 'कल्प-भेद से रामचरित में भिन्नता' वतलाकर तुलसी-दास ने हमें एक ऐसी कुछजी दे दी है, जिससे हम न केवल रामचरित-काव्यों को ही वरन् सभी काव्य पुराण-कल्पना-कथाओं को साफ-साफ देख सकते हैं। किसी कूर के लिए क्रूर चर्चित की कल्पना ठीक हो सकती है, परन्तु दयालु वर्मात्मा के लिए नहीं। कभी-कभी अपने काव्यनायक की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कविजन कल्पना कर लेने हैं, परन्तु किसी दुश्चरित्र के समाज-विरोधी आचरण को कल्पना-वल से छिपाना सामाजिक अपराध है जो महाकवि कालिदास में भी हो गया है। दुर्घन्त के शकुन्तला के प्रति किये दुर्व्यवहार पर मुनि-शाप की कल्पना ऐसी ही है।

# काव्य और काव्य-शास्त्र

: १ :

## काव्य का उद्भव और विकास

संसार में काव्य का उद्भव कब हुआ, इसका पूरा और निश्चयात्मक उत्तर देना सम्भव नहीं है, परन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि काव्य का उद्भव वही हुआ, जहाँ 'ऋग्वेद' की रचना हुई। संसार के सभी विद्वान् इस बारे में एकमत है कि संसार का सबसे अधिक प्राचीन साहित्य 'ऋग्वेद' है, और ऋग्वेद में उत्कृष्ट तथा सुसंस्कृत काव्य की जो छठा यत्र-नत्र उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि साधारण काव्य उससे पहले ही प्रचुर परिमाण में प्रकट हो चुके होंगे। वेद-रचना के समय भी काव्य-गीत बनते थे; परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि कविजन प्रायः विलासिता का उद्गेक करनेवाले काव्यों में ही मस्त रहते थे। देव आर्य कीड़ा-प्रायण हो गये थे। उनकी विलासिता ऐसी थी, जिसे ('शोहदापन') कह सकते हैं। देवों का राजा ('इन्द्र') भी ऐसा ही पुराणों में चित्रित किया गया है। वैसे काव्यों में ही इन सबको आनन्द मिलता था। परन्तु जब असुर-सेनाएँ इधर आ धमकती थीं, तब इन (देवों) को दुर्दशा हो जाती थी। "भगवान् हमें बचाओ; हमारी रक्षा करो" की आर्तघ्वनि सर्वत्र सुनाई पड़ती थी। जब मार-कूटकर असुर-सेनाएँ चली जाती थीं, तब फिर इनमें वे ही रंगीनियाँ और रंगरेलियाँ !

ऋषि जन इस देव-दुर्दशा से बहुत दुखी थे। जन-संख्या, धन-सम्पदा और शारीरिक बल आदि सब कुछ होने पर भी बार-बार अमुरों से पराभव इसका कारण बना है। उन्होंने सोचा कि इस उरह अपमानित हो

कर जीने का कारण, निरंकुश और स्वच्छन्द विलासिता ही है, जिसका उद्देश वैसी कविताओं से होना है। एक ऋषि ने क्रृचा में कहा है—

‘तदेव वाचः प्रथमं मंसीय,  
येनाऽसुरो अभि असाय।’

इस समय हमें वाणी के उस रूप को सर्वाधिक महत्त्व देना चाहिए, जिससे हम असुरों का पराभव कर सकें। वैसी वाणी असुर कवियों में थी। अमुर-कवि शुक्र की वाणी मुर्दों में भी जान डाल देती थी। उनकी कविता सुनकर कायर से कायर भी समर-रसिक बन जाते थे। निर्जीव नसों में भी विजली दौड़ जाती थी। शुक्र कवि असुर आर्यों में उत्साह भर देते थे, जो न केवल समर में ही, वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा देता है। वे जीवन देनेवाले कवि थे—वैसे कवियों में सर्वोपरि थे। प्रसिद्ध है कि शुक्र को ‘सजीवनी विद्या’ आती थी, जिससे वे मृत असुरों को भी जीवित कर देते थे। यह ‘सजीवनी विद्या’ और कुछ नहीं, उनकी वह रसमयी कविता ही थी, जो निरन्तर असुरों को शक्ति देती रहती थी। इसीलिए भगवान् श्रीकृष्ण ने शुक्र को संसार का सर्वोत्तम कवि माना है—‘कवीनामुशनाः कविः।’ उशना (शुक्र) कवि भगवान् की विभूतियों में है। यह उपलक्षण है। मतलब यह कि जीवन को बल देनेवाली कविता जो दे, वह उत्तम कवि। यह उत्तम कवि की परिभाषा श्रीकृष्ण ने दी है।

वैदिक ऋषि की कामना है कि हमारे देवों में भी वैसे कवि हों। विलास-काव्यों का बड़ा जोर देवों में हो गया और इसीलिए वेद-ऋचाओं में बार-बार अग्नि-उपासना पर जोर दिया गया है। ऋषि देवों में गरमा-हट लाना चाहते थे। वे कहते थे—‘आग पैदा करो; यह बड़ी चीज है। उस आग में अच्छी से अच्छी समिधाएँ पड़े, तब हम सुखी और समृद्ध होंगे। उनकी प्रेरणा थी कि अग्नि-काव्य ही प्रकट होने चाहिए। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ‘अग्नि-सूक्त’ ही है, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का प्रथम अक्षर ‘अग्नि’ ही है—‘अग्निमीडे पुरोहितम्।’ अग्नि हमारे लिए प्रणम्य है। वही आगे चलकर हमें सब कुछ देगी।

पता नहीं, आगे क्या हुआ ! अग्नि-उपासक ऋषियों का आह्वान सुना

## काव्य और काव्य-शास्त्र

१६

गया; या कि सौन्दर्य-उपासक कवि अपने मार्ग पर ही चलते रहे। इस समय न तब का कोई असुर-काव्य उपलब्ध है, न वैसा सुर-काव्य ही ! हों, शुक्र का नाम अवश्य 'कवि' रूप से प्रचलित है और उनकी 'संजीवनी विद्या' को भी लोग नहीं भूले हैं। उस समय के ऋथियों की रचनाएँ (वेद) अवश्य उपलब्ध हैं। यह तपस्की और अध्यवसायी ब्राह्मणों की कृपा का फल है। वैद-स-वैद कष्ट सहकर भी उन्होंने वेदों की रक्षा की— उन्हें बचा लिया।

यह सब कहने का मतलब यही है कि काव्य का उद्भव कव हुआ, कह नहीं सकते। वेद-रचना के समय तक भाषा में लाक्षणिक प्रयोग खूब होने लगे थे। ऋग्वेद का प्रथम शब्द 'अग्निम्' भी लाक्षणिक ही है। भाषा का वह परिष्कृत तथा परिपवव रूप एक दिन में ही न बन गया होगा। परिष्कृत भाषा में ही वैसे काव्य सम्भावित हैं। वेद-मंत्रों में कवियों को प्रेरणा दी गई है और ऐसे शब्द-प्रयोग है, जिनका विवेचन करने के लिए आगे शब्द की विभिन्न शक्तियों की कल्पना की गई; अर्थ के भेद (दाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य) किये गये। सम्भव है, प्राचीन काल में भी वैसा विवेचन हुआ हो। परन्तु वह सब कल्पना की चीज है। इस समय उभ ममय का न कोई देव-काव्य उपलब्ध है, न असुर-काव्य ही। तब उन काव्यों की विवेचन की बात ही क्या ! वेद को 'काव्य' कहने से उसका गौरव कम होता है। काव्य-शास्त्र में विवेचन, धर्मशास्त्र में कर्तव्य-निर्देश, वेदों में सब कुछ है; पर बीज-रूप में।

## वाक्य और काव्य

मानव-भाषा कब बनी; कैसे बनी; इसका कोई अता-पता नहीं ! फिर भाषा 'पूरा' हुई 'वाक्य' बन गया। लोक-व्यवहार चलने लगा। आगे चलकर 'वाक्य' को सँवारने-सिंगारने का काम हुआ। प्राकृतिक चीज को जो मीड़क रूप दिया गया, और कलात्मक प्रयोग से सूक्ष्मता-सूक्ष्म तत्त्व भी भाषा प्रकट करने लगी। वाक्य का यह कलात्मक प्रयोग ही 'काव्य' है।

कला' का अर्थ है

देनेवाली चीज

कम् (आनादम) लाति

(ददाति) इति 'कला'। काव्य भी एक 'कला' है—सर्वोत्तम कला। सर्वोत्तमता इस बात में कि यह सर्वाधिक उपयोगी है। इसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है। मानव-जीवन को चाहे जिधर यह मोड़ सकती है। यह बात किसी भी दूसरी कला में नहीं है।

'आनन्द' सभी कलाओं की चीज़ है। काव्य से जो आनन्द मिलता है, उसका नाम 'रस' रख लिया। 'रस' आनन्द का या आस्थाद का पर्याय है; परन्तु काव्यानन्द के लिए यह ऐसा शृंहीत हुआ है कि रुढ़ हो गया है। काव्यशास्त्र में 'रस' शब्द से वही आनन्द परिशृंहीत होता है। हम जिसे 'काव्य' का 'रस' कहते हैं, उसीको उद्भाले शायरी का 'भजा', कहते हैं। इसीलिए कहा गया है—

### 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'

वाक्य का बहिरंग 'शब्द' है और अन्तरंग है 'अर्थ'। इसीलिए 'शब्द' को काव्य का शरीर कहा गया है और 'अर्थ' को आत्मा। और, काव्य वह, जिससे (काव्य-मर्मजों को) 'रस' मिले। इस आधेय ('रस') के आधार हैं—शब्द और अर्थ। कहीं शब्दों में रस मिलता है; कहीं अर्थ में। शरीर-सौन्दर्य भी एक चीज़ है। यदि अन्तरंग भी भोहक हो और बहिरंग भी वैसा ही, तब तो कहता ही क्या; सोने में सुगन्ध ! अन्यथा, सोना 'सुदर्शन' है, और कस्तूरी में सुगन्ध है।

किसी प्राणी, बस्तु या तत्त्व के रसभव वर्णन को काव्य कहते हैं—'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'। शब्द-चमत्कार जहाँ रसप्रद है, उसे 'शब्दालकार' नाम से अभिहित किया गया है, और अर्थ-चमत्कार को 'अर्थालिंकार' नाम दिया गया है।

'अर्थ' एक तो 'वाक्य' और दूसरा है 'प्रतीयमान,' जिसे 'व्यंग्य' या 'ध्वनि' नाम दिया गया है। इसे ही दूसरे लोग 'अनुमेय' अर्थ कहते हैं। चीज़ एक, नाम दो। रसप्रद चमत्कार कभी वाक्य अर्थ में होता है, और कभी प्रतीयमान (व्यंग्य या ध्वनि) में। कभी-कभी वाक्य अर्थ में ऐसा चमत्कार होता है कि आगे के ('व्यंग्य') अर्थ को पछाड़ देता है। इसीको 'गुणीभूत व्यंग्य' नाम दिया गया है। 'ध्वन्यालोक'

मेरे ये दोनों अर्थ रस के आधार माने गए हैं। 'रस' वही, आनन्द विशेष : कारिका है—

अर्थः सहूदयश्लाघ्यः, काव्यात्मा यो व्यवस्थितः ।  
वाच्य-प्रतीयमानाख्यौ, तस्य मेदावुभौस्मृतौ ।

—सहूदय-श्लाघ्य जो अर्थ 'काव्य की आत्मा' कहा गया है, उसके दो भेद हैं—१—वाच्य तथा २—प्रतीयमान ।

दूसरी कारिका है—

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रनामेरुपमादिभिः ।  
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यः काव्यलक्ष्यविधायिभिः ।

—उन दोनों में से एक ( वाच्य ) अर्थ का विस्तार-निरूपण अन्य काव्य-शास्त्रियों ने 'उपमा' आदि रूपों से किया है—कर दिया है ! परन्तु 'प्रतीयमान' अर्थ का वैसा निरूपण नहीं हुआ है, इसलिए मैं इधर प्रवृत्त हुआ हूँ; यह ध्वनिकार की भूमिका है ।

'सहूदयश्लाघ्य' का वही अर्थ होगा, जिसमें वैसा 'रस' हो । यानी रस के आधार वाच्य तथा प्रतीयमान दोनों 'अर्थ' हैं । शब्द में भी 'रस' रहता है, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं; क्योंकि ग्रन्थ ( ध्वन्यालोक ) अर्थ-चमत्कार का वर्णन-ग्रन्थ है । 'वाच्य' अर्थ का उल्लेख प्रसग-प्राप्त है कि उसका वर्णन-विवेचन हो चुका है; अब हम दूसरे ( प्रतीयमान ) अर्थ का विशेषण करेंगे ।

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि 'ध्वन्यालोक' में द्वन्द्व ( प्रतीयमान अर्थ ) ने जो भेद-उपभेद किए हैं, वे सब एक तरह के अर्थात् लिंकार ही हैं । ध्वनि भी अर्थ-विशेष है । उसके चमत्कार-पूर्ण सब भेदोपभेद अर्थलिंकार ही हैं । यानी अर्थलिंकारों के दो वर्ण हुए ।

ध्यान देने की बात यह है कि ध्वनिकार ने 'रस' का नाम नहीं लिया है । 'सहूदयश्लाघ्य' विशेषण से वह प्रकट है । जहाँ रस होगा, उसीकी श्लाघा सहूदय 'काव्यज्ञ' करेगे ।

आगे चलकर

८ ध्वनिरिति बुधैर्य

कहा

है—‘काव्य की आत्मा जो ‘ध्वनि’ सब समझते आ रहे हैं—उभीकी चर्चा है। यानी ‘वाच्य’ से मतलब नहीं। उसका बरण नो हो ही चुका है। शब्द भी ‘सहृदयश्लाघ्य’ होता है, जिसका प्रसंग ही नहीं। सहृदय जन उसी शब्द को अर्थ की इलाधा करें, जहाँ ‘रस’ होगा। इसीलिए कहा गया है—

### ‘वाच्यं रसात्मकं काव्यम्’

पूर्ण लक्षण है। परन्तु लक्षण ठीक लिखनेवालों ने भी चीज ठीक समझी नहीं ! ‘रस’ का मतलब /वीर, करण, शृङ्खार आदि आठ नी या इस/ परिणित ‘रस’ ही समझ लिए और समझने लगे कि इनमें से कोई रस जहाँ हो, वह काव्य। जहाँ ऐसा कोई रस न हो वहाँ काव्य की शत ही क्या ! परन्तु विचित्र बात यह देखिए कि इन्हीं विवेचकों ने ‘या ध्वनि’ अलकार-ध्वनि तथा ‘वस्तु-ध्वनि’ को ‘उत्तम काव्य’ माना है ! चाहिए था कि केवल ‘रस-ध्वनि’ को काव्य या उनम् काव्य मानते। जहाँ किसी भी रस की ध्वनि नहीं, वहाँ काव्य-व्यवहार ही उपपन्न नहीं; ‘उत्तम काव्य’ तो दूर की चीज है। किर जहाँ शृङ्खार आदि कोई रस नहीं और कोई दूसरी ध्वनि भी नहीं, वहाँ भी काव्यत्व उत्तम विवेचकों ने स्वीकार किया है—शब्द-चमत्कार में शब्दालकार और अर्थ चमत्कार में अर्थालिंकार। इन दोनों को ‘चित्र काव्य’ कहा गया है। क्यों जी, इनकी गिनती काव्य-भेदों में कैसी ? कहते हैं—चित्रकाव्य है ये, आत्मा (रस) से हीन। जैसे धोड़े-हाथी आदि के चित्रों को भी लोग ‘घोड़ा’-‘हाथी’ कह देते हैं, उसी तरह काव्योनित सम्बिवेश के कारण इन्हें ‘काव्य’ कह देते हैं। कैसी विचित्र बात है ! जहाँ धोड़ों की प्रदर्शनी हो रही ही, वहाँ धोड़ों के चित्र भी रखे जाते हैं क्या ? उन्हें भी वहाँ ‘घोड़ा’ कहकर लोग व्यवहार करते हैं क्या ? धोड़े-हाथियों का वर्गीकरण किया जा रहा हो, वहाँ उनके चित्रों का भी वर्गीकरण होता है क्या ?

जब रस को आत्मा माना और ‘रस’ का मतलब शृङ्खार आदि रसों तक ही सीमित रखा तब तो ‘वस्तुध्वनि’ आदि भी चित्रकाव्य

हा नए न। आत्मा तो वहाँ है ही नहीं। तब कहते हैं—रस न सही, कोई 'ध्वनि' तो है न। ध्वनि को भी काव्य की आत्मा कहा गया है; क्योंकि चमत्कार वहाँ है; और अलंकारों में चमत्कार नहीं है।

यह भ्रमेला पैदा हुआ 'रस' का अर्थ भूल जाने के कारण। 'काव्य-स्यात्मनि रसे न कस्यचिद् विमतिः'। काव्य की आत्मा रस है; इसमें तो किसी को कोई विप्रतिपत्ति है ही नहीं। रस ही तो काव्य का सर्वस्व है, जीवनाधारक है। परन्तु यह रस एक व्यापक चीज़ है और शृङ्खार आदि रस इसके व्याप्ति हैं। शृङ्खार आदि रसों में भी रस है। रसना को आगरे के दाल मोठ में रस मिलता है और मथुरा के पेड़े में भी रस मिलता है। इसी तरह उमे अंगूर में रस मिलता है, रसाल-रस में रस मिलता है और अन्तार तथा गन्ने में भी रस मिलता है। रसना को फल से तथा प्याज के छिलकों में रस मिलता है और बादाम की गुठली में रस मिलता। इसी तरह काव्यमर्मज्ञ को चमत्कार-पूर्ण शब्द में रस मिलता है; काव्य अर्थ में रस मिलता है; प्रतीयमान अर्थ में रस मिलता है। प्रतीयमान अर्थों में ही शृङ्खार आदि रस भी हैं। वह रस जहाँ नहीं, वहाँ काव्यत्व-व्यवहार हो ही नहीं सकता। वह रस चमत्कार-पूर्ण प्रयोग में रहता है। इसीलिए शब्दालंकार तथा अर्थालंकार को काव्य-भेदों में उनको भी रखना पड़ा, जो शृङ्खार आदि रसों को या ध्वनि-मात्र को ही काव्य की आत्मा मानकर चले। यदि 'चित्रकाव्य' की वह व्याख्या सही होती जो इन लोगों ने लिखी है, तो 'चित्रकाव्य' की जगह 'काव्य-चित्र' नाम होता। वैचित्र्य ही चमत्कार है और चमत्कार में ही वह रस है, जो काव्य की आत्मा है। शब्द-वैचित्र्य में 'शब्दालंकार' और अर्थ-वैचित्र्य में 'अर्थालंकार'। अर्थालंकारों का दूसरा वर्ग है वह, जिसे 'ध्वनि' कहते हैं। यहाँ प्रतीयमान अर्थ ( ध्वनि या व्यंग्य ) में चमत्कार है। भाव-ध्वनि और 'रस-ध्वनि' भी 'अर्थालंकार' ही है। यदि किसी ध्वनि में चमत्कार न हो, तो वहाँ काव्यत्व-व्यवहार संभव नहीं। यो वाक्य के दो तत्त्वों में से कोई यदि चमत्कार-पूर्ण है, तो वह काव्य कोटि में आ जाता है—वाक्य बन जाता है 'काव्य'। शब्द तथा अर्थ के अतिरिक्त तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं इसलिए सम्पूर्ण काव्य

क्षेत्र 'शब्दालंकार, तथा अर्थालिकार' में आ जाता है। यही कारण है कि काव्य-शास्त्र का नाम 'अलंकार-शास्त्र' भी है। 'रसगगाधर' में भी काव्यशास्त्र को 'अलंकार शास्त्र' ही कहा गया है—अलङ्कारान् सर्वानिषि गलित-गवान् रचयतु'। 'अलंकारान्'—'अलंकारगन्थान्' भत्तलव है, क्योंकि सम्पूर्ण 'रसगगाधर' को एक 'मणि' कहा गया है—'मयौ-श्रीतो लोके ललितरसगगाधरमणिः'।

रही बात चमत्कार के तारतम्य की, सो दूसरी बात है। शब्द का ही सब खेल है। 'अर्थ' उसीके सहारे है। इसीलिए 'रसगगाधर' में ( काव्य-लक्षण करते समय ) 'शब्द' को ही प्रधानता दी गई है। परन्तु प्रधानता और चमत्कार दो अलग-अलग चीजें हैं। शब्द की प्रधानता होने पर भी काव्य-क्षेत्र में उसकी सीमा बहुत संकुचित है। शब्दालंकारों का विवरण-विचार अधिक नहीं। चमत्कार के तत्त्व बहुत कम है, पर है। उनका महत्त्व है। परन्तु अर्थ का बहुत विस्तार है। वाच्य अर्थ चमत्कारी हो, तो 'अर्थालिकार'; और प्रतीयमान अर्थ चमत्कारी हो, तो भी 'अर्थालिकार'। अर्थ का क्षेत्र असीम है—अनन्त है। चमत्कार मुख्य चीज है। चमत्कार वही, जिससे सहृदयों को रस मिले। यदि कहीं प्रतीयमान अर्थ से अधिक चमत्कार वाच्य अर्थ में है, तो विवेचनों ने उसका दर्जा नीचा कर दिया है। उसे 'गुणीभूत-व्यंग्य' नाम देकर मध्यम दर्जे का काव्य माना है। कारण यह कि 'व्यंग्य' अर्थ दब गया 'वाच्य'-अर्थ से ! कैसा विवेचन है ? चमत्कार दोनों अर्थों में है; परन्तु 'वाच्य' में चमत्कार अधिक है, तो दर्जा गिर गया ! क्यों दर्जा गिर गया ? इसलिए कि जब वाच्य से अधिक चमत्कार व्यंग्य में दत्ताया गया है, तब वाच्य में उससे भी अधिक चमत्कार कैसे हो गया ? वाच्य-चमत्कार व्यंग्य से भी आगे बढ़ गया, तो इससे काव्य शास्त्रीय व्यवस्था का उल्लंघन हो गया कि 'व्यंग्य' में अधिक चमत्कार होता है।' इसलिये, व्यंग्याधिक चमत्कार वाच्य में हो जाने से, उसे उत्तम श्रेणी का काव्य न कहेंगे। वह 'गुणीभूत-व्यंग्य' काव्य मध्यम दर्जे का है। यह है काव्य-विवेचकों की व्यवस्था। कोई तुक है ? वाक्य में व्यंग्य से अधिक चमत्कार होना ही न चाहिए; यह कोई राजाज्ञा है ?

तत्त्व यह है कि शब्द से अधिक चमत्कार-क्षेत्र अर्थ का है और (वाच्य) अर्थ से अधिक महत्त्वपूर्ण खेत्र प्रतीयमान (ध्वनि व व्याघ्र) अर्थ का है। मनोभावों का वर्णन वाच्य अर्थ में काव्य स्वीकार ही नहीं करता। यहाँ ध्वनि अनिवार्य है। मनोभावों का अभिधान काव्य नहीं, उनका अभिव्यञ्जन काव्य है। 'परशुराम ने राम और लक्ष्मण पर बड़ा क्रोध प्रकट किया' इस क्रोधाभिधान से साधारण अर्थ निकला, क्रोध का सजीव चित्र सामने नहीं आया; इसलिये यह 'काव्य' नहीं कहा जा सकता। जब अनुभावों का वर्णन हो और उनसे भावाभिव्यक्ति हो, तो काव्य कहा जायेगा। परशुराम की अंगारे-जैसी लाल आँखों का वर्णन, उनके तमतमाये मुख का वर्णन और उस तरह वाग्-बाणों की वर्षा का वर्णन किया जाय, तो क्रोध का एक चित्र सामने आ जायगा-क्रोध की व्यजना इन अनुभावों से होगी। तब यह 'काव्य' कहा जायगा। क्रोध की अभिव्यक्ति विविध अनुभावों से हो जाने पर फिर यह कहने की जरूरत नहीं कि 'परशुराम को क्रोध आ गया।' अभिव्यञ्जना के बाद यों क्रोध को अभिधा से कहना—क्रोध को 'वाच्य' कर देना—एक रस दोष है। मजे को किरकिरा कर देना है। यह 'चर्वित-चर्वण' रस में बद्धा लगा देता है।

इसी तरह सभी मनोभावों का वर्णन 'ध्वनि' को ही समर्पित है। साधारण वर्णनों में भी ध्वनि या अर्थ का महत्त्व है; परन्तु यहाँ वाच्य अर्थ से भी काम चल जाता है। वाच्य अर्थ को कहीं व्यंग्य से बल मिले, तो सोने में सुगन्ध। अंगूठी में सुवर्ण काम आता है; पर उसमें यथा-वश्यक नग भी जा मिले, तो शोभा बढ़ेगी। इसी तरह विविध वर्णनों में वाच्य अर्थ को व्यंग्य का सहयोग मिलता है। परन्तु मनोभावों को 'वाच्य' नहीं किया जा सकता। उनकी व्यजना में ही रस है। यों ध्वनि का बहुत महत्त्व है; परन्तु वाच्य अर्थ कोई चीज ही नहीं; यह बेतुकी बात है।

### शब्दार्थ-भ्रम से अनर्थ

'शब्दार्थ भ्रम से अनर्थ हो जाता है' काव्य में रस ही सर्वस्व है

वही काव्य की आत्मा है; प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध है। परन्तु जब विशिष्ट मनोभावों को—शृङ्खार, दीभत्स, रौद्र आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति को—‘रस’ नाम दिया गया, तो आगे के लोगों ने इन्हींको ‘काव्य की आत्मा’ समझ लिया ! गोता खा गये !

ऐसा होता है। ‘वक्रोक्ति’ नाम का एक साधारण अलंकार है। कविराज विश्वनाथ ने कुन्तक के ‘वक्रोक्ति जीवितम्’ ग्रन्थ का नाम सुन रखा था, पर उसे देखा न था। उनके मन में तो ‘वक्रोक्ति’ नाम का अलंकार ही जमा था। सो उन्होंने समझा कि ‘वक्रोक्ति’ अलंकार को ही कुन्तक ने काव्य की आत्मा मान लिया है ! खण्डन कर दिया—‘वक्रोक्ति’ तो एक अलंकार भर है, वह काव्य की आत्मा कैसे सम्भव है ! कहौं ‘वक्रोक्तिजीवितम्’ की ‘वक्रोक्ति’ और वहाँ वह क्षुद्र अलंकार ! ‘वक्रोक्ति जीवितम्’ की ‘वक्रोक्ति’ का अर्थ है—‘बाँकपन से कही हुई वात’। मतलब यह है कि बाँकपन से जब कुछ कहा जाता है, तब उसमें एक रस आ जाता है; वही ‘रस’ जो काव्य का जीवनधार्यक है। ‘रस’ काव्य की आत्मा है; यह तो ठीक, परन्तु उस रस का आधार क्या है ? उसका आधार ‘वक्रोक्ति’ है। सहारनपुरी गन्ने में रस बहुत मीठा होता है; इसे यों भी कह देते हैं—‘सहारनपुरी गन्ना बहुत मीठा होता है’। ‘रस’ तो काव्य की आत्मा है ही; पर वह ‘वक्रोक्ति’ में मिलता है। इस ‘वक्रोक्ति’ में सभी अलंकार और ध्वनि के सभी भेद समाविष्ट हो गए हैं। बड़ी खूबी से आचार्य कुन्तक ने इस नई धारा का सोदाहरण प्रतिपादन किया है और यत्रतत्र काव्य का ऐसा विवेचन किया है, जो अन्यत्र प्राप्य नहीं। महाकवि कालिदास के कुछ पदों की जो विवेचना की है कुन्तक ने, वह उनकी अपनी चीज है। वैसा विवेचन न ‘ध्वन्यालोक’ में कही है; न ‘काव्य-प्रकाश’ में, न ‘साहित्य-दर्पण’ में और न ‘रसगंगाधर’ में ही। ‘वक्रोक्तिजीवितम्’ काव्य शास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है। अपनी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ (‘वक्रोक्ति जीवितम्’ की ‘वक्रोक्ति’) को विश्वनाथ ने वह साधारण अलंकार समझ लिया है, जिसमें कुछ शब्द-क्रीड़ा भर है !

‘वक्रोक्ति’ की ही तरह उस ‘रस’ का हाल है, जो काव्य की आत्मा

है। उस व्यापक तत्त्व को नी-दस रस समझकर बैसा ही समझाया गया है। परन्तु समझने में गड़बड़ हो गई; क्योंकि सर्वत्र उन परिणित रमों की उपस्थिति नहीं दिखाई देती।

‘रस’ शब्द का अर्थ भ्रमले में डाल दिया गया, ‘सो तो हुआ ही, परन्तु ‘रस’ का रूप समझाने में तो बहुत बड़ा ‘गोरख-धन्धा’ खड़ा कर दिया गया है, जिसमें छात्र ही नहीं, विद्वान् भी इवते-उत्तराते रहते हैं और आनन्द उतना ही आता है जितना समुद्र-टट पर खारे तथा रेतीने पानी की लहरों से स्नान करके प्राप्त करते हैं! उस विवेचन से कोई तत्त्व हाथ लगता हो, सो बात नहीं। समझाया गया है—‘यह रस ब्रह्मास्वाद सहोदर’ है—ब्रह्मानन्द का सा आनन्द है ‘रस’ में। ब्रह्मानन्द तो सभी को सुलभ है ही; सब उस आनन्द से परिचित हैं, वह बैसा ही काव्य-रस है। कितनी सरलता से समझा दिया गया है रस का रूप। और यह भी कहा गया है कि वह (रस) स्वसवध है; अनिर्वचनीय है। जो काव्यमर्मज्ञ (सहृदय) है, वे ही उस रस का अनुभव कर सकते हैं, पर वे दूसरे को कुछ बतला नहीं सकते कि वह कैसा है। पूछो, जब वह ऐसा है, तब तुम समझा क्या रहे हो? जो लोग तुम्हारा यह विवेचन नहीं पढ़े; पर काव्य-मर्मज्ञ है, वे तो रस-निमग्न होंगे ही और जो बैसे नहीं, वे इस विवेचन को घोट-पीकर भी रस का अनुभव न कर सकेंगे।

भाई संगीत का भी रस है और वह भी ‘तद्विदामेव’ अनुभूत होता है। वह भी अनिर्वचनीय है। परन्तु उसके समझाने के लिए बैसा तुमार तो किसी ने नहीं खड़ा किया! जो तद्विद है, आनन्द लेते हैं, जानते कि संगीतरस क्या है। यही हाल दूसरी कलाओं का है। काव्य का रस समझा जाता है; समझाया नहीं जा सकता। काव्य तथा संगीत आदि की बात अलग रखिये और देखिये कि साधारण रसास्वाद का रूप भी कोई किसी को समझा सकता है क्या? जिसने कभी रसाल रस का आस्वाद नहीं लिया है, उसे आप उसका ज्ञान करा सकते हैं क्या? कैसे करायेंगे? बहुत बढ़िया स्वाद है, कहने से तो बाम चलेगा नहीं कुछ समझ में बायगा नहीं ‘मीठ’ कहने से

भी काम न चलेगा । पूछा जायगा कि गुड़ जैसा मीठा; या भिसरी जैसा? 'खटमिट्ठा' कहने से भी काम न चलेगा । पूछा जायगा कि अमर्हद-जैसा? इमली-जैसा? अन्ततः कहा जायगा कि स्वयं इस रस का आस्वादन करोगे, तभी मालूम होगा कि यह क्या चीज़ है और कैसी है । रसाल-रस के आस्वाद का विवेचन व्यर्थ है । यही कहा जा सकता है कि यह सर्वोंपरि आस्वाद है । रसाल के रस में कौन-कौन से तत्त्व हैं, यह विश्लेषण करना वैज्ञानिक कर काम है; परन्तु उस रस के रसन (रस या आस्वाद) का रूप कोई वैज्ञानिक भी किसीको नहीं बता सकता । जिस को रसना वह रस (आस्वाद) लेगी, वही तत्त्व समझ सकेगा, पर वह दूसरे को समझा न सकेगा । वाणी में यह शक्ति नहीं कि मन की बात पूरी तरह किसी को समझा सके—‘वाच मनसो हृसीयसी’—वाणी मन से बहुत छोटी है । दस्या, क्रोध, आदि का रूप बहुत कुछ प्रतीत कराया जा सकता है; इनके परिणामों के द्वारा, जो काव्य में ‘अनुभव’ कहलाते हैं, परन्तु किसी आस्वाद का रूप प्रकट करने के लिए कोई भी ‘अनुभव’ सक्षम नहीं है । हरी या लाल मिर्च की तिग्मता अँसू आने से, सिर हिलने से, मुँह लाल हो जाने से प्रतीत हो सकती है, परन्तु जिसने कभी हरी या लाल मिर्च खाई ही न हो, पर दूसरी कड़ी-तीती चीज़ें खाई हों, उसे तिग्मता का अनुभव तो होगा, परन्तु वह हरी या लाल मिर्च की तिग्मता दूसरे को न समझा सकेगा । इसीलिए काव्य के रस को भी ‘सहृदय-संवेद्य’ कहा है; काव्य-रसन ही उस रस को समझ सकता है और उसे समझने की जरूरत ही नहीं । जो काव्य-रस से अनभिज्ञ हैं, वे उस विवेचन से रस का अनुभव कर नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते ।

संगीत के ‘रस’ का वैसा विवेचन किसने किया है? परन्तु सभी संगीतज्ञ उसे जानते हैं । वह ‘रस’ किस तरह निष्पत्त होता है, यह बतलाया जा सकता है बतलाया भी जाता है और बस! बहिया चटनी में एक अद्भुत रस रहता है, पर उसे वही जानता है, जिसने उसे प्राप्त किया है । परन्तु वह किसी दूसरे को समझा नहीं सकता कि

यह 'रस' कैसा है। हाँ, चटनी बनाने की विधि बतलाई जा सकती है—अनारदाना वा अमचूर, हरी धनिया या पुदीना, उचित मात्रा में नमक, जीरा, इलायची और जरा-सी चीनी। यह सब घोंट पीस लो, चटनी तैयार। इसी तरह शब्द तथा अर्थ में सौन्दर्य (चमत्कार) लाने की विधि बताई जा सकती है और मनोभावों का अभिव्यजन करने के लिये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा उद्दीपन आदि का रूप समझाया जा सकता है, जिनके 'सम्मेलन' में वह रस मिलता है। परन्तु उस रस का रूप समझाना व्यर्थ है। इसीलिये महाकवि 'शकर' ने कहा है—'कविता समुझाइवो मूढ़नि को, सविता गहि भूमि पै लावनो है।' मूढ़—अमहृदय, काव्य-रस से अपरिचित। वह रस सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते। जो संगीतज्ञ नहीं, उन्हें न कभी हरिदास और तानसेन के आलाप सुखद हुए, न विष्णु दिगम्बर और न ओंकार नाथ ठाकुर के ही। इसी तरह काव्य का रस है। जो काव्य-मर्मज नहीं, वे उस रस को नहीं समझ सकते। साधारण आम, अनार, अंगूर आदि का रस सभी समान रूप से लेते हैं। सबको आनन्द एक सा आता है। परन्तु काव्य, संगीत जैसी कलाओं का रस ऐसा नहीं है। वह असाधारण रस है और इसीलिए उसे 'अलौकिक' कहा गया है।

### काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद

काव्य को उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीन श्रेणियों में देखा जाता है। आस्वाद की दृष्टि से तीन भेद साहित्य-ग्रन्थों में किये गये है? ध्वनि उत्तम काव्य है। परन्तु ध्वनि यदि वाच्य अर्थ से (चमत्कार-आस्वाद में) कहीं दब जाये; तो मध्यम श्रेणी का काव्य 'गुणीभूत-व्यंग्य'। और जहाँ ध्वनि न हो; केवल शब्द या (वाच्य) अर्थ में चमत्कार हो, वह तीसरे दर्जे का, यानी अधम काव्य—'चित्रकाव्य'। 'रस गंगाधर' में चार श्रेणियाँ की गई हैं। 'चित्र काव्य' के दो भेद किये हैं। जहाँ अर्थ में चमत्कार हो, वह तीसरे दर्जे का और जहाँ शब्द में चमत्कार हो, वह चौथे दर्जे का—  
— काव्य।

यह श्रेणी-विभाजन निराधार है। आस्वाद का तारतम्य श्रेणी विभाजन का आधार हो नहीं सकता। किसी को कोई चीज सर्वांगिक प्रिय होती है तो दूसरे कों कोई दूसरी ही। अपनी रुचि सब पर लाही नहीं जा सकती। ध्वनि (प्रतीयमान अर्थ) का महत्त्व है; परन्तु सदा-सर्वदा वही सर्वोपरि रहे, यह कोई बात नहीं। ध्वनिवादियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि ध्वनि से भी बढ़कर कही बाच्य अर्थ से चमत्कार होता है। ध्वनिकार ने भी सबसे पहले यह स्वीकार किया है कि 'सहदयश्लाघ्य' दोनों अर्थ—बाच्य भी और प्रतीयमान भी। प्रतीयमान अर्थ (ध्वनि) काव्य में सदा वर्तमान रहने पर भी उसका वैसा विवरण-विश्लेषण भर न हुआ था; जो ध्वनिकार ने कर दिया और उनका एकमात्र प्रतिपाद्य वही (ध्वनि) होने से उसी की प्रधानता उनके सामने रही। परन्तु जहाँ ध्वनि हो, वही उत्तम काव्य और जहाँ वह न हो या होने पर भी बाच्य अर्थ से कम चमत्कारी हो, वहाँ उत्तम श्रेणी का काव्य स्वीकार न करना कोई तर्क नहीं रखता।

हाँ, श्रेणी-विभाजन दूसरी तरह मे हो सकता है। उपयोगिता के आधार पर अन्य सभी कलाओं से श्रेष्ठ काव्य-कला है। उसी तरह उपयोगिता का आधार काव्य के श्रेणी-विभाजन में भी हो सकता है। आस्वाद में वराबर होने पर भी उपयोगी, अनुपयोगी और दुरुपयोगी भेद से काव्य की तीन श्रेणियाँ निसर्ग-सिद्ध हैं। जो भोजन आस्वाद के साथ-साथ शरीर को अधिक शक्ति देने में भी समर्थ हो, वह उत्तम कोटि मे रहेगा और जो वैसी शक्ति न दे सके; परन्तु कोई विकार भी पैदा न करे, वह मध्यम श्रेणी में आयेगा। यदि समाज के लिए कोई वैसा उपयोगी न होने पर भी आस्वाद मे अत्यधिक उत्कृष्ट हो, तो इसे भी उत्तम श्रेणी का काव्य समझा जायगा। महाकवि सूरदास का वात्सल्य-वर्णन इसी उत्तम कोटि में है। आस्वाद में उत्कृष्ट होने पर भी जो भोजन शरीर मे विकार पैदा करे, वह तीसरे दर्जे का निकृष्ट-भोजन। इसी तरह जो काव्य व्यक्ति तथा समाज को शिव को ओर ले जाये—व्यक्ति तथा

काव्य और काव्य-शास्त्रः

तुलसीदास का 'रामचरितमानस'। जिस क्रांति से वैसा बल न मिले, वह दूसरे दर्जे का। और तौसे देखो, कौन 'अधिक' काव्य वह, जिसके प्रभाव से व्यक्ति तथा समाज की पतन हो। 'छायावादी'-‘रहस्यवादी’ कविताओं में रम मिलता है, तो निश्चय ही उन्हें 'मध्यम श्रेणी' का काव्य कहा जायेगा। इसी तरह वन-पर्वत, सागर और नद-नदियों का चित्रण, सन्ध्या-वर्णन, प्रातः वर्णन आदि समझिए। यदि ऐसे वरणों में रम बहुत अधिक हो; तो फिर इन्हें भी उत्तम श्रेणी का काव्य कहा जायेगा। साधारणतः ऐसे मध्यम श्रेणी के काव्य कहे जायेंगे। तीसरे दर्जे का काव्य — निकृष्ट-काव्य — वह है। जो दुराचार-अनाचार को उभार कर समाज को नाश की ओर ले जाये। 'शृङ्खार रस' के नाम पर जो निपक्ष काव्य रखा गया है, इसी कोटि का है। 'दाम्पत्यरस' का नाम ही 'शृङ्खार-रस' वैसे लोगों ने रखा, जिनको समाज के उत्थान-पतन से कोई मतलब न था! 'ध्वनिकार' ने भगवान् का स्मरण जिस रूप में किया है, उससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। उन्होंने मगलाचरण यो किया है—

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायासितेन्दवः ।  
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छदो नखाः ॥

भगवान् के 'मधुरिपु' रूप का उल्लेख है और उनके नृसिंहावतार के उन नखों की ओर उनका ध्यान है, जो बर्वर शासक का पेट फाड़कर लोक-वन्द्य हुए। वह समय वैसा ही होगा। ध्वनिकार ने शृङ्खार की ओर कवियों का ध्यान नहीं खीचा है। वैसा होना तो गोपीवल्लभ की जन्मन-मोहक वेणु की वन्दना वे करते, कहते। ध्वनिकार की कारिकाओं को पत्तिवित करनेवाले (वृनिकार) भी आनन्दवर्द्धनाचार्यजी दूसरे ही रूप में प्रकट हुए! उन्होंने 'ध्वनि' के असी प्रतिशत भेदों के उदाहरण ऐसे 'शृङ्खार रस' से सराबोर दिये हैं; जिनका प्रभाव समाज पर बहुत बुरा पड़ सकता है— पड़ा भी। दूसरों की स्त्रियों को फँसाना-वरगलाना और उच्छ्वळ कल रंगरेलियाँ ही 'शृङ्खार रस' के नाम पर हैं। यह ग्रन्थ जिनका उपजीव्य रहा उन (मम्मट-विश्वनाथ आदि) के ग्रन्थ भी

उधर ही गये। कवियों को कहा गया—‘शृङ्खार रसराज है’। फिर लोक-भाषाओं के कवि भी उधर ही गये। हिन्दी में ‘शृङ्खार रस’ के नाम पर प्रायः यही सब है। शृङ्खार रस ‘मानस’ में है। मर्यादा है रस में।

उस मर्यादा का उल्लंघन जिन कवियों ने किया है और औचित्य का विचार किया है, उनके काव्य ‘शृङ्खार रस’ के कहे ही नहीं जा सकते। वहाँ ‘रस’ नहीं, ‘रसाभास’ है। ‘अनौचित्य-संस्पर्शेत् रसाभास।’ ‘अनौचित्य का स्पर्श हो जाये, तो फिर ‘रस’ नहीं, ‘रसाभास’ समझो। श्री आनन्दवद्धनाचार्य ने एक पुरानी सूक्ति ‘ध्वन्यालोक’ में उद्धृत की है—

अनौचित्याद् ऋते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।  
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषद् परा ।

काव्य में रस को विकृत करनेवाली एक ही चीज है—अनौचित्य। यदि औचित्य का ध्यान बराबर कवि रखेगा, तो उसकी कृति सर्वोच्च कोटि की होगी।

औचित्य—अनौचित्य समाज से (लोक-व्यवहार से) समझा जाता है। जिस देश में, जिस समाज में, जो उचित है, काव्य में वही ग्राह्य है और जो अनुचित है, वह अग्राह्य है। ‘रसाभास’ तथा ‘भावाभास’ को भी काव्य में स्थान है। सुरम्य भवन में नावदान भी रहता है और ‘फिसल पाखाना’ भी रहता है। परन्तु रसोईबर को या पूजा-पाठ करने की जगह को ‘फिसल-पाखाना’ का रूप नहीं दिया जाता। सब के लिए पृथक् स्थान होता है। इसी तरह काव्य में ‘रसाभास’ और ‘भावाभास’ का सन्निवेश होता है। यदि कहीं शोहदों और गुंडों का आ जाये, तो उनके कृत्यों का वर्णन सक्षेप में करना ही होगा, पर वेपर्द सब कुछ यहाँ भी न कहा जायेगा। ऐसी जगह ‘शृङ्खार रसाभास’ रहेगा। रावण ने सीताजी के प्रति जो कुछ कहा, ‘रसाभास’ है। तुलसी-दास ने वह सब थोड़े में कहा है।

अनौचित्य से बचने के लिए जिन लोगों ने कवियों से कहा—एक पुरानी लकीर बताई उन्होंने स्वयं उसपर ध्यान नहीं दिया। अहिंसा के

## काव्य और काव्य-शास्त्र

३३

गीत गानेवालों ने, गीत गाते-गाते, बड़ी-बड़ी हिंसा की घटनाएँ की हैं। इसी तरह औचित्य का उपदेश देनेवाले गन्दे नाले में वह गये हैं। किसी पुराने सहृदय का रोना है—

'यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणः, भृत्यं प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः ।  
तदाऽत्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाव्य-हत्याहृतयो निवेशिताः ।'

अनीचित्य की पराकाष्ठा वह है, जहाँ उपास्य देवों का तथा पूज्य का दाम्पत्य वैसा फूहड़ और वेदर्दं वर्णन करके 'शृङ्खार' का नाम दिया गया है। यदि 'महात्मा गांधी' का और उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी का दाम्पत्य उस रूप में प्रकट किया जाये, तो कैसा लगेगा? राष्ट्र ऐसा निम्नेज कर दिया गया कि असुर, हूण, शक, मुसलमान और अग्रेज ने हमें पददलित किया।

: २ :

## हमारा काव्यशास्त्र

पहले कोई चीज प्रकट होती है और फिर उसकी खूबी-खराबी देखी जाती है। पहले भाषा बनती है और फिर उसका व्याकरण बनता है। भाषा के अंग-प्रत्यंग का विवेचन ही व्याकरण है। पहले काव्य बनता है; फिर उसका विवेचन होता है 'काव्य-शास्त्र' बनता है।

काव्य का उदय कब हुआ और कब उसका प्रथम विवेचन हुआ, कोई नहीं जानता। न जाने कितने काव्य तथा काव्य-शास्त्र ऐसे लुप्त हुए कि नाम शेष भी न रहे। आगे फिर नये काव्य बने और नये काव्य-शास्त्र बने। संस्कृत में प्राप्त काव्य-शास्त्रीय भन्य बहुत पुराने नहीं हैं। परन्तु जब वैदिक युग में ही काव्य का उत्कर्ष वैसा दिखाई देता है, तब काव्य-शास्त्र न बने हों, यह समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं—कहूँ सकते हैं— कि काव्य तो अलिखित रूप में भी बन-चल सकते हैं; बनते-चलते रहे हैं; परन्तु काव्य-शास्त्र का बनना तो संभव नहीं, जबतक लेखन-ल्पदस्था न हो। कविता तो एक दूसरे से सुनते-सुनाते चल सकती है; परन्तु उसका विवेचन तो उस तरह आगे बढ़ नहीं सकता। तब वैदिक युग में काव्य

शास्त्र बनने की बात समझ में नहीं आती। वेद तो 'श्रुति' थे; सुने जाते थे। निर्माता से किसीने सुना और उससे फिर दूसरे ने, तीसरे ने। शास्त्र वैसी चीज नहीं है।

हम कहते हैं कि हमारा यह कहना नहीं है कि उस समय काव्यशास्त्र जरूर बना होगा। इतना भर कहना है कि संभव है, बना हो। लेखन-व्यवस्था तब न थी; वह एक प्रवादभाव है। वेदों को 'श्रुति' कहते हैं, सदा कहते रहे हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वे लिखे न गये थे। 'लिखा' और 'कहना' एक ही बात है। लिपि के माध्यम से जब कोई किसीको कुछ बतलाता है, तो वह (लेखन) भी 'कहना' ही है। लिपि के माध्यम से कहना भी 'कहना' ही है। हम कहते हैं—'कालिदास ने कहा है'। 'रघुवंश' आदि में उन्होंने जो कुछ लिखा है, यह 'कहा' नहीं है, तो और क्या है?

इसी तरह 'सुनना' और 'पढ़ना' एक ही चीज है। लिपि के माध्यम से जब हम किसीकी बात सुनते हैं, तो उसे 'पढ़ना' कहते हैं। 'आन्दो-ग्येहि श्रूयते' का अनुवाद 'आन्दोग्य उपनिषद में लिखा है' होगा; 'आन्दोग्य-उपनिषद' में 'सुना है' नहीं।

यह बात हम कुछ नई नहीं कह रहे हैं; केवल व्यान में ला रहे हैं। काव्य-विवेचन विद्वान तो शब्द-प्रयोग बहुत संभलकर करते हैं न? उन्होंने काव्य के दो भेद किये हैं—(१) श्रव्य और (२) —द्वय। जो काव्य केवल पढ़ने के हैं, उनका नाम 'श्रव्य' रखा है। यथा रामायण, रघुवंश आदि हम लोग इसरों से (साधारण रीति से) सुनते भर है? सुनते है; लिपि के माध्यम से भी सुनते है। इसीलिए 'काव्य' है। सुनने को, लिपि के माध्यम से भी सुनने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज 'श्रुति'—वेद। वेदों के 'मण्डल' और 'सूक्त' आदि हमारे 'प्रकरण' 'अध्याय' जैसे ही शब्द हैं। मौखिक चीज का ऐसा विभाजन कैसे होगा! हम यह प्रति-पादन करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वैदिकयुग में लेखन-व्यवस्था अवश्य थी। कहना केवल यह है कि 'श्रुति' शब्द से ही यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उस समय लिपि का उद्भव न हुआ था। और, वेदों में काव्यात्मक जैसे छटा यत्र-तत्र है उसका अपलाप तो संभव ही नहीं है। काव्य-कल्प

वैसा उत्कर्ष हो जाने पर भी कोई विवेचना न हुई हो, यह कम ज़ंचना है।

खैर, हमें अपने उपलब्ध काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों से ही अब मतलब है। हमारे उपलब्ध काव्य-शास्त्र में अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति, काव्य-दोष, अनौचित्य आदि पर विचार हुआ है। विचार-धाराएँ तीन प्रमुख है—ध्वनिवाद, व्योक्तिवाद और अनुभितिवाद। इन तीनों धाराओं को हम काव्य की 'प्रस्थानत्रयी' कह सकते हैं। 'रस' के बारे में कोई विवाद नहीं, वह तो काव्य की आत्मा है ही। रस शब्द-चमत्कार में या अर्थ-चमत्कार में रहता है। शब्द चमत्कार की 'शब्दालकार' और अर्थ-चमत्कार को 'अर्थालिकार' कहा गया है। शब्द और अर्थ से अतिरिक्त कोई तीसरी चीज काव्य में है ही नहीं। 'ध्वनि' भी अर्थ ही है; 'प्रतीय-मान अर्थ'। सम्पूर्ण ध्वनि-ग्राम एक प्रकार का अर्थालिकार ही है। 'ध्वन्यालोक' में ध्वनि का विश्लेषण-व्याख्यान है, परन्तु ध्वनि तभी पैदा हुई हो सो बात नहीं है। अर्थालिकार में कही वाच्य अर्थ में चमत्कार है, कही व्यरथ-अर्थ (ध्वनि) में। पृथक् व्याख्या भर 'ध्वन्यालोक' में हुई है और जहाँ ध्वनि की प्रधानता हो, वहाँ 'ध्वनि-काव्य' नाम से 'सर्वोत्तम काव्य' बतलाया गया है। ध्वनि में सदा ही चमत्कार हो, सो बात भी नहीं है। साधारण 'ध्वनि' (व्याख्यार्थ) जहाँ चमत्कार-हीन हो, वहाँ काव्यत्व-व्यवहार नहीं होता। जैसे चमत्कार-पूर्ण वाच्य अर्थ सहृदयश्लाघ्य होता है, उसी तरह सहृदयश्लाघ्य होता है व्यरथ-अर्थ भी। 'ध्वनि-काव्य' से अतिरिक्त सभी अर्थ-चमत्कार 'अर्थालिकार' शब्द में जाने जाते हैं। 'अर्थालिकार' होने पर भी 'ध्वनि' का ग्रहण अर्थालिकारों में नहीं है। 'विशेषवाचक पद सन्निवाने सामान्यवाचक पदानां तदति-रिक्तपरत्वम्'—विशेषवाचक पद की उपस्थिति में सामान्यवाचक पद उसे छोड़कर शेष सबका ग्रहण करते हैं। पहले 'अर्थालिकार' में वह काव्य भी गिना जाता था, जहाँ व्याख्यार्थ में (ध्वनि में) चमत्कार हो। परन्तु 'ध्वन्यालोक' में 'ध्वनि-काव्य' की पृथक् स्थिति प्रकट होने के बाद 'अर्थालिकार' का अर्थ कुछ सीमित हो गया।

'रसवाद' कोई चीज नहीं; वह तो निविवाद तत्त्व है। उसपर कोई वाद विवाद नहीं निविवाद तत्त्व है वह रस (शब्द या अर्थ में कसे

पैदा किया जाता है, इसका दिक्-निर्देश करने के लिये 'अलंकार-निरूपण' और 'ध्वनि-निरूपण' हैं। आचार्य कुन्तक कहते हैं कि रस तो 'वक्रोक्ति' में है। वाँकपन से किसी चीज़ को कहना ही शब्दालकार, अर्थानिकार तथा ध्वनि है। वक्रोक्ति के ही ऐद-प्रभेद सब अलंकार और व्यनि-भेद हैं।

### अनुमितिवाद

आचार्य महिम भट्ट का कहना है कि और सब तो ठीक, परन्तु शब्द की तीन शक्तियाँ मानना (अभिधा के साथ-साथ 'लक्षण' और 'व्यंजना' का व्येड़ा खड़ा करना बेकार है। शब्द की शक्ति एक ही है, जिसे सब लोग 'अभिधा' कहते हैं। तुम कहते हो कि अभिधा की निवृत्ति पर 'लक्षण' आती है और 'व्यंजना' शक्ति का उदय भी अभिधा के बाद होता है। यदि 'लक्षण' की प्रवृत्ति हो, तो उसके भी बाद 'व्यंजना' आती है। यह एक के बाद दूसरी शक्ति का आना क्या सूचित करता है? यही कि ये दोनों (लक्षण तथा व्यंजना) 'शब्द-शक्ति' नहीं। यदि लक्षण और व्यंजना शब्द की शक्तियाँ होतीं, तो एकसाथ ही रहतीं; एक के बाद दूसरी न आती। अग्नि में दाहकत्व तथा प्रकाशकत्व, ये दो शक्तियाँ हैं; दोनों एकसाथ रहती हैं। ऐसा नहीं कि दाहकत्व के निवृत्त हो जाने पर प्रकाशकत्व का उदय होता हो। परन्तु तुम्हारी कल्पित शक्तियाँ (लक्षण और व्यंजना) अभिधा के साथ-साथ नहीं रहतीं। तब इन्हें 'शब्दशक्ति' कहना उपहासास्पद है कि नहीं?

महिम भट्ट का कहना है कि शब्द का शक्ति अर्थ (वाच्यार्थ) देने-वाली ही उसकी 'शक्ति' है। उस (वाच्य) अर्थ की अनुपपत्ति पर श्रोता विचार करके जो अर्थ ग्रहण करता है, वह 'अनुमेय' अर्थ है। सामीप्य-साधर्म्य आदि सम्बन्धों से वह सही अर्थ का अनुमान कर लेता है। वे (सामीप्य आदि) सम्बन्ध अनुमापक हेतु ही हैं। और, 'व्यंग्य' जिसे तुम कहते हो, वह भी 'अनुमेय' अर्थ ही है। रस-भाव आदि की प्रतीति में तुम जिन्हें 'अनुभाव' कहते हो, वे सब अनुमापक हेतु ही हैं। अगरे जैसी लाल आँखें और मूँह से आग उगलना आदि 'कोष' का अनुमान करते हैं। इन्हींको तुम 'अनुभाव' कहते हो। 'अनुमेय' अर्थ कभी

शब्द-विशेष में। वही सब समझाने के लिए, अत्यन्त प्रौढ़ ग्रन्थ 'व्यक्ति विवेक' महिम भट्ट ने बना डाला, जिसमें काव्य के विविध तत्त्वों पर गम्भीर विचार-विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। पाण्डित्य में महिम भट्ट बेजोड़ हैं।

'व्यक्तिविवेक' का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश काव्य-दोषों का विवेचन है। बड़ी विद्वत्ता तथा काव्यमर्मज्ञता इस प्रकरण में प्रकट हुई है। यही से 'काव्यदोष' का प्रकरण आचार्य मम्मट ने 'काव्य प्रकाश' में और विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' में लिया है; परन्तु वह गम्भीर विश्लेषण नहीं, और यहभी किसीने नहीं लिखा कि यह अश कहाँ से लिया है।

एक बात और भी। जितनी गालियाँ महिम भट्ट ने साहित्याचार्यों की खाई है, उतनी किसीने भी नहीं। उन्हे गालियाँ वैसी इसीलिए मिली कि 'ध्वनिवाद' का पूरी तरह और तर्क-सगत खंडन उन्होंने कर दिया। ध्वनि के सभी भेदों को सप्रमाण उन्होंने मन्द कर दिया। उत्कृष्ट काव्य-मर्मज्ञ महिम भट्ट ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कहा है।

अनुमानेऽन्तभावं सर्वस्यैव ध्वने, प्रकाशयितुम् ।

व्यक्तिविवेकं कुरुते, प्रणम्य महिमा परां वचम् ।

इसमें सन्देह नहीं कि महिम भट्ट अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में पूरी तरह सफल हुए हैं। 'व्यक्ति—व्यंजना, उसका 'विवेक'—विवेचन। 'खड़न' नहीं 'विवेचन'। 'प्रतीयमान' अर्थ का अपलाप कौन करेगा?' महिम भट्ट ने इसीलिए 'व्यक्ति-विवेक' नाम ग्रन्थ का रखा है।

ध्वनिवाद, वक्त्रोक्तिवाद और अनुभितिवाद, ये तीनों विचार-धाराएँ रससमुद्र में ही मिलती हैं। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। महिम भट्ट ने स्वयं कहा है—'काव्यस्यात्मभूते रसे न कस्यचिद् वियतिः—काव्य की आत्मा जो रस है, उसपर तो किसीका कोई मत-भेद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, परन्तु उसे समझाने के लिए जो प्रक्रिया है, उसीपर मत-भेद है।

कुल भिलाकर कहा जा सकता है कि यह एक वाग्विलास भर है, जिसमें प्रतिभा का चमत्कार है। वस्तु-स्थिति पर सब एक हैं।

परन्तु 'वाद' कहीं-न-कहीं तो अपना रूप प्रकट कर ही देता है। 'ध्वनिवाद' के अतिरेक ने 'वाच्यार्थ' के लोकोत्तर चमत्कार को भी नगण्य प्रतिपादित कर दिया, यह कहकर कि व्यंग्य में अधिक चमत्कार है, इसलिए 'उत्तम काव्य' नहीं हो सकता, मध्यम श्रेणी का काव्य इसे कहा जायेगा। 'गांधीवाद' के अतिरेक ने अमर सेनानी श्रीसुभाषचन्द्र बोस तक की अवज्ञा करा दी थी। सुभाष चाबू देशद्रोही है, क्योंकि वे महात्मा गांधी के मार्ग की अवहेलना कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र के सम्पादक ने लिखा था। 'सम्पादकीय' - शीर्षक था 'देशद्रोही सुभाष'। सम्पादक ने विवेक में काम नहीं लिया। अतिरेक था। लोग प्रवाह में बह गये थे, परन्तु चीज का महत्व कहाँ चला जाता? आगे सबको अपनी रलती मालूम हुई। इसी तरह के 'वाद' ने महिम भट्ट को भी मिट्टी में मिला देने का प्रयत्न किया था। 'वक्रोक्तिवाद' भी 'वाद' का रंग लाए विना न रहा। बांक तो ठीक, प्रनिभा का चमत्कार ही तो 'वाक्य' को 'काव्य' बनाता है, परन्तु कहीं 'वांकपन' का न होना भी मोहक होता है। वस्त्राभूषण की सज्जावट ठांक, परन्तु कहीं सादगी में भी सीन्दर्यं निखरता है। इसी तरह किसी भी 'वांकपन' के विना भी वाक्य को काव्यत्व प्राप्त होता है। किसी भी अलंकार के विना, सीधे-सादे ढँग से यदि कोई मोहक चित्रण हो, तो उस 'स्वभावोक्ति' में अनुपम रस मिलता है। साधारण जनों की साधारण बोलचाल को कोई 'काव्य' नहीं कहता, परन्तु प्रतिभा का प्रभाव यदि हो, तो वह 'स्वभावोक्ति' अलंकार बन जाती है। वांकपन का न होना ही 'स्वभावोक्ति' की विशेषता है। आचार्य कुन्तक ने 'स्वभावोक्ति' में कोई चमत्कार नहीं पाया। कहा—जब कोई वांकपन ही नहीं तब 'रस' कैसा? उन्हें अपने 'वाद' के कारण वैसा कहना पड़ा। अन्यथा, 'स्वभावोक्ति' में उन्हें भी रस मिला होगा। राम वन-गमन के समय मार्ग में ग्राम-वधूटियाँ इकट्ठी हो-होकर अपूर्व छवि देख रही थीं। उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर सकेत करके सीता से पूछा—'मुमुखि कहनु को अहृहि तुम्हारे?'

तब—

मुनि सनेहमृथं मंजुल बानी, सकुचि सीय मन मेंह मुसकानी।

तिनहि बिलोकि, बिलोकति धरनी, हुहैं सकोच सकुचति दरवरनी ।

और फिर बोली—

सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन, लघु देवर मोरे ।

और—

बहुरि बदन विधु अचल ढाँको, पिय तन चितहि भीह करि बाँकी ।

खंजन मंजु तिरीछे नैननि, निज पति कहेड तिन्हीहिसिय सैननि ।

यहाँ स्त्री-जनोचित बातचीत का चित्र कवि ने उतार दिया है। सहृदयों को यहाँ स्वभावोक्ति में ही रस मिलता है। यदि ग्राम-वधुओं की बात-चीत में कवि कोई 'बाँकपन' भर देता, तो रस न रहता। वहाँ तो सीधे-सीधे बातचीत होती है। सीताजी का भी स्त्रीजनोचित रूप है। भारतीय नारी का रूप प्रकट है। सीधे ने कह दिया जाता—आगे के मेरे पति हैं और उनके पीछे जो चल रहे हैं, मेरे छोटे देवर हैं, तो वह रस न रहता। पहले देवर का परिचय दिया, स्पष्ट भाषा में। फिर पति की ओर देखकर सब कह दिया, जैसे कि महिलाएँ कहती हैं। यदि इस 'स्वभावोक्ति' में रस न मिले, तो समझो कि वह 'सहृदय' नहीं। कुन्तक 'वकोक्तिः काव्य जीवितम्' कह चुके थे। उसीका संरक्षण उन्होंने स्वभावोक्ति का खण्डन करके किया है। परन्तु उन्हें यह कहना चाहिए था—“जहाँ कोई बाँकपन न दिखाई दे, पर स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा चित्रण हो। जिसमें महृदयों को रस मिले, तो उस (प्रतिभोत्थापित) सादगी को एक 'बाँकपन' ही समझना चाहिए, जिसे 'स्वभावोक्ति' अलंकार कहा गया है।”

खैर, 'वाद' तो वाद ही ठहरा। कुन्तक भी एक 'वाद' के प्रवर्तक ही थे।

### अलंकार-विवेचन

हमारे साहित्य-ग्रन्थों में अलंकारों का सुन्दर वर्णन, विवेचन हुआ है। परन्तु वह सब दिशा-निर्देश भर हैं। वे ही उतने प्रयोग-व्यक्तकार हौं,

सो बात नहीं है। प्रयोग-वैचित्र्य की कोई सीमा नहीं। वह तो प्रतिभा की चीज है। कविजनों की प्रतिभा की सीमा नहीं। न जाने कौन क्या चमत्कार प्रकट करदें। परन्तु लोगों ने समझ लिया कि बस, ये इतने ही 'अलंकार' हैं। यदि कोई नवीन चमत्कार दिखाई दिया, तो उन पुराने अलंकारों में दाढ़-दूढ़कर उसे ठूंस देने का प्रयत्न किया गया।

कभी-कभी लक्षणों का बन्धन भी सामने आया है। शब्दालंकारों में एक 'वक्रोक्ति' अलंकार है। इसके लक्षण में कह गये हैं—

अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेष्वदि,  
अन्यःश्लेषण काष्टवा वा, सा वक्रोतिस्तथा द्विधा ।

श्लेष या काकु के द्वारा किसीके अन्यार्थक वाक्य की (दूसरे के द्वारा) अन्यथा योजना 'वक्रोक्ति' अलंकार।

परन्तु लक्ष्य ऐसे भी है, जहाँ न 'श्लेष' है, न 'काकु' है, सर अन्य के अन्यार्थक वाक्य की दूसरे ने अन्यथा योजना की है। उर्दू का एक शेर है—

गैर ने तुमको 'जान' कहा, कुछ समझे भी कि क्या कहा?  
गोया कि बेवफा कहा, जान का एतबार क्या?

कहा तो यह कि तुम मुझे प्राणों की तरह प्रिय हो; परन्तु दूसरे ने आकर समझाया कि कुछ समझे भी ! तुम्हें 'जान' कहकर 'बेवफा' कह गया है; जान का क्या भरोसा, कब छोड़ जाय !

यों बात बदल दी। यह 'वक्रोक्ति' ही है; पर यहाँ 'श्लेष' या 'काकु' नहीं है। 'वक्रोक्ति' का यह भेद अर्थालंकारों में जा सकता है। जैसे 'श्लेष' के दो भेद हैं—शब्दश्लेष तथा अर्थश्लेष; उसी प्रकार 'वक्रोक्ति' के भी दो भेद—'शब्दवक्रोक्ति' और 'अर्थवक्रोक्ति'। उपमान ('जान') का सामान्य धर्म दूसरा लगाकर वाक्यार्थ बदल दिया गया है।

इसी तरह 'परिवृत्ति' के लक्षण में विनिमय मात्र दिया गया है और उदाहरण में सीधा-सादा विनिमय भर ले लिया गया—'काचमूल्येन विकीर्तो हन्त चिन्तामणिर्मया'। परन्तु विनिमय के तो सहस्रों विच्छिन्न-भेद हो सकते हैं महाकवि की एक सूक्ति है किसी देवी

का पति घृत है; अन्यत्र जा मरा है ! बेचारी पत्नी की कामना है कि उन्हे कभी देख भरलूँ । यही मेरे लिए बहुत है । परन्तु उस दुष्टा के घर जाने पर स्वाभिमान का क्या होगा ! खैर, स्वाभिमान जाय और वे देखने को मिल जाये, तो लाभ में ही रहूँगी—

नैननि कौं तरसैये कहाँ लौं, कहाँ लौं हियो विरहागि में तैये ।  
एक घरी कल पैये कहाँ न, कहाँ लगि प्राननि कौं कलपैये ।  
आवत जो मैं विचार यही, चलो साख सौतिहूँ के घर जैये ।  
मान घटे ते कहा घटिहै, जुपे प्रानपियारे कौं देखन पैये ।

यह भी जीवन का एक चित्र है । अच्छा तो तब होता कि उस नालायक की ओर कभी मुह न करती, और राह चलते कभी मिल जाता, तो उस ओर थूककर आगे बढ़ जाती ।

कहीं-कहीं प्रतिपादन में गलतियाँ हुई हैं और कोई-कोई गलती तो ऐसी हुई है कि सब जगह जम गई है । ध्वनिवाद के प्रमुख व्याख्याता और समर्थक 'वारदेवतावतार' आचार्य मम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में नीचे लिखा पद्य उपमा अलंकार के एक भेद के रूप में उद्धृत किया है—

सकलकरण पदविश्राम श्री वितरणं न सरस काव्यस्य ।  
दृश्यतेऽथवा निशम्यते सदृशमंशांशमात्रेण ॥

सरस काव्य की समानता करनेवाला कहीं कोई देखा-सुना नहीं ! स्पष्ट ही यहाँ समता का निषेध है । काव्य के समान सुखद कोई दूसरी चीज है नहीं । जहाँ समता का चमत्कारपूर्ण अभिधान हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है । 'काव्यप्रकाश' में भी कहा है—‘सादृश्यमुपमा’ । परन्तु यहाँ तो सादृश्य का अभाव बतलाया गया है और उसी ( सादृश्यवाद ) में चमत्कार है । तब 'उपमा' कैसे ? मम्मट ने यहाँ उपमान का लोप बतलाया है और कहा है—‘उपमानलुप्ता उपमा’ अलंकार यहाँ है । किसी भी अलंकार के प्रकार-भेद में सामान्य लक्षण अनुभ्यूत रहना चाहिए । उपमा के सभी भेदों में 'सादृश्य' अभिधान आवश्यक है । 'लोप' होता है । पर जहाँ उस ( लुप्त ) की उपस्थिति स्वतः हो जाये । 'प्रसक्तस्यादर्शन'

लोपः' यह शब्द-शास्त्रीय स्थिति है। 'मृगाक्ष्यास्तद्वचोऽमृतम्'—मृगाक्षी का वह वचन अमृत है, यहाँ 'मृगाक्षी' में उपमान लुप्त जरूर है। 'मृग के समान आँखें' नहीं; 'मृग की आँखों के समान आँखें' कहना है और 'मृगाक्षी' शब्द से वह समझ लिया जाता है। 'मृग' शब्द से उसकी 'अक्षि' का बोध ('लक्षण' से) प्राप्त हो जाता है। सो, 'अक्षि' का लोप है और 'लुप्तोपमा' है। लोग इसलिए कि दो बार 'अक्षि' का प्रयोग ठीक नहीं। 'मृगलोचनलोचना' 'हरिणनयननयना' कहने में पुनरुक्ति की गाँठ आ जाती है। पर उपमान 'नयन' तथा 'लोचन' का लोप करके 'मृगलोचना' 'हरिणनयना' जैसे प्रयोग होते हैं। यदि उपमान का बोध किसी भी तरह न हो, तो फिर उपमा सम्भव नहीं। लोप होता है; पर स्वेच्छा—लोप नहीं। 'वचोऽमृतम्' में उपमान तो है 'अमृतम्'; परन्तु समान धर्म 'मधुर' जैसा कुछ नहीं कहा गया। उसकी प्राप्ति स्वतः (प्रसिद्धिवश) हो जाती है। 'अमृत' की मधुरिमा ही प्रसिद्ध है और (वचः के लिए) वही अभिप्रेत है। जहाँ किसी भी तरह किसी उपमा-तत्त्व का बोध न हो, वहाँ 'उपमा' कैसे? परन्तु टीका ('प्रदीपोद्योत') में लिखा है कि 'काव्य के समान कुछ भी नहीं' कहने से यह नहीं समझा जा सकता कि 'काव्य के समान और कुछ ही नहीं'। समझा यह जाता है कि हमारे देखने-सुनने में वह चीज नहीं आई, जिससे काव्य की उपमा दी जा सके; परन्तु कही-न-कही वह होगी ही। इस तरह यहाँ 'उपमान लुप्ता' उपमा है।

नागेश भट्ट वैद्याकरण थे, पर काव्यशास्त्र भिन्न चीज है। काव्य की प्रशंसा में उसकी समता का विषेध है। उसीमें चमत्कार है। 'कही कुछ उसके समान हो गया' यह मान भी लें, तो इससे प्रकृत को बल सा मिलता है? काव्य की बड़ाई क्या होती है? संसार में सभी के उपमान सम्भव होने पर भी जबतक कवि द्वारा चमत्कारपूर्ण ढूँग से उसका बोध न कराया जाये, तबतक उपमा कभी भी सम्भव नहीं। मादृश्य का बोध करने के लिए कवि प्रयत्न करता है। उलटे, जहाँ वह सादृश्य का निषेध करता है, वहाँ चमत्कार तो उस (निषेध) में ही होना चाहिए न!

ऋभुवन तीन सोक जग भाहीं, भूरिभाग दसरथ सम नाहीं।

यहाँ दशरथ की भाग्यशालिता का सर्वोत्कर्ष प्रकट करने के लिए साम्य-निषेध है। कोई कर्म खाकर कहे कि हमें तो यहाँ (साम्य-निषेध नहीं) साम्य-प्रतिपादन नजर आता है—कोई न-कोई कही दशरथ के समान जरूर होगा—तो क्या कहा जाये! उस साम्य की कल्पना से दशरथ के भाग्य का उत्कर्ष बढ़ जायेगा? अर्थ को बल देने के लिए ही अलंकार होता है न? 'कहीं कोई दशरथ जैसा भाग्यशाली होगा मान ले और यह भी मान लें कि उसकी (उपमान रूप से) उपस्थिति भी स्वतः हो जाती है और यहाँ उपमा है, नो फिर चमत्कार कहाँ है? कहेंगे कि हमें तो चमत्कार मालूम देता है। तो फिर क्या कहा जाये! 'कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेत्' के कई (अद्वैतवादी) टीकाकारों ने लिखा है कि 'यहाँ कर्म छोड़ने में ही तात्पर्य हो'। 'कर्मणि कुर्वन्' स्पष्ट कहा गया है और आगे 'एव' है 'कुर्वन्नेव'। फिर भी उसकी टीका में कहते हैं कि कर्म-परित्याग में तात्पर्य है। ऐसी ही बात इस साम्य-निषेध को साम्य-विधान बतलानेवालों की है!

साम्य-निषेध में चमत्कार देखिए—

ऐसो को उदार जग माहीं!  
बिनु सेवा जो द्वै दीन पर,  
राम सरिस कोड नाहीं।

यहाँ भी उपमा कहेंगे? "राम जैसा कोई कही जरूर होगा और उसे ही राम के समान समझ भी लेना चाहिए, सो यहाँ 'उपमानलुप्ता उपमा' अलकार है।" कह सकते हैं! मुझ अपना है।

और—

पाप-परायन ताप-भरे,  
परताप समान न आन कहूँहैं।

यहाँ भी उपमा है न! प्रतापनारायण मिश्र कहते हैं कि 'ऐसा पाप-परायण कहीं-न-कही जरूर मिल जायेगा। बस, वैसा ही यह जब भी है। दार दो।' कैसी विवेचना है!

और, आचार्य ममट ने जो बात कही दी, उससे हटे कौन ? 'साहित्य-दर्पण' में और 'रसगंगाधर' में भी वस साम्य-निषेध की जगह साम्य-विधान मानकर 'उपमानलुप्ता उपमा' अलंकार ही माना है। 'असम' अलंकार को उपमा समझ लिया है। 'असम' में साम्य-निषेध वाच्य होता है और 'अनन्वय' में 'प्रतीयमान' (या 'अनुसेय')। यानी 'असम' भी ध्वनि ही 'अनन्वय' अलङ्कार है। परन्तु लोगों ने उसेभी 'अनन्वयोपमा' नाम दे दिया है ! जब साम्य-निषेध वाच्य होने पर उपमा, तो फिर उसकी ध्वनि में भी उपमा सही !

इस तरह की भूलो का समर्थन करना दुनिया को गुमराह करना है। पता नहीं समझ-बूझकर ('वार्गदेवतावतार' का आदर करने के लिए, वह सब किया गया है; या समझ ही नहीं पाये हैं।

### काव्य में 'कवि-समय' की स्थिति

कवि जन (परम्परा-प्राप्त) किसी चीज का जो वर्णन समान रूप से करते हैं, वह 'कवि-समय' कहलाता है। बरसात में मधूरों का कुहकना वसन्त में कोयल का चहकना, क्रोध का लाल रंग वर्णन और यश का इवेत तथा अपयश का काला रंग वर्णन करना आदि 'कवि-समय' है। साक्षणिक प्रयोग होते हैं 'उसने अपना मुख उज्ज्वल कर लिया' 'उसने अपना मुह काला कर लिया आदि। इसी आधार पर यश का 'इवेत' और अपयश का 'काला' रंग वर्णित होता है। क्रोध में मुह और आँखे तो लाल हो ही जाती हैं, उसका परिणाम भी रक्त-रंजित ही होता है। इस आधार पर क्रोध का रंग लाल ठीक ही है। मधूर सदा ही बोलते हैं, पर बरसात में बात ही कुछ और हो जाती है। यही बात वसन्त और कोयल की है। कवि को 'कवि-समय' का अनुसरण करना ही चाहिए। वसन्त में मधूरों की 'केका' और बरसात में कोयल की 'काकली' का वर्णन कुछ ज़ंचेगा नहीं।

परन्तु 'कवि-समय' के सभी तत्त्व आँखे बन्द करके मान लेना ठीक नहीं। संस्कृत काव्यों में 'कवि-समय' है—

'पादाधातादशोको विकसति, बकुल —

योषितासास्यमद्येः'

प्रमदा यदि अशोक वृक्ष पर लात मार दे, तो वह कुमुमित हो उठता है और और अपने मुख में भरे मद्य का कुल्ला यदि बकुल वृक्ष (मौल-सिरी) पर कर दे, तो वह खिल उठता है, ऐसी बातें जो पूर्व कवियों ने लिखीं, उन्हें 'कविसमय' समझकर सहन किया जाता है, परन्तु रुद्धिवश होकर आगे के कवियों को यह सब प्रहण न करना चाहिए। रुद्धि चलने का कोई कारण होता है। संभव है, किसी 'अशोक' नाम के शोहदे को किसी भावती चुड़ैल ने लात मार दी हो और इसीसे वह खिल उठा हो। आगे के कवि समझन सके कि 'अशोक' कोई शोहदा था। वे अशोक वृक्ष को ही 'अशोक' शब्द से समझने लगे और वैसा वर्णन करने लगे। 'बकुल' भी वैसा ही कोई व्यक्ति होगा, जो मद्य के बैसे कुल्ले में ही कृतार्थ हो गया होगा। सफल न सही, पुष्पित तो हो ही गया। एक लतखोरी लाल की कृतार्थता देखिए, लात खाकर कहते हैं—

दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणाम्,  
पादप्रहार इति सुन्दरि नाऽस्मि दूये ।  
उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकण्टकाग्रैः,  
यत् खिद्यते 'मृदु पदं ननु सा व्यथा मे ।

लात खाने से ही पुलकित हो उठा है और कहता है कि मेरे रोमाचो के अग्रभाग कॉटों की तरह तुम्हारे कोमल चरणों में चुभ गये होगे, तुम्हें कष्ट हुआ होगा, वस यही मुझे दुःख है। और, आप लोगों की लातें खाना तो उचित ही है।

इस 'अशोक' की ही तरह कोई बकुल भी होगा, जो मुख में भरे मद्य के कुल्ले से (या मद्यवासित थूक से) ही खिल उठा होगा। कवियों ने पूर्ववर्ती बड़े कवियों के काव्यों में अशोक तथा बकुल की वह दशा पढ़ी और वे उन्हें वृक्ष-विशेष समझकर वैसा वर्णन कर चले। कवि को प्रकृति-निरीक्षण बारीकी से करना होता है। प्रकृतिविरुद्ध बाते काव्य को बटा लगा देगी। बचना चाहिए।

कवि जन (रुद्धि से) सन्ध्या समय कमलों के सम्पुटित होने का वर्णन करते हैं। सूर्यस्त के बाद वे एकदम सम्पुटित हो जाते हैं। जब वे

खिले हुए थे, उनपर भौंरे बैठे थे, थिरकते हुए रस ने रहे थे। कमल सम्पुटित होने लगे तब वे उड़े नहीं, वहीं जमे रहे, और भीतर बन्द हो गये। रात भर बन्द रहे और सबेरा होने पर, सूर्योदय होने पर, जब वे सम्पुटित कमल-पुष्प फिर खिले, तो भौंरे बन्धन-मुक्त होकर फिर थिरकने लगे।

पूछो, कमल सम्पुटित होने लगे, तो भौंरे उड़ क्यों नहीं गये? कहते हैं, रस-निर्मन थे; उड़ते कैसे! तो फिर पञ्चडियों को काटकर निकल क्यों नहीं आये? जवाब है, वे पञ्चडियों से प्रेम करते हैं, कैसे काट सकते थे, लकड़ी को काट देते हैं। अच्छा तो फिर रातभर बन्द रहे, तब भर क्यों नहीं गये? कहते हैं, मरते कैसे; प्रेमरस (अमृत) जो मिलता रहा।

कैसी रुढ़ि है! मैंने देखा है, कमल के फूल तालाब में जो खिले थे, बराबर उसी तरह खिले रहे। सन्ध्या हुई, सूर्यस्त हो जाने पर चाँदनी छिटकी और मैं देखता रहा नी बजे रात तक। वे सब खिले हुए कमल ज्यो-के-त्यो बने रहे! एक भी सम्पुटित नहीं हुआ!

सो, वह सब वर्णन 'कवि-समय' है! आगे के कवियों को वैसा वर्णन न करना चाहिए। यह रुढ़ि भी किसी कारण से प्रकट हुई होगी! ऐसा जान पड़ता है कि किसी अच्छे कवि ने किसी शिशु का शयन-वर्णन आल-कारिक भाषा में किया होगा। सूर्यस्त होने पर कमल (नेत्र) सम्पुटित हुए और उनके भौंरे (पुतलियाँ) भीतर बन्द। सबेरा हुआ; कमल फिर खिले (आँखे खुलीं) और भीतर बन्द भौंरे बन्धन-मुक्त होकर फिर इधर-उधर घूमने लगे। कोई बड़ा कवि होगा। उसने इस वर्णन की लक्षणा न समझकर बाच्य अर्थ में ही रम गया। कमलों की उस स्थिति का वर्णन करते लगा। परन्तु इस 'कविसमय' से भ्रम फैलता है।

अन्यत्र भी ऐसे 'कवि-समय' हैं। उद्दू-काव्य में आसमान ही सब मुसीबतें देनेवाला कहा जाता है। वैसा ही वर्णन लोग करते हैं। कहीं चन्द्रमा को सूर्य की पत्नी समझा जाता है।

जो भी हो, कहना केवल इतना ही है कि कवि को भली भाँति प्रकृति-निरीक्षण करना चाहिए और जो एकदम गलत हो उसका परित्याग करना चाहिए।

जलाशयों में कमलों का वर्णन होता है। परन्तु बहती हुई नदियों के प्रवाह में कमलों का वर्णन गलत है। एक बहुत बड़े संस्कृत के महाकवि भारवि ने हिमालय पर चन्दन के वृक्षों का वर्णन किया है। हिमालय पर बहुत दूर तक तो नहीं, पर दूर तक गया हूँ। मुझे तो कहीं चन्दन के वृक्ष मिले नहीं। कवि या नो हिमालय पर गये नहीं और फिर देवदारु तथा चीड़ के वृक्षों को ही एक तरह के चन्दन-वृक्ष समझ गये होंगे। हो सकता है, वे मैसूर के हों और सभी पवतों पर चन्दन वृक्षों का होना मान बैठे हों।

: ३ :

### काव्यार्थ न समझने से अनर्थ

लक्ष्य अर्थ तक ध्यान न जाने से जब लोग वाच्य अर्थ में ही अटक जाते हैं, तब बहुत गड़वड़ी पैदा हो जाती है। 'वाच्य' अर्थ की सङ्गति जब नहीं बैठ पाती, तब अनेक कल्पनाएँ करके बैसी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। और उन कहानियों का समाज में कोई मेल नहीं बैठता, तब 'अचिन्त्य दैवी शक्ति' का सहारा लिया जाता है।

कारण का गुण कार्य में आता है और माता की प्रवृत्ति पुत्री में आती है — 'मा पर धी, पिता पर छोरा; बहुत नहीं तो थोरा-थोरा।' सीताजी पर क्या कुछ नहीं बीती; पर सब कुछ उन्होंने धैर्य से सहन किया। पृथ्वी को 'मर्वसहा' कहा जाता है; सब कुछ सह लेती है। इस 'सर्वसहत्व' गुण के कारण सीता को 'पृथ्वी की पुत्री' कहा गया — पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करनेवाली। इस लक्ष्य को न समझ कर लोगों ने समझ लिया कि पृथ्वी से ही सीताजी का जन्म हुआ था। फिर इसकी पुष्टि में कथाएँ लिखी गईं।

शक्तिशालिता तथा तेजस्विता आदि के लिए पवन और इन्द्र आदि प्रसिद्ध हैं। समानता बतलाने के लिए लक्षणिक प्रयोग होते हैं 'भई, ये हाथी तो सचमुच ऐरावत के बच्चे हैं।' मतलब यह ऐरावत के समान विशाल तथा शक्तिशाली। इसी तरह हनुमान और भीम को 'पद्मन-पुत्र' कहकर बलशालिता प्रकट की गई। इन्द्र के समान तेजस्वी अर्जुन 'इन्द्र-

'पुत्र'। इस लक्ष्यार्थ को न समझकर कहा गया कि यह जो पत्र हैं, वायु, उसीके पुत्र हनुमान और भीम थे। यही सब इन्द्र और अर्जुन आदि के बारे में कहा गया है ! कुन्ती पर लाञ्छन !

जब कुन्ती के पाँच उपपति समझले-समझाने लगे, तब उनकी पतोहू द्वैषदी कैसे बचती ! उसके पाँच पति बतला दिये गये और उसकी पुष्टि में कहानी गढ़ दी गई। कोई विवाह करके बधु के साथ घर आता है, तो बाहर से ही शोर नहीं मचाता कि 'देख माँ, एक बढ़िया चीज आज लाया हूँ !' साधारण गँवार भी ऐसा कुछ न कहे-करेगा; अर्जुन तो वैसे धीर-गभीर थे तथा अपने बड़े और छोटे भाइयों के साथ थे। वे पराक्रम-प्रतियोगिता में विजयी होकर वह उपहार लाये थे; 'भिक्षा' में नहीं लाये थे ! तब भूठ बोलकर अपनी हीनता क्यों प्रकट की कि 'भिक्षा' में एक चीज लाया हूँ ? फिर, ऐसी चीज का नाम सुनकर माँ यही कहेगी कि 'देखें बेटा क्या लाया है ?' यह न कहेगी कि 'मद मिलकर बाँट खा लो !' मब लोग घर में मिल-बैठकर ही कोई अच्छा चीज खाते हैं; घर के बाहर ही नहीं खा लेते कि माँ ने वैसा कह दिया ! और कह दिया सही; यानी बात मानता भी धर्म है, चाहे वह अज्ञान से या विक्षिप्त अवस्था में कुछ भी कह दे; तो फिर कही उस 'चीज' के टुकड़े करके वे पाँच खा क्यों नहीं गये ? कहानी गढ़नेवाले को इन सब बातों से क्या मतलब !

यह उस लक्ष्य अर्थ को न समझने से होनेवाले अनर्थ का 'परिशिष्ट' ; प्रसंग-प्राप्त चर्चा हुई।

साम्य प्रकट करते के लिये ही एक क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति सूर्य से बनलाई गई और एक की अग्नि से। परन्तु यहाँ वैसी किसी स्त्री की कल्पना करके उस तरह की कहानी नहीं लिखी गई।

कोई स्त्री अपने नवजात शिशु को मुनि-आश्रम के पास छोड़ गई कि यहाँ दयावश मुनि जन पालन कर लेंगे। कोई कारण होगा, उस तरह बच्चे को छोड़ आने का। मुनियों ने उसका पालन कर लिया। कोई जानता न था कि वह शिशु किस स्त्री-पुरुष का है। परन्तु शकुन्तला को अलोकिक सौन्दर्य प्रकट करने के लिए कहा गया कि वह एक अस्तरा की पुत्री थी। अप्सराओं की प्रवृत्ति भी इससे प्रकट होती है कि गुरुजनों

की अनुपस्थिति में वह प्रेम-पाश में बँध गई, और फिर करनी का फल पाया। नाम पड़ा 'शकुन्तला'। सम्भव है, नाम 'सुकुन्तला' हो। पहाड़ी लोग 'स' का उच्चारण प्रायः 'श' जैसा करते हैं। काव्य का आश्रम हिमालय की तलहटी में था; हरिद्वार से कुछ पूर्वोन्नर। 'शकुन्तला' होकर 'शकुन्तला' नाम हो गया और नाम पड़ने की व्युत्पत्ति भी दी गई कि रोने से शकुनि-समूह इकट्ठे होने के कारण 'शकुन्तला' नाम। 'शकुनिला' (चिडियों को लानेवाली) वन गई—'शकुन्तला'। 'शकुन्तला'—शकुन्तला, 'शकुन्तला' की कड़ी ठीक हो; या कि 'शकुनिला'—'शकुन्तला' की? जनभाषा के कितने ही शब्द संस्कृत में गये हैं। 'भरव' का जनभाषा में रूप 'मैरव'। भय का 'भै' उसी तरह है, जैसे 'जय' का 'जै'। इस 'मैरव' का संस्कृत में ले लिया गया। 'दसहरा' जनभाषा का शब्द है। इसे 'दशहरा' करके संस्कृत कोषों में रखा गया है। यह प्रासंगिक प्रसंग की प्रसंगप्राप्त वात।

सीता की 'अग्नि-परीक्षा' का भी वाच्य अर्थ ही ले लिया गया। उस भीषण परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धर्म की पूर्णतः रक्षा की—वे अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं। 'अग्नि-परीक्षा' का भी वाच्यार्थ लेकर कहानी गढ़ी गई—बड़े-बड़े लकड़ इकट्ठे करके उनमें आग लगा दी गई और उनसे कहा गया कि इसमें कूदकर परीक्षा दो। कहते हैं, सीताजी उस घबकती आग में कूद पड़ी और ज्यों-की-त्यों जीवित निकल आई, उनकी यह अग्नि-परीक्षा ही गई।

आयों और द्रविणों का सह-अस्तित्व मधुर था। उनके संघर्ष की कहानियाँ दुरभिसन्धि या अज्ञान की सूचक हैं। द्रविण लोग समुद्री व्यापारी थे। उनके बड़े-बड़े जहाज भाड़े पर भी चलते थे। समुद्र पार जाने के लिए ये जहाज सुग्रीव के राज-कोष से लिये गये होते। समुद्र पार जाने से पहले, द्रविण जनों का मन जीतने के लिए, समुड़-टठ पर ही, समारोह-पूर्वक शिवलिङ्ग की पूजा रामजी ने की। यह शिवलिङ्ग-पूजन द्रविणों और आयों की (उपासनामूलक) खाई। खाड़ी के लिए एक 'सेतु' बन गया। इस 'सेतुबन्ध' का लाक्षणिक अर्थ भूलकर लोगों ने वाच्य अर्थ ही ले लिया और कहा कि बड़े-बड़े पक्षाह वानर दुरदूर

से उखाड़ लाये और फिर सेतु बनाया गया, जिसपर होकर सेता उस पार (लंका) पहुँचे !

मन में तरह-तरह के भले-बुरे संकल्प उठते रहते हैं। इनमें से कुछ सफल होते हैं, कुछ निष्फल ही समाप्त हो जाते हैं। मन ही सब कुछ देता है, चाहे जो ले लो। संकल्प 'पुष्प' और उसकी कार्य-रूप में परिणाम 'फल'। इस सादृश्य से मन को 'कल्पवृक्ष' कहा गया—संकल्पों का वृक्ष। इसका भी लक्ष्य अर्थं न समझकर वाच्य अर्थ ले लिया और कहा कि स्वर्ग-लोक में कल्पवृक्ष है। जो माँगा, वे देते हैं।

'कल्प' तथा 'कल्पना' एक ही धातु के शब्द हैं। कल्पना-भेद से रामजी की कथा विविध रूप में प्रकट हुई है। प्रत्येक कवि ने अपनी कल्पना से राम को नये रूप में अवतारित किया है। सो, 'कल्पभेदात्मक-यामेदः'। 'कल्प' को समय से परिणाम विशेष का वाचक समझ लिया गया और कहा गया कि प्रत्येक कल्प में रामजी अवतार लिया करते हैं। कवि-कल्पना को समय का परिमाण-विशेष समझा गया। यह वाच्यार्थ-अभ्यास है, जैसा कि 'रस' तथा 'वक्रोत्तिं' में काव्यचार्यों को हुआ है।

वाच्यार्थ—अभ्यास का एक उदाहरण और जीजिए। 'कुशीलवौं' को 'कुशलव' समझ लिया गया। कहा गया कि 'कुश' में 'श' के 'अ' को 'ई' हो गया है—'कुश-लवों' का रूप 'कुशीलवों' हो गया है। 'कुशीलव' उन कलाकारों को कहते हैं, जो दृश्य-काव्य (नाटक आदि) का प्रयोग करते हैं—नाटक 'खेलते हैं'। 'कुशीलवा प्रकुर्वन्ति नान्दीं विघ्नोपशान्तम्' कुशलव लेग नाटक का प्रयोग करने से पहले विघ्नवादा की शान्ति के लिए 'नान्दी' करते हैं। नाटकीय भाषा में मंगलाचरण का नाम 'नान्दी' है। कुशीलवों की मण्डली का मुखिया 'सूत्रधार' और उसका प्रमुख सहायक 'परियाशिर्वक' कहलाता है और ऐसा विधान है कि इन्होंने एक ही दृश्यस् के और एक ही रंग-रूप के होते चाहिए। कुशीलवों में ऐसे बड़े लोग सम्मिलित होते थे, जिनकी यह जीविका नहीं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-भी किसी-किसी नाटक में किसी पात्र का अभिनय करते थे और उनके साथी-साथियों में और भी बड़े-बड़े रईस थे। धी रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी

अभिनय अभिनय के किसी पात्र का करते थे। मैं होनों नाटक आदि 'दृश्य' काव्यों के लेखक भी थे और अभिनेता भी। वैसे होनों काम अलग-अलग है। कुशीलवों को 'भरत' भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी कला में बहुत-कुछ भर देते हैं और स्वयं दशरथ, राम तथा सीता आदि का रूप भरते हैं।

तो 'कुशीलव' का अब 'कुश-लब' कहाँ-कहाँ कर लिया गया, सो मुनिए। बालमीकीय रामायण के उपोष्टात्-संगों में लिखा है कि नारद ने बालमीकि को सर्वोत्तम कथा-नायक बतलाया राम। फिर ब्रह्मा जी पहुँचे और उन्होंने अपनी हच्छि प्रकट की। ब्रह्मा को नाट्यशास्त्र का आदि प्रवर्तक कहा गया है। ब्रह्मा की इच्छानुसार बालमीकि ने दृश्य काव्य के रूप में रामचरित लिखा 'रामायण' और फिर सोचने लगे इस उत्तम काव्य (नाटक) का प्रयोग कौन करेगा। कोई भी नाटककार तभी कृतकृत्य हो सकता है, जब उसकी कृति का प्रयोग करनेवाले कुशल कुशीलवों की मण्डली उपलब्ध हो जाये और कुशीलव भी इस टोह में रहते हैं कि इसे प्रयोग करने के लिए किसी महान् कृतिकार की कोई नुतन कृति उदलब्ध हो। किसी नाट्य-मण्डली के सूत्रधार ने सुना कि मुनि बालमीकि ने श्री रामचन्द्र के कथानक को लेकर एक (दृश्य) काव्य की रचना की है। जब बालमीकि सोच हो रहे थे कि इस काव्य का प्रयोग कौन करे—'कोञ्चेतत् प्रयुक्षीयात्'—उसी समय सूत्रधार और पारिपार्श्विक वहाँ उनके पास पहुँचे—

तस्य चिन्तयमानस्य, महैर्भवितात्मनः ।

अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ ।

जब मुनि अपने काव्य का 'प्रयोग' करने करने की सोच रहे थे, तभी दो कुशीलव मुनिवेश में वहाँ पहुँचे और उन (मुनि) के चरणों की बन्दना की। जैसी जगह जाना हो, उसीके अनुरूप वेश-विन्यास चाहिए ही। 'मुनिवेश' से भतलब है साधारण भद्र जनों का वेश-विन्यास। वहाँ राजसी ठाठ-वाट दिखाने से काम बन नहीं सकता था, यद्यपि वे होनों कुशीलव राजकुमार थे—

कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ, राजपुत्रौ यशस्विनौ ।  
भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ, ददर्शाभासवासिनौ ।

वे दोनों कुशलव राजपुत्र थे, अपने धर्म (कर्तव्य) के पूरण जाता थे, अपनी कला से कीर्ति अजित कर चुके थे, दोनों भाई स्वर-साधना में सम्पन्न थे ।

मुनि ने उन्हें प्रयोग करने के लिए, अपनी कृति भेट कर दी और उन्होंने उस कृति का प्रथम प्रयोग मुनिजनों के ही समने किया । यह तीनों तालों का संगम था । एक कुशीलवनामक ने एक कृति का प्रयोग करने से पहले गद्गद होकर दर्शकों के सामने कभी कहा था—

“श्रीहृषी निषुणः कविः, परिषद्धेषा गुणग्राहिणी ।” और फिर—‘नाट्ये च दक्षा वयम्’ निषुण कवि श्रीहृषी की कृति और दर्शन-मण्डली भी गुणज्ञ-गुणग्राहिणी; फिर हम लोग भी नाट्य-कला में दक्ष हैं; तब प्रयोग की सफलता में कभी क्या है ?

उस कृति के कर्ता वालमीकि मुनि; दर्शक वैसे विज मुनिजन और कुशीलव भी धर्मज्ञ । नाटक का प्रयोग ऐसा हुआ कि देखकर मुनिजन मुख्य हो गये; बोल उठे—‘अहोगीतस्य माधुर्यम्’ !

संगीत के माधुर्य का क्या कहना और अभिनय की प्रशंसा में मुनिजनों के उद्गार थे—

### चिरनिर्बंधमयेतत् प्रत्यक्षमिव दशितम्

जो घटनाएँ बहुत पहले की हैं, उन्हें ऐसा दिखा दिया जैसे अभी सामने ही सब हो रही हों ।

मुनिजन इतने प्रसन्न हुए इस ‘प्रयोग’ से कि जिसके पास जो भी था सब कुशीलवों को दे दिया । खूब प्रशंसा भी की ।

वालमीकीय रामायण के प्रारंभ में चार सर्गों में यह सब लिखा है, और फिर आगे पाँचवे सर्ग से कथा का आरंभ है । इससे यह सूचित हुआ कि मुनि वालमीकि ने जो दृश्य काव्य प्रकट किया था, उसीकी कथामक लेकर यह महाकाव्य बनाया जा रहा है

‘कुशीलवौ’ का अर्थ ‘कुशलवौ’ ! परन्तु आगे चलकर ‘कुशीलवौ’ को ‘कुशलवौ’ समझ लिया गया कि कुश और लव वहाँ उस रूप में उपस्थित हुए। कहा गया कि ‘कुशलवौ’ का रूप ‘कुशीलवौ’ हो गया है। पूछो, क्यों हो गया है, तो कहने में हो गया। हो जाता है। आर्थ प्रयोग है। परन्तु यह भी पूछा जा सकता है कि अन्यत्र भी कहीं ऐसा हुआ है कि यही ‘अ’ का रूप ‘आ’ तो होता देखा गया है—‘इन्द्रावस्थौ’ सूर्यचन्द्रमसी आदि; पर ‘अ’ को ‘ई’ होते तो कहीं देखा नहीं गया। सो, ‘कुशलवौ’ का ‘कुशालवौ’ हो सकता था। फिर, यदि कुश और लव वैसे नाट्यकला-विशारद थे, तो मुनि को वैसीं चिन्ता क्यों हुई कि इसका प्रयोग कौन करेगा ? और फिर ‘राजपृथौ’ की जगह ‘रामपृथौ’ कहना चाहिए था।

हमने जो कुछ कहा, उसपर आग्रह नहीं है; परन्तु सोचने की बात जरूर है। अर्थ समझने में जब गड़बड़ी हो जाती है, तब शट्-परिवर्तन कर देना सामूली बात है। कल्पना भी दौड़ाई जाती है, अपने समके हुए अर्थ की पुष्टि करने के लिए।

‘वेणी’ का अर्थ ‘नदी’ समझा गया

‘विवेणी’ के ‘वेणी’ का अर्थ ‘नदी’ समझ लिया गया ! कहा गया कि तीन नदियों का समाहार—सगम—‘विवेणी’ ! दो नदियाँ तो सामने हैं; तीसरी कहाँ गई ? कहा, तीसरी लुप्त हो गई है—‘सरस्वती’। परन्तु सरस्वती नदी इधर ‘उत्तर प्रवेश’ में तो कमी आई नहीं; दिल्ली तक भी नहीं आई ! वह नदी पंजाब के कुछ भू-भाग को सरख करती हुई कुरुक्षेत्र से उसी राजस्थान की ओर मुड़ जाती थी। कालान्तर में वह लुप्त हो गई—नामशेष रह गई। सो सरस्वती लुप्त तो हो गई, पर वह इधर कभी न आई थी। और वाल्मीकीय रामायण में (तथा रघुवंश में भी) गगा और यमुना इन दो ही नदियों का संगम कहा गया है; तीसरी नदी का नाम नहीं लिया है।

दो नदियों का संगम-स्थल ही, ‘विवेणी’ है—‘तिसूणा वेणीनां समाहार’—‘विवेणी’। तीन वेणियों का वह समाहार है। ‘वेणी’ का अर्थ है—‘प्रवाह’। तीन प्रवाह सामने स्पष्ट है—एक प्रवाह गंगा का,

दूसरा यमुना का और तीसरा प्रवाह दोनों का सम्मिलित। जो कभी प्रयत्न नहीं गये, वे हमारे राज्य (उत्तर प्रदेश) का राज-चिह्न देखले—‘त्रिवेणी’ स्पष्ट है। यदि तीन नदियों का संगम होता, तो फिर ‘चतुर्वेणी’ होती। ‘वैणी’ शब्द कहीं भी नदी-पर्यायों में नहीं आया है। केवल इकारान्त रूप ‘वेणी’ ही भ्रम का कारण हुआ और यह भ्रम व्यापक हो गया। ‘मानस’-रचना के समय भी यह भ्रम था—‘सरसुति ब्रह्मविचार-प्रचारा’।

इसी तरह अर्थ-भ्रम हुआ करते हैं। परन्तु इनका संशोधन-परिमार्जन भी होना चाहिए। हमारा जीवन-प्रवाह कितना लम्बा है; कोई ठिकाना नहीं! इतने लम्बे प्रवाह में नहीं कोई धूल-कूड़ा भी आ मिल सकता है। उसे जीवन का मूल रूप न समझ लेना चाहिए।

**‘जठराग्नि’ को साधारण अग्नि समझ लिया!**

विशेष प्रकरण में आये किसी शब्द का अर्थ सामान्य रूप से न ले लेना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि यदि वायु विकृत हो, तो अग्नि में धूत देने से (वायु का) वह विकार दूर हो जाता है—वायु शुद्ध हो जाती है। प्रकरण के अनुसार अग्नि तथा वायु शरीर-सम्बन्धी अभिप्रेत है। इसे न समझकर अग्नि तथा वायु के साधारण अर्थ लिये गये। ध्यान दूसरी ओर था! समझा गया और समझाया गया कि आग में धी डालने से (हवन करने से) वायु शुद्ध होती है। इस ज्ञान से शुद्ध (देसी) धी हृवन-कुण्ड की आग में दिया जाने लगा। वायु शुद्ध हुई कि नहीं, यह अलग बात है; परन्तु उतना धी तो चला ही गया!

**कवि को सदा सतर्क रहना चाहिए**

अन्त में कहना यही है कि कवि को सदा सतर्क रहना चाहिए। उसे क्रान्तिदर्शी होना चाहिए। समाज की स्थिति और आवश्यकता देखकर सरस वस्तु देनी चाहिए। कड़वी दवाएँ तो और लोग भी देते हैं; परन्तु कवि ऐसा सरस सुस्वादु रस देता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि यह रोग-शमन करके पोषण करनेवाली दवा है। समाज की बुराइयों को ही मम्मट ने ‘शिवेतर’ कहा है।

कवि को अपनी कल्पना का उपयोग भी विवेक के साथ ही करना चाहिए। महाकवि कालिदास ने शाप की कल्पना करके दुष्यन्त की दुश्चरित्रता पर पद्मा डाल दिया है। मूल कथानक में वही लोक-विकल्प है कि सयानी लड़कियाँ दुश्चरित्र राजा-रईसों के फन्दे में झड़कर अपनी फजीहत करा लेती हैं। पुराणों में हरिश्चन्द्र तथा मयूरध्वज आदि के चरित्र कल्पनाओं से विकृत हो गए थे।

कवि का सर्वस्व उसकी शब्दार्थज्ञान-सम्बन्धी शक्ति है। इस शक्ति के साथ समुचित प्रकृति-तिरीक्षण तथा विविध शास्त्रों का आदर्शक ज्ञान भी जरूरी है, जिसे 'व्युत्पत्ति' कहा गया है। जिसमें वह 'प्रतिमा' है, जो काव्य का बीज है, उसे व्युत्पत्ति की जरूरत उसी तरह है, जैसे कि बीज को मृत्तिका तथा जल की जरूरत होती है। कवि को शब्दार्थ-ज्ञान की सम्पत्ति अर्जित करने के लिए प्राचीन काव्यों का तथा काव्यशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। इस अध्ययन में अपनी विवेक-बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। प्रतिमा कवि की परमुस्खापेक्षी न होनी चाहिए। स्वतन्त्र कवि ही उत्तम काव्य दे सकता है।

कवि को सञ्चरित्र होना चाहिए; जीवन में अनीचित्य का प्रवेश न होने देना चाहिए। यह कह-सुन कर धोखे में न पड़ना चाहिए कि 'साहित्य-कार का व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा हो, उससे उसका साहित्यिक कृतित्व पूर्यक् रहता है' यह बात ज्ञान-विज्ञान के साहित्य पर है, जिसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है। रसायनशास्त्री का जीवन चाहे जैसा हो, उसके साहित्य पर उसका कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता, किसी भाषा-विज्ञानी के जीवन का प्रभाव उसकी (भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी) कृति पर क्या पड़ेगा? परन्तु काव्य हृदय का साहित्य है। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि भी काव्य ही हैं। इनका प्रभाव समाज के जीवन पर पड़ता है। जैसा कवि होगा, वैसा ही उसका काव्य भी होंगा। दुश्चरित्र कवि से 'उत्तम काव्य' की आशा न करनी चाहिए। कहाँ-न-कहीं उसका अपना व्यक्तिगत जीवन काव्य में आ ही जायेगा। तब काव्य कुत्सित हो जायेगा। शिशु का भला चाहनेवाली माँ कभी भी कुप्रथ्य सेवन न करेगी; क्योंकि उसके दूध में विकारआ जायेगा, जो शिशु के कोमल कलेवर पर बुरा प्रभाव डालेगा। वैद

कह देता है—‘इसका दूध ठीक नहीं; इसे बच्चे को न पिलाना चाहिए।’ इसी तरह कोमलमति काव्य-रसिकों पर काव्य का प्रभाव पड़ता है। जो कवि अपने पाठकों-दर्शकों का भला चाहता है, उसे कुपथ्य-सेवन से बचना चाहिये। यदि कोई वैसी रुचि-प्रवृत्ति है भी, तो उसे छोड़ देना चाहिए। मन से निकाल देना चाहिए और तब काव्य-रचना में प्रवृत्त होना चाहिए।

यह भाषण कोई काव्य नहीं है कि आपको वैसा ‘रस’ देता। विवेचन है। विवेचन में ऐसी बातें भी आती हैं, जो किसीको अच्छी लगती हैं; किसी को बुरी। इस भाषण में ऐसी बातें बहुत अधिक हैं, जो आपमें से बहुतों की अटपटी लगी होगी; कड़बी भी नगी होगी इसके लिए हम कुछ न कह सकते हैं; न कर सकते हैं। परन्तु इतना जानते हैं कि ऐसी और इतनी सामग्री इस भाषण में ला गई है, जिसमें आप लोग बरसो उफलते-सुलभते रहेंगे। काव्य का विनोद एक तरह का होता है और शास्त्र का दूसरी तरह का। ‘काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्’। यह दूसरी तरह की विनोद-वस्तु है।

इदं किवभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्यते ।

## आर्य और द्रविड़—ऋग्वेद के पञ्चजनाः

उस समय 'देवासुर-संग्राम' चल रहा था। आर्यों के ही दो देश आपस में तुमुल युद्ध कर रहे थे। यानी ईरानी आर्यों के साथ इधर के आर्यों का महायुद्ध प्रवृत्त था। उधर के आर्य असुर कहलाते थे और इधर के 'देव'। वहाँ असुरों के प्रमुख 'अहुरमज्द' और इधर देवाधिराज 'इन्द्र' थे। 'असुर' का रूपान्तर 'अहुर' है। इधर 'असुर' शब्द का गर्हणात्मक प्रयोग होने लगा था; जैसे कि अवचीन फारसी-साहित्य में हिन्दू शब्द का कुत्सित अर्थ में प्रयोग होने लगा!

असुरों की शक्ति बड़ी-चड़ी थी और उनके महान् गुरु शुक्राचार्य की राजनीति रंग ला रही थी। शुक्राचार्य केवल महान् राजनीतिज्ञ ही नहीं, कवि भी ऊचे दरजे के थे। 'कवि' कहने से उस समय उन्होंका बोध होता था वे काव्यमूर्ति थे। यही कारण है कि 'कवि' तथा 'काव्य' शब्द उनके अभिधान बन गये थे।

### शुक्र की 'संजीवनी' विद्या

कहते हैं, शुक्र को 'संजीवनी' विद्या आती थी। जो असुर मर जाते थे, उन्हें वे जिन्दा करके फिर रण में भेज देते थे। यह 'संजीवनी' विद्या है क्या चीज? शुक्राचार्य की जीवनदायिनी वह काव्यात्मक वाणी ही 'संजीवनी' विद्या थी, जो मुरदों में भी जान डाल देती थी। रण में अभिभूत (यानी मुरदादिल) असुर-सैनिकों में उनका काव्य जान डाल

देता था, एक विजली दौड़ा देता था। शुक्र की इस 'सजीवनी' विद्या ने बड़ा काम किया। कुछ ऐसा ही काम हमारे महाकवि 'भूषण' की वाणी ने भी किया था। छत्रपति शिवाजी को जो विजयश्री प्राप्त हुई, उसमें 'भूषण' की वाणी का योग कुछ कम न था। महाराणा प्रताप को ऐसा कोई कवि प्राप्त न था।

तात्पर्य यह कि उस समर में सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग हो रहा था। इधर के वैदिक आर्य भी जी-जान से लड़ रहे थे। सबको संघटित होकर असुरों का मानमर्दन करना चाहिए, ऐसा आह्वान इस वेदमंत्र में है।

**तदद्य वाचः प्रथमं येनासुराँ अभि देवा असाम् ।**

**ऊर्जादि उत याज्ञियासः पञ्चजना॑ मम होत्रं जुषध्वम् ॥**

(ऋ, १०।५।३।४)

सो, आज तो मैं वाणी का सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष उसे मानता हूँ, जिससे कि हम देव लोग असुरों को जीत सकें। इस समय तो भोगविलास में लिप्त और यज्ञ आदि अनुष्ठानों में लगे हुए सभी पञ्चजनों को मेरे इस आह्वान पर ध्यान देना चाहिए। सब को समरोन्मुख होना चाहिए। यानी मंत्र में पहले तो वैसी वाणी का महत्व बतलाया गया है, जैसी कि उधर शुक्रार्थ की थी और फिर सबको संघटित होकर शत्रु का मुकाबला करने को कहा गया है।

ये 'पञ्चजना॑: कौन हैं ?

'पञ्चजना॑: का अर्थ बाद के लोगों ने दो तरह से किया है। यास्क ने दोनों मतों का उल्लेख अपने 'निरुक्त' में किया है—

**पञ्चजना॑:—गन्धर्वा॑ः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा॑ निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः ।**

यास्क कहते हैं कि इस मन्त्र में आये 'पञ्चजना॑:' पद का अर्थ कुछ लोग कहते हैं— १. गन्धर्व, २. पितर, ३. देव, ४. असुर और ५. राक्षस। परन्तु औपमन्यवका मत है कि आर्यों के बार वर्ण और धाँचवें 'निषाद' वे हैं 'पञ्चजना॑'।

‘इत्येके’ (कुछ लोग यह अर्थ लेते हैं) यह कहकर यास्क ने प्रथम मत से अरुचि प्रकट की है और ‘इत्यौपमन्यवः’ कहकर दूसरे मत के प्रति सम्मान प्रकट किया है : ‘ओपमन्यव ऐसा मानते हैं।’ हम सब ‘वाजपेयी’ लोग ‘उपमन्युगोत्रीय हैं, इसलिए नहीं; प्रत्युत इस दूसरे मत में पूरी उपपत्ति है, इसलिए इसका समर्थन करता हूँ।

आर्यों का एक वर्ग अपने को ‘रक्षस्’ कहता था, इसलिए उसका पृथक आह्वान माना जा सकता है—

विशेषवाचकपदसन्निधाने सामान्यवाचकपदानां तदतिरिक्तपरत्वम् ।

लंका आदि में इन ‘रक्षस्’ आर्यों का आधिपत्य था। और असुरों के साथ युद्ध करने के लिए इनका आह्वान सही हो सकता है। परन्तु ‘अमुर’ जनों का आह्वान कैसा? असुरों के ही अभिभव के लिए तो लैयारी थी! क्या जान-वूझकर असुरों का यह ‘फिपथ कॉलम’ अपने साथ-खेकर आर्यजन अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे थे? ऐसी बात नहीं।

सो, दूसरा ही अर्थ ठीक है आर्यों के चारों वरण और निषाद मिल कर ‘पञ्चजनाः’। लंका में भी आर्यों के चार वरण थे।

‘निषाद कौन थे?

हमने अपने ‘भारतीय भाषाविज्ञान’ मे लिखा है कि आर्यों की जब पूर्ण समृद्धि थी, तब कहीं से उजड़कर किसी देश के पूरे जनपद इस देश (भारत) के दक्षिणी छोर पर आ बसे, जिनको हम आज ‘तमिल’ जैसे शब्दों से जानते हैं। चारों का सामान्य अभिधान ‘द्रविड़’ है। ये द्रविड़जन समुद्री मार्ग से आये और कुछ लका में समुद्रतट पर बस गये; अधिकाश यहाँ (भारत में) समुद्रन्तट पर बसे और दूर-दूर तक फैल गये। इनकी अपनी व्यवस्था थी, अपना तन्त्र था। ये समुद्री व्यापार करते थे। समुद्र से ही लक्ष्मी पैदा होती है। खूब सम्पन्न थे ये लोग। कदाचित् इसीलिए बाद में आर्य जन इनके प्रदेश को ‘द्रविण-प्रदेश’ कहने लगे और फिर ‘द्रविण’ ही ‘द्रविड़’ बन गया। वेदों में ‘द्रविड़’ शब्द इनके लिए नहीं मिलता। ‘निषाद’ कहते हैं मल्लाहों को, जलपोत चलानेवालों को।

द्रविड़जनों के व्यापारी जहाज सर्वत्र जाते रहते थे, और यों जहाजी काम करने के कारण ही इन्हें उस समय शायद 'निषाद' कहते थे। देवासुर-संग्राम के लिए इनका भी सहयोग लिया गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि देवासुर-संग्राम के बहुत पहले द्रविड़ लोग यहाँ आ वसे थे, पर तबतक आर्यों में ऐसे चुले-मिले न थे। द्रविणों में चातुर्वर्ण-व्यवस्था न थी। आज भी वहाँ वैश्य आदि शब्द नहीं है। इधर के गये 'अग्रवाल' आदि वैश्य वहाँ हैं; पर द्रविड़-परिवार के नहीं। बाद में वहाँ के अनेक राजाओं को क्षत्रिय लिखा गया; यह अलग बात है। जब द्रविड़जनों ने आर्य-स्त्रृकृति अपनाई, तब इधर से विद्वान् और जीवट के ब्राह्मण उधर गये, जिनमें अगस्त्य ऋषिका नाम सर्व-प्रथम आता है, जो दुर्गम विन्ध्य-पर्वत को लॉधकर और भयकर बनखड़ों को रोंदते हुए समुद्रतट पर पहुचे थे। उधर जाना तब मृत्यु को न्यौता देना समझा जाता था। उसे 'मृत्यु की दिशा' कहते थे। कहते थे— 'उधर पैर मत करो !' आज भी वह स्मृति है। अगस्त्य ऋषि वहाँ जाकर धुल-मिल गये और उन्होंने तमिल-भाषा का व्याकरण भी बनाया। तमिल-भाषा का वह आदि व्याकरण था। इनके अतिरिक्त और भी ब्राह्मण गये, जिन्हें उस समय सम्मान मिला; पर आज उनसे बैर बाँधा जा रहा है !

सां, द्रविड़ों में तीन ही 'वर्ग' हैं— अभिजात वर्ग, निचला वर्ग और ये ब्राह्मण। यानी, चातुर्वर्ण की वैसी रुद्धि वहाँ नहीं है, जैसी शेष भारत में। बाहर से आये हुए ये ही उस वेदमन्त्र में 'निषाद' कहे गये हैं। 'निषाद' शब्द उनके लिए सम्मान में ही था— 'समुद्री व्यापारी' जैसे अर्थ में। अन्यत्र 'निषाद' शब्द कुछ भिन्न अर्थ में भी चलता था। धर ताल-तलैयों या नदियों में नाव-बन्धई चलाकर 'पातभरी सहरी' आदि से पेट भरनेवाले भी 'निषाद' कहलाते थे। हीरा भी पत्थर और राह का ठोकर खानेवाला टुकड़ा भी पत्थर ! कालान्तर में वह भू-भाग 'द्रविण-प्रदेश' या 'द्रविड़-प्रदेश' कहलाने लगा। पाइचात्य इतिहासकारों ने लिखा है कि आर्यों का द्रविड़ों के साथ युद्ध हुआ और आर्यों ने उन्हे समुद्रतक खदेड़ दिया। यह सब कल्पना किसी दुरभिसन्धिसे की नहीं है, 'योकि वेदों में 'देवासुर-संग्राम' की तो चर्चा है, पर 'द्रविडार्य-संग्राम,

का कहीं उल्लेख नहीं है, और न द्रविड़-साहित्य में ही कहीं इसकी चर्चा है कि आयों ने हमें काट-मारकर यहाँ समुद्रतट तक खदेड़ दिया। यदि आयों ने द्रविड़ों को उस तरह खदेड़कर वहाँ पहुँचाया होता, फिर वहाँ छोड़ न देते; एक धर्मका और देकर समुद्र में डाल देते; चाहे जहाँ जाओ, फिर वैसे शत्रु को कोई बीच में छोड़ता है क्या? आर्य-द्रविड़ लोग भड़केगे। कुछ वह दीज अंकुरित भी हुआ; परन्तु मिट्टी नहीं, आधार नहीं कि वहाँ पनपे। अंकुर मुरझा रहे हैं।

सो, न केवल आर्य, न निषाद; सब मिलकर संघटित रूप में—‘पञ्चजनाः’। और, आगे चलकर सब ‘हिन्दू’ और फिर ‘हिन्दुस्तान’। हाँ, हिन्दुस्तान में शतियों से रहकर भी जो लोग इस देश की भाषा में अपने नाम तक नहीं रखते, उन्हें ‘पक्का हिन्दुस्तानी’ कहते को मन नहीं करता! द्रविड़ों में पूर्ण भारतीयता है। अपनी भाषाएँ पृथक होने पर भी नाम हम सबके एक हैं। हम सोग ‘राधाकृष्ण’ हैं, वे ‘राधाकृष्णन्’। हम ‘सीताराम’ हैं, वे ‘सीतारामय्या’। हम ‘संजीव’ वे ‘संजीवय्या’। यो पुराने ‘पञ्चजनाः’ हैं।

## धर्म

‘धर्म’ शब्द से ही आजकल लोग चिढ़ने लगे हैं ! कहते हैं—‘हम धर्म-कर्म के चक्रकर में नहीं पड़ते । धर्म के पचड़े ने ही दुनिया का नाश किया है !’ दूसरे लोग ‘धर्म’ को इस सासार की चीज न मानकर केवल परलोक ही इसका सुफल समझते-मानते हैं ! ऐसे लोग प्रायः हैश्वर-भक्ति को ही मुख्य धर्म समझते हैं । दिन-रात या तो ध्यान-समाधि में लगे रहना या उसकी बातें करना ही ऐसे लोग परम धर्म समझते हैं । किसी के दुख-दर्द की बात इनके सामने कोई करे, तो नुरलत कह देते हैं—“उहँ ! हमें दुनिया से क्या मतलब !” ये लोग दुनिया से इतना मतलब जरूर रखते हैं कि खाने को बढ़िया मिल जाये और सुख-विलास की अन्य सामग्री भी उपलब्ध हो जाये । इसके लिए ये समाज का कुछ भी उपकार-सहयोग न मानकर भगवान् के ही ऊपर सब छोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हींकी कृपा का सब फल है । उस कृपा को प्राप्त करने के लिए भाँति-भाँति के साधन प्रचलित किये गये हैं । कोई ध्यान-समाधि लगाते हैं; कोई ‘अनहृद’ नाद सुनते हुए ‘सून्न’ समाधि लगाते हैं; कोई रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम-कहानी लिख-सुनकर, उनके दाम्पत्य-सुख में भानसिक कीड़ा करते हुए, उसीको परमात्म-जीवात्म-मिलन का प्रतीक समझते हुए, सूफीयाना ढंग बरतते हैं ; कोई श्रीकृष्ण के साथ गोमियों की रँगरेलियों की कल्पना करते और उसीको मोक्ष-साश्नन समझते-गते हैं ; कोई दिन में पाँच बार नेमाब पढ़कर भगवान् को रिष्टाते हैं और कोई रविवार के दिन पवित्र

गृह में जाकर प्रार्थना द्वारा ही उसकी दया प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह एक भगवान् को भाँति-भाँति से रिभाने का प्रयत्न करते हैं और इसीको वे मुख्य धर्म समझते हैं! ये सब भक्त लोग आपस में लड़ते भी हैं और एक दूसरे का कत्ल भी करते हैं। केवल इसीलिए कि दूसरा उनके हाग से भगवान् को प्रसन्न नहीं करता, किसी दूसरे ढंग से करता है! कभी-कभी सामूहिक रूप से भी कत्ले-आम हुआ इसी 'धर्म' की रक्षा के लिए! पाश्चात्य देशों में ईसाइयों के ही दो वर्गों में बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं और उनमें लाखों जन मारे गये हैं। किसी-किसी भक्त-समुदाय की 'धर्म-पुस्तक' में लिख भी दिया गया है कि "जो तुम्हारे मत को न भाने, उसे अधर्मी समझो और कत्ल कर दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, जिससे स्वर्ग-सुख की प्राप्ति होगी!" इसी तरह 'धर्म' के लिए लोगों ने अशान्ति फैलायी है! यही कारण है कि दूसरे लोग 'धर्म' से चिढ़ने लगे हैं!

**वस्तुतः** ईश्वर-उपासना के जो ये भेद हैं, मत-भजहब या 'संप्रदाय' है, जो एक प्रकार के (आस्तिक-) दर्शन में आते हैं। धर्मशास्त्र में इनका वैसा कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्म तो लौकिक चीज़ है। कर्तव्यशास्त्र का ही नाम 'धर्मशास्त्र' है। 'तुम्हारा धर्म क्या है' और 'तुम्हारा कर्तव्य क्या है' एकार्थक वाक्य है। सत्य-अहिंसा आदि जो नियम समाज-व्यवस्था चलाने के लिए बनाये गये, उन्हें ही 'धर्म' कहा गया। इस तरह मानव-मात्र का धर्म एकही है। किसी भी देश या समाज के लोग चोरी करने को धर्म नहीं कहते। वे सब उपासना-भेद तो मत-मतान्तर हैं। जो नास्तिक है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, पर सत्य-अहिंसा तथा दया-क्षमा आदि का समुचित पालन करता है, वह भी धर्मात्मा है! भगवान् की भक्ति करनेवाला भी धर्मात्मा तभी होगा, जब सत्य-अहिंसा आदि नियमों का पालन करता हो। अन्यथा, उसे अधर्मी और पापी ही कहेंगे। चाहे जितना राम-नाम का जप करे, 'शन्तोदेवीरभीष्टये' करे, नमाज पढ़े, प्रार्थना करे; पर यदि वह चोरी करता है, डाका डालत है, निरपराध जनों को सताता है, तो लोग उसे नीच, अधर्मी और पापी ही कहेंगे। इससे स्पष्ट है कि असल में धर्म क्या है। वह धर्म आचरण-

मेरे उतारना जो नहीं चाहते, जो दसरों का गला काटते रहते हैं, वे भगवान् का नाम लेकर दुनिया को धोखा देना चाहते हैं ! वे हल्ला इतना मचाते हैं कि भगवान् की वैसी भवित को ही लोग 'धर्म' समझने लगते हैं ! फिर लोग वह भी प्रचार करते हैं कि चाहे जितने पाप करो, हमारे मजहब में आ जाओ, तो भगवान् तुम्हें तुरन्त माफ कर देगे ! इस तरह जब अपने पापों से डरे हुए लोग माफी के लिए इधर झुकते हैं, तो वह पाप की कमाई भी इधर भेट कर देते हैं। मजे होते हैं। कौन जानता है, मरने के बाद क्या होगा ! एक नशा तो है ! जबतक जीते हैं, उस नशे में मस्त रहने हैं। अब हम नरक नहीं जा सकते, स्वर्ग जायेंगे : इस ख्याल से वे नाचते रहते हैं। ऐसे ही लोग अधिक उपद्रव करते हैं। इसी तरह के लोगों ने 'धर्म' का नाम लेकर जो मदान्धता फैलायी, उससे समाज की शान्ति-समृद्धि का खतरा पैदा हुआ। इसीलिए दूसरे लोग 'धर्म' से चिढ़ने लगे ! परन्तु क्या यह ठीक है ? हलवा बड़ी अच्छी चीज है। आपके मुह में कोई कीचड़ भरदे और कहे कि 'यह हलवा है', तो आप किसी तरह अपना पिंड छुड़ायेंगे। उससे घृणा करेंगे। आप 'हलवा' नाम से चिढ़ जायेंगे। पर इसमें 'हलवा' का क्या दोष ?

हिन्दू जाति ने मानव-धर्म को ही 'धर्म' माना है। मानव-समाज की शान्ति-समृद्धि के लिए जो कर्तव्य है, उन्हें ही 'धर्म' कहा है। ईश्वर-जीव आदि से सम्बन्ध रखनेवाले मत 'दर्शनशास्त्र' यहाँ कहे गये हैं। हमारे यहाँ अनेक दर्शन हैं; वीसों-सौकड़ों उनके अवान्तर-भेद हैं; पर दो भेद मुख्य हैं— १—आस्तिक और २—नास्तिक। हमारे छह मुख्य दर्शनों में भी कई ऐसे हैं, जो ईश्वर की सत्ता नहीं मानते। पर हिन्दू-जाति उन सभी दर्शनों में आध्यात्मिक रस लेती रही है। धर्म सब का एक—मानव-धर्म। और जगह यह बात नहीं। ईश्वर को न माननेवाला व्यक्ति अपने आपको 'मुसलमान' या 'ईसाई' नहीं कह सकता। कारण, ये सब मजहब है, मत है, सम्प्रदाय है। हिन्दू जाति कोई 'सम्प्रदाय' नहीं है, जैसा कि लोग गलती से समझने लगे हैं। माँस खानेवाला भी हिन्दू और न खानेवाला भी। ईश्वर को माननेवाला भी हिन्दू और न माननेवाला भी। वेद को 'परम प्रमाणम्' माननेवाला भी हिन्दू और

भण्डधूर्तनिशाचरा' कहकर वेद की निन्दा करनेवाला भी हिन्दू ! कारण, 'हिन्दू' जाति है। समाज को अहित पहुँचाये बिना कोई भी व्यक्तिगत जीवन तथा विश्वास में स्वतंत्र है। इसीलिए हिन्दू-धर्म को 'भहान्' कहा गया है; क्योंकि वह मानव-धर्म है, और देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार इसमें परिदर्तन-परिवर्द्धन की छूट है। कहना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने धर्म की पूर्ण व्याख्या की है। इसे समझने सकने के कारण ही लोग कुछ-का-कुछ कहने-समझने लगे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म चलाया गया ! यही घृणा का बीज। इसे स्पष्ट करने की जरूरत है।

आज चर्चा है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जारी की जाय, या नहीं ! लोग कहते हैं, किस धर्म की शिक्षा जारी की जाय। हम कहते हैं, मानव-धर्म की शिक्षा दी जाय, किसी मत-मजहब की नहीं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह प्रयास है।

यज्ञ के संबन्ध में मेरी एक नयी उद्भावना है, जो विद्वानों के पढ़नेयोग्य चीज है। इससे धर्मसंबन्धी एक बड़ा अन्धकार तो दूर होगा ही; काव्य तथा साहित्यशास्त्र में फैली हुई एक आन्त धारणा भी समाप्त होगी। मेरा विचार है, इस यज्ञ-संबन्धी उद्भावना का अंगरेजी अनुवाद छपवाकर पाठ्यात्य विद्वानों के पास भेजा जाय, जो भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत-साहित्य की शोध का काम करते हैं। मुझे विश्वास है, मेरे विचार से वे सहमत हो जायेंगे, और उनकी यह गलत विचार-धारा इससे बदल जायगी कि वेद-युग के लोग आग-पानी आदि प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा करते थे।

## धर्म और सम्प्रदाय

### प्रारंभिक

जब यह मनुष्य नाम का प्राणी अपनी विदेश-बुद्धि के द्वारा कुछ ऊपर उठनेवाला और यात्रावर (धूमकेड़) तथा बन्धजीवन की जगह नागरिक या बस्तीदारी का जीवन अपनाने लगा, तो सहयोग-सङ्घावना का विकास हुआ। अपने नव (नागरिक) जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए उस समय के बच्चियों ने कुछ नियम बनाये। समाज-व्यवस्था के लिए वैसे नियम बनाना अनिवार्य था। जंगली जीवन में कोई नियम-बन्धन न थे। चाहे जिसे चाहे जो मार देता था। चाहे जिसका भोजन चाहे जो छीनकर या चुराकर खा लेता था! किसी भी स्त्री को कोई उठा ने जाता था! बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था न थी। स्त्री-पुरुष का भी व्यवस्थित सहयोग न था। ठीक वही स्थिति थी, जो बन्दर या बन-मानसों की देखती जाती है।

धीरे-धीरे मनुष्य को बाणी निकली। भाषा बनी और इसमें विकास होने लगा। बुद्धि-विवेक जागृत हुआ और सोचा जाने लगा कि इधर से उधर भागते रहने का यह यायावर-जीवन या जंगली जीवन छोड़कर एक जगह बस्ती बनाकर रहना अधिक अच्छा है। घर बनाना आ गया, पशु-पालन तथा खेती करना आ गया और विवाह-प्रथा का जन्म एवं विकास हुआ। बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पुरुष ने भी ली। स्त्री और पुरुष के काम का वंटवारा हुआ। बच्चे को साथ लेकर कठिन परिश्रम करने में स्त्री को उतना सक्षम न देखकर इसे घर पर सञ्चित

भोज्य सामग्री तथा पशुओं आदि की रखवाली के लिए रहना ठीक समझा गया और पुरुषवर्ग योग-क्षेम का भार अपने ऊपर लेकर वाहर के सब काम करने लगा। परन्तु स्त्री फिरभी पुरुष की अपेक्षा निर्वल थी; अतः (पुरुष की अनुपस्थिति में) दूसरे लोग आकर उसके भोज्य पदार्थ तथा पशु आदि छीनते-चुराने लगे। स्त्री बेचारी अपने छोटे बच्चों को संभालती था उनसे लड़ती? लड़ने पर भी क्या गति! इस तरह अव्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ नियम बने और कहा गया कि इन नियमों का पालन सबको करना चाहिए। कहा गया—हमारा धर्म है कि इन नियमों का पालन करे। यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है। उन नियमों में से कुछ ये हैं—

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमित्रिधनिप्रहः ।

—अहिंसा हमारा प्रथम धर्म है। एक-दूसरे को मारना ठीक नहीं है। सचाई का वर्ताव आपस में करना चाहिए। किसी की चीज़ चुराना-छीनना बुरा है। यह काम न करना चाहिए। मन में दगावाजी रखना बुरा है। सफाई अच्छी चीज़ है। अपने मन को तथा आँख आदि को बस में रखना चाहिए। यह नहीं कि किसीकी कोई अच्छी चीज़ देखी और उसे ले नेने की मोचने लगे या जलने लगे! अपनी चीज़ में ही सन्तोष से मुख लो; उसीसे काम चलाओ।

इन्हीं नियमों को बढ़ाकर दस की सच्या तक पहुँचाया गया और कहा गया—‘दशकं धर्मलक्षणम्—धर्म के ये इस भेद हैं। आगे चलकर इसी तरह के और नियम-उपनियम बने। इस तरह धर्म या कर्तव्य-शास्त्र का विस्तार हुआ।

ऊपर ‘सामान्य धर्म’ का उल्लेख हुआ है। स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, भव को ‘अहिंसा’ आदि नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अनन्तर ‘विशेष धर्म’ सामने आये। स्त्री का पुरुष के प्रति तथा पुरुष का स्त्री के प्रति क्या धर्म या कर्तव्य है, इसके नियम बने। ये स्त्री-धर्म, पति-धर्म आदि ‘विशेष धर्म हैं।

इस प्रकार जब नियम बन गये और लोग उनका पालन करने लगे

तो जीवन सुखमय होने लगा। वह हाय-हत्या स्की और सुख-चैन की बृद्धि हुई। 'धर्म' इन कर्तव्य-नियमों को कहने लगे; क्योंकि मानव-समाज का धारण इनसे हुआ। इनसे अभाव में, - धर्म के अभाव में समाज छिप-भिज हो जाता और फिर वह जंगलीपन ! इसीलिए धर्म की प्रतिष्ठा हुई। परन्तु समाज में कुछ ऐसे लोग सदा से हैं, जो आमुरी प्रकृति प्रकट करके धर्म से असहयोग करते हैं। वे स्वार्थ के बशीभूत होकर धर्म की उपेक्षा करते हैं। उस युग में भी ऐसे लोग थे। उन्होंने कहा—‘हम तुम्हारे धर्म को नहीं मानते—हम तुम्हारे ‘सत्य-अहिंसा’ आदि के मिद्दान्त-नियम न मानेंगे। जैसा मन होगा, करेंगे। लूटेंगे, मारेंगे, चोरी भी करेंगे और सब-कुछ करेंगे।’

इस घोषणा से आवश्यकता हुई एक शक्ति की, जो इन लोगों को बलपूर्वक भी अधर्म-मार्ग से रोके। पुरुषों की अनुपस्थिति में यह धर्म-द्वारा ही पुरुष-दल सब कुछ छीन ले जाता था। रात में चोरी भी कर लेता था। औरतों को भी उड़ा ले जाता था। मार भी देता था। क्या किसा जाय ?

सोचा यह गया कि इस दस्यु-वर्ग से जान-माल बचाने के लिए एक शक्ति चाहिए। कुछ लोग इसके लिए नियत किये गये। वे दिन-रात चौकसी करते थे। किसी की चीज कोई चुराने-छीनने न पाता था। यदि कभी किसीको ये रक्षक लोग चोरी करते था किसीकी चीज छीनते था घोखा देते पकड़ लेते थे तो तरह-तरह की सजाएँ देते थे। सजा देने के नियम जबतक न बने, ये अपनी बुद्धि से चाहे जो सजा दे देते थे। हाथ काट लेते थे, आँख फोड़ देते थे, जान से मार देते थे। इस तरह ‘अहिंसा’ तथा ‘अस्त्रेय’ आदि धर्म की शक्ति से रक्षा हुई, उन नियमों का पालन जबर्दस्ती कराया गया। इस प्रकार समाज की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन कराने के लिए, जो विशिष्ट रक्षक रखे गये उनके भोजन आदि की व्यवस्था वे लोग करते थे, जिनके परिवारों की ये रक्षा करते थे। सब लोग अपने-अपने भोजन से थोड़ा-थोड़ा निकालकर इन रक्षकों के मुखिया को देते थे और वह सब को बाँटकर खाता था। यह आजकल के ‘राज्य-कर’ का पूर्वरूप था और वह उस तरह से समाज की

रक्षा ही 'राज्य-व्यवस्था' का आदि रूप है। जो नियम इत्त तरह बल-पूर्वक मनवाये गये, उन्हें ही आगे चलकर 'राज्य-नियम' कहा गया। 'अस्तेयम्'—चोरी न करना चाहिए, यह धर्म-नियम है। जब इस नियम का पालन वलात् कराया गया और कह दिया गया कि चोरी करने पर सजा दी जायगी तो, वही 'राज-नियम' या 'कानून' कहलाने लगा।

कुछ ऐसे भी धर्म-नियम हैं, जिन्हे राज्य के सिपुर्द नहीं किया गया। जैसे—गरीब की मदद करना भी धर्म है, पर इसमें जर्वदस्ती नहीं है। न करो, तो राज-दण्ड नहीं।

इस तरह धर्म के कुछ अङ्ग (नियम) तो राज-नियम बना दिये गये और कुछ स्वतन्त्र रखे गये। जो नियेधात्मक नियम थे—हिसा न करनी चाहिए, चोरी न करनी चाहिए (अहिसा-अस्तेय 'आदि')—जिनका पालन न करने से समाज के मूल पर ही कुठाराधात था, उनका कड़ाई से पालन कराया गया और उन्हे 'राज-नियम' बना दिया गया। दान, परोपकार आदि को मुक्त रखा। स्पष्टतः आज धर्म के नियमों में से कुछ तो कानून के रूप में आ गये हैं और शेष सब 'नागरिक कर्तव्य' के नाम से जाने, माने लगे। अर्थात् समाज को धारण करने के लिए जो नियम बने, वे दो भागों में आगे चलकर विभक्त हो गये। 'नागरिक धास्त्र' में जो कर्तव्य बताये गए हैं, वे धर्म हीं तो हैं। वस, यही संक्षेप में धर्म है। कर्तव्य-धास्त्र ही पहले 'धर्म-शास्त्र' के नाम से चलता था।

### विधि और निषेध

कर्तव्य या धर्म के दो भुख्य भेद हैं १ सामान्य और २ विशेष। 'सामान्य' धर्म सब के लिए होता है। 'अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयम्, शौचम्, इन्द्रिय-निग्रहः' आदि 'सामान्य धर्म' हैं। सबके लिए इन नियमों का विधान है। और, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का राजा (सरकार) के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, सत्तान का अपने माता-पिता के प्रति क्या धर्म है, ये सब 'विशेष धर्म' हैं; ये दोनों धर्म फिर 'विधि-निषेध भेद से दो प्रकार के हैं। 'असहाय पर दया करनी चाहिए' यह 'विधि'

है और 'हिंसा न करनी चाहिए' 'निषेध' है। 'असत्य न बोलना चाहिए' 'निषेध' है और 'सत्य बोलना चाहिए' 'विधि' है। कहीं-कहीं 'विधि' पर ही अधिक जोर है; जैसे 'सत्य वद'—सच बोलो; सच बोलना ही चाहिए। यहाँ 'असत्य न वद' कहने से काम न चलेगा; इसीलिए 'सत्य वद' यों 'विधि' की है। मान लीजिए, आपके सामने किसी शक्तिशाली दुष्ट ने किसी निरपराध निर्वल को मारते-मारते बेदम कर दिया और उसके घरवालों की भी बे-इज़ज़ती की। आपमें इतनी भामध्ये नहीं कि उस दुष्ट का सामना करके उन असहायों की रक्षा करले। कुछ बोले, तो आपभी ले लिये जायें। आपने एक धर्म की उपेक्षा की; असहाय की मदद नहीं की। आप में शक्ति न थी; इसलिए आपकी यह धर्म-उपेक्षा सह्य है। परन्तु, यदि वह सत्ताया हुआ व्यक्ति राज्य-न्यायालय में जाता है। राज्य की पुलिस उस दुष्ट को पकड़ लेती है और उसपर अभियोग चलता है। इस समय आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित किया जाना है और आप 'किसी भगड़े में पड़ना भंझट का काम है' समझकर ऊपर रहना चाहें, तो क्या ठीक होगा? आप कहें—मैं झूठ तो बोलूगा नहीं कि "यहाँ कोई मार-पीट नहीं हुई!" और न यही कहूँगा कि "पुलिस ने जिसे अभियुक्त बनाया है, वही वहाँ मारा-पीटा गया था।" ऐसा 'असत्य-भाषण' अधर्म है। "मैं ऐसा पाप न करूँगा।" तो, इतने मात्र से आपका कर्तव्य पूरा न होगा। 'असत्य न वद' से ही काम न चलेगा। 'सत्य वद' इस विधि का पालन करना होगा। सच वात कहनी ही होगी और उस दुष्ट को राज-शासन द्वारा ठीक कराना होगा। तभी समाज की शान्ति और मुव्यवस्था स्थिर रह सकेगी। इसीलिए 'असत्य न वद' इस निषेध को ही नहीं, 'सत्य वद' इस 'विधि' को आगे रखा गया है।

झूठ बोलना अपराध है; क्योंकि दूसरों को धोखा देने का यह साधन है। धोखा देने से या ठग-विद्या से समाज-च्यवन्धा बिगड़ती है। इसीलिए इस 'धर्म' का पालन राज्य द्वारा बलात् कराया जाता है। ऐसा झूठ बोलना राज-नियम के अनुसार 'अपराध' है, जिससे दूसरों को धोखा दिया जाय। भारतीय दण्ड-विधान की धारा ४२० बहुत प्रसिद्ध है। परन्तु विधि 'सत्य वद' को भी कहीं-कहीं कानून में ले लिया गया है किसी फौजदारी

मामले में आपको पुलिस प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में चाहे और आप कहे कि मैं कुछ न कहूँगा, अदालत में न जाऊँगा, तो यह आपका अपराध समझा जायगा और सजा मिलती है, इसके लिए। यहाँ 'सत्य वद' विधि जबर्दस्ती मनवाने का प्रयत्न राज्य न करे, उस 'धर्म' को कानून का रूप न दे दिया जाय, तो समाज का काम न चले। तब राज्य-शासन कैसे किसी दुष्ट को ठीक करेगा? इसीलिए कभी-कभी 'विधि' रूप धर्म भी राजनियम बन जाते हैं।

'दान करना चाहिए' यह 'विधि' है। दान एक बहुत बड़ा अंग है धर्म का। कारण, दान के द्वारा समाज के अनेक उत्तम कार्य होते हैं। पाठशाला, धर्मशाला, कुएँ, तालाब, छावनी-वृत्तियाँ आदि 'दान' से ही सम्पन्न होनेवाले काम हैं, जिनसे समाज को सुख मिलता है। परन्तु साधारणतः 'दान' 'विधि' को स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। दान करो, तो उत्कर्ष होगा; न करो, तो कोई जोर नहीं। यह साधारण स्थिति है। परन्तु अत्यन्त आवश्यक स्थिति में 'दान' भी जबर्दस्ती करा लिया जाता है। 'दान' की विधि भी कानून का रूप धारण कर लेती है। चौरी, डाका, लूट-खसोट, हिंसा आदि अधर्म को रोकने के लिए राज्य ने पुलिस तथा न्यायालय आदि विभाग स्थापित किये। धर्म का एक अंग 'विद्या' भी मनुजी ने बताया है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रिसिपल-प्रोफेसर वैसे और उतने अपने यहाँ नीकर रख नहीं सकता। गरीब की तो बातही दूसरी है, धनी भी शिक्षा का वैसा प्रबन्ध नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य ने शिक्षा-विभाग स्थापित किया। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बने। तो विधि-निषेध के इन कामों के करने के लिए राज्य को पैसा कहाँ से मिले? शिक्षा में कहाँ से खर्च किया जाय? निषिद्ध (चौरी, हिंसा आदि) कामों को रोकने के लिए पुलिस रखना आवश्यक और उसके लिए धन चाहिए। यह कहाँ से आये? जनता को 'दान' देने का उपदेश इसीलिए है। परन्तु सम्भवतः अपनी राजी से बहुत कम लोग राज को इन कामों के लिए 'दान' दें, यदि स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाय। तब समाज का काम न चल करेगा। इसीलिए राज्य ने जबर्दस्ती 'दान' लेने की व्यवस्था की

इसीको 'कर' कहने हैं। इतनी आय पर इतना 'दान' राज्य-व्यवस्था के लिए करना ही होगा; अन्यथा बलपूर्वक ले लिया जायगा। यही राज्य द्वारा गृहीत 'दान' 'कर' है, जिससे सड़कें बनती हैं, रोशनी होती है और नदियों पर पुल बनते हैं। सबको आराम मिलता है।

इस तरह 'विधि' तथा 'निषेध' अनिवार्य समझे जाने पर 'राजनियम' में ले लिये जाने हैं।

कहा गया है कि धर्म की व्यवस्था समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि के लिए है। हो सकता है, एक नियम समाज के सुख को ध्यान में रखकर जब-कभी बनाया गया हो, पर आगे चलकर किसी समय वह नियम अनावश्यक हो जाय; उससे समाज को हानि पहुँचने लग जाय। तब उस नियम को हटा दिया जायगा। इसी तरह किसी समय किसी नये नियम की उद्भावना भी होगी। देश, काल तथा पात्र के भेद से धर्म-भेद हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि। इसके ही लिए सब नियम होने चाहिए। धर्म से सुख होता है। सुख अपना भी और समाज का भी। और समाज मुख्य है और उसीमें हम भी हैं। धर्म के सब नियम इसी कसीटी पर कसे जायेंगे। हमारे यहाँ बड़ी उदारता से कहा गया है—

**'थतोऽभ्युदयनिः थेयससिद्धिः स धर्मः'**

—जिससे अपनी उन्नति हो और कल्याण (मोक्ष) सुलभ हो, वही 'धर्म' है।

चोरी से चोर का 'अभ्युदय' तो है; बहुत साधन तुरन्त घर में आ जाता है; परन्तु उससे उसका कल्याण नहीं। आगे मुसीबत में पड़ेगा, जेल काटेगा, बन्धन में पड़ेगा, मुक्त न रह सकेगा। समाज उसे खुला न छोड़ेगा। इसीलिए उसका वह काम (चोरी) धर्म नहीं, अधर्म है। जिससे 'यह लोक' बने, अपने को सुख मिले और 'परलोक' भी बने, दूसरे लोग भी सुखी हों, वह 'धर्म' है। 'जियो और जीने दो' का सिद्धान्त ही धर्म का मूल है। यही कसीटी है। इसके अनुसार धर्म के नियमों में फरफार दृष्टा करता है हमारे यही यह नहीं कहा गया है कि वशिष्ठ

या याज्ञवल्क्य ने जो कुछ वह दिया, कही 'धर्म' है ! सम्भव है, जिस समय उन्होंने धर्म के बे नियम बनाये थे, उससे आज भिन्न स्थिति हो। तब हम उन नियमों में बैठे कैसे रहेंगे ? हमें आवश्यकता के अनुसार उन नियमों में फेर-फार करना होगा। कुछ मजहबों में कह दिया गया है कि 'जो कुछ यहाँ लिख दिया गया है, वही धर्म है !' यह गलत चीज़ है। इसीसे जड़ता बढ़ी और 'धर्म' के नाम पर सून-खराबियाँ हुईं। वास्तविक धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ एक कसौटी दी गयी - 'यतोऽभ्युदय-निःश्रेयसस्तिद्धिः स धर्म' । प्रत्येक धर्म को, नियम को, इसपर क्ष लो। कितनी 'छूट' है ! हमारे धर्मचार्यों ने बुद्धि पर जोर दिया है और कहा है कि प्रत्येक नियम की बुद्धि से परीक्षा करो और देखो कि वह तुम्हारे अभ्युदय तथा निःथेयस् में सहायक है कि नहीं। यदि सहायक है, तो उसे 'धर्म' कहें और वाधक है तो अधर्म'। श्रीकृष्ण ने कहा है—'बुद्धी शरणमन्विच्छ्य'—बुद्धि का सहारा लो। 'गायत्री' मन्त्र वेदों का सार है, जिसमें भगवान् से यही प्रार्थना की गयी है कि हमारी बुद्धि (यहाँ बुद्धिवाद में दृढ़ता) की कामना की गयी है जो मानव-जीवन का मूल है। कहा गया है कि अपनी बुद्धि में सोचो, कौन वात क्यों ठीक है ! कोई भी चाहे जैसे नियम बनाकर 'धर्म' के नाम पर चला दें, यह कहकर कि मैं 'ईश्वर का दूत हूँ', तो क्या हमें आँखे मूदकर वह सब मान लेना चाहिए ? नहीं, ऐसा मानना अधर्म होगा। हम समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि के लिए बुद्धि की कसौटी पर किसी की भी वाते कसेंगे और तब माननेयोग्य मानेंगे, न माननेयोग्य न मानेंगे। इस 'बुद्धिवाद' का तिरस्कार कर देने से ही वे सब पन्थ चले, जहाँ कहा गया कि 'जो इस मजहब में न आये, उसे अधर्मी समझकर कत्ल कर दो ; क्योंकि उसका कत्ल कर देना धर्म है और इससे तुम्हें स्वर्ग-लोक की प्राप्ति होगी !' ऐसे ही जड़वादों से संमार में अनेक बार 'कत्लेआम' हुआ है। मानव-धर्म में इस जड़वाद की जड़ ही काट दी गयी है। क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसकी पहचान के लिए कुछ निर्देश है। मनुजी ने लिखा है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

यतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात्तद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

धर्म का लक्षण—कर्तव्य की पहचान—चार तरह से कर सकते हों : वेद (ज्ञान) धर्म में प्रमाण है। स्मृति या धर्मशास्त्र भी धर्म का स्वरूप बतलाते हैं। सत्पुरुषों के आचरण देखकर भी कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध हो जाता है। और इन सबपर मुहर है अपनी अन्तरामा की। मन स्वयं कह देता है कि यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। सो, मन या बुद्धि को धर्म-निर्णय में प्रभुख स्थान प्राप्त है।

युग के अनुमार भी कर्तव्य-कर्म बनते बदलते हैं। एक समय में जो दुःखदायक है, दूसरे समय में वही सुखदायक हो सकता है। नयी समस्याएँ भी खड़ी हो सकती हैं। मुख्य उद्देश्य सामने है—समाज की सुख-समृद्धि। उसमें सहायक जो हो, वही कर्तव्य, धर्म। उसमें वाधक हो, वह अधर्म। यही कारण है कि युग-युग में धर्म या कर्तव्य कर्मों में किंचित् फेर-फार होता रहा है। मनु ने लिखा है—

अन्ये कृतयुगे धर्मस्त्रेतायां द्वापरे परे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥

—मनुष्यों के धर्म या कर्तव्य मनयुग में कुछ और थे और वेता तथा द्वापर में कुछ और। कलियुग में कर्तव्य-कर्म कुछ और हो गये हैं। युग-ह्यास या काल-क्रम के अनुमार (परस्थितियों बदलने से,) कर्तव्य-कर्मों में फेर-फार होता है। समय-समय पर अनेक स्मृति-ग्रन्थ या धर्म-शास्त्र बने और उनमें परम्पर कहीं-कहीं बहुत मन-भेद है। इसका कारण यही है कि एक का प्रणयन एक समय में हुआ, दूसरे का दूसरे समय। वेद-मूलक सभी अपने को कहते हैं। कारण, वेद का तो उपदेश ही यह है कि धर्म का आचरण करो और अशुद्ध तथा निःश्रेयस्—इस लोक में उन्नति और बाद में सद्गति—प्राप्त करो। वेद यह भी कहते हैं कि धर्म का निर्णय बुद्धि से करो। प्रत्येक जन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय किसीभी शास्त्र में हो ही नहीं सकता है। सो, वेद भगवान् की आज्ञा के अनुमार युगानुरूप विभिन्न स्मृति-ग्रन्थों का निर्भाण समय-समय पर हुआ। यदि कही किसी स्मृति में कोई वात ऐसी है, जो वेद-विरुद्ध भालूम दे तो उसे न मानने के लिए स्वर्ग मनजी कहते हैं—

या वेद-वाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुट्टिष्ठः ।  
ताःसर्वा निःफला प्रेत्य तपोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥

जो धर्म-ग्रन्थ वेद-विश्वद्वारा हों और जिनमें सूक्ष्म विष्ट का अभाव हो, वे सब व्यर्थ हैं। उनसे धर्म-निर्णय हो नहीं सकता। वे चलकर अखंकार में पहुँचे-पहुँचाएंगे। वेद, ज्ञान। वेदवाह्य स्मृति, अज्ञान से भरे 'धर्म-ग्रन्थ,' त्याज्य।

और, यह सब निर्णय बुद्धि में होगा कि कौन-सा धर्म-ग्रन्थ वेद-वाह्य है। वेद ही धर्म का उत्तम लक्षण क्यों है? बुद्धि से देखो और चीज पहचानो। इस तरह यहाँ 'अन्तरात्मा' को धर्म में प्रमाण माना गया है। आत्मा तुरन्त बोलती है कि यह काम अच्छा है और यह बुरा। उस (आत्मा) की बात स्वार्थ के कारण कोई न माने, 'आत्म-हृत्या' करे, तो इसका क्या उपाय? यही असली 'आत्म-हृत्या' है, जो 'महापातक' करके धर्म-ग्रन्थ में उल्लिखित है। जिसकी आत्मा ही मर गयी, उस से क्या धर्म-कर्म की आशा! वह सब कुछ कर सकता है—राक्षस वन सकता है।

मो, युग के अनुसार कर्तव्य-कर्मों में फेर-फार हुआ करता है, होता आया है, होता रहेगा। व्यक्ति-भेद से या देश-भेद से भी कर्तव्य-भेद होता है। इस तरह धर्म या कर्तव्य की कोई इयत्ता नहीं, कोई संस्था नहीं। सर्वत्र बुद्धि को काम में लाना पड़ेगा।

### मनु के निर्देश—'दशलक्षण धर्म'

कहा गया है कि उन कर्तव्य-कर्मों को धर्म कहते हैं, जिनसे अमृदय तथा निःशेयस् की प्राप्ति हो। यह भी कहा गया कि बुद्धि से सालूम करो, क्या कर्तव्य तथा क्या अकर्तव्य है। मनु ने नमूने के तौर पर दस प्रकार लिखे हैं, जो इस तरह के अन्य कर्तव्य-कर्मों के उपलक्षणमात्र हैं। अर्थात् जो अन्य सद्गुण या सत्कर्म इस 'दशलक्षण' में नहीं आये हैं, उनका भी संकेत। मतलब यह कि ये जो दस बातें वत्तायी हैं, इसी तरह की अन्य भी धर्म में सम्प्रलिप्त हैं हो सकता है मनु से पहले समाज में इन्हीं दस

वातो पर अधिक जोर दिया हो और मनु ने ज्यों का त्यों लिख दिया हो। है भी ये दस अत्यन्त आवश्यक, समाज-संचालन के लिए। देखिए—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।  
धीर्विद्या सत्यमकोष्ठो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

ये दस धर्म के लक्षण या उपलक्षण हैं—१—धृति, २—क्षमा, ३—दम, ४—अस्तेय, ५—शौच, ६—इन्द्रियनिग्रह, ७—धी, ८—विद्या, ९—सत्य और १०—अक्रोध।

धृति = धैर्य, जो व्यक्ति तथा समाज के लिए बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना न व्यक्ति का काम चल सकता है, न समाज का। क्षमा की उपयोगिता के बारे में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 'दम' कहते हैं मन को बस में रखने को, जो धर्म का मूल ही है। जिसका मन बस में नहीं, वह बुरे-से-बुरा काम कर सकता है। 'अस्तेय' कहते हैं चोरी न करने को। समाज का यह सबसे बड़ा अपराध है। सब से ज्यादा इसका जोर है। इसे हटाना एक बड़ा धर्म है। इन्द्रिय-निग्रह का कहना ही क्या। लोग आँखों के और रसना आदि इन्द्रियों के चक्कर में आकर बड़े से बड़ा अपराध कर बैठते हैं। इन्द्रिय-निग्रह करना धर्म है; बहुत बड़ा धर्म है, धर्म की जड़ है। धी (बुद्धि) से काम लेना भी हमारा धर्म है। भेड़-चाल मिटाना पुण्य कार्य है। विद्या तो धर्म है ही। विद्या हमारा वर्म या कर्तव्य है और इसमें फिर आगे धर्म-निर्णय करने में मदद मिलती है। 'सत्य' का धर्म में क्या स्थान है, सब जानते हैं। इसके बिना व्यक्ति या समाज का काम चल नहीं सकता। व्यापार तो नष्ट हो ही जाता है। सचाई का बर्ताव करने के कारण ही दूसरे देशकाले अरबों रुपये कमाते हैं और सात समुद्र पार यहाँ बैठे हुए हम करोड़ों के आर्डर रोज उन्हें देते रहते हैं। हमारे यहाँ नमूना कुछ देंगे, माल कुछ देंगे! ऊपर कुछ है, भीतर कुछ! इसीलिए व्यापार नहीं चलता है। 'सत्यनारायण' की कथा में यहीं सब समझाया है। सत्यनारायण का 'ब्रत' भंग कर देने के कारण उस व्यापारी के बे भरे-भराये जहाज हड्ड गये थे। फिर सत्यनारायण का ब्रत लिया, फिर माला-माल यह का ब्रत है' क्या जिसका इतना माहात्म्य?

दिनभर भूखा रहना मात्र ? भूठ वात है । 'सत्य' ही नारायण है । सत्य-नारायण का व्रत'—सत्त्व बोलने की पवित्र प्रतिज्ञा । इसी व्रत का यह माहात्म्य है । क्रोध न करना भी मनुष्य के धर्म है । क्रोध से भी बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं ।

इस तरह ये दस भेद हुए । इसी तरह दान, परोपकार आदि भी समझिए, जिनका इसमें उल्लेख नहीं है । वस्तुतः ये दस धर्म के मूल कारण समझे गये हैं ।

मनु ने अपने समय तक प्रचलित सभी कर्तव्यों का तथा शिष्टाचार आदि का उल्लेख किया है । वह समय अब से बहुत पहले का है । अनेक बातों में हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया है । फिर भी, मनु ने सूत्र दिया है कि वेद तथा धर्मशास्त्र से धर्म का निर्णय करो और सत्पुरुषों के आचरण देखो, शिक्षा लो । सब से ऊपर तुम्हारा अन्तरात्मा है, धर्म का निर्णय करने में । अपनी वृद्धि से काम लो, सब स्पष्ट हो जायगा । यह बहुत उत्तम पहचान है ।

मनु ने धर्म का निर्णय बड़े विस्तार से किया है । सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद्धर्म आदि का वर्णन अलग-अलग किया है । राज-धर्म के वर्णन में राज-नीति का तत्त्व ही समझा दिया है । स्त्री-धर्म, पति-धर्म आदि सब कुछ है । यहाँ, अगले अध्याय में, मनु-स्मृति से कुछ वाक्य हम उद्धृत करेंगे । आप देखें, कैसे सुन्दर ढंग से धर्म-निरूपण किया गया है । इन धर्म-नियमों में से बहुतों को कानून का रूप मिल गया है, आजकल कुछ को 'नागरिक कर्तव्य' कहते हैं और कुछ 'शिष्टाचार' में गृहीत है ।  
१—परम धर्म

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तं एव च ।

तस्मादस्मिन् सदा युक्तो स्यादात्मवान् द्विजः ।

आचारविच्छयुतो विप्रो न वेदफलभश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत् ।

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

सबस्य तमसो मूरमाचार अण्डु परम ।

‘द्विज’ उस समय सुसंस्कृत जन को कहते थे, जिसे आजकल हिन्दी में ‘शिष्ट’ और अङ्ग्रेजी में ‘जेप्टिलमेन’ कहते हैं। धर्म तो इन्हींके लिए है। असंस्कृत लोग धर्म या कर्तव्य का विचार क्या जानें? सो मनुजी ने ‘द्विज’ के लिए आचार (आचरण) सबसे बड़ा धर्म बतलाया है। जिसका आचरण ठीक नहीं, चाल-चलन खराब है, वह चाहे जितना पढ़ा-लिखा (वेदविद) हो, कभी जीवन में सफल न होगा।

मनुजी कहते हैं—आचरण सब से बड़ा धर्म है। वेदों में और धर्म-ग्रन्थों में आचरण अच्छी तरह समझाया गया है। इसलिए द्विज को सदा इस—आचरण—पर ध्यान रखना चाहिए। और यह तब हो सकता है, जब ‘आत्मवान्’ बनोगे; मन तुम्हारे वस में हो। मन-चले आदमी कभी भी अपना आचरण ठीक नहीं रख सकते।

—आचरण-हीन द्विज अपनी विद्वत्ता का, अपने जान का फल प्राप्त नहीं कर सकता। कोई दी० ए०, एम० ए० यदि चौर या लकंगा हो तो उसे कैसे कोई उत्तम पद मिल सकेगा? उसका तो पतन होगा। हाँ, विद्वत्ता के साथ-साथ यदि आचरण भी ठीक है, तो सर्वथा उसे सफलता मिलेगी।

—इस तरह के आचरण पर ही मूलियों ने धर्म—कर्तव्य-शास्त्र—का सब कुछ देखकर इसे सब तपस्याओं का मूल बनलाया है—जड़ उन्होंने घकड़ी है।

सच पूछो तो ये वाक्य सम्पूर्ण धर्म-शास्त्र के सार हैं। कर्तव्य-शास्त्र ‘पढ़ने से कुछ नहीं होता, जबतक अपने आचरण में उसे पूरा न उतारो।’ धर्म के जो अङ्ग—सत्य-अहिंसा आदि—बताये हैं, उन्हें जान लेने से काम न चलेगा, उनपर आचरण करने से फल मिलेगा। धर्म का फल है—समाज की सुख-समृद्धि और उस समाज में हम सब हैं। ‘सत्य बोलता बड़ा अच्छा है’ कहने से काम न चलेगा,’ जबतक उसे अपने आचरण में न उतारोगे। सचाई के व्यवहार से ही तुम सुख याओगे। सत्यनारायण के ब्रत का माहात्म्य है; पर एक दिन उपवास करने का नहीं। सत्य का भजाक करते हैं लोग सब ही क्यों धर्म के सभी अङ्गों का यही भजाक

'महात्मा गांधी की जय' बोलते हुए और अहिंसा के गीत गाते हुए हजारों लोगों ने बड़ी क्रूरता के साथ निरपराध लोगों का कल्प किया; यह हमने देखा। यह 'अहिंसावाद' का और महात्मा गांधी की अनुवायिता का मजाक! इससे तो संसार में और अधिक पश्चुता बढ़ती है। इससे तो वे जगली ही अच्छे, जो सत्य और अहिंसा आदि धर्माञ्जलों की बात ही नहीं जानते। कानून को जानकर उसका उल्लङ्घन करना बहुत बड़ा अपराध है।

आजकल 'धर्मत्मा' लोगों में आचार का न्यारा ही अर्थ लिया जाता है। जो किसीके भी हाथ की बनी रोटी न खाता हो, लकड़ी भी धोकर रसोई में जाती हो और पानी से नहीं, दूध से आटा मसलता हो और तब पूँडियाँ बनाकर खाता हो, वह आचार-विचार रखनेवाला कहा जाता है। भले ही फिर वह तुम्हें काटने दौड़ता हो, स्वार्थी हो और स्पष्ट कहता है—'हमें दुनिया से क्या मतलब'! स्वामी श्रद्धानन्दजी अपने कुटुम्ब की एक चर्चा किया करते थे—

"हमारे यहाँ एक रसोइया नौकर था—गौड़ द्राह्यण। मेरे पिनाजी पुलिस-कोतवाल थे। हम लोग छोटे थे और छुआछूत की बातें न जानते थे। कभी धोखे में भी पाँव चौके के भीतर पड़ जाता तो वे महाराज बहुत बिगड़कर कहते—हम (कोतवाल साहब से) बाबूजी से कह देगे कि हम धर्म अष्ट कराने नहीं आये हैं। आचार-विचार हम न खोयेगे। हमने चाहे चोरी की हो, चाहे भूठ बोला हो और चाहे जो किया हो, पर अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा है। हम अपना आचार-विचार न छोड़ेंगे, चाहे जो हो!"

बस, इस तरह लोग धर्म को न जाने क्या समझते हैं और आचार को तो जो-कुछ समझते हैं साफ ही है! इसीलिए सब गड़बड़ हैं।

वस्तुतः आचार पर अत्यधिक जोर ऋषि-मुनियों ने इसीलिए दिया है कि यही तो 'म्याऊँ का ठौर' है। धर्म को जान लेना मामूली बात है उसपर आचरण कठिन है। कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना और दया करना धर्म है। परन्तु आचरण में कितने खरे उत्तरते हैं? फिर भी वे रूपये के बल पर 'धर्मवीर और धर्मवितार' कहलाते हैं। लोगों का

सला काटकर दस-बीस लाख पैदा किये और उसमें से दस हजार 'गुरुकुल' की दान कर दिये तो उत्सव पर लाखों की भीड़ में डंका बज जायगा—“श्रीमान् धर्मदीर…… महाशय ने वैदिक धर्म के लिए दस हजार दिये हैं।” सनातन धर्म-सभा को कुछ टुकड़ा फैक दिया तो ‘धर्मवित्तार’ ! इस तरह आजकल लोग धर्म भी खरीद लेते हैं। उनके सब दुराचार दबा दिये जाते हैं। ‘धार्मिक’ संस्थाओं के द्वारा ही ! धर्म तथा आचरण का दोंग सर्वत्र बढ़ रहा है। आचरण-हीनता बढ़ रही है और उसे बढ़ाया अंग्रेजी राज्य ने, उससे भी अधिक रँगीली और रसीली कहानियोंने, जिन के कई मातिक पत्र निकल रहे हैं ! इससे भी अधिक तरंगे रूप में सिनेमा आये ! रेडियो के गन्दे गाने तो मामूली चीज़ हैं। ये सब मिलकर स्वतःउद्भूत कामाचार की आग में आहुति डाल रहे हैं और राष्ट्र के आचार को भस्म किये दे रहे हैं। राज्य को सचेष्ट होना चाहिए और आचरण पर जोर देने के लिए शिक्षण-संस्थाओं की प्रवृत्ति बेसी करनी चाहिए ।

## २—कामता

कामात्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमो, कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

— एकदम कामनाओं में छूट जाना अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसा होने पर कर्तव्य-निष्ठा में वाधा पड़ सकती है। परन्तु इस दुनिया में एकान्तता कामना-रहित हो जाना भी सम्भव नहीं। मतलब यह कि कामनाओं को कर्तव्य पर हावी न होने दो और उनपर धार्मिक नियन्त्रण रखो। सबसे अच्छी कामना तो ज्ञानार्जन की होनी चाहिए—‘काम्यो हि वेदाधिगमः।’ इसके बाद, नहीं, इसके साथ ही, दूसरी कामना कर्तव्यभार्ग पर दृढ़ रहने की होनी चाहिए—‘कर्मयोगश्च वैदिकः काम्यः।’ केवल ज्ञान किस काम का, जहाँ कर्तव्य-भावना न हो और कर्तव्य भी ज्ञान के बिना क्या होगा ? कर्तव्य का निश्चय ज्ञान से होगा और फिर उसे पूरा करने के लिए ज्ञान चाहिए सो विश्वा और कर्तव्य ये दो काम्य विषय होने चाहिए

शेष सब नैसर्गिक कामनाओं पर अंकुश रहना चाहिए ।

जो लोग कहते हैं, उपदेश करते हैं, कि कामना-रहित हो जाओ, के सासार की नैसर्गिक धारा को समझते नहीं हैं । उसे रोका नहीं जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और बहुत-कुछ उसपर नियन्त्रण किया जा सकता है । वैसे भी महापुरुष हो सकते हैं, जिनके कोई कामना न हो; पर क्या ऐसे महापुरुष सैकड़ों और हजारों एकसाथ हो सकते हैं? और वे (महापुरुष) भी किसी के उपदेश से वैसे अकाम नहीं होते, स्वतः उन की वैसी प्रवृत्ति होती है । फिर उनके मन में भी लोक-कल्याण की भावना तो रहती ही है । वे भी कुछ चाहते ही हैं । तो कामना का नियन्त्रण जरूरी है और अच्छी चीज़ की कामना करनी चाहिए । ये दो बातें स्पष्ट हुईं । नैसर्गिक—धन-सम्पदा आदि की—कामनाओं पर कर्तव्य का अंकुश रहे । अकर्तव्य या अधर्म के मार्ग से उन कामनाओं की पूर्ति मत करो, उचित मार्ग से करो । और, जहाँतक हो सके, ज्ञान तथा कर्म-योग की कामना करो ।

### ३—अति भोजन

‘भोजन’ का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में है । ‘भोजन’ में ‘भूज्’ धातु है और ‘भोग’ में भी । प्रत्यय-भैद भर है । सो, ‘भोजन’ का व्यापक अर्थ यहाँ है—भोग-विलास और उसके साधन धन-दौलत । मनु कहते हैं—

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्गं चातिभोजनम् ।  
अपुण्यं लोक-विद्विष्टं तस्मात् तत्परिवर्जयेत् ॥

- ‘अति भोजन’—अत्यधिक ऐश-आराम में हूब जाना—बहुत बुरा है । ‘अनायुष्यम्’—विलासिता से आयु कम हो जाती है । बहुत विलासी लोगों को तपेदिक जल्दी होता है, जिसे सस्कृत में ‘क्षय’ कहते हैं । शरीर को धारण करनेवाली शक्ति का अतिशय क्षय हो जाने से यह रोग होत है, इसीलिये इसका नाम ‘क्षय’ है । ‘महाभारत’ में कथा है कि विचित्रवीर्यं राजा को क्षय हो गया था; क्योंकि वह बहुत विलासी था । ‘भोजन’= इन्द्रियों के भोग अधिक स्नाना मार लेता है उसी तरह औसो क

नशा भी नष्ट कर देता है। इसी तरह अन्यान्य इन्द्रियों समझिए। 'अति' सर्वत्र गहितम् । 'अस्वर्गम्—अति-भोजन से नरक भी मिलता है; क्योंकि लोगों को पीड़ा पहुंचाकर और कर्तव्य-च्युत होकर ही यह सम्भावित है। 'अपुण्यम्'—अति भोजन पाप भी है। तुम ने सौ मकान घेर लिये व्यर्थ । एक में नहाते हो, एक में कपड़े बदलते हो और एक में लोगों से गप-शप लड़ाते हो ! इसी तरह सौ आदमियों ने आधा शहर घेर लिया। गरीब कहाँ जाकर रहें ? वे जानवरों की तरह कहीं पड़ कर दिन काटते हैं तुम्हारे उस पाप से। तुमने एक मन दूध खरीद लिया और तुम्हारे कुत्ते भी दूध इतराकर पीते हैं ! इस व्यर्थ खर्च से दूध गरीबों के बच्चों को मिलता न ही। यह पाप ! 'लोक-विद्विष्टम्'—तुम्हारे इस 'अति भोचन' से लोक-विद्वेष बढ़ेगा। तुम्हारे विश्व लोक-वानावरण होगा और फिर समझ लो, इसका फल क्या होगा ।

'तस्मात् तत्परिवर्जयेत्'—इसलिए वैसी बात यदि हो, तो छोड़ देनी चाहिए; ठीक रास्ते पर आ जाना चाहिए, यदि कल्याण चाहते हो !

#### ४—सफलता की कुंजी

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं सथम्य भनस्तथा ।  
सर्वान् संसाधयेदर्थानक्षिण्वन् योगतस्तनुम् ॥

—अच्छी तरह अर्थ सिद्ध करना चाहिए—अर्थ-सिद्धि किंवा प्रयोजन-सिद्धि किंवा धन-प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। छात्र का प्रयोजन विद्या से है; गृहस्थ का काम अर्थ (धन) से चलता है; एक रणोन्मुख सैनिक का प्रयोजन शत्रु-विजय है। देश, काल और पात्र के भेद से संसाध्य अर्थ में भेद होता है। परन्तु इन सभी अर्थों की प्राप्ति या सफलता के लिए जरूरी है कि इन्द्रियों को वश में किया जाय। मन पर काढ़ हो। मन-चले लोग कभी कोई काम पूरा नहीं कर सकते।

मनु का कथन है इन्द्रियों को वश में करके और मन पर नियन्त्रण

विभिन्न अर्थों के सिद्ध करने में 'योग' से काम लेना चाहिए। योग क्या ? श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है— 'योगः कर्मयु कौशलम्'— काम करने में जो कुशलता है, वही 'योग' है। 'युक्ति' और 'योग' एक ही धारु से निष्पत्त है। युक्ति से काम करना चाहिए। और, विभिन्न अर्थों के सिद्ध करने में ऐसे न लग जाओ कि शरीर ही रोगी होकर नष्ट हो जाय ! 'अक्षिण्वन् योगतः तनुम्'— 'योग' से काम लेते हुए और शरीर को धक्का न पहुँचाने हुए। शरीर ही न रहा, तब धन का क्या होगा ?

सारांश यह कि सब प्रयोजन युक्तिपूर्वक सिद्ध करने चाहिए। सफलता के लिए मन और इन्द्रियों को बस में रखना जरूरी है। और, अर्थ-सिद्धि में ऐसे न जुट जाना चाहिए कि शरीर ही क्षीण हो जाय। सब कामों में 'योग' आवश्यक है। सामञ्जस्य का नाम योग है— 'समत्वं योग उच्यते'। सब चीज उचित मात्रा में।

#### ५—महान् कौन ?

कोई धन से किसीको बड़ा समझता है, कोई आयु से। 'वे तो बड़े आदमी हैं भाई' ऐसा आप सुनते हैं धनी लोगों के लिए। उम्र से भी 'बड़े' होते हैं। कहा जाता है, बड़े लोग जैसा करे, वैसा करना चाहिए। तो, 'बड़े' कौन ? धनी या आयु से बड़े ? किसकी बात मान-कर चलना चाहिए ? धनी को नेता बनाया जाय, या आयु में बड़ा हो, उमे ? मनुजी का उत्तर है—

न हायुतैनं पलितैनं वित्तेन न बन्धुभिः ।  
ऋषयश्चकिरे धर्मं योजनूचानः स नो महान् ॥

—उम्र में अधिक होने से या मिर के बाल सफेद हो जाने मात्र से ही कोई 'बड़ा' नहीं हो जाता है। धन से भी 'बड़ा' नहीं कहा जा सकता। किसीका कुटुम्ब बड़ा हो, उससे भी वह 'महान्' नहीं हो सकता। ऋषियों ने बताया है कि हम में जो अधिक ज्ञानवान् है, वही बुद्धि रखता है, वही 'महान्' है। पूर्वपिरविवेक जो रखता है, उस विद्वान् को 'अनूचान' कहते हैं। वही 'महान्' है। जिसमें यह गुण जितना ही अधिक होगा वह उतना ही महान्

सरकारी या साधारण सार्वजनिक संस्थाओं के निर्वाचन पर यह प्रसंग आता है। जब लोग कहते हैं—‘अरे भाई, बड़े आदमी को मेहर बनाना चाहिए। देखो, वे ऐसे हैं, वैसे हैं। लाखों-करोड़ों का लेन-देन है’, इत्यादि। जब इस तरह के लोगों के बल पर ये ‘बड़े आदमी’ कुर्सी पर पहुँच जाते हैं, तो होता क्या है? पार्टीबाजी और रूपये के बल पर मत-क्रय! साधारणतः आप कुर्सी पर बैठे ऊँचा करते हैं! बोलें क्या? रुपया तो बोलना सिखा न देगा! बोलना भी आये, तो क्या बोलें? स्वार्थ-त्याग या जन-हित की कोई बात कहने से रहे। जनता जाय भाड़ में। अपने काम की बात हो ही जाती है।

सो, समझो कि ‘महान्’ कोई उम्र अधिक होने से या धन से नहीं बन जाता है। ज्ञान मुख्य है।

#### ६—स्त्री—सम्मान

थत्र मार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।  
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥

—जहाँ स्त्रीयों को सम्मनापूर्वक रखा जाता है, वहाँ देवताओं का निवास समझता चाहिए। और जहाँ इनका निरादर होता है, वहाँ कोई काम अच्छा फल नहीं दे सकता; कोई भी काम ठीक नहीं होता।

शोचन्ति जाययो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।  
न शोचन्ति तु यत्रताः वद्धते तद्धि सर्वदा ॥

—जिस कुल में बहू-बेटियाँ शोक-सन्तप्त रहती हैं, दुखी रहती हैं, वह बहुत जल्दी नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। और जहाँ इन्हें सुखी तथा प्रसन्न रखा जाता है, वह कुल सदा सुख-समृद्धि से बढ़ता रहता है।

सन्तुष्टो जायया मर्त्ति मर्त्ति भार्या तथ्यव च ।

कुल के प्रत्येक सदस्य में परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न रखने की प्रवृत्ति आवश्यक है ; पर गृहस्वामिनी और गृहस्वामी में परस्पर सौहार्दं सब से अधिक जरूरी है ! और तो ठीक हो सकते हैं ; पर यहाँ यदि लड़ाई-भगड़ा हुआ, तो सम्पूर्ण कुल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । सन्तति पर भी वही प्रभाव पड़कर अमिट हो जायगा और यों एक बुराई की परम्परा चलेगी । इसीलिए, कुल में स्त्री-पुरुष के स्नेह-सौहार्दं पर सब से अधिक जोर दिया है ।

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।  
तस्यांत्वरोमानायां सर्वमेव न रोचते ॥

—स्त्री के प्रसन्न रहने पर सम्पूर्ण कुटुम्ब प्रसन्न रहता है और उनके कुढ़ने पर सम्पूर्ण कुटुम्ब हीन-दीन हो जाता है, मुरझा जाता है । सब पर असर पड़ता है । घर में सदा स्त्री रहती है । पुरुष का रहना तो प्रायः बाहर होता है । फलतः घर पर सब से अधिक प्रभाव भी इसी का पड़ता है ।

#### ७—अतिथि-सत्कार

आसनाशनशय्याभिरदिभ्रूलफलेन वा ।  
नाइस्यकश्चिमसेदगेहे शक्तितोऽनचितोऽतिथिः ॥

— गृहस्थ के घर में यदि अतिथि आये, तो उसको प्रेम-पूर्वक वैठाना चाहिए, भोजन तथा आवास की सुन्दर व्यवस्था करनी चाहिए । और कुछ न हो, तो साग-पात अथवा पीने के लिए जल ही उपस्थित करके उसका आदर करना चाहिए । शक्ति के अनुसार अतिथि-सत्कार गृहस्थ का कर्तव्य है । यह नहीं कि अतिथि को हलुवा-पूड़ी खिलाने के लिए रूपये उधार माँगते फिरो और अपने गरीब कुटुम्ब को उलझन में डाल दो अपनी ‘शक्ति’ के अनुसार सत्कार करो ।

न दं स्वयं तद्दशीयादतिथिं यन्त भोजयेत् ।  
षन्व्य ॥

—गृहस्थ को उचित है कि वह स्वयं ऐसी कोई बढ़िया चीज़ न खाय, जो अतिथि को न खिला सके। मान लो, तुम आध सेर दूध प्रति दिन पीते हो और अतिथि आने पर अधिक दूध लाने की शक्ति तुम से नहीं है; तो तुम भी उस दिन दूध मत पियो। हाँ, अतिथि को जो भोजन कराओ, तुम भी वही करो, ऐसी विधि नहीं है। अतिथि को गेहूँ की रोटी खिलाकर तुम चने की खा सकते हो।

अतिथि-मत्कार करके गृहस्थ धन्य होता है, यश का भागी होता है, आयुष्मान् होता है और इसके अनन्तर उत्तम गति को प्राप्त होता है।

समाज-व्यवस्था के लिए ही अतिथि-सेवा का विधान है। कोई कही का व्यक्ति तुम्हारे गाँव में किसी काम से आया, जिसका वहाँ कोई जान-पहचान का भी नहीं, तो कहाँ जाय? उसको सुविधा देनी चाहिए। अन्यथा, तुम कहाँ जाओगे, तो तुम्हें भी उसी सकट का सामना करना होगा; परन्तु —

पाखण्डिनो विकर्मस्थान् बैडालवतिकाऽच्छठान् ।

हेतुकान् बकवृतीश्च वाढ़मात्रेणाऽपि नार्चयेत् ॥

— यदि अतिथि के रूप में पाखण्डी लोग तुम्हारे यहाँ आये, तो उन से सीधे बोलना भी न चाहिए। उन्हें मुँह लगाना ठीक नहीं, बात ही न करनी चाहिए। यदि कोई 'विकर्मस्थ'—कुकर्मी (चोर-बदमाश)—अतिथि के रूप में आ जाय, तो उसे भगा देना चाहिए। जो लोग बिलाव और बगले की तरह दाव-धात में रहते हैं, उनसे साबधान रहो। ऐसे लोग प्रायः अतिथि बनकर आ जाते हैं और सेवा करनेवाले का नाश कर देते हैं। किसी विशेष 'हेतु' से, खास मतलब से, जो चक्कर काटते रहते हैं, उनसे बचो। ऐसे दुष्टों को—वाढ़मात्रेणाऽपि नार्चयेत्—अच्छी तरह बोलकर भी सम्मान न देना चाहिए। मयूरध्वज (मोरध्वज) ने कितनी बुद्धिनीता का काम किया था! यदि कोई 'साधु' अपने साथ कुत्ता लाये और कहे कि यह तो मनुष्य का मांस खायगा तो उसे अतिथि समझ-कर सम्मानित करना चाहिए या राजस समझकर गोली मार देनी चाहिए? फिर मारा पिता द्वारा अपने बच्चे को बारे से चीर देना और

आँखु न गिराने का भी प्रतिबन्ध ! क्या वह सम्भावित है ? इन प्रक्षेपों में अतिथि-सेवा का अलिरेक कर दिया गया । इस अतिशयोक्ति से अधर्म को प्रोत्साहन मिला । ऐसी कहानियाँ सुनकर यदि कोई स्त्री किसी 'साधु' (!) के कहने से अपने पति को जहर दे दे, तो ? वह 'साधु' कहे — मैं तो तब भोजन करूँगा, जब तू अपने पति को मार दे । तब वह स्त्री उसे 'साधु'-अतिथि समझकर अपने पति को विष दे दे क्या ? मयूरध्वज की कहानी का असर तो यही है । ऐसी कहानियों को दूसरे रूप में ग्रहण करना चाहिए । जैसे वे लोग चक्रवर्ण में आ गये, उन घोड़े की बातों में, उस तरह तुम कभी मत कँसना । सावधान !

घर के लोगों को, अतिथि के भोजन कर चुकने के बाद, भोजन करना चाहिए । पहले घरवाले भोजन कर लें, तो अतिथि के सम्मान में बाधा पहुँचती है । हाँ, छोटे बच्चे और रोगी जन अपवाद में हैं, इनके लिए वह बन्धन नहीं । मनुजी ने लिखा है—

सुवासिनोः कुमारीइच्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रिय ।  
अतिथिभ्योजा एवंतान् भोजयेदविच्चारयन् ॥

—अतिथियों से भी पहले इन्हें भोजन दिया जा सकता है—बहू-बेटियाँ, रोगी, गर्भिणी स्त्रियाँ । इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और इनके प्रथम-भोजन से अतिथि-सम्मान में कोई बटौ लगने की बात न सोचनी चाहिए ।

## ८—गृहस्थाश्रम

चतुर्थसायुषो भागमुषित्वा गुरुगृहे विजः ।  
दितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥

—आयु का एक चतुर्थीश—प्रायः पचीस वर्ष तक—विद्याध्ययर के लिए शिक्षा-संस्थाओं में विताकर, आयु का दूसरा भाग—२५ : ५० तक—घर-गृहस्थी में विताना चाहिए और 'कृतदार' होकर, विवाह करके विताना चाहिए ।

यह विधि है। गृहस्थाश्रम जरूर करना चाहिए—‘कुत्तदारो गृहे बसेत्’—विवाह कर के घर-गृहस्थी सौभालनी चाहिए!

इस विधि के अपवाद में केवल वे महाविभूतियाँ ही आ सकती हैं, जिन्हें भगवान् ने किसी बहुत बड़े काम के लिए भेजा है और साधारण गृहस्थी की भंझट में पड़कर जिनकी महाशक्ति का अपव्यय समाज के कल्याण में बाधा डाल सकता है। ऐसे महापुरुषों में उस विशेष कार्य के लिए वैसी लगन होती है कि इस ओर उन का ध्यान भी नहीं जाता। शंकरचार्य, बादि महाशक्तियों ने विवाह नहीं किया, सो ठीक, परन्तु ये जो जमात-की-जमात निहंग फिर रहे हैं, सो किस लिए? समाज का कौन-सा काम ये करते हैं? समाज के लिए ये बोझ हैं। इनके भरण-पोषण में समाज जो कुछ खर्च करता है उसके बदले में ये उसका क्या काम करते हैं? यह अधर्म है। जो कुदरती प्रवाह है उसे रोकना ठीक नहीं है। रोकने से उपद्रव होगा। वह प्रवाह इधर-उधर भटककर उपप्लव पैदा करेगा। इसलिये उसे अपने रास्ते जाना ही चाहिए। प्रवाह को रोक नहीं सकते, नियन्त्रण कर सकते हैं। विवाह-प्रथा जारी करना नियन्त्रण ही है। समाज की इस प्रथा को भङ्ग करना अपराध है। इसीलिए मनुजी ने गृहस्थाश्रम जरूरी बतलाया है। इस पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया है। संन्यास-आश्रम के प्रकरण में भी इसपर बहुत बल दिया है और कहा है—‘आश्रमादाश्रमं गच्छेत्’—एक आश्रम पूरा करके ही दूसरे में जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य से ही छलाग मारकर—गृहस्थाश्रम छोड़कर—संन्यास में जाने की निष्ठा मनुजी ने की है और इसे समाज के लिए अनिष्टकारी बताया है। सो सब आपके सामने ही है। जरूरत है इस सम्बन्ध में कानून बनाने की। इस प्रवाह को रोकना ही चाहिए।

### ५—हमारा ‘समाजवाद’

शाश्रामात्रप्रसिद्धर्थं स्वः स्वः कर्मधिरगहितः ।

अक्लेशेन शारीरस्य कुर्वीत धन-सञ्चयम् ॥

गृहस्थ को धन सञ्चय करना ही चाहिए ‘कुर्वीत धन-सञ्चयम्’।

‘आज स्वाय औ कल को भक्ति, उसको गोरख संग न रख्सै’ यह निहंगो की बात है। गृहस्थ को तो अटके-भटके और दुखे-पिराने के लिए तथा बाल-वच्छों की शिक्षा आदि के लिए धन यथाशक्ति ज़रूर ही वचनान्-रखना चाहिए। परन्तु यह धन-सञ्चय की प्रवृत्ति अधिक न बढ़ जानी चाहिए, नहीं तो समाज का अहित होगा। उतना ही धन-सञ्चय करो, जितना कुहुम्ब के लिए जरूरी हो—‘यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थम्’—जीवन यात्रा की प्रकृष्ट सिद्धि (सफलता) मात्र के लिए। अच्छी तरह जीवन-निर्वाह हो, इतना प्रयोजन; अधिक नहीं। इसमें आगे बढ़कर करोड़ों अरबों इकट्ठा करके पूजीपति बनने की भावना का निषेध है; क्योंकि यह अधर्म है। किसी का पेट काटना पड़ेगा।

और वह धन-सञ्चय अपने-अपने कामों से करना चाहिए। यह न हो कि किसी वैद्य को धनी देखकर कोई पंसारी वैद्यक करने लगे और वैद्य-डाक्टर राज्य से लाइसेंस प्राप्त करके चीनी बेचने लग जाये। अपना काम छोड़ कर वैद्य का काम करने से पंसारी कितने ही रोगियों के प्राण ले सकता है और चीनी के रोजगार में फँसकर वैद्य जी पूरा ध्यान रोगी-चिकित्सा में न दे सकेंगे; फलतः बेचारे रोगी बे-मौत मरेंगे। इसलिए वर्ण-सांकर्य या कर्म-व्यत्यय ठीक नहीं। ‘स्वैः स्वैः कर्मभिः’ धन कमाना चाहिए।

हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वह अपना काम-गहित न होना चाहिए। मान लो, किसीके कुल में समाज-शोषण के काम चालू है तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इस स्व-कर्म को ‘अहित’ समझकर छोड़ दे, कोई अच्छा काम अपनाये, जिससे अपना कायदा हो और समाज को हानि न पहुँचे, लाभ पहुँचे।

एक बात और। धन-सञ्चय में ऐसा मग्न न होना चाहेए कि शरीर-स्वास्थ्य खराब हो जाय। ‘अक्लेशेन शरीरस्य’—शरीर को क्लेश—रोग आदि—से बचाते हुए ही धन-सञ्चय का काम ठीक है। आवश्यक सूचि करते रहना चाहिए, शरीर के पोषक पदार्थों में कहीं कमी न हो वि-धन जमा करना है। शरीर ही रोगी हो गया, तब वह धन किस काम आवेगा?

## १०—इन्द्रियों को बस में रखो

गृहस्थ को अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए—

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा सम्भिवर्तयेत् ॥

—आँख को रूप और रसना को मधुर स्वाद, इसी तरह अन्य इन्द्रियों को अपने-अपने विषय चाहिए, सो ठीक । प्राकृतिक बात है । परन्तु मनुष्य ने प्रकृति पर नियन्त्रण किया है । निर्वाचि विषय-विचरण को कुछ सीमित किया है । उचित-अनुचित का विवेक इसमें है । इसलिए मनुजी का उपतेश है—

इन्द्रियों के विषयों में—रूप-रस आदि में—स्वेच्छाचारिता से लीन न हो जाना चाहिए—‘कामतः न प्रसज्येत’ किसीकी अच्छी चीज रखी है और तुम्हारी जीभ रोके न रुकी, उठाकर खा गये तो समझो कि परिणाम क्या होगा ! तुम पकड़े जाओगे, बे-इज्जती होगी । हाँ, अपनी चीज है, तब और बात है । सो, इन विषयों में ‘कामाचार’ या स्वेच्छाचारिता पाप है । यही नहीं, अपनी चीज में भी नियन्त्रण जरूरी है । ‘अतिप्रसक्ति’ भी वर्जित है । अपनी मिठाई है, शरीर भी नीरोग है, परन्तु तो भी इतनी न खा लो कि हजम न हो और बीमार पड़ जाओ । ‘अतिप्रसक्ति’ यदि किसी विषय में हो तो—‘मनसा सम्भिवर्तयेत्’ मन से उसे हटाना चाहिए । मन से परिणाम सोचना चाहिए । तब नियन्त्रण हो जायगा । मौत सामने दिखा देने से कोई भी वैसी ‘अतिप्रसक्ति’ न करेगा और यह परिणाम अपने मन से सोचने पर ही काम देगा । दूसरे के समझाने से काम न चलेगा ।

## ११—वेश-विन्यास और रहन-सहन

वयसः कर्मणोऽर्थस्थ श्रुतस्याभिजनस्य च ।

वेश वाग्-बुद्धि-सारूप्यमाचरन् विचरेविह ॥

—अपनी आयु, काम, धन तथा विद्या के अनुसार ही मनुष्य को अपना पहनावा बोझ-चाल तथा प्रकट करके सुसार-मात्रा

करनी चाहिए। न अधिक प्रदर्शन और न कुछ छिपाव। ऐसा न चाहिए कि कहीं विरूपता आ जाय। बुढ़ापे में कोई स्त्री गोटा-पट्टा लगाकर चमकदार अपनी पोशाक बनाये और यहनकर मूमती हुई निकले, तो कैसा लगेगा? थोड़ी उम्र का लड़का बड़े लोगों में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करे तो अच्छा लगेगा क्या? तीस रूपये मासिक पानेवाला चपरासी पचास की घड़ी हाथ में बाँधकर और पचीस रूपये का फाउण्टेन पेन जेब में लगाकर चले, तो? चोर समझा जायगा। इसी तरह 'अभिजन' (कुल) के अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिए। पहनावे आदि में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भत्तलब यह कि सामज्जस्य रखना ठीक है।

## १२—स्वाध्याय

गृहस्थ को अपने अन्य कार्यों से थोड़ा समय बचाकर स्वाध्याय नित्य जारी रखना चाहिए। रंगीली और रसीली कहानियाँ पढ़ने से समय का दुरुपयोग 'स्वाध्याय' नहीं है। वह औषध नहीं है, शराब है। स्वाध्याय इन विषयों का करना चाहिए—

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।  
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चेव वैदिकान् ॥

—जिन ग्रन्थों से अपनी बुद्धि को सत्यप्रेरणा मिले, बुद्धि तीक्ष्ण हो, ऐसे ग्रन्थ पढ़ो; तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान आदि। 'धन्यानि'—ऐसे शास्त्र पढ़ो, जिनसे धन पैदा करने में मदद मिले और हितकारक धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करो। अपने वैदिक साहित्य का अध्ययन करो, जहाँ से हमें मूल प्रेरणा मिलती है।

ऐसा न होना चाहिए कि बी० ए०, एम० ए० हो गये और नौकरी करने लगे; कृतार्थ हो गये। पढ़ना-लिखना बन्द! ऐसा करने से बुद्धि कुण्ठित हो जायगी। बुद्धि को भोजन (स्वाध्याय) मिलेगा, तो वह बढ़ेगा। मनु का अगला इलोक है—

यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रं समविगच्छति ।  
तथा तथा विज्ञानाति विज्ञानं चाऽस्य रोचते ॥

—जैसे-जैसे पुरुष आगे उत्तम विषयों के ग्रन्थ पढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उसकी जानकारी विशेष बढ़ती जाती है और पहले से जो जानकारी है, वह अधिक खिलती जाती है, परिष्कृत होती जाती है।

जो विषय तुमने एम० ए० या 'साहित्य-रत्न' में पढ़े थे, उनमें उम समय 'इति' तो नहीं हो गयी थी न ? चञ्चु-प्रवेश हुआ समझिए। वैसी बड़ी पदवी ( एम० ए० आदि ) देखकर भ्रम में न पड़ना चाहिए। ज्ञान अनन्त है। जिन विषयों का कुछ ज्ञान उन परिक्षाओं में हुआ, उनमें अधिक स्पष्टता आयेगी, यदि अपना स्वाध्याय जारी रखोगे। नये विषय भी ज्ञात होंगे। इसलिए 'स्वाध्याय' गृहस्थ का धर्म है।

### १३ — कुछ नागरिक कर्तव्य

नाम्नु भूत्रां पुरीष वा छोटीवनं वा समुत्सूजेत् ।  
अमेध्यलिप्तमन्धदालोहितं वा विषाणि वा ॥

पानी में पेशाब या पाखाना न डालना चाहिए, न थूक-खखार हीं उसमें फेंकना चाहिए, और भीं कोई चीज ( वस्त्रादि ) जो गन्दगी से लिप्त हों, पानी में मत डालो। खून या कोई विषैली चीज पानी में कभी भी मत छोड़ो।

आज-कल के 'शिष्ट-शिरोमणि' और 'ऐटेष्ट नागरिक' ( शहराती लोग ) वह सब कुछ करते हैं, जो मनु ने मना किया है। आप मजे से फलश के चमचमाते हुए पाखाने बनवाकर सब गन्दगी नदियों में गिराते हैं। लाखों मन पाखाना नदी में मिलता रहता है और आगे बेचारे ग्रामीण वही जल पीते हैं। यही आज की वह समाज-व्यवस्था और नागरिकता है, जिसपर लोग गर्व करते हैं ! कहते हैं—'मनुष्य को हम समान अधिकार देते हैं। किस चीज का अधिकार ? वोट देने का ! पाखाना बेचारों के पेट में उड़ेलते हैं और समानता का अधिकार देते हैं।

क्या विज्ञान कोई ऐसा आविष्कार नहीं कर सकता कि यह गन्दगी नदियों में न गिरे ? क्या इस गन्दगी को किसी तरह और कहीं नहीं स्फाया जा सकता है ? सिखाई से बचे गरदे वानी को कहीं अन्यत्र स्फाना चाहिए

## १४—राजा का प्रतिग्रह

विद्वान् द्विज या समाज-सेवक को भी राजाश्रय ग्रहण न करना चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा होगा, तो फिर कुछ दबाव-प्रभाव उसका अवश्यम्भावी है। तब फिर उसके अन्याय का विरोध कौन करेगा? द्वोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोगों का मुंह भी इसी राजान्न ने बन्द कर दिया था। वे द्रौपदी का अपमान देखकर कुछते रहे; पर बोल न सके। दुर्योधन के आश्रय में जो थे! सो, समाजसेवी विद्वान् को चाहिए कि किसी भी राजा (या 'सरकार') का आश्रय ग्रहण न करे। कोई अच्छा राजा भी किसी समय दुष्टता कर सकता है। इसलिए, कभी भी राजान्न ग्रहण न करे, सरकारी नौकरी न करे। जिसे जनता की सेवा से वैसा कोई मतलब नहीं, उसकी वात दूसरी है। मनुजी ने 'ब्राह्मण' के लिए राज-प्रतिग्रह का निषेध किया है। और, जब कि राजा फहले ही से दुष्ट हो, तब तो विलकुल ही उससे दूर रहना चाहिए। मनु-वाक्य है—

यो राज्ञ प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योऽच्छास्त्रवतिनः ।  
स पर्यायेण यातीमान्तरकानेकविशतिम् ॥

—जो विद्वान् लुब्धक (लोभी या 'चिड़ीमार') तथा शास्त्र-विरोध करनेवाले राजा का प्रतिग्रह (काम के बदले वेतन-पुरस्कार आदि) लेता है, वह एक के बाद दूसरे नरक में घूमता है और इक्कीस नरकों में यातन पाता है।

## १५—सबेरे उठकर सोचो

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मथौं चाऽनुचिन्तयेत् ।  
कायल्केशांश्च तत्मूलान् वेद-तत्त्वार्थमेव च ॥

— गृहस्थ को ब्राह्म मुहूर्त में (तड़के चार बजे) उठना चाहिए औ उठकर उस ताजे दिमाग से 'धर्म' तथा 'अर्थ' का चिन्तन करना चाहिए सोचना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? उसे अपन आय के साधन पर समुचित विचार करके मार्ग प्रशस्त करना चाहिए उस कर्तव्य में तथा मेरे धर्म और अर्थ में या निष्काम बो-

सकाम कर्म में—जो काय-क्लेश होंगे, उनपर भी विचार करना चाहिए। उन क्लेशों को सहने की शक्ति है कि नहीं ? कैसे सहन किया जाय, अथवा किस सीमा तक उस कर्तव्य को निभाया जाय; अपनी शक्ति को देखकर। यह सब उसी समय सोचना चाहिए। वेदों का तत्व क्या है, असली चीज क्या है, इस बारे में भी सोचने का वही उत्तम समय है।

आज तो लोग ग्यारह-बारह बजे तक गन्दे सिनेमा देखते हैं और फिर सोकर दिन चढ़े आठ-नींबजे उठते हैं। उठते ही हाथ-मुँह धोये बिना ही चाय पी और फिर पाखाने जाकर हाथ-मुँह धोया; रोटी खायी; या जल्दी से पेट में डाली और भागे दफ्तर को। कहाँ का धर्म-चिन्तन और किसका वेदतत्त्वमनन् !

### १६—स्नान निषेध

हमारे यहा स्नान का बड़ा महत्व है। गरम देश है न ! परन्तु कभी-कभी स्नान न करना भी 'धर्म' है—

न स्नानमाचरेद् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि ।

न वासोभिः सहाजस्त्र नाऽविज्ञाते जलाशये ॥

—भोजन के अनन्तर तुरन्त स्नान न कर लेना चाहिए; किसी वैसे बड़े रोग में भी स्नान करना ठीक नहीं, जिससे उसके बढ़ जाने का डर हो। रात में नौ बजे के बाद और तीन बजे से पहले, नौ से तीन तक, स्नान करना मना है। इस इतने नमय को 'महानिशि' कहते हैं। कारण, पहला पहर और चौथा पहर तो काम करने और जागने का ही है। अज्ञात जलाशय में और बहुत कपड़े पहनकर नहाना ठीक नहीं। तैरते में भंझट पैदा करते हैं अधिक कपड़े। हाथ-पाँव उलझ-बैंध जाते हैं। यदि पाँव सरक गया, या किसी तरह चक्कर में आ गये, तो तैरकर निकल सकते हैं, किन्तु ढीले-ढाले अधिक कपड़े पहने हुए तो कठिनता पैदा होगी।

मनुजी ने इस तरह के शतशः और सहस्रः उपदेश दिये हैं।

### १७—आचार और दुराचार

आचाराल्लभते ह्यायुदाराचाराबोप्सिता प्रजा ।

आचरण अच्छे होने से अच्छी आयु प्राप्त होती है। संयम से आयु अधिक होती है। इसके प्रमाण में हिन्दू-विधवाओं को देख सकते हैं, जो यत्र-तत्र सौ-सौ वर्ष तक की दिखायी देती हैं। आचरण अच्छे होने से सन्तान जितनी चाहोगे, जैसी चाहोगे, प्राप्त होगी। संयमशील व्यक्ति अपनी आदमीनी देखकर सोचेगे कि कितने पुत्र-पुत्रियों को हम अच्छा भोजन और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। वे उतनी ही जिम्मेदारी लेंगे, जितनी निभा सकेंगे। 'राम-भरोसे' छोड़ने के लिए प्राणियों को अपने घर बुलाते न चले जायेंगे। आचरणहीन से यह सम्भावित नहीं। संयम-हीनता में वह आगे की सोचता नहीं है। संयम-रहित स्त्री-पुरुष प्रायः ऐसे विकृत भी हो जाते हैं कि उनके सन्तान होती ही नहीं। पिछली पीढ़ी तक अनेक राज्यों के नरेशों में बहुत विवाह करने की चाल थी। उनके सन्तान न होती थी और 'गोद' लेकर वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। अब वह प्रथा बन्द हो गयी है और उन नरेशों के लन्तान भी है। वेश्याओं के प्रायः सन्तान नहीं होती है। ऐसा जान पड़ता है कि दुराचारी स्त्री-पुरुषों के रज-शुक्र कुछ ऐसे द्वषित हो जाते हैं कि उनमें प्रजनन-शक्ति रह नहीं जाती है। एक स्त्री का अनेक पुरुषों से और एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से वैसा सम्बन्ध ही यहाँ हमने 'दुराचार' कहा है, संयम-हीनता के कारण। संयम धर्म का अज्ञ है। पुराने समय में अनेक बहु-पत्नी राजाओं के पुत्र न होने का भी यही कारण हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। खैर, यहाँ इतने से मतलब कि संयमी जन 'ईप्सित' सन्तान प्राप्त करते हैं—जितनी चाहें। आचरण अच्छे होने से अक्षय धन भी मिलता है। सचाई हो, तो व्यापार चलता है। ईमानदारी हो, तो ऊँचे पद मिलेंगे। आचरणहीन—भूठे-बेर्इमान—सदा भटकते ही फिरते हैं। 'ब्लैंक मार्केट' करके धन पैदा भी कर लिया, तो पकड़े जाने पर एक बड़े जुमानि में सह निकल जायगा। आचार से 'अलक्षण' भी दूर होते हैं। 'अलक्षण' का अर्थ है शारीरिक या मानसिक त्रुटि। आचरण अच्छे है, पर आप विद्रान् नहीं है, तो आपके आचरण से विद्याहीनता की त्रुटि पर पर्दी पड़ जायगा। लोग कहेंगे, पढ़ा-लिखा नहीं, तो क्या; बड़ा अच्छा आदमी है। इसी तरह शरीर सुन्दर न हो रँग काला हो मुह में स्त्रीउत्सा के दाग हों जो भी हो।

यदि आचरण अच्छे हैं, तो सब पर पर्दा । उधर लोग ध्यान ही नहीं देंगे ।  
इसके विपरीत—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।  
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥

—दुराचारी लोगों की चोरी और निन्दा होती है । ऐसे लोग सदा ही दुखी रहते हैं, शारीरिक रोग तो वेरे ही रहते हैं—इजेक्यानों से शरीर छिद्दता ही रहता है । सड़ जाते हैं । जेल में देखा, पचास प्रतिशत चरित्रहीन कैदी के घिनौने रोगों से सड़ रहे हैं । ऐसे लोग उम्र भी अच्छी नहीं पाते हैं ।

### १८ स्वतन्त्रता ही सुख है

सर्वं परवशं दुःखं सर्वभात्मवशं सुखम् ।  
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

दूसरे के अधिन जो कुछ हो, दुःख है और अपने हाथ में जो हो, उसी में सुख है । बस, संक्षेप से यही दुःख और सुख का स्वरूप है ।

यह साधारण जीवन के विषय में है । वैसे राष्ट्र के सामाजिक जीवन में जो नियमों का बन्धन है, उसे ‘परकशता’ नहीं कहा गया है । वह तो धर्मानुशासन है । अनुशासन में स्वतः बन्धन तो मुख का कारण है । हाँ, रोटी-पानी में स्वाधीनता सुखकर है और पराधीनता कष्टकर । ‘खूबी-सूखी खायकर ठंडा पानी पी ! देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी !’ अपने आपमें मस्त ! ‘अपना हुक्का अपनी नरोड़; पिया तो पिया, नहीं दिया फोड़ ।’

पर इसका यह भी तात्पर्ण नहीं कि सदा सब कमों में अपनी अलग खिचड़ी पकाओ । ‘सम्भूय भमुत्थान’—मिलकर उन्नति करने का ही तो धर्मोपदेश है । बड़े काम और बड़े व्यवसाय अकेले नहीं चलते हैं । ऊपर के इलोक में अपने व्यक्तिगत जीवन की स्वतन्त्रता ही को सुख कहा है । उसमें बाधा पड़े तो असह्य दुःख जान पड़ता है ।

और—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्वत्तेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तसेवेत यत्ततः ॥

—जो भी काम अपने बस का न हो, उसे अंगीकार मत करो, उम्की जिम्मेदारी मत लो और जो काम तुम्हारे बस का हो, उसे सँभालो और वडे यत्त से सँभालो ।

कहने का मनलब यह कि यदि प्रेस का काम नहीं जानते, तो कही सस्ता विकता देख खरीद मत लो । चक्कर में पड़ जाओगे । मरीनमैन और दूसरे लोग नंग कर देंगे; दिवाला निकाल देंगे । मैं इस चक्कर में पड़ चुका हूँ । प्रेस मेरे लिए प्रेत हो गया । जैसे-तैसे बेचकर जान बचाई । इसी तरह और काम हैं । खेती का काम नहीं जानते, तो वह भी नौकरी के भरोसे नहीं कर सकते । मुश्शी न संभाल लेंगे । सार्वजनिक कामों में भी यदि तुम किसी संस्था के कामों से परिचित नहीं, तो मंत्री आदि का पद मत सँभाल लो । यदि ज्ञान तथा शक्ति है, तो वैसे काम सँभालो, दूसरों के भरोसे नहीं । और जब सँभाल लो तो सब तरह से 'यंलतः' उसे पूरा करो ।

१६—आत्म-सन्तोष हो तो

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

—जिस काम को करते समय अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो, उसीमें यत्कर्म के जुट जाना चाहिए और जिसमें मन साथ न दे, उसमें हाथ मत ढालो । जब मन ही साथ न देगा, तो काम क्या होगा । प्रवाह के विरुद्ध नाव ले जाना ठीक नहीं । पुलिस के वर्तमान भहकमे को यदि तुम अशिष्ट समझने हो, तो उसमें नौकरी करने पर असफल रहोगे । अध्ययन में रुचि है, तो अध्यापक बनो । इसी तरह सर्वत्र समझो ।

इस कसीटी से पाप-पूण्य भी जाने जाते हैं । जिस काम के करने में आत्म सन्तोष मिले वह घम और जिसे आत्मा न माने वह अघम घम

है कर्तव्य और अधर्म अकर्तव्य। आत्म-विश्व का म यदि स्वार्थान्धन आदि से किये जायें, तो वह 'आत्म-हत्या' है। 'आत्मा' मर जाता है और फिर रोकनेवाला कोई रहता नहीं। इसीलिए 'आत्म-हत्या' को सब पापों से बड़ा पाप माना है।

## २०—सन्याम कब ?

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य भनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो द्रजत्यधः ॥

—गृहस्थाश्रम में विधिवत् रहकर और तीन ऋण जो ऊपर है, उन से उक्षण होकर मोक्ष में—सन्यास में—मन दे। तीन ऋणों को उतारे बिना जो सन्यासी बनता है, वह नीचे जाता है, पतित है।

लोग जो सोलह-सोलह वर्ष के लड़के को सन्यासी बना देते हैं, वे क्या करते हैं। बहुत-से पढ़े-लिखे बी० ए०, एम० ए० लोग युवावस्था में ही कपड़े रँगकर बैठ जाते हैं। जो सन्यासी 'रामकृष्ण सेवाश्रम' जैसी संस्था में रहकर जन-सेवा करते हैं, उनकी वात अलग है; पर जो लोग किसी मठ-मन्दिर में सोने के सिंहासन पर बैठकर पुजने के लिए ही वह सब करते हैं, वे तो अवश्य पतन की ओर जाते हैं। गृहस्थाश्रम में जहर रहना चाहिए, यह मनु ने जोर देकर कहा है। आलसी और कायर लोग 'यदहः विरजेत तदहः परिव्रजेत्'—'जिस दिन वैराग्य ही जाय, उसी दिन सन्यास ले ले' कहकर अपने आपको तथा जनता को घोखा देते हैं। वैराग्य होता किसे है ? किस चीज से वैराग्य होता है ? वह सब तो सामने नज़र आता है।

तीन ऋण १—पितृ-ऋण, २—देव-ऋण और ३—कृष्ण-ऋण। हमारे ऊपर 'पितृ-ऋण' है। माता-पिता ने हमारा पालन-पोषण किया है और शिक्षा आदि से सुसंस्कृत किया है। हमें इस ऋण से उक्षण होना है। हम अपने प्रतिनिधि समाज को अपने से अच्छे दे, तो उस ऋण से मुक्त हों। प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने बच्चों का इस ढंग से शारीरिक तथा भानसिक विकास करने में तत्पर हों कि वे उससे सब बातों में अच्छे हों। माँ चाहे कि मेरी लड़की सब बातों में मुझसे अच्छी हो, शरीर-स्वास्थ्य

में, विद्या में, आचार में और शील-सौजन्य में। इसी तरह पिता अपने पुत्र के लिए कामना करे।—‘सर्वभ्यो जयमिच्छेत् पुत्रादिच्छेत्परा-जयम्’—मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विषय में तथा आचार में सब से ऊँचा उठने की सदा इच्छा करे, सबको पीछे कर देने की कामना करे, परन्तु पुत्र से पगजित होने की इच्छा करे, पुत्र को अपने से आगे दढ़ाने की प्रवृत्ति रखे। इसके लिए भरपूर चेष्टा करें। अपनी सुयोग्य सन्नात कुल को देना ही ‘पितृ-ऋण’ से छुटकारा पाने का साधन है।

**देव-ऋण** जो लोग आज-कल ‘हिन्दू’ कहताते हैं किसी समय वे ‘आर्य’ कहलाने थे और उससे भी पहले ‘देव’ कहलाते थे। इनके पुरुषों ‘देव’ जनों में और ‘पारमी’ लोगों के पुरुषों ‘असुरों’ में जो संग्राम हुआ था, वही ‘देवासुर-संग्राम’ है। देव और असुर एक ही समाज के थे, जो बाद में विभक्त हो गये थे।

खैर, ‘देव’ इनका पुराना नाम है। ‘देव-ऋण’ चुकाना धर्म है। अर्थात् हमारे ऊपर जो समाज का ऋण है, उसमें चुकाना चाहिए। जैसे हम माता-पिता से उपकृत होते हैं, उसी तरह समाज से भी। अनेक बातों में समाज के हम ऋणी हैं। इसलिए, गृहस्थाश्रम में रहने हुए समाज-सेवा के काम भी हमें निरन्तर अपनी शक्ति के अनुभार करते रहना चाहिए। तभी ‘देव-ऋण’ से छुटकारा मिलेगा।

**ऋषि-ऋण** — बहुत बड़ा है। हमें ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, वडी तपस्या करके जो वेद तथा एक-में-एक वढ़कर ‘दर्शन’ उन्होंने दिये हैं और परबर्ती विद्वानों ने जो आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित तथा साहित्य-शास्त्र आदि की निधि हमे दी है, उससे हम कितने उपकृत हुए हैं। हमारा मास्कूनिक विकास उन ऋषियों की तपस्या का फल है। उनका जो अनुल ऋण हमारे ऊपर है, उससे उऋण होने का यही उपाय है कि उनकी उम निधि को हम बढ़ायें। कुछ उत्तम साहित्य पैदा करें, जिससे समाज को किमी दिशा में बल मिले। सत्साहित्य के निर्माण में जो व्यक्ति तथा मन्थाएँ काम कर रही हों, उन्हें सहयोग और सहायता दें। इस तरह ऋषि-ऋण से कुछ हल्के होंगे।

गृहस्थ को इन तीन ऋणों से मुक्त होना चाहिए या इन तीन ऋणों

से क्षुटने के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए। जो इस कर्तव्य से डर कर भागते हैं और गृहस्थाश्रम को बीच में छोड़ संन्यास में जो कूदते हैं, उन्हे मनुजी ने पतित बताया है - समाज का बोझ !

उपर जिन तीन क्रहणों का जिक्र हुआ, उनमें समाज ही मुख्य है। माता-पिता भी समाज के ही अङ्ग हैं और क्रष्ण-जन भी समाज में आ जाते हैं। इसलिए, 'देव-क्रहण' में ही सब आ जाने से तीन जगह उस क्रहण को दिखाना कुछ विशेष बात नहीं, पर साधारण समाज से माता-पिता का महत्व बहुत अधिक है; इसलिए 'पितृ-क्रहण' की गिनती बलग की। इसी तरह क्रष्ण-जन भी साधारण समाज में नहीं रहे जा सकते। इसीलिए इन दोनों क्रहणों का पृथक् उल्लेख है।

इन क्रहणों का गृहस्थाश्रम में हल करना बहुत जरूरी बतलाया गया है। जो इनपर ध्यान न देकर केवल उदर भरने में ही लगा रहता है, उसे 'गृहस्थ' नहीं, बन्यप्राणी कहा गया है। कुछ लोग इन क्रहणों का और हनसे निष्कृति का अर्थ कुछ-का-कुछ करते-मरमभते हैं। पर अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट है।

## २१—राज-सत्ता का प्रादुर्भाव

अरजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य लोकस्य राजानमसूजतप्रभुः ॥

—जब संसार में कोई राजकीय संस्था न थी, तो भय और आतঙ्क के मारे लोग त्रस्त रहते थे। तब इस (मानव-संस्था) की रक्षा के लिए भगवान् ने शासन-सत्ता को जन्म दिया। भगवान् ने ऐसी बुद्धि दी, जिससे मनुष्य ने संसार में शासन-सत्ता स्थापित की।

इसके बाद भनु ने बड़े विस्तार से राज-नीति का वर्णन किया है। देखकर आश्चर्य होता है, उस युग में हमारे पूर्वज ऐसे नीति निपुण थे। शासक में क्या-क्या बात होनी चाहिए, प्रजा की रक्षा किस तरह करनी चाहिए, शासन-परिषद् जिन सात-आठ राजनीतिज्ञों की बनायी जाय उनमें क्या-क्या गुण अपेक्षित हैं, शत्रु पर कब और कैसे चढ़ाई करनी चाहिए, किसे कहाँ बनाने चाहिए और उनकी रक्षा कैसे करनीच हाहिए,

इन सब विषयों का विशद वर्णन 'मनुस्मृति' में है ।

## २२—पापों का प्रायशिचत्त

मनुष्य के पाप प्रायशिचत्त से नष्ट हो जाते हैं । यदि किसी पाप-कर्म में प्रवृत्ति हो गयी और फिर मनुष्य मावधान हो गया, प्रायशिचत्त उसने किया, तो उस पाप से निवृत्ति हो जायगी—फिर वह काम न करेगा । मनुजी का मनोविज्ञान से पोषित मत है—

यथा-यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति ।

तथा-तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥

—जैसे-जैसे मन उस पाप को बुरा समझेगा, वैसे-ही-वैसे शरीर उससे मुक्त होता जायगा । मन में यदि चोरी के प्रति गर्ही पैदा हो गयी, तो फिर हाथ उस काम को करेंगे ही नहीं ।

और—

कृत्वा पापं हि सन्तप्त्य तस्मात्पापात् ब्रमुच्यते ।

‘नैवं कुर्यां पुनरिति’ निबृत्या पूयते तु सः ॥

—किसी बुरे काम में पड़ जाने पर यदि मनुष्य की अन्तरात्मा उससे सन्तप्त हुई, हार्दिक पश्चात्ताप उसे हुआ तो वह उस पाप से अवश्य छूट जाता है । और फिर 'अब कभी ऐसा न करूँगा' इस तरह का दृढ़ निश्चय यदि उसने कर लिया, तो पवित्र हो जाता है—पाप उसका छूट जाता है ।

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् ॥

—यदि जाने-अजाने कोई गहित काम हो जाय, तो उससे छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस तरह का दूसरा काम फिर न करे ।

## २३—स्त्री-कर्तव्य

सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकायेषु दक्षया ।

व्यग्रे

— स्त्री को—गृहिणी को— सदा प्रसन्न रखना चाहिए । गृह-प्रबन्ध इसका मुख्य काम है ; इसलिए अपना सम्पूर्ण चातुर्य उसे यहाँ लगा देना चाहिए । घर की सब चीजें अत्यन्त परिष्कृत रूप में सजावट के साथ रखना गृहिणी का सुन्दर काम है । खर्च में खुला हाथ ठीक नहीं । सोच-समझकर जहरी ही खर्च करना चाहिए । गृहिणी का कौशल व्यय में ही देखा जाता है । आय का काम पुरष के जिम्मे है, जिसमें उतनी बुद्धिमती अपेक्षित नहीं है, जितनी व्यय में, जो गृहिणी का काम है ।

स्त्री-धर्म का भी वर्णन मनु ने विस्तार से किया है । सब से अधिक राजा के धर्म ( कर्तव्य ) का निर्देश है ; क्योंकि वही तो समाज का नियामक है । राजा भ्रष्ट हो, शासन-कर्ता ही यदि भ्रष्टाचार में हूँवे हों, तो वे समाज को क्या ठीक रास्ते पर लायेंगे । मनुने राज-सभा ( असेम्बली ) तथा उसके सदस्यों के कर्तव्य-निर्देश भी किये हैं । मनु के धर्म निर्देश का क्या स्वरूप है, इन श्लोकों में स्पष्ट है ।

## उत्सर्ग और अपवाद

पहले कहा जा चुका है कि धर्म विधि-निषेध-रूप से द्विधा विभक्त है। दुखियों पर दया करनी चाहिए, विधि है। चोरी न करनी चाहिए, निषेध है। ऐसे नियम बनाये हैं मनुष्य ने, समाज के सुख-सञ्चालनार्थ। प्रकृति पर उसने नियन्त्रण किया है। सत्य और अर्हिंसा आदि प्रमुख अग हैं धर्म के। इनके बिना समाज चल नहीं सकता। यदि लोग सचाई बिलकुल छोड़ दें और एक-दूसरे को भारने-काटने लगें, तो क्या होगा? यह धर्म जितना ही अधिक जिस देश में होगा, वहाँ उतना ही जीवन का अभ्युदय होगा। परन्तु इन नियमों के अपवाद भी है और वे अपवाद भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं; प्रत्युत कभी कभी मुख्य नियम से उसके अपवाद में ही अधिक बल आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी-कभी असत्य तथा हिंसा भी धर्म हो जाते हैं। यही नहीं, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि जिन भावों की बड़ी निन्दा की गयी है, वे भी कभी-कभी धर्म का रूप ग्रहण कर लेते हैं और सत्य, अर्हिंसा तथा क्षमा का अनुचित प्रयोग अधर्म बन जाता है। विष भी कभी अमृत बन जाता है। किसी-किसी रोग में डाक्टर विष-विशेष का इक्केकशन दे कर रोगी के प्राण बचा लेता है और दूध-बीज से अमृत पदार्थ भी स्थिति-विशेष में और अनुचित प्रयोग से हानिकारक हो जाते हैं। परन्तु विष है विष ही। उससे सदा बचने को कहा जाता है। तब तो यह दशा है कि लोग भाँग, गाँजा चरस और बफीम ही नहीं संझिया तक साने का शीक रखते

हैं और शरीर तथा मस्तिष्क का नाश करते हैं; फिर यदि उनसे कह दिया जाय कि 'विष अमृत का भी काम देता है' तो क्या होगा? कुछ ठिकाना रहेगा? जब हिंसा, भूठ, धोखेवाजी आदि से बचने का एकान्त प्रतिपादन है, नब तो दुनिया में सब इस बुरी तरह फैल रहे हैं, यदि कह दिया जाय कि कभी-कभी हिंसा और असत्य भी धर्म हो जाते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसीलिए साधारण जनता के सामने दूसरा रूप नहीं रखा जाता है। विष को डाक्टर अलमारी में बन्द करके और ताला लगाकर कुञ्जी अपने पास रखता है। इसी तरह हिंसा आदि का विष समाज का चिकित्सक (शासक) अपने हाथ में रखता है। जब ज़रूरत होती है, समाज की रक्षा के लिए इसका प्रयोग करता है। राष्ट्र के भीतर उपचार करनेवाले चोर-डाकुओं के प्रति वह दण्ड-प्रयोग करता है, जो एक हिंसात्मक उपाय है। कोई किसी को मार देता है, तो राज-सत्ता उसे मृत्यु-दण्ड देती है। यह हिंसा या प्रतिहिंसा जो शासन-सत्ता की ओर से की गयी, सो विष-प्रयोग समझिए, समाज की रक्षा के लिए। जैसे डाक्टर के बिना और कोई विष-प्रयोग नहीं कर सकता, करे, तो मर जाय, उसी तरह प्रतिहिंसा आदि के प्रयोग का अधिकार साधारणतः सब को नहीं दिया गया। गलती हो जायगी। हानि होगी। प्रसिहिंसा ही नहीं, हिंसा भी धर्म बन जाती है। राष्ट्र पर आक्रमण करनेवाले बाहरी शत्रुओं का मुकाबला जब हम करते हैं, तो यथासम्भव पहल करने में तत्पर रहते हैं। इस जगह हिंसा धर्म है। जो सिपाही जितने अधिक आततायियों को काटता-मारता है, उसे राष्ट्र उतना ही अधिक यश देता है और पुरस्कृत करता है। यानी, उसने हिंसा जो की, उसे हमने एक बड़ा धर्म, उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य समझा।

उन विधियों के ये अपवाद बुद्धि से समझ में आ जाते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

जो कर्म या कर्तव्य बहिंसा तथा सत्य आदि) में अकम देखता

है, देश, काल तथा पात्र की स्थिति के अनुसार इंहसा तथा सत्य आदि का व्यवहार किसी समय उचित नहीं समझता है और अकर्म—अकर्तव्य—इंहसा और चालवाजी को कर्तव्य समझकर ग्रहण करता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान् है। समझो, उसने सब अच्छे काम कर लिये।

सर्वत्र बुद्धि से काम लेना होगा। देखना हीगा, सत्य और अहिंसा से यहाँ समाज को लाभ है कि नहीं। यदि एक को मार देने से बहुत बड़े समाज का हित है, तो उसे मार देना अधर्म नहीं, धर्म ही होगा। इस तरह हिंसा धर्म बन जायगी। इसी तरह सत्य-असत्य आदि की बात है। अपने निज के स्वार्थ से प्रेरित होकर हिंसा आदि का प्रयोग अवर्म है और समाज-हित के लिए बैसा किया जाय, तो धर्म है। आत्म-रक्षार्थ भी हिंसा की जा सकती है। कानून में भी इसके लिए छूट है। अपने घर से चोरों को हम लाठी के जोरों से भगा सकते हैं और इससे उनके सिर फट भी जायें, तो हमें सजा न मिलेगी। कारण, यह हिंसा हमने धर्म-मूलक की। हमारा कर्तव्य था, दुष्टों से अपने माल की रक्षा करना।

यह सब समझने के लिए बुद्धि चाहिए। धर्मविर्म-निर्णय में बुद्धि पर इसीलिए श्रीकृष्ण ने उतना बल दिया है, और मनु ने भी अन्तरात्मा की साक्षी को सब से प्रबल माना है।

इस धर्मस्थिति को न समझने के कारण ही कभी-कभी बड़े-बड़े अनर्थ हो गये हैं। ऐसा भी हुआ है कि धर्म के किसी एक अग का ऐसा अतिरिक्त दिया गया कि दूसरे अग बिलकुल दब गये और समाज निर्वल हो गया। रोगी का जैमे पेट बढ़ जाय और शेष सब अंग सूख जायें। आगे हम कुछ उदाहरण देकर इसे और स्पष्ट करेंगे।

### दया और क्षमा

समाज के मुख संचालनार्थ दया और क्षमा का अत्यधिक महत्व है किसीको सताओ मन, दुखी पर तुरस खाकर उसकी मदद करो। यदि किसी से अनजाने कोई अपराध हो जाय और उससे तुम्हें कोई हानि पहुँचे, तो क्षमा से काम लो। कारण, उसने जान-बूझकर तो हानि नहीं पहुँचायी न। यदि जान-बूझकर भी हानि कोई पहुँचाये पर वह अपन

हो और उसके सुधारने के लक्षण हों, तो क्षमा कर देना चाहिए। परन्तु दुष्टों के प्रति भी यदि उसी दया और क्षमा का वर्ताव किया जायगा, तो फिर उन गुणों (दया और क्षमा) का महत्त्व कम हो जायगा; प्रत्युत वे दुर्गुण का रूप धारण कर लेंगे—उनसे समाज का अहित होगा। दुष्टों के हौसले बढ़ जायेंगे और वे बार-बार अपराध करेंगे। इसलिए, ऐसी दया और क्षमा फिर 'अधर्म' बन जायेंगे। क्लूर और आनतायी पर दया करना शेष समाज पर निर्दयता है। इसी तरह क्षमा भी अपराध-शील दुष्टों के प्रति न्याय नहीं है। अहिंसा धर्म है; पर सर्वत्र नहीं। अहिंसा का अतिरेक ठीक नहीं। इसी तरह दया और क्षमा भी समझिए।

हमारे देश में अनेक धर्म-व्याख्याता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक नहीं समझा और उसके किसी एक ही आग पर अत्यधिक बल दिया, समाज को गलत रासने पर ले गये। दुष्ट-दमन समाज के लिए कल्याणकारी है। हम गरुड़ की पूजा करते हैं; क्योंकि वे सौंपों को मारकर जगत् को निरापद् करते हैं। सौंप यहाँ लक्षण से दुष्टों को कहा गया है। दुष्ट-दमन के कारण गरुड़ हमारे प्रशंसा-पात्र हुए। परन्तु इसी समाज में एक दूसरा मत चला—एकान्त अहिंसावाद। दुष्टों की भी मत मारो। इस मत के लोग जीमूतवाहन को पूजनीय समझते हैं, जिसने गरुड़ के आगे आकर उन्हें सौंपों को मारने से रोका। जीमूतवाहन आग आ गये—‘लो, मुझे मार डालो, तब किसी सौंप को मारना!’ गरुड़ ने दो-चार चोंचे मारी; फिर छोड़ दिया। तब जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा—“अब आगे से सौंपों को मत मारना।” गरुड़ ने जीमूतवाहन का ‘उपदेश’ मान लिया और फिर सौंपों का मारना छोड़ दिया। इस तरह उस एकान्त अहिंसावादी मत से गरुड़ की अवहेलना और जीमूतवाहन की प्रशंसा प्रकट की गयी है। अब समाज क्या करे? गरुड़ की पूजा चालू थी; इधर जीमूतवाहन जी मामने आ गये। पाठ पढ़ा—‘सौंप को भी मत मारो। दया करो।’

समाज में जीमूतवाहनी बढ़े। मुहम्मद गोरी को अनेक बार इस देश की सेनाओं ने परास्त किया। गोरी पकड़ा गया और सम्राट् पुथीराज के सामने उपस्थित किया गया। नीस्त-निपुण गोरी ने समा क्षमना की।

नीति-पराण्डमुख और जीमूतवाहनी समाट् पृथ्वीराज ने उसपर 'दया' की और उसे क्षमा कर दिया : वह शत्रु के पंजे से छूटकर घर पहुँचा और फिर प्रबण्ड सैन्य-संग्रह करके इधर पिल पड़ा । हमारी सेना बहुत कुछ कर चुकी थी और पृथ्वीराज के क्षमा-दान से यह भी समझा जाता था कि ये फिर माफ करेंगे ! हाथ-पाँव ढीले पड़े । गोरी की विजय हुई और क्षमा-दानवाले समाट् उसके बन्दी बने । उसने निर्दयता के साथ इनकी आँखें निकलवा लीं । सो तो कोई बात नहीं ; एक व्यक्ति की बात ; पर हमारा यह देश सदियों तक गुलाम रहा, उसी 'दया-क्षमा' के विवेक-हीन प्रयोग से । न जाने कितनी हानि देश की घन-जन से हुई । धर्म-कर्म सब जाता रहा ।

निःसन्देह समाट् पृथ्वीराज पर जीमूतवाहनी सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा होगा । उन्होंने धर्म समझकर ही गोरी को क्षमा-दान दिया था । गहड़-सम्प्रदाय की चलती, तो उस महामर्प के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते । कहने का मतलब यह कि हमारा समाज धर्म-व्याख्याताओं की खींच-तान में रहा । तभी तो कहा गया है कि 'धर्मस्यतत्त्वं निहितं गुहायाम्' । धर्म-तत्त्व बहुत स्पष्ट होने पर भी बहुत सूक्ष्म है । दया और क्षमा-धर्म है, पर कहीं इनका प्रयोग अधर्म हो जाता है । हिंसा-असत्य अधर्म है ; पर कहीं इनका प्रयोग धर्म हो जाता है, समाज का । इनसे कल्याण होता है, शत्रु-सेना के प्रति अहिंसा का बर्ताव कैसा रहेगा ? यदि हम शत्रु के पंजे में फँस जायें, तो सत्य बोलना धर्म समझकर अपने देश का सब भेद उसे दे दे ? यह धर्म है ?

### सत्य का अतिरेक

स्पष्ट है कि शत्रु के सामने हमें क्या करता चाहिए । जो हमें धोखा दे रहा हो और हमें सत्यवादिता की पूरी पढ़ाकर उल्लू बनाना चाहत हो, उसके प्रति हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए ? 'शठे शाठ्यम्' धर्म है । शठ के साथ उसके अनुरूप बर्ताव करो । यही धर्म है । परन्तु लोगों ने लीपोपोती की । कहा—'शठे शाठ्यम्' तो नीति है—राजनीति है सौजाय तथा दया का बर्ताव धर्म है । यों नीति तथा धर्म में भेद क

दिया। प्रशंसा अधिक धर्म की हुई। फलतः महाराजा हरिशचन्द्र जैसे धर्मत्मा लोगों की कहानियाँ सामने आयी। एक व्यक्ति घोखे से सब ले रहा है और राजा उससे सत्य का बर्ताव कर रहे हैं। उस सत्य-रूपी धर्म से स्वयं दुख उठा लेते, कुटुम्ब न क्या बिगड़ा था? वह भी उस विपत्ति में पड़ा। महारानी की दुर्दशा हुई, गजकुमार मारे-मारे फिरे। फिरभी न सोचा कि बात क्या है। सम्पूर्ण राष्ट्र—वह उतना बड़ा राज्य—विपत्ति में पड़ गया। अराजक राष्ट्र में क्या विप्लव—विपद—सम्भावित नहीं, क्या कुछ हुआ होगा, कल्पना कीजिए। सदको निरीह दशा में छोड़ दिया गया। मानो राजा का सत्य बोलना मात्र कर्तव्य और धर्म था, न कुटुम्ब का पालन-पोषण वैसा उसका धर्म था, न प्रजा की रक्षा करना ही। ऐसी कहानियों से समाज में धर्म की अविचारित एकाङ्गता फैलायी गयी। फलतः धर्म में समाज के प्रति कर्तव्य तो लोग भूल गय और धर्म के नाम पर रुद्धिवादी हो गये। राष्ट्रीय भावना जाती रही। देश जाय चूल्हे में, हमें दया-क्षमा और सत्य नहीं छांडना है। इस तरह धर्म का डका बजाया गया। तब समाज का क्या होता? अभीतक हम किसी तरह जीवित-जागृत रहे। यह भगवान् की दया समझिए, जिनकी प्रेरणा से यहाँ कुछ वैसे जागृत और 'मर-मिट' तत्त्व मदा बने रहे।

अतिथि-सेवा का अविचारित रूप भी उस तरह की कथाओं में प्रकट ही किया है। इसी तरह धर्म के विविध अङ्गों की गलत व्याख्या की गयी। उन कहानियों को हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि उस तरह हमें कर्तव्य-व्यामोह न हो। महाराजा हरिशचन्द्र और युधिष्ठिर हमारे आदर्श नहीं हैं; न जीभूतवाहन की ही पूजा हमारे यहाँ प्रचलित हुई। हम तो राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने छिपकर भी, छल-बल से, शत्रु को मार, शत्रु को मारने के लिए एक मित्र बनाया और उसे गढ़ी पर बैठाने के लिए उसके बड़े भाई को मारा। हमारे आदर्श श्रीकृष्ण हैं, जिन्होंने समय पर युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवा लिया। वे जानते थे कि युधिष्ठिर तो सत्य का पाठ रटे हुए हैं, जिससे काम बिगड़ जायगा। एक हाँग से काम निकाल लिया। वे जानते थे कि इन्हें सुमझाना कठिन है कि कभी-कभी असत्य भी धर्म हो जाता है अचून को उन्होंने सब स क्योंकि उन्होंने काई

पाठ उस तरह याद नहीं किया था। गीता का यही गौरव है कि उसने धर्म की सूक्ष्म और स्पष्ट व्याख्या उपस्थित की है। गीता ने कहा—‘समत्वं योग उच्यते’—धर्म के अङ्गों में समता-सामन्जस्य ही योग है, श्रेष्ठ कर्म-योग है। न तो ऐसी अहिंसा और क्षमा कि हम भेड़ बनजायें और लोग हमें खा जायें; न ऐसा अविचारित शौर्य कि हम मनुष्य न रहकर भेड़िया बन जायें। अभा और दया का उचित प्रयोग हमें मनुष्यत्व ही नहीं, देवत्व प्रदान करेगा। परन्तु उसका अनभीष्ट प्रयोग हमें कायर और भेड़ बना देगा। फिर अपनी कायरता को लोग अहिंसा में छिपाने भी लगेंगे। शौर्य में क्रोध तथा हिंसा का उपयोग है; पर कर्तव्य सोच-समझकर। निरपराध जन-सहार शौर्य नहीं, कर्साईपन है। गूर और कूर में विवेक ही तो मेदक है।

इसी तरह धर्म के अन्यान्य अङ्गों के सम्बन्ध में समझना चाहिए। दिगा-निर्देश हो गया।

### होम और यज्ञ

हमारे यहाँ होम और यज्ञ का बड़ा महत्व है। धर्म में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। यह अग्नि-पूजा, है। ज्येष्ठ वेद (ऋग्वेद) में सबसे पहला सूक्त है—‘अग्नि-सूक्त’। अग्नि-उपासना पर अत्यधिक जोर है। ऋग्वेद का सबसे पहला जो मंत्र है, उसमें सबसे पहला पद ‘अग्नि’ है—‘अग्नि-सीडे पुरोहितम्...’। इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि अग्नि-पूजा पर कितना बल देते थे उस समय। यह भी लिखा है कि इस अग्नि-पूजा से तुम्हें सुख मिलेगा; तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा; तुम्हारा राज्य समृद्ध तथा विपद-हीन होगा; इत्यादि। हमें सोचना है कि बात क्या है। क्या इसी अग्नि की पूजा करने से हमें वह सब मिलेगा, जिसमें हम भोजन पकाते हैं, या कोई और आग है। निःसन्देह यह आग अभिप्रेत नहीं है। इसकी पूजा से वे फल सम्भावित नहीं हैं, जिनका निर्देश उन मंत्रों में है। हम समझते हैं, यहाँ ‘अग्नि’ शब्द का लाक्षणिक प्रयोग है। वेद जिन्होंने पढ़े हैं, जानते हैं कि वहाँ लक्षणा का कितना अधिक आश्रय लिया गया है विशेषतः साध्य वसाना गौणी लक्षणा का हम कुछ विस्तार से हर-

समझना चाहते हैं।

जिस समय वेदों की रचना हुई, आर्थ-साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और 'देवासुर-संग्राम' जोरो पर था, उस समय एक जलन ज़रूरी थी, जिसमें शत्रु-दल भस्म हो जाय। हम अपने शत्रुओं से कस-कर निपट लें, यह भावना ज़रूरी थी। इसके लिए प्रेरणा-धौकनी चाहिए थी, जो उसको तेज किये रहे। कहीं ऐसा न हो कि देश राज-सुख में लिप्त होकर एकदम ठड़ा पड़ जाय, तिन्नेज हो जाय। इसीलिए सबसे पहले अग्नि-पूजा का उपदेश है— आग की पूजा करो। कृष्ण कहते हैं— 'अग्निमीडे'—मैं अग्नि की उपासना करता हूँ, अग्नि का प्रशासक हूँ। वह आग, जिसमें गत्रु जल जायें।

इस अग्नि का कभी न बुझने दो, यह आदेश है। अग्नि में अच्छी आहुतियाँ दो। यदि दुराचरी जनों को धर्म-युद्ध में ले जाओगे, तो वह बदनाम हो जायगा। महत्व गिर जायगा। सैनिक में सदाचार चाहिए। अच्छी आहुति पड़ने से अभीष्ट मिद्दि जलदी होगी। जितने अच्छे आदमी आगे बढ़ेग आहुति देने को, उनका ही अच्छा। आजाद हिन्द फौज में वह वैसा जोर क्यों आ गया था? इसीलिए कि नेताजी (श्रीसुभाषचन्द्र बोस) स्वयं घोर्चे पर जाते थे, जब जहरत होती थी। यही अच्छी आहुति का तात्पर्य है, जिसे बाद में लोगों ने धी-साकल्य समझ लिया, जब 'अग्नि' से यह मामूली आग समझी जाने लगी! यह होम नित्य की बात है। सदा तेजस्विता रखो।

'यज्ञ' का महत्व बहुत अधिक है। यज्ञ है क्या? विशेष अवसर पर विशेष नमारोह से अग्नि-पूजा। साधारणतः अग्नि-पूजा तो नित्य-विधि में है। हम में तेजस्विता न हो, तो हमारे दैनिक काम ही आगे न बढ़े। हमारा धर लुट जाय, इज्जत लुट जाय। इसीलिए नित्य-विधि में अग्नि-यूजा है। उस अग्नि ( तेजस्विता ) का प्रतीकरूप हमने भौतिक अग्नि स्वीकार किया और उन आहुतियों ( वीर हुतात्माओं ) का प्रतीक लिया धूत आदि सामग्री! कालान्तर में प्रतीक को ही असली चौज मान दें। जैसे राष्ट्र का प्रतीक हमारा तिरगा भंडा है। हम उसका सम्मान करते हैं और उसकी वेइज़ती को राष्ट्र की वेइज़ती समझते हैं। अब यदि

कोई ऐसा मूर्ख हो, जो कहे कि हमारे लिए तो भंडा ही सब कुछ है और इसके सम्मान के लिए तो राष्ट्र को भी छोड़ सकता हूँ; तो उमेर आप क्या कहेंगे? इसी तरह शत्रुपराभवकारिणी 'अग्नि' की उपासना भूलकर इस भौतिक आग को ही सब-कुछ समझने लगे।

हों, मैं 'यज्ञ' के विषय में बतलाने जा रहा था। बतलाया गया कि नित्य की अग्नि-पूजा एक साधारण धर्म है। विशेष अवसर पर जब सामूहिक रूप में अग्नि-पूजा होती थी, तो उसे 'यज्ञ' कहते थे। यज्ञ मंत्र-पूर्वक होता है। मंत्र, मत्रण, मूक वच्ची तरह सोच-विचार। जब अच्छी तरह 'मत्रण' करके सामूहिक रूप से अग्नि-पूजा की जाती थी, तो उसे 'यज्ञ' कहते थे। यज्ञ में पशु-वध आवश्यक। 'पशु' क्या? 'पशवः आत-तायिनः'—'आततायी' को पशु कहते हैं। आततायी वह, जो हमारे देश को लूटने आये, हमें बद्रिद करने आये, हमें कर्तव्य-भ्रष्ट करने आये और किसी तरह भी न माने। उस शत्रु से निवटना हमारा धर्म है। ऐसे ही 'पशुओं' का वध यज्ञ में आवश्यक है। ऐसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है; मुक्ति मिलती है। हम स्वतन्त्र होकर सक्षार का मुख प्राप्त करते हैं। 'यज्ञ' का बड़ा महत्व है।

जब हम 'अग्नि' को साधारण अग्नि समझते लगे, तब 'पशु' को भी यही चौपाये समझने लगे। बेचारे पूरु और निर्गपराध उपयोगी पशु काट-काटकर आग में डाले जाने लगे। प्रतिक्रिया में बुद्ध भगवान् का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर अहिंसा का अतिरेक! उसकी दवा फिर दूसरे आचार्यों ने की। परन्तु 'हीम' तथा 'यज्ञ' में 'अग्नि' वही रही। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी 'अग्नि' से साधारण आग ही अर्थ समझा है। आप कहेंगे, तो क्या कुण्ठे में भाँग पड़ गयी? क्या किसीकी भी समझ में बात न आयी और एक आपही नये व्याख्याना पैदा हुए हैं, जिन्हें यह नया अर्थ मूझा? मेरा निवेदन है कि हाँ, कभी-कभी कुण्ठे में भाँग पड़ जाती है। यहाँ उदाहरण के रूप में हम कुछ ऐसी ही बातें उपस्थित करेंगे।

भारतीय काव्य-धारा में सूर्य तथा कमल का सम्बन्ध प्रसिद्ध है सस्कृत, हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं वे काव्य-साहित्य में प्रसिद्ध हैं कि सूर्य के चरम होने पर कमल स्थिरता

और सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरझा जाना है, या सम्पुटित हो जाता है। कालिदास आदि महाकवियों ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। प्रभात तथा सन्ध्या के वर्णन में सूर्य और कमल का उस झप में वरण अवश्य आयेगा। यह 'कवि-समय' के अन्तर्गत आना है, कवियों के साधारण वर्णनीय विषयों में यह है। मैंने देखा, यह बात गलत निकली। सूर्य के छिप जाने पर कमल का फूल तो न मुरझाता है, न सम्पुटित होता है, वैसा ही खिलता रहता है। पूर्णिमा की उजेली रात में चार-चार घण्टे में रायपुर (म० प्र०) के तालाबों पर बैठा देखता रहता था। यहाँ कमल बहुत है। जब यह मैंने देखा, तो लिखा (शायद अपनी 'साहित्य-मीमांसा' में) कि ऐसा वर्णन अब कवियों को बन्द कर देना चाहिए, जो प्रत्यक्षतः प्रकृति-विरुद्ध हो। कोई विदेशी जन हमारे ऐसे वर्णन पढ़कर हमारे प्रकृति-निरीक्षण को क्या कहेगा? यह मैंने उस समय लिखा था। परन्तु 'अग्नि-पूजा का' अर्थ जब मेरी समझ में आया, तब इस 'सूर्य-कमल' प्रकरण को भी समझने में देर न लगी। यहाँ भी उसी (साध्यव-साना गौणी) लक्षणा का खेल है, जिसका 'अग्नि-पूजा' में। सूर्य तथा कमल से यहाँ जो अध्यवसित थे, हमारी आँखों से ओझल हो गये। 'वस्तुतः' सूर्य तथा कमल पुरुष और स्त्री के लिए लक्षणा करके किसी चतुर कवि के द्वारा कही प्रयुक्त हुए होंगे। फिर लोग लक्ष्यार्थ समझने में असमर्थ हो गये और वाच्यार्थ ही प्रहण कर बैठे !

यों समझिए, किसी तेजस्वी पुरुष का वियोग-प्रकरण है। तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध उपमान सूर्य है और कोमलता तथा सुन्दरता के लिए स्त्री-मुख का उपमान कमल। पति-वियोग में स्त्री-मुख कुम्हला गया, श्री-हत हो गया ऐसा वर्णन है। इसके लिए किसी चतुर कवि ने कही किसी समय लक्षणा द्वारा यो वर्णन किया होगा — 'सूर्य के हटने ही कमल मुरझा गया, कवि की और उसके काव्य की प्रशस्ता हुई होगी। सब लोग उस काव्य को पढ़ने लगे होंगे; पर बाद में लक्ष्यार्थ ध्यान से ओझल हो गया। सब लोग तो लक्ष्यार्थ समझ भी नहीं पाते। तब रोज सन्ध्या के बाद कमल के फूल सम्पुटित हो जाते हैं भुरझा जाते हैं श्रीहीन हो जाते हैं जब

## होम और यज्ञ

किसी ने देखा कि ऐसा तो नहीं होता। सन्ध्या के बाद भी कमल खिले रहते हैं, तब यह कहकर इसी वाच्यार्थ का समर्थन किया कि यह 'कवि-समय' है। कवि लोग ऐसा वर्णन करते चले आये हैं। इस तरह उस सुन्दर लक्ष्यार्थ को भूलकर वाच्यार्थ ग्रहण किया और फिर उसे रुढ़ि ( 'कवि-समय' ) के द्वारा समर्थित किया।

इसी तरह प्रिय-मिलन का वर्णन करते हुए कहा गया होगा 'सूर्य के दर्शन होते ही कमल खिल उठा।' बाद में वाच्यार्थ मात्र ग्रहण कर लिया गया और प्रत्येक कवि प्रातःकाल का वर्णन करते समय कमलों के खिलने का वर्णन करने लगा।

यही नहीं, कमल में भौंरे का बन्द हो जाना भी कविता में अह मधा और सच माना जाने लगा कि सन्ध्या-समय जब कमल का फूल सम्पुटित होता है, तो उसपर बैठा हुआ भौंरा उसीमें बन्द हो जाता है। सबेरे जब कमल फिर खिलता है, तब भौंरा जीता-जागता निकल आता है। हवा कैसे पहुँचती है? कमल को काटकर वह निकल क्यों नहीं आता? इसके भी उत्तर तैयार किये गये। कहा जाने लगा कि भौंरा लकड़ी को तो काट लेता है; पर कमल के फूल को कैसे काटे? उससे तो प्यार करता है न! इसीलिए उसे काटकर नहीं निकलता। वेचारा उसीमें बन्द पड़ा रहता है। सबेरे निकलता है। यह बात भी सच मान ली गयी। लक्ष्यार्थ भूल जाने को यह परिणाम है। कभी किसी कवि ने किसी बच्चे या स्त्री के जागने का वर्णन किया होगा। प्रातःकाल आँख खुली, यह वर्णन होगा। आँखों का उपमान कमल प्रसिद्ध है और काली पुतली का उपमान भौंरा है। सुन्दर रत्नारेनेओं में काली पुतली इस तरह इधर-उधर घूमती है, जैसे खिले हुए कमल-पुष्प पर भौंरे रस ले रहे हों। सबेरे कोई जागा, इसका वर्णन कविने किया - 'सूर्य' का उदय होते ही कमलों की पंखड़ियाँ फिर खिल उठीं, जो सन्ध्या समय सम्पुटित हो गयी थी। उनमें जो भौंरे बन्द पड़े थे उन्मुक्त हुए और फिर घूम-घूमकर रस लेने लगे। 'सूर्य' का यहाँ लक्ष्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ गृहीत है। सूर्योदय हुआ और वह सुन्दर बच्चा जागा। कमल उसकी आँखे और भौंरा उसकी पुतली इस को भी भूम्भकर में पह भये और फिर इ-

भी कहीं उठा ले गये। तब सब को मिलाकर कहा जाने लगा—‘सन्ध्या-समय, सूर्य छिपने पर कमल के पूल सम्पुटित हो जाते हैं और भौंरा उसीमें बन्द हो जाता है। जब सबेरे सूर्य निकलता है, तब कमल फिर खिलता है और बन्द भौंरा कैद से छुटकारा पा जाता है। इसी अर्थ को लेकर बड़े-बड़े कवियों ने कविताएँ की हैं। तो, क्या कुएँ में भाँग पड़ गयी ?

यही नहीं, दूसरे देशों में भी लक्ष्यार्थ भूल जाने से गड़-बड़-धोटाला हुआ है। फारसी के किसी कवि ने किसी समय स्वर्ग की अप्सराओं का रूप-वरण करते समय कहा होगा—‘वे सौन्दर्य की प्रतिमाएँ हैं और जमीन पर तो उनके पैर ही नहीं पड़ते। वे तो आकाश म उड़ती हैं।’ असम्बन्ध में सम्बन्ध-लक्षणा का स्थल। हम लोग जब किसी के धन आदि के अतिरेक का वरण करते हैं, तब कहते हैं—‘उसके इतना धन है और उसका इतना गर्व है कि पैर जमीन पर नहीं पड़ते। सचमुच वह आजकल आकाश में उड़ता है।’ मतलब यह कि लोकातिकान्त धन और तज्जन्य गर्व है। इस लक्षणा को बाद में लोग भूल गये, पर इस कवि की कविता तो प्रसिद्धि पा चुकी थी, सब पढ़ते रहे। ‘वे उड़ती हैं। उन के पैर जमीन पर नहीं लगते।’ ठीक, तो उनके पर लगे होगे, तो भाई, देव-बधूटियों के पर लग गये और उनका नाम भी ‘परी’ पड़ गया। यह न समझा कि किसी स्त्री के पंख लगा दिये जायें, तो उसकी शोभा क्या बढ़ जायगी ? ‘परी’ तो वे हुई, यदि ‘सींगवाली’ भी हो जाती, तो शोभा और बढ़ जाती। भजा यह कि उन ‘परी’ (परवाली) स्त्रियों के रूप सौन्दर्य का बखान भी है। बाद में ऐसी भी कहानियाँ बनीं कि अमुक परी अमुक को लेकर उड़ गयी। जैसे कोई भेड़िया किसीको उठा ले जाय। यह सब लक्ष्यार्थ भूल जाने का परिणाम है। कविता में तो खैर कुछ नहीं, पर वेदार्थ में लक्षणा-विस्मरण से यज्ञ आदि का क्या अर्थ किया गया और पशु-हत्या कैसे हुई, सो देखिए।

जब अग्नि-पूजा से इसी भौतिक अग्नि की पूजा ग्रहण की गयी, तो बाद में (आर्य-समाज ने) उसकी पुष्टि में ‘वायु-शुद्धि’ का हेतु दिया। बच्चे को तोला भर धी न मिले, सबेरे हवन-कुण्ड में जहर पड़े ! क्यों ?

इसलिए कि हवन करना धर्म है, वायु शुद्ध होगी। अशुद्ध वायु इस सुगन्ध से शुद्ध चाहे न हो, उसकी अशुद्धता (बदबू) दब जरूर जायगी। परन्तु वह काम तो साधारण अगर-बत्ती आदि से भी हो सकता है न? वायु अशुद्ध ही क्यों करो? सफाई रखो। इंग्लैंड, अमरीका, जापान आदि में हवन नहीं होता, तो क्या वहाँ वायु बहुत गन्दी रहती है? क्या वहाँ स्वास्थ्य हमसे भी खराब रहता है?

बात क्या है? कहीं स्वास्थ्य-प्रकरण में लिखा होगा कि 'धी से वायु शुद्ध होती है। यदि अग्नि में नित्य तोला-दो तोला धी पड़ जाय, तो वायु शुद्ध रहेगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा।' सब जानते हैं कि शुष्क भोजन से शारीर की वायु विकृत (अशुद्ध) होनी है और तरह-तरह के रोग पैदा करती है। यदि इस आग (जठराग्नि) में नित्य प्रातः-सायं तोला-तोला भी धी होम दिया जाया करे, तो वायु शुद्ध रहे, गड़बड़ न हो और फिर रोग पैदा न हों।

इस स्वास्थ्य-प्रकरण की जठराग्नि को भी ऊपर की वही आग समझ लिया गया और अग्नि-पूजा के समर्थन में हेतु दिया जाने लगा।

संक्षेप में यह कि जब वेद वन रहे थे, आर्य-जन अपने उत्कर्ष में लीन थे, तब संघर्षमय जीवन था (देवासुर-सग्राम चल रहा था)। इसीलिए उस समय उन्होंने 'अग्नि-उपासना' पर वैसा जोर दिया था। 'यज्ञ' आप धर्म-स्थापनार्थ 'महासमर' समझिए। उसीकी प्रशंसा में यह सब है। फिर उसे लोगों ने क्या का क्या वना दिया, स्पष्ट है। बड़े-बड़े ग्रन्थ वने, यज्ञ का विधि-विधान बताने के लिए।

जो भी हो, जो कुछ मैंने समझा, लिख दिया। हमारे कृषि साधा-रण जन न थे। वेद में लाक्षणिक प्रयोग अनन्त हैं। जैमिनि ने और महर्षि यास्क ने स्पष्ट कहा है कि वेदार्थ करते समय लक्षणा पर पूरा ध्यान रखना चाहिए; क्योंकि वेदों में लाक्षणिक प्रयोगों की कमी नहीं है। जब मुख्यार्थ (वाच्यार्थ) का बोध हो, उपपत्ति ठीक न बैठें, तभी लक्षणा आ जायगीं किसी सम्बन्ध को लेकर। लक्षणा को जब लोग भूल जाते हैं, तो साधारण वाच्यार्थ ही सब-कुछ समझ बैठने हैं और उस (चाधित अथ) की उपपत्ति के लिए उरह-चर्झ की जाती और कहानिय-

११६

## मेरे कुछ मौलिक विचार

गढ़ते हैं। जब कोई और बात नहीं मिलती, तो 'कवि-समय' की तरह रुद्धि की दुहाई देने लगते हैं—'ऐसा चला आता है।'

अग्नि-पूजा के सम्बन्ध में मैंने एक यह नयी उद्भावना की है। मैं नहीं कहता कि मेरा ही मत सही है, और मव गलत। पर विचार-कोटि में यह भी रखनेयोग्य है। क्या आश्चर्य, हमारे ऋषियों ने 'अग्निमीड़े' का प्रयोग उसी अर्थ में किया हो, जो मैंने समझा है। निःसन्देह यह एक विचारणीय विषय है। मुझे आशा है, धर्म-मीमांसा में रस लेनेवाले विद्वान् इसपर चर्चा चलायेंगे।

## अतिथि-सेवा

अतिथि-सेवा भी धर्म का एक अंश है। समाज के लिए धर्म का मह अश अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप किसी ऐसे देश में चले जायें, जहाँ कोई 'अपना' न हो, तो क्या हो ? आप कहाँ जायें ? क्या करें ? यदि कोई आपको सहारा न दे, तो ? कैसी विपत्ति ! इसीलिए धर्मशास्त्र में अतिथि-सेवा पर जोर दिया गया है। इसीका प्रतीक हमारी वे धर्म-शालाएँ हैं, जहाँ कोई भी बटोही टिक सकता है। यहाँ उसे मव तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। और किसी देश या समाज में 'धर्मशाला' जैसी कोई चीज नहीं ; होटल या सराय तो हैं। धर्मशाला में सेवा की भावना है, अतिथि-सेवा है और होटल या सराय में दूकानदारी। घर पर आया कोई अतिथि भूखा न रहना चाहिए, यह मनु का उपदेश है। परन्तु इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई ठग अतिथि बनकर न आ जाय और धोखा न दे। बुद्धि से परीक्षा कर लेनी चाहिए। रँग-ढँग से सब मालूम पड़ जाता है।

मनु के दो इलोक हैं—

आसनाशनशय्याभिरद्भर्मूलफलेन वा ।  
नाऽस्य कश्चिद्वसेद्गेहे शक्विततोऽनचितोऽतिथिः ॥

और—

## अतिथि सेवा

—गृहस्थ के घर आया हुआ अतिथि अवश्य सत्कृत होना चाहिए। यथाशक्ति आसन, भोजन, शय्या आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिए। और कुछ न हो, तो फल-फूल से या जलमात्र से उसका सम्मान करना चाहिए।

—परन्तु अतिथि के रूप में यदि पाखण्डी लोग हो, तो उनका भत्कार तो क्या, उनसे भी वात भी न करनी चाहिए। दूर से ही धता बनाना ठीक है। ऐसे पाखण्डी वडे ही कुकर्मा होते हैं। ये शठ विल्ली की तरह दबे आने हैं और मौका पाकर भपटते हैं। इनका हेतु छिपा होता है। ऐसे बगला-भगतों से सावधान रहना चाहिए।

मनुका मतलब यही है कि अतिथि-सेवा करो, पर सावधान भी रहो। अतिथि के रूप में कही भेड़िया और सॉप न आ जायें। मयूरध्वज की तरह चक्र में न पड़ जाना। मयूरध्वज ने कहीं धर्मशास्त्र में सुन लिया कि अतिथि को ईश्वर मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। यह नहीं मुना कि पाखण्डियों से बचे रहना चाहिए। फल यह हुआ कि एक 'अतिथि' के कहने से, उसके पालनू शेर को खिलाने के लिए, अपने इकलौते अबोध बच्चे को मार डाला। कहते हैं, राजा और रानी ने आरे से उस बच्चे को चीरा। उस अतिथि ('साधु') की यही आज्ञा थी। कैसी मूर्खता है! कोई हृद है! मां-बाप के द्वारा बच्चे को आरे से चीर देना, एक अतिथि के पालनू पशु का पेट भरने के लिए। ऐसी मूर्खता की अनेक कहानियाँ हैं। लोग अधर्म को धर्म समझ बैठते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि खुदा को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी करनी चाहिए। मतलब यह कि कर्तव्य-पालन में बड़ा-से-बड़ा त्याग करना चाहिए, यदि जरूरी हो। इसीसे भगवान् प्रसन्न होते हैं। यदि अपने प्राण भी देने पड़े, तो तैयार रखने चाहिए। परन्तु एक भगतजी ने क्या समझा, ? उन्होंने समझा कि मुझे अपना पुत्र सबसे प्रिय है। उसीकी कुर्बानी कर देनी चाहिए। यह सोचकर वे उसे एकान्त में ले गये और उसकी गर्दन पर तलबार चला दी। कहते हैं, खुदा की मेहरबानी, बच्चा तो बच गया और उसके बदले एक मेड़ा कटा मिला। तभी इदुल फिल की कुर्बानी खली। इसी तरह कहते हैं मयूरध्वज का लड़क

भी जी उठा था। सो, यह तो भगवान् की दया, जो वे बच्चे बच गये। पर माँ-बाप की मूर्खता और कसाईपन तो देखिए। यह सब धर्म का रूप न समझने के कारण।

लड़कियों की एक परीक्षा में 'धर्मशास्त्र' भी वैकल्पिक विषय था। परीक्षा में जो पुस्तक नियत थी, उसमें 'धर्मत्मा' लोगों की बड़ी विचित्र कथाएँ दी हुई हैं। अतिथि-सेवा का भर्म समझने के लिए एक 'सुदर्शन' नामक राजा और उसकी रानी की कथा दी हुई है। वह यो है—

किसी समय सुदर्शन नाम का एक धर्मत्मा राजा राज करता था। उसकी रानी भी बड़ी धर्मत्मा थी। राजा-रानी अतिथि को ईश्वर मान-कर सेवा करते थे। एक दिन की बात, एक 'देवताजी' साधु के वेश में अतिथि बनकर आ गये, जब कि राजा घर पर न थे। रानी ने आत्थि-सत्कार करना चाहा। भोजन करने के लिए कहा। पर, 'अतिथि' जी ने कहा—मुझे तो तेरा शरीर चाहिए। रानी अतिथि को ईश्वर मानती थी। वह शरीर-दान के लिए तैयार हो गयी। इसी समय राजा आ गये। जब उन्हें मालूम हुआ कि अतिथि ने रानी का शरीर माँगा है, तब वे भी राजी हो गये और कहा कि आज रानी धन्य है और उसके सम्बन्ध से मैं भी। शरीर अतिथि-सेवा के काम में आये, इससे बढ़कर क्या?

इस बेहदा कहानी का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सहस्र लड़कियां परीक्षा में बैठती हैं। लाखों लड़कियां यह कहानी तथा इसी तरह 'धर्म' की दूसरी कहानियां पढ़ती-पढ़ाती हैं। उन्हें समझाया जाता है—तुम भी इसी तरह अनिष्ट-सेवा करो। इस तरह धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; बढ़ाया जा रहा है। मठ-मन्दिर के महन्त नहीं, देश में शिक्षा प्रचार करनेवाले देश-भक्तों के द्वारा यह 'धर्म-प्रचार' हो रहा है! इसे कौन रोके? यह गन्दगी देश की नष्ट कर देगी। अभीतक हम बचे हुए हैं; यह भगवान् की ही कृपा। अन्यथा मयूर-ध्वजों ने और सुदर्शनों ने तो खत्म ही कर दिया था।

सारांश यह कि अतिथि-सेवा धर्म है, पर इसमें भी सावधानी अपेक्षित है। धोखे में मत पड़ो। हमें विश्वास है, मयूरध्वज तथा सुदर्शन के समान मूढ़ लोग तो समाज में अब न मिलेंगे, जो जीती मक्खी निगल

जायें ! हाँ, धोखा लग सकता है। कोई अतिथि बनकर आये और घर का सामान बटोर ले जाय, यह हो सकता है। इसीलिए कहा है—

‘अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्’

—ऐसे किसी व्यक्ति को घर में मत ठहराओ, जिसे अच्छी तरह न जानते होओ। इसीलिये हिन्दुओं ने ‘धर्मशाला’ बनवाना शुरू किया होगा। अतिथि-सेवा भी और घर से दूर भी।

बहुधा ‘साधु’ के वेश में बदमाश लोग धूमते हैं। लोग इन्हें अपने यहाँ ठहरा लेते हैं और ईश्वर मानकर इनकी सेवा करते हैं। ये लोग बड़े धूर्त होते हैं। जब घर बर्बाद हो जाता है, तब भगतजी को होश आता है।

इसीलिए मनु ने चिलाकर कहा है कि ‘पाखण्डियों से बचो।’

### तपस्या

धर्म में ‘तप’ का बहुत अधिक महत्त्व है। मनु ने लिखा है

यद् दुस्तरं, यद् दुराषं, यद् दुर्गं, यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

—जिसे पार करना बहुत कठिन है, तप के द्वारा वह पार किया जा सकता है; दुर्लभ पदार्थ भी तप से सुलभ हो जाता है; जहाँ पहुँचना असम्भव समझा जाता है, वहाँ तप के द्वारा पहुँच सकते हैं; जो दुष्कर समझा जाता है, तप उसे सुकर कर देता है।

इसी तरह न जाने कितनी प्रशंसा तप की मनु ने की है। अन्य धर्म-शास्त्रों में तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि धर्मशास्त्र के दार्शनिक ग्रन्थों में भी तप का बड़ा माहात्म्य बतलाया गया है। निःसन्देह तप धर्म का नवनीत है, ऐसा जान पड़ता है।

अच्छा, तो यह तप या तपस्या है क्या चीज, जिसका ऐसा माहात्म्य है ? लोग कहते हैं—भूख, प्यास, जाड़ा-गरमी, धूप-मेह आदि के कष्ट महने को तप कहते हैं। जाडे के दिनों में किसी गहरे तालाब अथव मट्टी आदि में गले तक हूँचकर स्थान रहना गरमी के दिनों में प्रबल

सूर्य की किरण सिर पर लेना और चारों ओर आग जलाकर भुलसते रहना, अन्न-जल त्यागकर शरीर सुखा देना इत्यादि तपस्या है।

हम पूछते हैं कि क्या यही वह तपस्या है, जिसकी बैसी भहिमा गयी गयी है? क्या इसीसे भगवान् प्रसन्न होते है? यह क्यों? धर्म का अङ्ग यह तपस्या कैसे? ऐसे तप से समाज का क्या उत्कर्ष? भगवान् इससे प्रसन्न होते हैं, ऐसी कल्पना का आधार क्या है? यदि मेरा लड़का कुछ काम घर का न करे और खाना-पीना छोड़कर धूप में खड़ा रहे, तो इससे क्या मुझे प्रसन्नता होगी? तप का उपर्युक्त लक्षण गलत है। उसमें जान नहीं है। आप 'समाज के हितार्थ' उसमें जोड़ दे, तो जान पड़ जायगी। तब वह लक्षण सजीव हो जायगा। तप का पूरा लक्षण यह है—

समाज के कल्याण के लिए यदि कोई दुःसह कष्ट सहन करता है, तो वह 'तप' है।

यही तप धर्म का प्राण है, जिसकी उत्तरी प्रशंसा की गयी है। आप नदी में स्नान कर रहे हैं या किनारे बैठे सन्ध्या कर रहे हैं। उसी समय कोई बच्चा नहाते-नहाते धार में पड़ गया और डूबने-बहने लगा तो आपका कर्तव्य क्या है? आप अपनी सन्ध्या छोड़कर और माला फेंक कर ढौड़े और उस बच्चे को पकड़ कर बचायें। यह आपका धर्म है। परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। सन्ध्या-वन्दन करना आपका साधारण धर्म है, नित्य विधि है; कीजिए।

परन्तु उस समय जो यह विशेष धर्म या कर्तव्य सामने आ गया है, उसके लिए उस सामान्य धर्म को उत्तरी देर के लिए छोड़ देना होगा। यदि आप ऐसा न करेंगे, तो भगवान् आपसे प्रसन्न होंगे क्या? उस बच्चे को बचाकर आप कर्तव्य-पालन करेंगे, धर्म करेंगे।

अब 'तप' समझिए। मान लीजिए, थरथराते जाडे के दिन हैं और बच्चा इतनी दूर चला गया कि वहाँ पहुँचकर उसे बचाना अपनी जान औसिम में डालना है। मूँब खड़े देख रहे हैं पर किसीकी हिम्मत नहीं उसे बचाने की। इसी समय एक व्यक्ति की उधर दस्ति पड़ी, जो अच्छी आँख रंगना जानता है पर स्तर से भी मालूम होता है। उसमें

हिम्मत की, यह सोचकर कि मैं निकल सकता हूँ। उसने सोचा, यह बच्चा न जाने कितनी कीमत रखता है। मालूम नहीं, आगे चलकर यह कितना बड़ा वैज्ञानिक या राजनीतिक नेता बने, समाज का कितना उपकार करे। उसने अपने जीवन के मूल्य को भी तोल लिया कि मैं जो कुछ हो सकता था, हो चुका। सब सामने हैं; इस तरह, समाज का अधिक लाभ सोचकर वह भ्रमाक में पानी में कूद पड़ा। कड़कड़ाती सरदी में आध घटेतक जान आफत में डाले वह बच्चे को उछंय उठाये बाहर निकल आया। यह उसकी तपस्या हुई, जल का कष्ट-सहन।

इसी तरह, समझिए, किसी मकान में आग लग गयी। उसमें कोई बच्चा, वृद्ध, रोगी या अबला रह गयी। लपटें उठ रही हैं। बाहर खड़े लोग तरस खा रहे हैं और करणा प्रकट कर रहे हैं। पर इससे बने क्या? इसी समय एक साहसी व्यक्ति ने यह जाना और आगे बढ़ा। वह अपने में इस फुर्ती और कला का अनुभव करता था कि आग की लपटों में धूमकर उसमें फैसे व्यक्ति को निकाल लायेगा। फिरभी, खतरा तो था ही। प्रत्यक्ष मृत्यु के मुख में जाना था। वह भ्रमटकर आगे बढ़ा और चतुराई से ऊपर चढ़कर घर में कूद पड़ा। पीछे पर उस प्राणी को लेकर बाहर निकल आया। परन्तु यह सब करते वह काफी झुलस गया। यह उसका तप हुआ, आग में अपना शरीर उसने जलाया, समाज के कल्याणार्थ।

कोई बच्चा कहीं भेले-ठेले में माँ-बाप में बिछड़-भटक गया और रोता फिर रहा है। लोग देखते चले जाते हैं। मन में दया भी आती है, पर निष्फल! कोई कुछ मदद नहीं करता। एक व्यक्ति ने धर्म समझा। उसने बच्चे को गोद में लठा लिया। अपने बच्चों के माथ उसे भी सिलाया-पिलाया। फिर माँ-बाप का पता लगाया। अस्त्रार में विज्ञापन लगाया। पना लगने पर उसके माँ-बाप आये, तो उनका भी आतिथ्य किया। इस तरह उसने अपने दस-बीस सूपये खचं किये। यही 'दान' है। इसका बड़ा महत्व है।

अब तपस्या लीजिए। मान लीजिए, वह बच्चा एक गरीब आदर्म को मिला जो नित्य मजदूरी करके सहता है। उसने उस बच्चे क

खिलाने-पिलाने में और खोज-खबर लगाकर उसके माँ-बाप के पास उसे पहुँचाने में यदि दस-पाँच स्पष्ट खर्च कर दिये, तो अवश्य ही उसके दैनिक जीवन में कहीं भी निकलेंगे। इस खर्च का परिणाम यदि वह हुआ कि उसे और उसके कुटुम्ब को दो-तीन दिन फाँके करने पड़े; केवल छोटे बच्चों को रोटी मिल पायी, तो यह उसकी तपस्या होगी। उसने अन्न-त्याग किया, एक समाज-हितकर काम के लिए। भूखे रहकर तीन दिन तक उसने जो कप्ट सहा और अपने कुटुम्ब को भूखा-व्याकुल देखकर जो कप्ट का अनुभव किया, वह उसका तप है। कुटुम्ब भी तपस्वी। इस तप का उस 'दान' की अपेक्षा करोड़ गुना महत्व है।

कभी-कभी किसी तप से प्रत्यक्ष समाज-हित नहीं दिखायी देता है, पर होता अवश्य है। कहने हैं, अरव देश का एक बादशाह अपने देश के किसी शत्रु पर चढ़ाई किये, सेना लिये जा रहा था। गरमी के दिन थे; कड़कड़ाती दुपहरी। रेगिस्तानी रास्ता। बादशाह प्यास के मारे तड़प रहा था। सभी सिपाही प्यास से व्याकुल थे। दो-चार सिपाही आगे-आगे इधर-उधर पानी की टोहू लेते चल रहे थे। एक जगह खज्जर के नीचे एक बूढ़े की झोपड़ी मिल गयी। सिपाही लोग बूढ़े प्रसन्न हुए और उस बूढ़े के पास जाकर बोले कि "बादशाह सलामत आ रहे हैं, बहुत प्यासे हैं। यदि तेरी सुराही में पानी हो, तो पेश कर दे; निहाल हो जायगा।" बूढ़े ने तुरन्त मुराही का पानी गिलास में किया। कुल एक गिलास पानी निकला। आगे बढ़कर उसने बादशाह को सलाम किया और पानी पेश किया। बादशाह में जान पड़ गयी, पानी देखते ही नपककर पानी का गिलास हाथ में ले लिया, और पीने के लिए आठों के समीप ले गया; पर उसकी आँखें अपनी सेना के उन असंख्य वीरों पर जा पड़ीं, जो उसके इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे। बादशाह ने गिलास ओठों से हटा लिया, एक बृंद भी मुह में न जाने दी। एक गिलास पानी कौन-कौन पिये! उसने स्वयं पानी पीना धर्म-विरुद्ध समझा, जब कि इतने प्राणी उसी तरह तड़प रहे हैं, जो उसीके अनुयायी हैं। बादशाह ने गिलास आगे बढ़ाया और हाथ फैलाकर कहा—'या खुदा, इस गिलास भर पानी से मेरी इस फौज की प्यास

बुझ जाय । ऐसा कहकर उसने वह गिलास का पानी पृथ्वी पर फेक दिया । बूँदे को इनाम देकर उसी तरह प्यासा वह आगे बढ़ गया ।

बादशाह की यह तपस्या हुई । इससे उसके समाज का हित हुआ । पृथ्वी पर गिलास भर पानी फेक देने से सम्पूर्ण फौज की प्यास क्या बुझ गयी ? जी हाँ, बुझ गयी । मिपाहियों को यह चात भालूम हुई होगी, तो वे गद्गद हो गये होंगे । इससे अधिक तृप्तिकर और क्या हो सकता है कि बादशाह वैसी प्यास में भी हाथ में आये हुए गिलास का पानी केवल इसलिए न पिये कि उसकी फौज भी उसी तरह प्यासी है । वे मैनिक तब बादशाह के प्रति कितने अधिक बफादार हो गये होंगे । उनकी उस बफादारी का उनके समाज के लिए मूल्य है । बादशाह करोड़ों रुपये इनाम बांटकर भी अपने मिपाहियों में वह बफादारी पैदान कर सकता था, जो उसने अपने इस तप से पैदा कर दी ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने वरमा के जङ्गलों में जो तप का जीवन अपनाया, उससे आजाद हिन्द फौज में नवजीवन का सञ्चार हो गया था । यही कारण है कि नेताजी ने वह जाढ़ कर दिखाया, जो किसी दूसरे नेता से न बन पड़ा । महाराणा प्रताप का तप प्रसिद्ध ही है । पूर्वकाल के ब्राह्मण समाज-सेवा के लिए जो तप करते थे, सब जानते हैं । तभी तो बड़े-बड़े सम्राट् उनके चरणों की रज लेकर बन्ध होने थे ।

इसके विपरीत, व्यथं ही जो कष्ट सहे, आग में जले, वर्षा में गले या भूखों मरे, तो वह तप नहीं है, तप का मुर्दा है । वह तो एक मूखता है । समाज का उससे हित क्या ? निरर्थक कष्ट-सहन से भी क्या भगवान् प्रसन्न होंगे ? हम अपना सिर छाम्भे से टकराकर फोड़ लें और कहें कि हम कष्ट महकर तप कर रहे हैं भगवान् को प्रसन्न करन के लिए, तो लोग क्या कहेंगे ? हमारा लड़का किसी अच्छे काम के करने में यदि साहस प्रदर्शित करे और आये हुए कष्ट का सामना करके उद्धिष्ठ मार्ग पर आगे बढ़े, तो उसकी कत्तव्य-निपाठा से हम प्रसन्नता होगी । परन्तु यदि वह बिना किसी काम के ही मुसीबत में पै, यह सौचकर कि इससे हमारे पिताजी प्रसन्न होमे तो आप उसकी बुद्धि को क्या कहेये ?

उसके उस व्यर्थ कष्ट-सहन को आप तपस्या कहेगे क्या ?

सारांश यह है कि तप या तपस्या का बड़ा माहात्म्य है। धर्म का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए धर्मशास्त्र में इसके बैमे गुण गये गये हैं। परन्तु आगे चलकर हम तपस्या का रूप भूल गये। 'जन-हित' की जान उसकी अलग कर दी और 'कष्ट-सहन' के खोल को की सर्वस्व मान बैठे ! इसीलिए लोग अवतक आग में जलते रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं और न जाने क्या-क्या करते हैं। कोई-कोई अपनी जीभ काट कर देवी को चढ़ा देते हैं। कहते हैं, माँ इससे प्रसन्न होगी। वह कैसी माँ, जो बच्चे की जीभ कटवाकर खुश हो !

सो, धर्म का अर्थ ठीक न समझने के कारण ये सब गड़दड़े हैं। मनु-ने कहा है कि तप से सब कुछ साध्य है। इसकी सत्यता के लिए आप राष्ट्र का पिछला इतिहास देख जाइए। राष्ट्रपितामह लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस् तथा इनके असंख्य अनुयायियों ने तप करके क्या कर दिखाया ।

### वैधव्य और ब्रह्मचर्य

हमारे धर्म-ग्रन्थों में विवाहों के लिए लिखा है कि उन्हें दूसरा विवाह न करके तपश्चर्या का जीवन विताना चाहिए। इसमें इन्द्रिय-दमन तथा मनोनियह समाज के लिए हितकर हैं। जो बहुत छोटी उम्र की विवाहएँ हैं, उनका विवाह कर देने की विधि है। शेष सबके लिए कहा गया है कि वे आजीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक तप का जीवन विताये, तो समाज का अतिशय उपकार होगा ।

इसमें कारण है। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि जो इस समय हो रही है, चिन्ता का कारण है। शेर की सन्तान संख्या में कितनी होती है और शूकर-कूकर या भेड़-बकरियों की कितनी होती है, देखिए। देश में जितने भी स्त्री-पुरुष हों, सब शरीर में हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर तथा बुद्धि के धनी हों। ऐसे थोड़े लोग भी स्वतन्त्र और तेजस्वी रहेंगे। उन का पराभव कोई न कर सकेगा। परन्तु तीस के पेतीस और पेतीस के चालीस-पचास करोड़ जल्दी-जल्दी होते गये, तो स्थिति क्या होगी ? न

अच्छा खाने को मिलेगा, न ठोक शिक्षा का प्रबन्ध हो सकेगा। दीन-हीन दशा में कोई भी पराभव कर सकता है। इसलिए जनसंस्था को नियन्त्रित रखना परमावश्यक है। इसके लिए कृत्रिम उपाय बरतना समाज का नाश करना है। इसरे रोग बढ़ेगे। संयम इसके लिए आवश्यक है। इसी-लिए व्रह्मियोंने २०-२५ वर्ष तक पूर्ण संयम के साथ व्रह्मचर्च-न्रत का पालन करते हुए विद्याव्ययन का विवाह किया है। स्त्रियों के लिए १६-२० समर्पिए। इस अवस्था तक शरीर सुदृढ़ हो जायगा और मस्तिष्क विद्या में भरपूर। इसके बाद योग्य विवाह और फिर संयम के साथ मुखकर गृहस्थ-जीवन। गृहस्थाश्रम में भी समुचित संयम और व्रह्मचर्च अपेक्षित है। इसके लिए हमारी कुदुम्ब-प्रथा बड़ी अच्छी चीज़ बनी थी। नव वर-वधु अपने कुदुम्ब में, बड़े-बूढ़ों के बीच में, एक सामाजिक नियन्त्रण का अनुभव करते थे। फिर नववधु अपने मातृ-कुल भी बीच-बीच में जाती रहती थी। जबतक उसके एक-दो सन्तान न हो जाय, वह बराबर मातृकुल जाती रहती थी। इससे उसका मन बदलता रहता था और स्वास्थ्य ठीक रहता था। पति बाहर कमाने जाता था, तो साधारणतः स्त्री साथ न जाकर घर पर ही रहती थी। जब सन्तान का भरण-पीपण बढ़ जाता, तब पति-पत्नी साथ माथ रहने लगते थे। सास-समूर और ननद-जेठानी के साथ रहने से नववधु का 'जीवन नियन्त्रित रहता था। पति और पत्नी बहुत कम साथ-साथ रह पाने थे; इसलिए उनमें परस्पर आकर्षण रहता था। सन्तान हो जाने पर वे अधिक साहचर्य में आते थे, तब प्रेम का हिस्सेदार तीमरा प्राणी बीच में आ जाता था। इस तरह पर्याप्त संयम का भरपूर जीवन बीतता था। आज कल विवाह होते ही पति-पत्नी साथ ही साथ रहते हैं। थोड़े दिनतक आकंषण रहता है और फिर सदा साथ रहने में वह द्रुत गति से कम होने लगता है। संयमहीन जीवन आगे चल-कर भार हो जाता है। पूँजी यदि अनियन्त्रित रूप में खर्च की जाय और आय से अधिक व्यय किया जाय, तो दिवाला जल्दी निकलेगा। वह 'क्षय' सामने दिखायी देगा। तब पति-पत्नी एक-दूसरे को इसरे ही रूप में देखेंगे। औबीसों घट्टे साथ रहने से बहुत जल्दी एक-दूसरे

के विपरीत स्वभाव से परिचित हो जाते हैं और धीरे-धीरे असहृदयता हो जाती है। फल होता है सम्बन्ध-परित्याग या साहृच्य-परित्याग। जो एकदम बहुत धी पी लेगा और उससे किसी भयंकर रोग में फँस जायगा, उसे बहुत दिनतक बैद्य धी की छोट भी न देगा। तभी वह बच सकेगा। सो, उतने दिन तक वैसा अनियन्त्रित जीवन विताने के कारण ऐसा साहृच्य-विवात प्राकृतिक उपचार है, कडवा! यदि पहले से ही साक्षात् रहे, तो ऐसी कडवी दबा की जहरत न पड़े।

हाँ, हम वैधव्य के विषय में कह रहे थे। सो, युवावस्था में हमे गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद यदि वियोग हो जाय, तो फिर आगे ब्रह्मचर्य का जीवन विताना चाहिए। स्त्री की तरह पुरुष के लिए भी यही उचित है। स्त्री को विशेष रूप से अगला जीवन ब्रह्मचर्य-पूर्वक विताने को कहा गया है। समाज में इसकी आवश्यकता धी। हमारे समाज में अभीतक वह दशा नहीं आ पायी है कि लड़कियों को जन्मभर वरन् मिलने के कारण, 'मिस' रहना पड़े! पादचात्य देशों में 'मिस' ज्यादा हैं, हमारे यहाँ विवाहाएँ हैं। 'मिस' ने कभी गृहस्थ-सुख नहीं देखा, जब कि विवाह ने उसका अनुभव किया और आगे समाज-हित के लिए वैराग्य धारण किया। यदि हमारे यहाँ हमारी बहनें वैसा आत्म-त्याग न करतीं, पति के न रहने पर एक के बाद दूसरा विवाह करती जाती, तो वैसी परम्परा पड़ जाती और पुरुष भी विवाह से विवाह अधिक अच्छा समझते; क्योंकि उन्हें गृहस्थी चलाने का अनुभव होता है। कन्या में अनुभव-हीनता होती है: इसीलिए पादचात्य देशों में विवाह के साथ विवाह करने को लोग अधिक उत्सुक रहते हैं। इन्लैण्ड के एक बादशाह ने तो एक विवाह के साथ विवाह करना इतना असन्द किया कि उसके लिए राजनगद्दी भी छोड़ दी। इसीका परिणाम है कि उन देशों में 'मिसों' की सभ्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। क्या समाज के लिए यह अच्छा है? हमने मान लिया कि वे सब 'मिस' बिलकुल ब्रह्मचर्य से जन्म विताती हैं और इनमें वैसा कोई कालुप्य-लेश भी नहीं आ पाता, जिसकी कल्पना हमारे देश की विवाहों के मम्बन्ध में अमरीका की 'मिस मेयो' ने अपनी 'मदर इण्डिया' नामक बदनाम

युस्तक में की है; तो भी हम यह तो कहेगे ही कि उन वेचारियों को समाज ने गृहस्थ-सुख से वञ्चित क्यों रखा? स्त्री और पुरुष में परस्पर आकर्षण प्रकृति ने पैदा किया है। वे साथ-साथ रहना चाहते हैं। 'मोह न नारि नारि के रूपा!' कारण, स्त्री तथा पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। पुरुष में स्नेह-मार्दव की कमी है, इसलिए वह स्त्री की ओर देखता है। स्त्री में साहस तथा पुरुषार्थ वैसा नहीं है, इसलिए वह पुरुष को चाहती है। इस प्राकृतिक मधुर सम्बन्ध का विधान सामूहिक रूप में पालनात्य देशों ने पैदा कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोई स्त्री ऐसी न मिलेगी, जो वर के प्राप्त न हो सकने के कारण जन्मभर अविकाहित रही हो। यदि मान लें कि स्त्री को पति के साथ रहना ही चाहिए, स्त्री अकेली रहकर ऋष्टाचार फैला देगी, तो हमें वह भी सोचना पड़ेगा कि 'मिस' तथा विधवा इन अवस्थाओं में अधिक सतरनाक कौन है? 'मिस' ने गृहस्थ-सुख का अनुभव ही नहीं किया और विधवा ने किया, पर आगे प्रिय-वियोग से वह उसे छोड़ संन्यासिनी बन गयी। वैधव्य-जीवन बिताती हुई अपने कुटुम्ब की सेवा करने लगी। दो में से कौन अधिक चिन्ता का कारण हो सकती है? किसपर हमें दया करनी चाहिए?

सो, हमारे धर्मचार्यों ने समाज-संचालन के लिए कहा कि विधवाएँ यदि पुनर्विवाह न करें, तो अच्छा। वे तप का जीवन विताकर समाज-कल्याण करेंगी। एक विधवा सती अपने कुटुम्ब भर का संचालन कर सकती है। कुटुम्ब में ऐसी सेवा-साहायता की कितनी आवश्यकता रहती है, सब जानते हैं। बड़ी उम्र की विधवाओं को शिक्षा दी जाय, तो वे अच्छी अध्यापिकाएँ बन सकती हैं। स्त्री-शिक्षा का काम द्रुतगति से चलाना है। इसके बिना समाज ऊचे उठ ही नहीं सकता। पुरुष-वर्ग की शिक्षा समाज को उन्नत नहीं कर सकती, यदि स्त्री-शिक्षा न हो। बच्चों पर मा का ही प्रभाव पड़ता है, पिता का उतना नहीं। परन्तु स्त्री शिक्षा के प्रसार में बड़ी बाधा है अध्यापिकाओं का अभाव। गृहस्थ अध्यापिकाएँ वैस काम नहीं कर सकतीं। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को संभालें या पाठ-शाला की पढ़ाई में ध्यान दें! उन्हें अपने घर के बच्चों की चिन्ता रहती है वे कुटुम्बी भी बहुत लेती हैं। पति की बदनी हुई, तो वे भी यही

‘मिस’ अध्यापिकाएँ अच्छी नहीं। वे कन्याओं में सरसता लाने की जगह विरसता लायेंगी; शुक्रता फैलायेंगी। कारण, उन्हें गृहस्थ-जीवन की सरसता नों कभी मिली नहीं। वे लड़कियों को गृहस्थ-जीवन की क्षमा शिक्षा देंगी? वे तो ‘स्त्री-अधिकार’ का हल्ला मचाकर लड़कियों को ‘लड़ना’ सिखायेंगी—‘हो जा पड़ोमिन मो—सी’! लड़कियों में वह बात यदि आ गयी, तो जहाँ जायेंगी, सुख न पायेंगी। कर्तव्य की ओर दृष्टि न देकर मदा ‘अधिकार’ पर देंगी। अद्विज्ञनी बनने की जगह वे पुरुष की प्रतिद्वन्द्विनी बन जायेंगी। जैसे किसान, मजदूर, श्रमजीवी, पूँजीपति आदि सामाजिक भेद हैं, उसी तरह ‘मिस’ ‘स्त्री-वर्ग’ तथा ‘पुरुष-वर्ग’ का भेद पैदा करके गृहस्थी का सुख सुखा देना चाहती है। ‘जगत्’ को ‘जीणारिण्य’ वे बना देना चाहती है। इसीलिए कन्या-पाठ शाला में ‘मिस’ को अध्यापिका के रूप में रखना भय का स्थान है। विधवाएँ अपने अनुभव से और तपोभय भयत जीवन से लड़कियों पर अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं। समय भी पूरा दे सकती है। इसलिए, अध्यापिका का पद ये अच्छी तरह से संभाल सकती है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सिका तथा ‘नसं’ आदि का काम भी ये अच्छी तरह कर सकती है। सरकारी नौकरी में, जहाँ स्त्री का प्रवेश है, विधवाओं को पहले लेना चाहिए। हमें विधवाओं के सम्बन्ध में अपना गिरा हुआ दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्हें सम्मान देना चाहिए। वे बन्दनीय संन्यासिनी हैं।

हाँ, समाज में इस बात की भी छूट होनी चाहिए कि यदि कोई विधवा अपना पुनर्विवाह करना ही चाहती है, तो मजे से करें। उसके बैसा करने से हम नाराज क्यों हों? उसका वह अधिकार है। यदि समाज-हित के लिए वह स्वेच्छिया अपने अधिकार का उपयोग न करके तपश्चर्या का व्रत ग्रहण करे, तब और बात है। धर्म तो यही है। परन्तु यदि ऐसा न करे, विवाह करके साधारण जीवन ही बिताना चाहे, तो हमें इसके लिए पूर्ण अनुभवि ही नहीं, पूर्ण सहयोग देना चाहिए। हाँ, ‘सब विधवाओं को पुनर्विवाह कर ही लेना चाहिए’ ऐसी प्रचार हम यदि न करें और उनमें संयम तथा शील का जीवन बिताकर समाज-सेवा की भावना भरें, तो अधिक अच्छा। फिर, समाज अपना मार्ग स्वयं बना

लेता है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सामाजिक नियम बनने-दूटहे रहते हैं, जिनमें कहीं-कहीं पात्र-विशेष को छूट भी रहती है।

सो, विधवा का जीवन 'अधवा' (मिस) की अपेक्षा अधिक चिन्तनीय नहीं है, न दमनीय ही है। अधवा में समाज को अधिक खतरा है। अधवापन ही वस्तुतः समाज का अत्याचार है। इस अत्याचार को मिटाने के लिए एक बड़ा उपाय है कुछ वहनों का आत्म-त्याग, जिसे हम 'वैधव्य' कहते हैं' यदि पवित्र और तपोभय वैधव्य-जीवन सम्भव न हो, तो फिर पुनर्विवाह साधारण वात है।

### तीर्थ-स्थान

धर्म में तीर्थ-स्थानों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किसी विशिष्ट प्रेरणादायक पवित्र स्थान को 'तीर्थ' कहते हैं। प्रत्येक जाति के अपने तीर्थ होते हैं, हमारे भी हैं, परन्तु दूसरों के तीर्थों से हमारे तीर्थों में जो विशेषता है, वह देखने और समझने की चीज है। हमारे प्रत्येक तीर्थ के मूलमें आध्यात्मिकता का पुट है। यही सब से बड़ी विशेषता है।

तीर्थों की कई श्रेणियाँ हैं। कुछ तीर्थ सांस्कृतिक होते हैं, कुछ राजनीतिक और कुछ दूसरे ढंग के। सब में धर्म की भावना मुख्य है। जहाँ बैठकर हमारे कृषियों ने तप तथा आत्म-चिन्तन करके हमें अमर साहित्य दिया, वे हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं। हिमालय के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आपको एक प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए वहाँ स्थान-स्थान पर वदरीनारायण (वदरिकाथम), केदारनाथ आदि तीर्थ बना दिये गये हैं। हिमालय की उपत्यका में कृषिकेश-हरिद्वार आदि भी ऐसे ही तीर्थ हैं, जहाँ आज-कल साधारण बस्तियाँ दिखाई देती हैं। नैमिषारण्य भी हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है। तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला आदि भी हमारे सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जिनमें राजनीति की भी विशेषता रही है। हिन्दी के परमाचार्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के दौलतपुर वाला वह घर हमारा पवित्र तीर्थ है, जहाँ वे जनमें और इतने दिन रहे। प्रयाग का 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-भवन' हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है जिसमें राजनीति का भी पुट है क्योंकि यही से हिन्दी के

राष्ट्रभाषा बनाने का कार्य-क्रम सचालित हुआ। विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 'शान्ति-निकेतन' हमारे आधुनिक तीर्थों में प्रमुख है। जुही (कानपुर) का वह घर हमारा अमर तीर्थ है, जहाँ बैठकर आचार्य द्विवेदी 'सरस्वती' की अर्चना किया करने थे। इसी तरह छोटे-बड़े हमारे सहस्रशः सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जहाँ जाने से हमें दैवी प्रेरणा मिलती है।

हमारे राजनीतिक पुराने तीर्थों में अयोध्या, मथुरा, माया (कनखल), अवन्तिका (उज्जैन), द्वारका, काञ्ची और काशी, ये सात मुख्य हैं। पूर्वकाल में समस्त भारतवर्ष का शासन इन्हीं सात केन्द्रों से होता था। उस समय यह देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करता था। किसी निर्बल देश को कोई सबल देश अन्यायपूर्वक जब दबोच लेता था, तो वह (पद-दलित देश) इन सात प्रधान केन्द्रों में से किसी एक की शरण में जाता था और अपना मामला उपस्थित करता था। यहाँ से उसे सहायता मिलती थी और वह देश बन्धन-मुक्त होकर पुनः स्वतन्त्र होता था। इसीलिए कहा है—‘सप्तैता मोक्ष-दायिका’—ये सतों पुरी मुक्ति देने-दिलानेवाली हैं। इन सतों शासन-केन्द्रों का राजनीतिक महत्व पुराणों में वर्णित है। कुछ भलक वेदों में भी है। ध्यान रखना चाहिए कि ‘सप्तैता मोक्ष-दायिका’ जिन केन्द्रों के लिए कहा गया है, उनमें दूसरे तीर्थों के नाम नहीं हैं; चार मुख्य ‘धाम’ भी अलग हैं। यदि राजनीतिक मुक्ति से अभिप्राय न होता, तो बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्वर आदि धाम भी साथ अक्षय रखे जाते। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। स्पष्ट ही वे हमारे प्रेरणाप्रद राजनीतिक तीर्थ थे, जो बाद में आध्यात्मिक मात्र मान लिये गये और ‘मुक्ति’ या ‘मोक्ष’ से मतलब ‘जीवन-मरण-राहित्य’ लिया जाने लगा। पर कुछ भी हो, श्रद्धालु जनों ने इन तीर्थों का अस्तित्व तो बनाये रखा। अयोध्या का राम से, मथुरा का कृष्ण से तथा काशी का विद्या-संसर्ग से अधिक महत्व बढ़ा। काशी को फिर से विद्या-केन्द्र महर्षि मालवी य ने बनाया।

अर्बाचीन हमारे राजनीतिक तीर्थों में मेवाड़ का चित्तौड़ तथा हल्दी-चाटी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बे दुर्दम दुर्ग, झाँसी की रानी लक्ष्मी-बाई का वह संग्राम-केन्द्र आदि मुख्य हैं। इसके बाद पूना का वह

मकान, यदि अभीतक कहीं हो, जहाँ हमारे राष्ट्रपतिमह लोकमान्य प० बालगगाधर तिलक ने जन्म लिया था, प्रणम्य है। 'मेवाग्राम' का वह श्रद्धेय आश्रम, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैठकर राष्ट्र का संचालन करने थे, हमारा तीर्थ है। कलकत्ते का 'महाजाति-सदन' हमारा राजनैतिक तीर्थ है, जिसकी नीव नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस ने रखी थी। प्रयाग का 'स्वराज्यभवन' हमारा राजनैतिक तीर्थ है और अमृतसर का 'जलियाँवालावाग' हमारा अविम्मरणीय तीर्थ है। ऐसे तीर्थों की यात्रा करने से जीवन को एक स्फूर्ति मिलती है।

राष्ट्र के चारों सिरों पर हमारे चार 'धाम' हैं, जो स्स्कृति तथा आध्यात्मिकता के साथ राजनीति का पुट देते हैं। ऐसे महान् तीर्थों की यात्रा करने से दुर्गम पर्वत-श्रेणियाँ, समुद्र की उत्ताल तरंगे और दुस्तर नद-नदी आदि देखने को मिलते हैं। यह 'आनुषङ्गिक' फल है। इन तीर्थों के बल पर ही हमारी राष्ट्रीय भावना भूतकाल में अझण्ड रही है और प्राकृतिक दुर्गम अंत्रों में भ्रमण करने की साहसिक परम्परा हम में रही है। एक मदरासी भी हृग्निवार तथा टेहरी-प्रदेश को 'अपना' समझता रहा है और एक बंगाली या काश्मीरी भी उस प्रदेश में आत्मीयता रखता है, जहाँ हमारा रामेश्वरधाम है। इन तीर्थों के कारण ही हिन्दी राष्ट्र-भाषा का रूप धारण कर सकी, जिसका राजनैतिक महत्व आमे चलकर समझ में आया।

सो हमारे तीर्थ साधारण नहीं हैं। श्रद्धालु जनोंने इनके अस्तित्व को बनाये रखा; यद्यपि इनके महत्व को "भाहात्म्य" बना दिया। कुछ भी हो, उन्होंने परम्परा स्थिर रखी। तीर्थ-यात्रा का महत्व है, पर उनके अनुष्ठान में भी बुद्धि चाहिए। आज-कल देखा जाता है, बृद्धाएँ एक-एक पैसा जोड़ती हैं, जगन्नाथजी के दर्शन करने जाने के लिए। वे अपने बच्चों को धी-दध न देकर सूखी रोटियाँ खिलाती हैं तीर्थ जाने के लिए पैसा इकट्ठा करने की बुन में! घर के लोगों की कठिन वीमारी में भी वे पैसा इस आवश्यक काम में नहीं लगाती हैं, किसी तरह सौ-दो सौ जोड़कर जगन्नाथजी चल देती है। कुछ रेल-गिरियों में दिये और कुछ तीर्थों के घृतों ने ठग लिये क्या इसका

भगवान् प्रसन्न होंगे ? अपना धर्म तो पालन किया नहीं, बच्चों को अच्छी खुराक न दी, न उनके पढ़ाने में ही चार पैसे खर्च किये । और, उस तरह जोड़कर दस-बीस दिन में सब फूक दिया । यह धर्म नहीं है । हाँ, आवश्यक काम करके यदि कुछ बचे, तो मजे से सारा परिवार तीर्थ-यात्रा करे, आनन्द ले । यह भी जीवन का एक अङ्ग है ।

तीर्थों का सुधार करना जरूरी है । नये राष्ट्रीय तीर्थों का निर्माण भी आवश्यक है । इसके लिए राष्ट्रीय सरकार को ही आगे आना चाहिए ।

### व्रत और पर्व

हमारे व्रत तथा पर्व भी धर्म के मुख्य अङ्ग हैं । व्रत कहते हैं 'उपवास' को । पर्व का अर्थ है उल्लास-पूरण करण—त्यौहार ।

पहले हम 'व्रत' का महत्व देखें । हमारे यहाँ अनेक व्रत प्रचलित हैं । मास में दो व्रत तो सर्वमान्य हैं, जो अब हम छोड़ते जा रहे हैं । दोनों पक्षों की 'एकादशी' तिथि हमारे व्रत के लिए निश्चित की गयी थी । पन्द्रह दिन में जो कुछ पेट में गड़बड़ी रह जाती थी, वह चौबीस धण्टे के उपवास से ठीक हो जाती थी । शारीर शुद्ध हो जाता था । बच्चों को और गर्भवती स्त्रियों को छोड़ शेष घर के सब लोग यह व्रत रखा करते थे । एकादशी के दिन का बचा हुआ सब अन्न तथा वी आदि द्वादशी के दिन किसी अच्छे धर्म-गुरु को सादर समर्पित किया जाता था । जो ब्राह्मण-साधु जनता में धर्म-जागरण या सांस्कृतिक अभ्युत्थान का ही पुण्य कार्य सदा करते थे, उनका और उनके कुटुम्ब का जीवन-निर्वाह बहुत अच्छी तरह इससे हो जाता था । न कोई किसीसे चन्दा माँगता था, न धर्म-प्रचार के लिए वेतनभोगी 'उपदेशक' रखे जाते थे । बड़े-बड़े विद्वान् तब निश्चित होकर वैसे बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर हमारे साहित्य को समृद्ध करते थे, जिनपर आज भी हम गर्व करते हैं । न किसी ग्रन्थ पर कोई किसीसे रायलटी लेता था, न पारिश्रमिक । यही कारण है कि उस समय वे ग्रन्थकार 'आप्त' समझे जाते थे और उनके वचनों का आदर होता था । समाज पर उनके जीवन-निर्वाह का कोई बोझ भी न था ।

आजकल एकादशी आदि का ब्रह्म विकृत रूप में आ गया है। रोटी-दाल की जगह देढ़ा, वरफी और रबड़ी-मलाई खायी जाती है। पेट और खराब कर लिया जाता है। द्वादशी को सीधा-दान की कोई बात है नहीं। दिया भी, तो न जाने कहाँ पहुँच जाता है। इस तरह एकादशी-व्रत का क्या माहात्म्य ? वर्ष भर में और भी शतसः व्रत-विधान विविव उद्देश्यों से बनाये गये, जो चल रहे हैं, उसी तरह दूटी-फूटी दशा में। कुछ छूटते-दूटते जाते हैं। जब हम उनकी उपयोगिता और पद्धति ही भूल गये, तब वे कबतक चलें ? फिर भी, हमारी माँ-वहने बहुत-से व्रत बड़ी निष्ठा से करती है और अपनी-अपनी आत्मा को सन्तोष देती है। आत्म-सन्तोष भी एक लाभ ही है। कुछ-न-कुछ धार्मिक प्रवृत्ति भी बनी हुई है।

व्रतों की ही तरह हमारे यहाँ पर्व भी विशेष उद्देश्य से हैं। इन्हे हम कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। होली, दीवाली, और दशहरा, ये तीन हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्र का प्रत्येक जन इनमें सम्मिलित होता है। रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जयन्तियाँ ऐसे पर्व हैं, जिनमें सांस्कृतिक और राजनीतिक पुट है। उपाकर्म (रक्षा-बन्धन) हमारा सांस्कृतिक पर्व था, जो अब अत्यन्त विकृत हो गया है।

हमने दीवाली, होली और दशहरा को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है। इसका मतलब यह कि इस देश के इतर धर्मविलंबियों को भी ये तीनों पर्व मनाने चाहिए। इनका किसी सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ कहानियाँ इनके साथ जोड़ दी गयी हैं, जो बाद की चीजें हैं। यदि हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब मिलकर एकसाथ इन राष्ट्रीय पर्वों को मानते लगें, तो कितना अच्छा हो। उसब नमाने की विविध में भेद हो जाय, यह अलग चीज है। दीवाली को हिन्दू लक्ष्मीजी की पूजा करते हैं, तो मुसलमान उस दिन जगमगली हुई मस्जिद में विशेष नमाज पढ़ा करें और ईसाई इसी तरह सजे हुई दीप-सुशोभित गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना किया करें। होली और दशहरे का पर्व भी ऐसा ही है। हम इन राष्ट्रीय पर्वों की व्याख्या और स्पष्ट करेंगे।

दीवाली का त्योहार हमारा एक फसल का उल्लासपूर्ण स्वागत है।

मनुष्य ने जब खेती करना सीखा होगा, तब पहली फसल कतकी या खरीफ की हुई होगी। यह प्रकृति-प्रसाद है। चैती या रबी के लिए तो कृत्रिम रूप से जल देने की आवश्यकता होती है, जो मनुष्य के दिमाग में बाद की चीज़ है। पहले यही कतकी शुरू हुई होगी। कार्तिक में खेत (ज्वार, मङ्गा, बाजरा आदि मोटे नाजों से ही नहीं, बासमती आदि देव-दुर्लभ धानों से भी) भरे हुए पके रूप में सामने होते हैं। उम समय किसान को कुछ काम खेतों में करना नहीं होता है। वह फुर्सत के क्षण पाता है। लक्ष्मी उसके सामने नजर आती है, खेती में लहराती हुई। उसके स्वागत की वह तैयारी करता है। वरसात के चार महीनों में घर जो विकृत हो गये हैं, उन्हे वह ठीक करता है। सफाई और लिपाई-पुताई होती है। चारों ओर भक्ति-भक्ति नजर आता है। अमावस्या की अँखें रात भी जगमगा उठती हैं। भारत कृषक-देश है। उसके यहाँ लक्ष्मीजी पधारती है। सब उत्फुल्ल होकर खुशी मनाते हैं, दीवाली करते हैं। इस तरह यह एक राष्ट्रीय फसली त्यौहार है। सब को मनाना चाहिए, भले ही सम्प्रदाय-भेद से मानने में किंचित् प्रकार-भेद हो।

एक बात और समझते की है। बहुत पुराने समय में यह नव-वर्षारम्भ का उत्सव रहा होगा। पहले हमारे यहाँ शरद से नव मवत् का आरम्भ होता था, बाद में बसन्त से होने लगा होगा। वेद में 'जीवेम शरदः शतम्' आदि मंत्र इसकी भनक देते हैं—हम सौ शरद् त्रिये। वर्षा के अनन्तर 'शरद्' ऋतु का प्रारम्भ होता है और शीन के प्रारम्भ होने तक यह रहती है, दो मास। बड़ी सुन्दर ऋतु होती है, न गरमी, न जाड़ा, न वरसाती कीचड़। खाने के लिए नयी फसल का घर में भरा हुआ विपुल अन्न, और, गौओं के लिए जंगल में चाहे जितना चारा। खुब दूध-घी। कैसी सुन्दर ऋतु ! इसीमें नये वर्ष का आरम्भ मानते होंगे। इसमें भाषा-विज्ञान भी कुछ साक्षी देना है। 'वर्ष' तथा 'वर्षी' एक ही धातु से निष्पन्न है। 'अब्द' भी वर्ष को कहते हैं। 'अब्द' वादल को भी कहते हैं। वर्ष-ममाप्ति ; अब्द-समाप्ति ; अर्थात् इस साल की वरसात गयी। नये जीवन का स्वागत। इस तरह वर्ष अथवा अब्द की

समाप्ति पर नव संवत्-आरम्भ होता होगा। एक फसल के कट चुकने पर ही दूसरा संवत् चलना ठीक है। यों यह नव संवत् का भी उत्सव दीवाली है।

होली दूसरा फसली त्यौहार। जब हम कुओं और नहरों से पानी देना जान गये, जब इतनी जानकारी मनुष्य को हो गयी, तब यह दूसरी फसल चैती या रबी सामने आयी। 'होली' उस अधिष्ठके नाज को कहते हैं, जो इस समय खेतों में तैयार खड़ा होता है। किसान देस्वकर खुश होता है और नाचता-गाता है। यही 'होली' या 'होलिका' त्यौहार है। बहुत दिन बाद इसमें कई कहानियाँ भी मिल गयीं आकर। उनका कुछ लाक्षणिक अर्थ भी प्रतीत होता। प्रह्लाद और आह्लाद या उत्तास एकार्थक शब्द है। हिरण्य सुवर्ण को कहते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष समाज के जमीदार तथा पूँजीपति भी हो सकते हैं, जो जनता के प्रह्लाद (आह्लाद) को अपने अत्याचारों से नष्ट करने में कुछ उठा न धरते थे। पर वह उन किसानों का प्रह्लाद फिरभी मरा नहीं। वे फिरभी नाचने ही गाते रहे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ही समाप्त हो गये, नरसिंहों के हाथों।

इस तरह इस बड़ी फसल का यह त्यौहार 'होली' है।

दीवाली का त्यौहार भी उसी तरह चलता रहा, चल रहा है। वह तो हमारा आदि पर्व जान पड़ता है। हाँ, नथा वर्ष शरद की अपेक्षा बसन्त से अच्छा जान पड़ा। बड़ी फसल के बाद ही तो 'वर्ष' की समाप्ति समझी जायेगी। अब 'वर्ष' शब्द लड़ हो गया; वारह मास के एक चक्र में। शरद की ही तरह बसन्त भी सुन्दर छहतु है। एक विशेषता भी है। वर्ष-जन्य रोग, जो मनेरिया ज्वर आदि शरद तक चलते हैं, उनका बसन्त में नितान्त अभाव। एक बात और। प्रकृति में भी नव जीवन दिखायी देता है। सब वृक्ष और लताएँ फल-फूलों से भरपूर। इसीलिए नव-सवत्सर बसन्त के प्रारम्भ (चैत) से समझा जाने लगा। होली त्यौहार है पिछले वर्ष की सुन्दर समाप्ति का। इस तरह यह एक राष्ट्रीय पर्व है।

दशहरा—दशहरा या विजय-दशमी भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है—राजनैतिक। वर्ष-काल में हमारी फौजें जहाँ की तहाँ जमकर विश्वास

करती थीं और सेनापति लोग अपनी नीति का निर्धारण करते थे। वर्षों के बाद दुर्गा-पूजन होता था—दुर्गा-शक्ति। दुर्गा-सप्तशती में कथा है कि एक राक्षस इतना प्रवल और उत्पाती हो गया कि उसने ससार में खल-बली मचा दी। उसके आतंक से सब ब्रह्म हो गये। वह किसीके मारे भरता न था। सब देवता हार गये। तब क्या हो ? उस समय विष्णु ने अपनी शक्ति दी, ब्रह्म ने अपनी और रुद्र-इन्द्र आदि ने अपनी-अपनी शक्ति दी। सब की शक्तियाँ इवही हुई, तो महाशक्ति दुर्गा का प्रादुर्भाव। इस दुर्गा या दुर्दमनीया शक्ति से उस महादानव का सहार हुआ। यह है सगठन-शक्ति। सिंह शक्ति का प्रतीक है। सो, दुर्गा-पूजन करके विजय-दशमी के दिन रण-यात्रा होती थी, विजय-प्रस्थान का यह महोत्सव। जब कोई विजेय न रहा, तब भी महोत्सव जारी रहा और हमारे उत्कर्ष का प्रतीक यह अबभी है। इस तरह यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है।

अनन्तर श्रीरामचन्द्र की विजय-यात्रा का भी इससे सम्बन्ध हो गया। हम आजभी विजय-दशमी उल्लासपूर्वक मनाते हैं और अनन्त काल तक मनाते रहेंगे।

राम-नवमी और जन्माष्टमी आदि के सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना है ही नहीं। राम और कृष्ण के जयन्ती-उत्सव भी राष्ट्रीय पर्व हैं। कुछ लोग राम-नवमी और जन्माष्टमी को साम्प्रदायिक चीज समझते हैं, जो गलती है। राम और कृष्ण का किसी साम्प्रदाय-विशेष से कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए जैन और बौद्ध भी इन्हें अपने ढग से मानते-मनाते हैं। देश के ईसाई तथा मुसलमान भी कभी समझेंगे ही। अब ये उत्सव लोग व्रत के रूप में मानते हैं। सो तो कोई बात नहीं ; पर कई अन्धपरम्पराएँ और कुरीतियाँ चल यड़ी हैं, जो व्याज्य हैं। जन्माष्टमी के दिन रात के बारह बजे लोग स्नान करते हैं ! कहते हैं—जन्म हो गया, सूतक के स्नान करो। भला, प्रतिवर्ष जन्म होता है श्रीकृष्ण भगवान् का क्या ? हम प्रतिवर्ष जन्मोत्सव करते हैं, या उनका जन्म ही प्रतिवर्ष होता है ? मनु ने तो आधी रात को स्नान करने को मना किया है। इससे बढ़कर यह कि एक खीरे को चीरकर उसमें शालग्राम

रख देने हैं और बारह बजे रात को उससे निकाल लेते हैं, यह कहकर कि जन्म हो गया। फिर उस खीरे को तराशकर प्रसाद बाँट देते हैं। मानो देवकी को ही ॥ १ ॥ क्या कहा जाय! मैं तो कही भी सीरे का प्रसाद नेता ही नहीं हूँ! ये मूर्खता-पूर्ण काम बन्द होने चाहिए।

उपाकर्म हमारा सांस्कृतिक पर्व था। वेद के विद्वान् इस दिन विशिष्ट वैदिक विविधाँ सम्पन्न करते थे। यह हमारा अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व आज अत्यन्त विकृत दशा में है। ब्राह्मणों के लड़के दो-दों पैसे के लिए राखी बाँधने फिरते हैं! लोग सिर हिलाकर इनकार कर देते हैं, तब स्त्रियों कर आगे चल देते हैं, फिर आगे! इस तरह दिनभर वेङ्गजती करते फिरते हैं। अब तो यह यौहार इसी रूप में ठीक है कि लड़कियाँ राखी बाँधे और अपने अभिभावकों से लड़-भगाड़कर साड़ी लें, रूपये ले। घर में बढ़िया भोजन बने और सब मजे से बैठकर उड़ाये। न वह उपाकर्म रहा, न वैदिक विधि! पर रक्षा-वन्धन जिस रूप में सामने आ गया, वह एक पारिवारिक उल्लास है, मुन्दर है।

इसी तरह अन्यान्य व्रत-पर्व हैं। कुछ कहीं संशोधन, परिसार्जन अपेक्षित है। होली की गाली-गलीज और गन्दगी तो बन्द हो ही जानी चाहिए। रंग भी किसी पर जबदेस्ती न डालना चाहिए। गजों-बजाओ, अच्छे नाटकों का अभिनय करो; कोई शिष्ट मनोरंजन करो। यही तो उत्सव है। यदि शिष्ट मनोरंजन होगे तो लोग उधर ही लग जायेगे। इसके विरुद्ध यदि 'पवित्र होली' के नाम से होली पर मुहर्मी वातावरण पैदा किया जायेगा तो काम बिगड़ जायेगा। मनोरंजन-प्रधान यह उत्सव है।

इसी तरह अन्यान्य व्रत-पर्वों के सम्बन्ध में समझिए। यहाँ तो सभी विषयों का थोड़ा-थोड़ा निर्देश भर किया जा रहा है।

### आज्ञा-पालन या अनुशासन

माता, पिता, ज्येष्ठ बन्धु, आचार्य आदि गुरुजन हमारा हित चाहते हैं। उनका अनुभव अधिक होता है। वे अपने ज्ञान तथा अनुभव के बत पर हमें उचित आदेश-निर्देश देते हैं। ऐसी दशा में उनके उन आदेश निर्देशों का पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ पालन करना हमारा ध

है। इसमें हमारा कल्याण होगा, हमें सुख-समृद्धि मिलेगी, हम संकटों से बचेंगे। कभी-कभी और कहीं-कहीं आज्ञा-पालन का अतिशय महत्त्व सम्पूर्ण समाज के हित के लिए होता है और इसीलिए समाज वैसे आज्ञा-पालन के लिए जबर्दस्ती भी करता है। सेना में आज्ञा-पालन बड़ी कड़ाई से कराया जाता है; कारण, उसपर समाज की रक्षा-व्यवस्था अवलम्बित है। प्रत्येक सैनिक को यह सौचने का अधिकार नहीं है कि इस दिशा में हम गोली चलायें। यह सौचना सेनाध्यक्ष का काम है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ समझकर उस काम पर नियुक्त किया गया है। जो आज्ञा-पालन नहीं करता उसे मजा मिलती है।

परन्तु इस धर्मानुष्ठान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। मान लीजिए, सेनाध्यक्ष क्षणिक उन्माद का शिकार हो जाय। उसका दिमाग क्षणभर में ही खराब हो गया और उसने अपने एक सैनिक को हृक्षम दे दिया कि 'तू मुझे गोली से मार दे—मेरे ऊपर फायर कर दे।' तब उस सैनिक का क्या कर्तव्य है? उसे तो शिक्षा मिली है कि सदा अफसर का हृक्षम मानो। तो क्या वह गोली चलाकर अपने अफसर को मार दे? उसका उस समय क्या धर्म है? सैनिक-कर्तव्य की उमेर जो शिक्षा मिली है, उसमें तो कहीं यह कहा नहीं गया था कि जब ऐसा हो, तो वह क्या करे। न जाने किस समय क्या घटना घटे, कौन जानता है। कोई ज्योतिषी तो है नहीं! फिर, असंख्य जनों के साथ असंख्य घटनाएँ घट सकती हैं; एकदम अचिन्तित। तब फिर इन सबके लिए क्या-क्या निर्देश दिये जायें? एक-एक घटना के भी देश, काल तथा पात्र के भेद से अनन्त भेद हो सकते हैं। इसीलिए धर्म-निर्णय में 'अन्तरात्मा' को भी एक प्रमाण मनु ने माना है और श्रीकृष्ण ने बुद्धि पर जोर दिया है। तोता-रटन्त मैनिक-कर्तव्य जिसने याद किया होगा, अपनी बुद्धि जिसके न होगी, वह तुरन्त उसे मार देगा और फिर इस 'धर्म' का पालन करने के पुरस्कार में मृत्यु-दण्ड प्राप्त करेगा। 'कोर्ट मार्शल' में वह मृत सेनाध्यक्ष गवाही देने न आयेगा कि इसका अपराध नहीं है, मैंने ही दिमाग की खराबी से इसे बैसी आज्ञा दे दी थी! इसके विपरीत, यदि सैनिक में विवेक-बुद्धि होगी, तो समझ जायेगा कि इसके दिमाग में

कुछ खराबी आ गयी है। वह उसकी आज्ञा का पालन न करेगा और किसी तरह उससे बड़े या छोटे दूसरे मैनिक-अधिकारी को इसकी सूचना देगा। उचित कार्रवाई होगी और तब 'आज्ञा' के न पालन करने के कारण उसे पारितोषिक मिलेगा। कारण, उस समय वह अधिकारी इस स्थिति में न था कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाता।

दिमाग की खराबी में, आज्ञान में या अतिशय क्रोधावेश में दी हुई आज्ञाओं पर विचार करने की जरूरत होती है। अज्ञान-अवस्था में कुन्ती ने यदि द्रौपदी-विभाजन की आज्ञा दे दी थी, तो वह पाण्डवों को मान्य न होनी चाहिए थी। अतिशय क्रोधावेश में जमदग्नि ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि 'तू अपनी माँ का सिर काट दे' तो वह परशुराम को मान्य न होनी चाहिए थी। पिता के कहने पर माँ का सिर काट लिया परशुराम ने, तो क्या कोई धर्म किया? उन्हें समय बचा जाना चाहिए था और फिर क्रोध कुछ शान्त होने पर समझा देना चाहिए था कि आप वह क्या कराने जा रहे थे! एक धर्म दूसरे धर्म को वाधा पहुँचाये, तो सोचने की बात है। पिता की आज्ञा मानना धर्म है और माँ की मेवा करना भी धर्म है। पिता की आज्ञा न मानना अधर्म है और माँ को हानि पहुँचाना भी अधर्म है। अधिक बल किसमें? पिता की आज्ञा मानकर माँ को मार डालना क्या धर्म है? इससे समाज का क्या कल्याण? 'धर्म यो बाधते धर्मः न स धर्मः, कुवर्त्म तन्' - जो 'धर्म' किसी दूसरे धर्म को वाधा पहुँचाये, वह धर्म नहीं है, कुवर्त्म है, पाप है। यदि बाधक प्रवल हो तो अवश्य अत्यवल धर्म बाधिन होगा। 'अहिंसा' धर्म है। एक व्यापक नियम। अब कुछ छूट दी, अपवाद रखा - 'आततायी को जान से मार देना चाहिए।' यह 'अपवाद' भी धर्म, आततायी को मार देना भी धर्म। उस मुख्य और व्यापक नियम का एक अग मे बाध हुआ। परन्तु पिता की आज्ञा मानकर माँ को मार देने में यह बात नहीं है। वहाँ सामान्य-विशेषभाव या उत्सर्ग-अपवाद रूप नहीं। दोनों स्वतन्त्र विधियाँ हैं—पिता की आज्ञा मानना भी और माता के प्रतिवूल आचरण का निषेध भी। तब देखना होगा कि औचित्य तथा समाज-कल्याण किसर है। सब सोचकर करना चाहिए।

इसी तरह अज्ञानावस्था में दी हुई आज्ञा का पालन उचित नहीं है। मान लो, आपके पिताजी को मालूम नहीं नि कुनैन का इच्छेक्षण मियादी ज्वर में न लेना चाहिए। उन्होंने इतना सुन रखा है कि कुनैन के इच्छेक्षण से ज्वर जाता रहता है। तुम मियादी ज्वर से पीड़ित हो गये। तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी—‘कुनैन का इच्छेक्षण ले लो।’ तो क्या तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? ऐसा करना धर्म है? उनकी इम आज्ञा का पालन किया, तो भरकर उन्हें दुःख-सागर में डुबा दोगे। उनमें कहना होगा कि इस ज्वर में वह इच्छेक्षण नहीं लिया जाता। उनकी इस आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं है। इस तत्त्व को न समझकर तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ दी गयी हैं।

कुन्ती की उस आज्ञा के सम्बन्ध में जो कहानी है, वह तो आदि में अन्ततक गलत है। कोई गवाँर भी नया विवाह करके बहू को साथ लाता हुआ इतना उतावला नहीं देखा गया कि दूर से ही अपनी माँ से चिल्लाकर कहे कि—‘माँ, मैं आज एक बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ।’ अर्जुन तो विद्वान् और गम्भीर पुरुष थे। बच्चे न थे। फिर, बड़े और छोटे भाई साथ में थे। अच्छा, मान लो, वे हर्षोत्सुल्ल उतावले ही हो गये थे अपनी ‘चीज’ प्रकट करने के लिए, तो भूठ क्यों बोले? यह क्यों कहा कि ‘मैं एक बहुत अच्छी चीज ‘भिक्षा’ में लाया हूँ?’ माँ से भूठ! और कोई भूठ बोलता है, तो अपनी प्रशंसा-उत्कर्ष के लिए, या अपमान-अपकर्ष के लिए? वे तो लक्ष्य-वेधकर एक असाधारण गौरव के साथ द्रौपदी को लाये थे। क्या ‘भीख’ माँगकर कोई लाने में इससे भी अधिक गौरव है? खैर, वह भी मान लिया कि उन्होंने हडवडी में ‘भीख’ का नाम ले लिया। तो, कुन्ती को उस बढ़िया चीज को देखने की इच्छा क्यों न हुई? अद्भुत चीज कौन नहीं देखना चाहता है? नित्य तो वे भिक्षा-प्राप्त सामग्री सँभालकर रखतीं थीं और फिर सबको अपने हाथ से परोसती-देती थीं। आज इतनी बहिया चीज का नाम सुनकर भीतर से ही कैसे कह दिया कि ‘बाँट खाओ?’ क्या पाण्डव ऐसे भुखमरे थे कि दरवाजे पर ही सब खाने लगते थे? इस आज्ञा से पाण्डवों को बहुत आश्चर्य तथा दुःख हुआ, बाद में कुन्ती को भी। वे अपने उस आज्ञा-

दान पर पछतायीं भी। पर किया क्या जाता। पाण्डवों को आज्ञापालन जरूरी था। धर्म था। पर वे उस आज्ञा को मानकर द्रौपदी को बाँट कर खा क्यों नहीं गये? माता की आज्ञा हो वैसी ही थी और खाने की चीज समझकर ही उन्होंने वैसी आज्ञा दी थी। कुछ भी हो, इस तरह की कहानियों से मति-भ्रम होता है और धर्मधर्मनिर्णय में इनसे उहायता नहीं भिलती। उन्टे बौद्धमण्ड बढ़ता है। हमें इतने में ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि इस तरह माता-पिता की आज्ञा का पालन भत करो, जैसे कि पाण्डवों ने किया। बृद्धि-योग जरूरी चीज है धर्म निर्णय करने के लिए। औंखे चाहिए अपनी। कहा है—‘यस्य नाऽस्ति स्वर्यप्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्?’—जिसके अपनी बुद्धि है ही नहीं, शास्त्र उसे कथा लाभ पहुँचा सकता? गीता में कहा है—‘कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मांहिता’—क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य; इसका निर्णय करने में बड़े-बड़े लोग भी गड़बड़ा गये हैं।

सारांश यह कि आज्ञा-पालन एक उत्तम धर्म है; पर अन्य धर्मों की तरह इसका भी स्वरूप समझने के लिए बुद्धि अपेक्षित है।

## श्राद्ध और मूर्ति-पूजा

धर्म में श्राद्ध तथा मूर्ति-पूजा का भी स्थान है। प्रत्येक समाज में श्राद्ध—मृतक-श्राद्ध—आप देख सकते हैं। बड़े-बड़े नेताओं और महात्माओं के जो भव्य स्मारक बनवाये जाते हैं, श्राद्ध के ही एक रूप हैं। ‘शमाधि’ और ‘मकवरे’ क्या? श्राद्ध के एक रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता का ऋणी होता है, भले ही समाज के लिए वे जगण्य हों। सब लोग अपने माता-पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। सब लोग वैसे स्मारक नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए एक महीने का एक पक्ष ही नियत कर दिया गया है—‘पितृपक्ष’। लोग किसी दिन अपने पूर्वजों का स्मरण कर कुछ दान पूण्य करें पूढ़ी-बीर खायें, तो हर्ज क्या? जो न करे, न करे। पर जो ऐसा श्राद्ध करें, तो हमार हर्ज क्या? समाज बुरा क्यों माने? उस दिन कुछ लोगों को कोर्मोजन कराता है तो कराने दो किसीका सिलाया हुआ पितरों क

पहुँचता है या नहीं, इस भंभट में हम क्यों पड़े। हम तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बैसा करते हैं और इससे हमारी अन्तरात्मा प्रसन्न होती है। इसीलिए वह हमारा धर्म है।

मूर्ति-पूजा तो सभी देशों में है। बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ सुन्दर स्थानों में खड़ी की जाती हैं। उनके प्रति सम्मान भी प्रकट किया जाता है। उनका अपमान असह्य होता है। हम भी ऐसा ही करते हैं। राम, कृष्ण, हनुमान आदि की मूर्तियाँ हम स्थापित करते हैं, तो बुरा क्या? हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो आप हँसते हैं! पतन्त्रु आप तीन रंगों के कपड़ों के एक जोड़ को, तिरगे भड़े को, जब बड़े ही अद्वा से सलामी देते हैं—ध्वज-पूजन करते हैं, तब अपने ऊपर क्यों नहीं हँसते? हम सब लोग उस तरह ध्वज-वन्दना करके राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह प्रतीक-पूजा है। सो, मूर्ति-पूजा और प्रतीक-पूजा संसार में सदा रहेगी। इस विषय पर अधिक कुछ लिखना व्यथा है। हाँ, मन्दिरों में भोग-पूजा पर लाखों-करोड़ों का व्यय अवश्य चिन्त्य है। यह सब रूपथा भस्कृति और स्स्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में लगता चाहिए। पूजा तो चार फूलों से, दो मालाओं से और तुलसी के चार दलों से पर्याप्त है। 'पत्र पुष्पं फलं तोयम्' बस, यही पूजा की सामग्री में पर्याप्त है। हमें अपनी अनन्त देवोत्तर धन-राशि दहुत अच्छे कामों में खच करनी चाहिए।

### धर्म और ईश्वर-भक्ति

ईश्वर-भक्ति एक अलग चीज़ है, ऐसा कह सकते हैं हम; वर्तमान ईश्वर-भक्ति के भेदों तथा ढंगों को देखकर। वैसे, धर्मगास्त्र में ईश्वर-भक्ति तो नहीं, पर 'आस्तिक्य' को कही-कही धर्म के अगों मैं हम देखते हैं। 'आस्तिक्य' का मतलब है ईश्वर की सत्ता में या परलोक में विश्वास। आस्तिक्य-बुद्धि से भी धर्म में प्रेरणा मिलती है। वहुत-से लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था से तो नहीं डरते; पर ईश्वर की सत्ता तथा परलोक (नरक आदि) के भय से डरकर ही अधर्म से हटने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो कर्तव्य-प्रेरणा से नहीं, स्वर्ग-मुख के लोभ में ही

कितने ही पुण्य कार्य कर देते हैं। इससे समाज को तो लाभ ही हुआ न?

विपरीत फल भी निकला है। ईश्वर का नाम लेकर चालाक लोगों ने दुनिया को धोखा भी खूब दिया है। भोली जनता को कितनी बार गुमराह किया है। अधर्म फैलाये गये हैं। पर इसमें ईश्वर की सत्ता का क्या दोष?

भगवान् की भक्ति का अनन्त माहात्म्य है। भक्ति कहने हैं प्रेम को, जो सेवा से अभिव्यक्त होती है। कोई हमसे प्रेम करता है, यह कैसे जान पड़ेगा? वह हमसे अच्छी-अच्छी चीजे खिलाये-पिलाये, हमे सुख दे, दुख-दर्द में काम आये, नव हम समझने हैं कि यह हमसे प्रेम करता है। यदि ऐसा न हो और वह मुह से हमारा नाम ही लेता रहे, हमारे भरोसे भी रहे, तो हम यह न कहेंगे कि वह हमसे प्रेम करता है। 'भक्ति' शब्द संस्कृत की जिस (भज्) धातु से बना है, उसका अर्थ भी 'सेवा करना' ही है। फलतः 'भगवद् भक्ति' का अर्थ हुआ—'भगवान् की सेवा करना'। अच्छा, तो भगवान् हमें कहाँ मिले कि हम उनकी सेवा करे? हमें बतलाया गया है कि यह चराचर विश्व भगवान् की विराट् मूर्ति है, उनका शरीर है। इसकी सेवा करना ही भगवान् की भक्ति है। अपनी शक्ति के अनुसार विश्व-सेवा ही भगवद् भक्ति है। यदि हममें अधिक शक्ति नहीं, तो अपने कुटुम्ब की ही अच्छी में अच्छी सेवा करें और उमे सब तरह से अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। वह भी संसार ही है। जनता को ही 'जनार्दन समझकर उसकी सेवा करने का निधान किया गया है। हिन्दू जाति में अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमे वैष्णव-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णव लोग भक्ति को प्रधानता देते हैं। वैष्णवों के मुख्य चार सम्प्रदाय हैं और इन चारों के भक्ति-ग्रन्थों में एक प्राचीन प्रमाण स्वर्वत्र उद्भृत मिलता है। इससे भगवान् को प्रसन्न करने का एक सबसे उत्तम उपाय बताया गया है और उसमें यह भी कह दिया गया है कि इससे अनिरिक्त अन्य कोई उपाय या साधन ऐसा नहीं है, जिससे भगवान् को प्रसन्न किया जा सके। वह सुन्दर मन्त्र यह है—

वणश्चिभाचाररक्षेन पुरुषेण परः पुमान् ।  
विष्णुरारभ्यते पन्ना ॥

कोई भी अपने वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यकर्मों का विधिवत् पालन करके ही विष्णु भगवान् को प्रसन्न कर सकता है और इससे अतिरिक्त उन्हें प्रसन्न करने का कोई साधन है ही नहीं।

स्पष्ट है कि मामाजिक आचार- कर्तव्य—पर जोर है। बात भी ठीक। आपके पिता आपपर तभी प्रसन्न होगे, जब आप अपने घरवालों को अच्छी तरह रखेगे; छोटे भाई-बहन में स्नेह का वर्ताव करके उन्हें सुखी रखेगे; माँ तथा बड़े भाइयों का सम्मान करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तथा घर की सुख-समृद्धि बढ़ायेंगे। पिता की प्रसन्नता का अन्य साधन नहीं। यदि आपने ऐसा न किया; घर की चिन्ता न की और कह दिया 'हमें इसमें क्या मतलब ?' और घरवालों की छाती पर ही मुफ्त में खाते-पीते रहे, तो क्या तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे ? भले ही फिर तुम उनका नाम लेते रहो और चाहे उनका ध्यान करते रहो वे तुम से कुछेंगे। हम तो उसीमें खुश रहेंगे, जो हमारे बगीचे को सेवार-मिगार-कर अच्छी तरह रखे। जो उसे उजाड़े और हमारे गीत गाये उसमें जी जलेगा। सो भगवद्भक्ति का सर्वोत्तम रूप है अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना।

आज विभिन्न रूपों में जो भगवान् की उपासना-भक्ति चालू है, उसपर भगड़ने या वाद-विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। सब को अपने रास्ते चलने दो। हाँ, यदि किसी सम्प्रदाय में भगवान् की उपासना की कोई ऐसी पद्धति चालू है, जिससे समाज को हानि पहुँचती हो तो उस अंग का हमें विरोध करना होगा। किसी समय जंगली लोग भगवान् को प्रसन्न करने के लिए नर-बलिदान देते थे। समाज ने इस जघन्य कृत्य को रोक दिया। इस तरह, किसी सम्प्रदाय में गौ-जैसे उपयोगी तथा सात्त्विक प्राणी को कत्ल करके भगवान् की भक्ति की जाती है, तो उसे बन्द करना होगा, क्योंकि वैसा करना प्रत्यक्ष समाज की हानि है। हाँ, समाज को हानि पहुँचाये विना तुम कुछ भी करो, चाहे सन्ध्या-वन्दन करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे हरिकीतन करो।

ईश्वर भक्ति के नाम पर समाज में अनाचार फैलाना अपनाध है।

श्री कष्टपु के नाम पर बड़ा

गया ह उनके

साथ गोपियों के बैमे सम्बन्ध की कल्पना करके जो तरह-तरह की लीलाएँ कल्पित की गयी हैं और 'रास' के नाम से जिनका प्रदर्शन होता है, क्या ठीक है ? हम यह भी देख सकते हैं कि अधिकतर इन लीलाओं की कल्पना 'विरक्त' साधुओं ने की है। वैसे विरक्त महात्माओं ने जो उत्ताल शृङ्खार रस की सरस कीड़ाओं का बैसा वर्णन किया है उससे क्या समझें ! ऐसी सरस कीड़ाओं का वर्णन है कि यहाँ उद्भूत नहीं कर सकते। इनके अनुकरण पर ग्रामीण जनों ने जो संकेत-व्यञ्जना की है, लड़के-लड़कियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ? मैंने देखा, गेरुए कपड़े पहने हुए सन्न्यासी लोग अपने आश्रमों में जब रासलीला करते हैं, तो तन्मय हो जाते हैं। उन्हें रामलीला में इस तरह तन्मय होने मैंने कभी नहीं देखा। कृष्ण-लीला के उत्कर्ष-पूर्ण अंश कंस-वध आदि को एकदम छोड़ ही दिया गया है ! ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति-विश्व जाने का यह परिणाम है। बुद्ध भगवान् वीतराग थे। उन्होंने संसार छोड़ दिया और बड़ा काम किया। परन्तु मैंड़े भी सिंह बनने लगे, तब ? उनका अनुकरण करके लाखों बौद्धभिक्षु बने। कुछ दिन तो ठीक चला, प्रवाह था, पर कुछ ही दिन बाद प्राकृतिक वेग ने उम मेड़ को तोड़ दिया। भिक्षुओं में कामाचार फैला। भयच्छर प्रतिक्रिया हुई। समाज में एक गडवडी फैल गयी। बौद्धों की देखा-देखी बैदिक हिन्दुओं में भी आजन्म ब्रह्मचारियों की जमाते बनी। अनन्त 'आदिजन्म-ब्रह्मचारी' निकल पड़े। निकम्मे लोगों को एक आड़ मिल गयी 'नैप्कर्म्य' सन्न्यास की। पुजने लगे। वह धी-मलीदा कहाँ जाय ? और कुछ नहीं, तो वाग्-विलास ही सही। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीन प्रकारों में से दो तो निर्वाध प्राप्त हो गये और कृष्ण-गुणगान का सहारा मिल गया। एक नशा ! कथा कहने-वाले भी 'गोपी-प्रेम' पर ही झूमने लगे। समाज पर इनका प्रभाव पड़ना ही था।

यही नहीं, निर्गुण-निराकार भगवान् के भक्तों ने भी यही भब किया है। 'सूफी' सन्तों ने जो प्रेम-कथाएँ लिखी हैं, क्या है ? 'दिमागी ऐय्याशी' ही तो है। यदि उनके चेलों ने कहा—'महाराज, यह क्या ?' तो उत्तर मिल गया 'हमारा इशारा समझे किस्तर है। यह तो सान्त्र

की अनन्त की ओर जाने की व्यञ्जना है।' बस, बहक गये लोग। ऐसे ही काव्य आगे चलकर 'रहस्यवादी' नाम से हिन्दी में प्रचलित हुए।

हिन्दी के नूतन रहस्यवादी कवियों तथा काव्यों के बारे में भी यही आन है। जो रहस्यवादी या छायावादी कवि हमारे सामने है, उनमें से कितने उस परब्रह्म परमात्मा में लीन रहनेवाले हैं? रोते किसीके लिए हैं और कह यह देते हैं कि यह तो व्यञ्जना है उस अनन्त के प्रति। जब राष्ट्र अंग्रेजी राज्य से लड़ रहा था, तब ये रहस्यवादी कवि वैमी कविताएँ करके मौजें ले रहे थे। ये सब समाज की विकृतियाँ हैं। सब ने ईश्वर का महारा लिया है। हमें इस तरह की ईश्वर-भक्ति से सावधान रहना चाहिए।

### न हिरण्यकशिपु बनो, न प्रह्लाद

मार्ग साफ है। गृहस्थाश्रम स्वीकार करो; कर्तव्य का पालन करो। सुख और शान्ति का यह मार्ग है। अवस्था के अनुसार आश्रम-परिवर्तन होगा। वणश्रिम के कर्त्तव्यों का पालन करो। यही भगवान् की भक्ति है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, पर सामाजिक नियमों का पालन करता है, तो उससे भगड़ने का कोई कारण नहीं है। कोई नास्तिक भी किसी ईश्वर-भक्त से क्यों चिढ़े, यदि समाज को उससे कोई हानि नहीं। हमें हिरण्यकशिपु के समान अनीहवारवादी और प्रह्लाद के समान ईश्वर-भक्त न होना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने दुष्टता की। किसीका लड़का यदि आध्यात्मिक विचार भिन्न रखता है, तो क्या उसे वैसा दण्ड दिया जाय? परन्तु प्रह्लादजी को देखिए। श्री नृसिंह भगवान् प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसका पेट फाड़ने लगते हैं। प्रह्लाद भी सामने खड़े हैं। वे भगवान् से यह प्रार्थना नहीं करते कि 'भगवन्, आप इन्हें मारते क्यों हैं? इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, जिससे आपके ये भक्त बन जायें।' यदि वे ऐसी प्रार्थना करते, तो भगवान् अवश्य अपने भक्त की बात सुनते। चीज को नपट कर देने की अपेक्षा उसे अच्छा बना देना अधिक अच्छा है। भगवान् क्या नहीं कर सकते? परन्तु प्रह्लाद चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मानो समझ रहे

हो कि ईश्वर को न माननेवाले को ऐसा ही दण्ड मिलता चाहिए। समाज के लिए ऐसी बुद्धि अच्छी नहीं। जब हिरण्यकशिपु का पेट फाढ़ दिया भया, तब प्रह्लाद ने उस (अपने पिता) की सद्गति के लिए भगवान् से प्रार्थना की। इससे क्या नतीजा निकला?

हम भगवान् की भक्ति करते हैं और हमारा भाई नास्तिक है, ईश्वर या परलोक की सत्ता नहीं मानता, तो इसके लिए हम उसे दण्ड न देंगे, न देता ही चाहिए। समाज ने जो नियम इस लोक की मुख्य-समृद्धि के लिए बनाये हैं, उन्हें न मानने से ही हम किसीको यहाँ उचित दण्ड दे सकते हैं। ईश्वर या परलोक की सत्ता मानना न मानना अलग बात है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं मानता है और ईश्वरोय नियमों के अनुसार यह अपराध है, तो ईश्वर की ओर से उसे दण्ड मिलेगा ही। हम बीच में क्यों कूद पड़ें? महात्मा गान्धी का निधन होने के बाद जब कुछ महात्माजी के 'भक्तों' ने कुछ लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिन्हे वे 'अपराधी' जनों के 'गिरोह' का समझते थे, तो वे भी पकड़े गये और उन्हें जेल की यातनाएँ भुगतनी पड़ीं। महात्माजी के अनुयायी भत्तारूढ़ थे। उन्होंने ही इन 'महात्मा-भक्तों' को सजा दी। इनी तरह यदि कोई ईश्वर-भक्त किसी अनीश्वरवादी को केवल इसलिए सजा देगा कि वह ईश्वर-भक्त क्यों नहीं, तो ईश्वर-भक्तजी को ईश्वर अवश्य दण्ड देगा। उसका काम इन्होंने जो सँभाल लिया!

### सामयिक तथा वर्गीय विधि-निषेध

पहले कहा जा चुका है कि कुछ विधि-निषेध सामान्य (व्यापक) होते हैं और कुछ विशेष। इसी तरह कुछ विधि-निषेध मामायिक भी होते हैं। कुछ समय के लिए कोई नियम बना दिया जाता है और फिर उसके बाद वह शिथिल पड़ जाता है। हमारे यहाँ किसी समय समुद्र-यात्रा का निषेध कर दिया गया। यह एक सामयिक निषेध था। पहले हमारे यहाँ समुद्र-यात्रा को बहुत महत्व प्राप्त था। हमारे जहाज दूर-दूरतक जाते थे और संसार के बड़े-बड़े देशों से हमारा आयात-निर्यात का व्यापार था। श्री की कथा प्राय सभी हिन्दुओं ने सनी होगी उसमें

भी समुद्र-यात्रा का वर्णन है। उससे पता चलता है कि हमारे व्यापारी दूर-दूर तक जहाजी व्यापार करते थे।

परन्तु एक समय कदाचित् ऐसा आया, जब समुद्री रास्ते से देश को खतरा पैदा हो गया। बाहरी शत्रुओं के इस भय का सामना करने के लिए भारतीय जनों की समुद्र-यात्रा निषिद्ध कर दी गयी, जिससे कि सब जहाज तथा कुशल नाविक यही रहे और सम्भावित खतरे का मुकाबला करें। दस-वीस वर्षतक ऐसा खतरा बना रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने दिन तक लोग खाली नहीं बैठ सकते। सब किसी-न-किसी काम में लग गये होंगे और फिर धीरे-धीरे वह जहाजी व्यवसाय लोग भूल ही गये। अनन्तर वह 'समुद्र-यात्रा का निषेध' एक रुद्धि के रूप में बहुत दिन तक चला। समय आया, जब हमें समुद्र-यात्रा करना जरूरी हो गया और तब वह रुद्धि अपने-आप भङ्ग हो गयी।

इसी तरह वर्ग-विशेष के लिए भी नियम बनते हैं। हम स्त्री-शिक्षा में और पुरुष-शिक्षा में कुछ अन्तर करते हैं। कुछ युवकों का दिमाग ज्ञान-विज्ञान की ओर न जाकर कला-कौशल की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। ऐसी दशा में सभी को ज्ञानी-विज्ञानी बनाने के लिए जोर लगाना शक्ति का अपव्यय करना है। ज्ञान-विज्ञान की तरह ललित कलाओं का भी अपना महत्त्व है। इसीलिए सरस्वती की कल्पना में पुस्तक के साथ वीणा भी रखी गयी है। किसी राष्ट्र की पूर्ण सरस्वती तभी समझी जायगी जब उसमें ज्ञान-विज्ञान के साथ ललित कलाओं का समुचित योग हो। ललित कलाओं से जो रस मिलता है, उसमें जीवन सरस तथा आप्यायित होता है। ज्ञान-विज्ञान से दिमाग सुख-समृद्धि की सूष्टि करता है, पर वह वाह्य उपकरणों से प्राप्त होती है। ज्ञान मस्तिष्क की चीज है और कला हृदय की। स्वभावतः स्त्री में ललित कला का सुन्दर विकास हो सकता है। संगीत के लिए जिस मधुर कण्ठ की आवश्यकता है, वह प्रकृति ने स्त्री को ही दिया है। चित्र-कला आदि में जिस भावोदेक की आवश्यकता है, वह स्त्री में अतिसुलभ है। काव्य में भी भाव का प्राधान्य है। स्त्री का दिमाग कला में अधिक चल सकता है, ज्ञान-विज्ञान की अपेक्षा। सो स्त्री ने छोड़ दिया, शायद पुरुष की वरावरी करने के लिए। इससे उसने अपनी

विशेषता खो दी । पाक-विद्या पर स्त्री का अधिकार होना चाहिए, जो उससे छूट गया । अच्छी-से-अच्छी चीज बनानेवाले पुरुष (हलवाई) ही आपको मिलेंगे । घर में लाखों में नहीं, करोड़ों स्त्रियों में शायद एकाध वैसी बढ़िया चीजें बना सके । वस्त्र सीने की कला भी स्त्री के हाथ से प्रायः जानी रही । इसे भी पुरुष-दर्जियों ने अपना लिया । चित्र-कला में भी पुरुष ही आगे है । संगीत के भी परमाचार्य पुरुष ही है । स्त्री को इन सब कलाओं के सीखने का अधिकार न हो, सो बात नहीं है । सबके लिए मार्ग खुला है । पर इन्होंने कला-पथ को हीन समझकर छोड़-मा दिया और ज्ञान-विज्ञान की दौड़ में सम्मिलित हुई । परन्तु वह इनका प्रकृति-प्रदत्त क्षेत्र शायद वैसा नहीं है । चलीं, पर पुरुष से आगे निकलना तो दूर, उसकी वरावरी पर भी न पहुँच सकीं । संसार में इतने आविष्कार हुए हैं, उनमें से स्त्री के किये हुए कितने हैं ? भारत को अवश्य लीलावती-जैसी विदुपी को उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त है, जिसने गणित पर अपनी छाप बैठायी । ज्ञान-विज्ञान में भी गार्गी तथा मैत्रेयी के नाम अमर हैं; पर ये तो अपवाद मात्र हैं । हम सामान्य स्त्री की बात कर रहे हैं । लीला-वती और गार्गी सब नहीं बन सकतीं । कोई रोकता नहीं है; बने, यदि बन सके । पर वे यदि अन्य विषयों की साधारण विज्ञान लेकर ललिन कलाओं में ही अध्यवसाय प्रकट करतीं, तो अधिक सफलता मिलती । संगीत तथा चित्र-कला आदि उन्हींमें सजते हैं । पुरुष ने इन कलाओं में अग्रणी की, पर प्रकृति इस क्षेत्र में उनकी सहायक नहीं है ।

एक बात और । संसार को सुन्दरतम बनाना है । स्त्री तथा पुरुष एक-दूसरे की कमी को पूरा करते हैं । 'एक में मृदुता नहीं है, दूसरे में शीरुष नहीं है । दोनों मिलकर पूर्ण हो जाते हैं । स्त्री भी उन्हीं विषयों को लेकर बी० ए० है, जिन्हें लेकर पुरुष, तो क्या सुख ? कुछ भेद हो, तो आकंपण बढ़े; उपदोषिता भी बढ़े । एक बी० ए० या साहित्यरत्न हो, तो दूसरे को संगीत-मर्मज होना चाहिए । तब एक-दूसरे से आकंपित होगे । यह बात छूट गयी; इसीलिए जीवन वैसा सरम नहीं रहा ।

वेदों का षडंग अध्ययन कितना दुरुह है, जाननेवाले जानते हैं । यदि कोमलमति छात्राओं के लिए वेदाध्ययन सामान्यतः निषिद्ध कर-

दिया गया और कला-क्षेत्र में उनकी प्रवृत्ति को उत्तेजन किसी समय दिया गया, तो बुरा क्या है ? सामान्यतः वैसा निषेध किया गया होगा, पर जो वैसी प्रचण्ड प्रतिभा रखती थीं, उधर प्रवृत्ति भी थी। उनके लिए मना थोड़े ही था। तभी तो वेद-सम्प्रदाय में उन विदुषी महिलाओं के नाम आने हैं। यदि सामान्यतः कह दिया जाय कि 'लड़कियों को शुष्क बी० ए०, एम० ए० परीक्षाओं में अपना कोमल भस्तिष्ठक न टकराना चाहिए; क्योंकि इससे उनका स्वास्थ्य नष्ट होता है और इसका मानव-सन्तानि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें साधारणतः मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करके कला के किसी मधुर क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए; या घर-गृहस्थी का समुचित सचालन करके संसार को सुखमय बनाना चाहिए,' तो क्या स्त्री पर अत्याचार कहा जायगा ? विशिष्ट महिलाएँ बी० ए०, एम० ए० करेंगी ही; पर हम उन सद्गृहस्थ महिलाओं को क्या कम महत्व देंगे ?

इसी तरह कारीगरों को गहन देवाध्ययन में सिर मारने को मता किया गया होगा। दस-बीस वर्ष तक वे वेद पढ़े, फिर लौहे या लकड़ी की कारीगरी सीखें, तो कब जाकर उसमें निपुणता प्राप्त करें ? साधारण गिक्षा ली और अपने क्षेत्र के कला-कौशल में अभ्यास करने लगे। आज-कल भी सोचा जा रहा है कि मैट्रिक के अनन्तर दो विभाग कर दिये जायेंगे : १—कला-कौशल का, २—ज्ञान-विज्ञान का। पुराने समय के ये दोनों विभाग कहे जा सकते हैं। शूद्र शब्द से तो अवश्य की गन्ध तभी से आने लगी, जब से हमने इन्हें हेय दृष्टि से देखा।

सो, इस प्रकार वर्ग-भेद से विद्या-भेद करना कोई अन्याय नहीं है। समाज के लिए किसी वर्ग से कोई काम जबर्दस्ती भी करा लिया जाता है और किसी वर्ग को कोई काम करने से रोक भी दिया जाता है। जिस समय वह नियम बना था, उस समय क्या परिस्थिति थी, इसका हमें ज्ञान नहीं। जो हम समझ सके, यहाँ लिख दिया। पर कोई-न-कोई बात तो होंगी ही। यदि वैसी कोई बात नहीं, तो वह नियम फूटेगा ही। युग के अनुसार धर्म-नियमों में फेर-फार होता ही रहता है। पात्र तथा वर्ग-विशेष की दृष्टि से भी धर्म-भेद होता है।

## धर्म और संस्कृति

संस्कृति एक पृथक् चीज़ है। सामान्यतः धर्म तो सभी देशों का मानव मात्र का—एक हो सकता है, पर संस्कृति मे सर्वत्र भिन्नता मिलेगी। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है, जो परम्परागत भाव-नाओं की प्रतिमूर्ति कही जा सकती है। हमारे ऊपर सन्निहित बानावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। यह प्रभाव संस्कार के रूप में परम्परया चलते-चलते एक ऐसा व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे हम 'संस्कृति' कहते हैं। संस्कृति में भावनाएँ, भाषा, वेश-भूषा तथा रीति-रिवाज आदि अनेक बातों का सन्निवेश है। किसी देश की राष्ट्रीयता नष्ट करनी हो, तो वहाँ की संस्कृति नष्ट कर दो। आधार के न रहने पर जैसे बढ़िया-से-बढ़िया महल धड़ाम से गिर पड़ता है, उसी तरह संस्कृति-हीन जाति की जातीयता नष्ट हो जाती है।

यहाँ हमें राष्ट्र, जाति तथा संस्कृति का स्वरूप समझ लेना चाहिए। किसी प्राकृतिक सीमा से परिवेष्टित प्रदेश-विशेष को राष्ट्र कहते हैं, यदि उसकी अपनी संस्कृति और सत्ता हो। उस राष्ट्र में परम्परा से जो जन-समूह रहता है, उसे 'जाति' कहते हैं। अंग्रेजी में इसीको 'नेशन' कहते हैं। जाति की जो विशेषता है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इंगिलिश एक जाति, इंगिलिस्तान राष्ट्र और उसकी अपनी इंगिलिश संस्कृति। अफगान एक जाति, अफगानिस्तान राष्ट्र और अफगानी संस्कृति। इसी तरह हिन्दू जाति, हिन्दुस्तान राष्ट्र और हिन्दुस्तानी संस्कृति। हिन्दू-संस्कृति और हिन्दुस्तानी संस्कृति एक ही बात है। हिन्दू जाति है, सम्प्रदाय नहीं। इस जाति की अपनी विशेष संस्कृति है। उसका देश-वासियों को गर्व होना चाहिए। इस देश के लोग पारलौकिक बातों में ईसाई या इस्लामी मत ग्रहण करके सम्प्रदायतः ईसाई या मुसलमान हो गये, पर भारतीयता तो उनकी नष्ट न होगी न? किसी भी मत को ग्रहण करके वे भारतीय ही रहेंगे। इसलिए पारलौकिक उपासना आदि मे भेद रखते हुए भी वे सब संस्कृति से एक हैं। मुसलमान हो जाने से कोई अरवी या ईरानी नहीं हो जाता। इस चीज़ को न समझते

के कारण ही राष्ट्र में अनेक बार संकट आया है और लाखो निरपराध मारे गये हैं, स्त्रियों की बे-इज्जती हुई है और नन्हे बच्चे कत्ल किये गये हैं। राष्ट्र का विभाजन इसी कारण हुआ। अन्यथा, कोई भगड़ा न था। सम्प्रदाय-भेद से राष्ट्र-विप्लव नहीं हुआ; संस्कृति-भेद से हुआ है। सम्प्रदाय तो हममें वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक, जैन, बौद्ध, आर्यसमाजी, सनातनी आदि न जाने कितने हैं। इनमें से फिर एक-एक के अनन्त भेद हैं। परन्तु संस्कृति सब की एक है, भारतीय। इसीलिए कोई राष्ट्रीयता में भेद नहीं: जातीयता में अन्तर नहीं। जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर यहाँ अरब तथा ईरान आदि देशों की संस्कृति छलानी चाही, उन्होंने भेदभित्ति खड़ी कर दी। हिन्दुस्तान कभी भी अरब या ईरान नहीं बन सकता। पाकिस्तान बन जाने पर भी पश्चिमी पंजाब पंजाब ही है। वहाँ जन-भाषा पंजाबी ही है; अरबी या फारसी नहीं। वहाँ के रीति-रिवाज भी अपने हैं। पंजाबी भाषा पर अब भी संस्कृत का प्रभाव है। हम लोग तो गाली देने समय किसीको 'मध्ये का बच्चा' ही कहते हैं; पर पश्चिमी पंजाब का मुसलमान ऐसी जगह भी संस्कृत नहीं छोड़ता। वह कहता है—‘खोंते दा पुत्तर’। यह 'पुत्तर' तो पंजाबी मुसलमान छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भारू-भाषा गढ़ी नहीं जाती, परम्परा से आती है। पूर्वी बगाल पाकिस्तान से अलग हो गया केवल जन-भाषा बंगला के कारण। वहाँ जन-भाषा बंगला में आदे से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। फारसी-अरबी शब्दों का उच्चारण उनके लिए आफत थी। उनकी लिपि भी भारतीय है, जो नागरी लिपि का ही रूपान्तर है। इसी तरह मिथ्यी मुसलमान की अपनी संस्कृति है। परन्तु अद्वरदर्शी जनोंने कुछ विशेष ( ऊपरी ) बातों को लेकर संस्कृति-भेद खड़ा कर दिया। इस सजल-सरस राष्ट्र को रेगिस्तान बनाना चाहा। अरब में पेड़-पौधे बहुत कम होते हैं, इसलिए इधन की बैसी बहुतायत नहीं कि मुर्दे जलाये जा सके। वहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं। इस देश के मुसलमानोंने भी मुर्दों को गाड़ना चुस्त किया, क्योंकि अरब में ऐसा होता है। यदि कुरान शरीफ में मुर्दों के गाड़ने की विधि है और देश-नात के मनुसार उसमें हेरफर करने की मी कूट नहीं है

तो हम मान लेते हैं कि अच्छा भाई, गाड़ो। परन्तु वेश-भूपा और रहन-सहन में भी अन्तर ! यह क्यों ?

इस देश के ईसाई और पारसी आदि भी अपनी-अपनी विशेषता रखते हैं। परन्तु भारतीयता उन्होंने छोड़ नहीं दी है। सन् १६४७ के दिसम्बर में बम्बई में ३० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन था। मैं भी गया था। ४० गोविन्दबलभ पन्त ने उद्घाटन किया था और श्री राहुल साकृत्यायन सभापति थे। हम सब लोग मंच पर बैठे थे। उसी समय एक वृद्ध महिला सामने बैठी महिलाओं में से उठी और सीधी मंच पर चढ़ आयी। उसके केश एकदम इवेत थे। वह केसरिया साड़ी पहने थी। हाथ में उसके दो नारियल थे। उसने मंच पर आकर पन्तजी को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर, सिर नीचा करके। और, उन्हे एक नारियल तथा एक अशर्फी भेंट की। इसी तरह राहुलजी को प्रणाम करके एक नारियल और एक अशर्फी भेंट की। फिर पीछे लौट गयी और अपनी जगह जा बैठी। मालूम हुआ कि वह एक उच्च घराने की पारसी महिला है और बम्बई में जब भी कोई राष्ट्रीय महोत्सव होता है, इसी प्रकार वह अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। मैंने मोचा, यदि भारतीय मुसलमानों में भी ऐसी ही भारतीयता होनी, भारतीय संस्कृति वी ऐसी ही छाप होती, तो क्या कहना था ! वे हमें नारियल खाने के लिए दे सकते हैं; हमारा सम्मान भी करेंगे; पर नारियल भेंट करके कभी भी सम्मान प्रकट न करेंगे। कारण, यह एक भारतीय ढंग है सम्मान प्रकट करने का। वे देखेंगे कि अरब या ईरान में कैसे सम्मान प्रकट किया जाता है। उसी तरह वे हमारा सम्मान करेंगे। कितना अन्तर ! यही अन्तर राष्ट्र-भेद का कारण हुआ।

हम किसी भी सम्प्रदाय के हों, वह भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति की उपासना हमारा धर्म है। संस्कृति हमारा जीवन है। हम इसे छोड़ नहीं सकते; हमसे यह छूट नहीं सकती। जो लोग किसी प्रदेश में अरब या ईरान की संस्कृति लाना चाहते हैं, वे अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो सकते। देश-भेद से संस्कृति-भेद होता है। भारत का कोई भी प्रदेश अरब कैसे बन सकता है ?

सो, एक राष्ट्र में अनेक संस्कृतियों की बात करना अज्ञान है, अधर्म है, क्योंकि इससे जनता में मतिभ्रम पैदा होता है। अपनी संस्कृति की अखण्ड धारा के प्रति हमारे मन से सम्मान होना चाहिए। इसके संरक्षण के लिए उपाय चाहिए। एक राष्ट्र, एक जाति, एक संस्कृति; फिर सम्प्रदाय और मत-मतान्वर चाहे जितने हों। इस तत्त्व को भली-भाँति समझ लेना चाहिए।

हमें हर्ष है, कि राज्यि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने 'एक-संस्कृतिवाद' का भण्डा ऊँचा किया था और 'राष्ट्रीय' नेताओं के उस भ्रम का निराकरण वे कर रहे थे, जिसके कारण वे हिन्दू-संस्कृति और मुस्लिम-संस्कृति का राग अलापने आये थे, और जिसके परिणाम-स्वरूप राष्ट्र बहुत-कुछ छिप-भित्र हुआ।

### बुद्धि की प्रधानता

भारतीय आर्यों ने अति प्राचीन काल में समाज के सुसंचालन के लिए वर्ण-व्यवस्था की उद्घावना की थी। संसार में अपने हँग की यह समाज-व्यवस्था थी, जो यथापूर्व त्याग पर अवलम्बित थी। उस का ही यह प्रताप है कि आजतक हमारी संस्कृति सुस्थिर है, जब कि अनेक राष्ट्रों की संस्कृतियाँ न जाने कहाँ विला गयीं।

संसार में समाज का संचालन मस्तिष्क से होता है। परन्तु मस्तिष्क चाहता भी धी-दूध है। 'मन्त्रिमण्डल' राज्य करता है, सम्पूर्ण राष्ट्र पर। दिमाग का खेल है। सबको रास्ता बतलाता है। राष्ट्र उन्हे—मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को अच्छी तरह रखता है। उन्हें बड़े-बड़े वेतन देता है, रहने के लिए महल देता है, बढ़िया मोटर देता है, और जीवन की सब सामग्री प्रस्तुत करता है। राष्ट्र की रक्षा जो तलवार से करते हैं, वे भी मन्त्रिमण्डल के नीचे काम करते हैं। शेष प्रजा में व्यापारी, किसान और कारीगर-मजदूर हैं, जो बहुत कुछ होने पर भी कुछ बैसे भिन्न नहीं जाते, उन दिमागी तथा फौजी ताकतवालों के सामने। सर्वत्र दिमागी शक्ति ऊपर रहती है।

इस देश में पूर्वकाल में जो दिमागी शक्ति में सर्वोपरिधि उन्होंने

अपूर्व त्याग का परिचय दिया। वे सम्पूर्ण समाज का संचालन करते रहे, पर राज्य करना दूसरों को सौंपा। वास्तविक राज्य तो वे करते थे, सम्पूर्ण समाज का संचालन करने थे—परन्तु उसका फल दूसरों को देते थे। 'राजा' दूसरे थे। राजा महलों में रहते थे और मजे करते थे। वे बुद्धिधन तपस्वी राज-काज से प्रत्यक्षतः अलग रहने थे और गरीबी का जीवन विनाटे थे। वे राजाओं के आश्रित न थे। जनता यदि कुछ दे देती थी, तो उसे पेट में डाल लेते थे; अन्यथा खेतों से दाने बीन लाने थे, जो अनाज काट लेने के बाद वहाँ पड़ रह जाते थे। जङ्गल से घास-पात नोच लाते थे और नमक न मिले, तो वैसा ही वह सब उबालकर खा लेते थे। फिर भी बड़े सन्तुष्ट रहकर समाज की सेवा करते थे। ऐसे ही लोगों के लिए कहा है—

आठ गाँठ कौपीन में, अह भाजी बिनु लौन।  
‘तुलसी’ जो सन्तोष है, इन्द्र बापुरो कौन?

इन्द्र के सिंहासन को भी वे तुच्छ समझते थे, मामूली राजपाट की तो वात ही क्या? इन तपस्वीजनों ने दिमाग का दूसरा भुख-साधन व्यापार भी एक वर्ग को सौंप दिया। 'लो, नुम लोग व्यापार-व्यवसाय करो।' इस नरह यह वर्ग भी मालामाल द्वाकर मजे करने लगा। शेष जनों को लुहार, बढ़ई, कुम्हार आदि की कारीगरी सौंपी गयी। उस सभय आज-कल की तरह कला-कौशल की उन्नति नहीं थी; इसलिए इस वर्ग को महत्व नहीं मिला। वैसा महत्व तो आजभी बेचारे कारीगरों को नहीं मिल रहा है। कारखानेदार (वे व्यवसायी-व्यापारी) ही सब महत्व तथा मुफ्ल ले रहे हैं। इन बेचारों को तो रुक्षी-सूखी रोटी मिल जाती है।

कहने का मतलब इतना कि भारतीय आर्यों में एक वर्ग ऐसा सामने आया, जो बुद्धि का धनी था, तेजस्वी था, और समाज-संचालन में पूरा शक्तिमान था; फिर सोने में मुग्ध यह कि उसमें सांसारिक सुख भी उसकी तृष्णा का नितान्त अभाव था। उसने एक वर्ग को राज्य करने के सुख दिया एक को 'व्यापारे वसति लक्ष्मी' कहकर व्यापार सौंप

और एक वर्ग को साधारण कला-कौशल या समाज-सेवा के दूसरे कामों में लगाया। अपने लिए काम सम्पूर्ण समाज की सेवा, उसका सर्वज्ञ-संचालन और उसके बदले गरीबी का जीवन। निःसन्देह घर को ऐसा ही धोय पुरुष सुख-समृद्धि से भर-पूर कर सकता है, जिसमें वैसी पटुता हो कि योग्यता तथा शक्ति के अनुसार सब को काम बाँटकर उनसे सब काम ठीक-ठीक कर सकता रहे, उन्हें निर्देश देता रहे और उन सबको सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध रखे। उस मुख्यामें त्याग चाहिए। घर के सब लोग सुख से रहे और परस्पर प्रेम बने, इसीमें वह अपना सुख समझे। सबको बढ़िया वस्त्र-आभूषण पहनाकर वह स्वयं मोटा-माडा कपड़ा पहन-कर निर्वाह करे, जरूरत पड़ने पर फटा-पुराना भी। ऐसी दशा में उम का सम्मान बढ़ेगा ही, बटेगा नहीं। घर के सब लोग उसको सिर-माथे लेंगे, बाहर भी सम्मान मिलेगा। उनके लिए यह आध्यात्मिक सुख ही सर्वोपरि है। ऐसे घर में समृद्धि बरसेगी, इसमें सन्देह नहीं।

समूचे समाज में भी यदि ऐसे त्यागी संचालक हों, तो क्या कहना ! सम्भव है, किसी देश में कोई एकाध वैभा त्यागी-मेधावी समाज-संचालक मिल जाय। परन्तु कोटि-कोटि जनता के लिए एकाध त्यागी के जीवन से क्या बनेगा ? एक भारत ही ऐसा देश है, जहाँ एक वहुत बड़े मेधावी वर्ग ने वैसे त्याग का आदर्श उपस्थिति किया। इस वर्ग को 'ब्रह्मण' कहा गया। 'ब्रह्म' कहने हैं ज्ञान को और भगवान् का नाम ही 'ब्रह्म' है। जो ज्ञान-प्रधान होकर भगवान् की उपासना के रूप में जनता की निःस्वार्थ सेवा करते थे, वे 'ब्रह्मण' कहलायें। 'ब्रह्म' का शाब्दिक अर्थ है — बड़े-से-बड़ा। जिसने बड़े-से-बड़े समाज को अपना परिवार समझा, भगवान् का विराट् रूप समझकर उसकी सेवा की, वह ब्रह्मण। अपने ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के कारण ब्रह्मण सर्वशक्तिसम्पन्न था, पर उसने भौतिक आविष्ट्य स्वीकार नहीं किया। इसलिए बड़े-बड़े सम्भाट् भी उम के चरणों पर सिर रखते थे। उसी परम्परा में आयं चाणक्य दिल्लायी देते हैं, जो बड़े-से-बड़े साम्राज्यों के बनाने-दिग्गाड़ने की अद्भुत शक्ति रखते थे। चंद्रगुप्त को सम्भाट् बनाकर उसीके द्वारा सब काम कराया। वस्तुतः सब काम स्वयं करके श्रेय दूसरे को दिया और सुख-भोग से दूर

## बुद्धि की प्रधानता

रहकर साधारण जीवन विताया। सम्राट् चंद्रगुप्त महलों में रहकर आनन्द लेते थे और चाणक्य अपनी फूस की भोपड़ी में कुशों के आसन पर बैठकर सुशासन की बात सोचते थे। तभी वैसा साम्राज्य प्रतिष्ठित हो सका। यही सम्बन्ध समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी में रहा। शिवाजी के स्वराज्य-स्थापन में कितना ब्राह्म-बल लगा और कितना क्षात्र-बल, इसके लिए यद्यपि कोई तुला नहीं है, पर मर्मर का और छत्रपति का जीवन-वृत्त पढ़ने में सब सामने आ जाता है।

मुसलमानी शासन-काल तक ब्राह्मण अपने कर्तव्य पर ढटे रहे। किसी त्यागी का लड़का भी त्यागी ही हो, ऐसी बात नहीं। परन्तु कोटि-कोटि ब्राह्मणजनों ने अपने पूर्वजों की त्याग और तपस्या की परम्परा अपनाई। अपनी बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार विश्व परिस्थितियों में भी अनन्त काल तक उन्होंने समाज की सेवा की। हमारा अनन्त समृद्ध संस्कृत-साहित्य उन्हींकी प्रतिभा तथा त्यागमय जीवन का फल है, जिससे हमारा सिर ऊँचा है और सासार की दृष्टि में हम अब भी गर्व प्रकट करते हैं। हिन्दी-साहित्य को ही देखिए, इस वर्ग का महत्व सामन आयेगा। अंग्रेजी राज्य में जब हम लड़ रहे थे और मत्याग्रह चल रहा था, तो प्रत्येक आन्दोलन में जितने वीर त्यागी जेल गये, उनमें सख्या ब्राह्मणों की अधिक थी। त्याग में ही नहीं, विद्या में भी वे किसीसे, इस समय भी, पीछे नहीं रहे। संस्कृत भाषा को तो ब्राह्मणों ने ही जीवित रखा, नहीं तो यह एक इतिहास की चीज बन जाती। नागरी लिपि की रक्षा भी इन्हींके सहारे हुई। अब तो जागरण है, मबको अपनी भाषा तथा संस्कृति का अभिमान हो चला है। यह सौभाग्य कभी प्राप्त न होता, यदि उस भयङ्कर काल में चने चबा-चबा-कर ये लोग वेदों की, संस्कृति की तथा अपनी लिपि की रक्षा न करते। सब व्यापार-व्यवसाय में या उर्दू-फारसी पढ़कर मुसलमान शासकों के दफतरों में लगे थे। साधारण जनता तो चेतना-शून्य होती ही है।

परन्तु मुसलमानी शासन-काल में ब्राह्मण ढीले पड़ गये। विदेश संस्कृति का एक प्रवाह आया। लोग ब्राह्मणों के उस संस्कृति-रक्षा के महत्वपूरण काम को अवज्ञा की धृष्टि से देखने लगे इनका

सम्मान जाता रहा। 'पंडितजी' और 'मुन्हीजी' में सम्मान का अन्तर बहुत ज्यादा पड़ गया। 'पंडितजी' शब्द में ही वह बात भर गयी। लोगों ने मानना छोड़ दिया। वाल-बच्चे भूखे मरने लगे। तब अंग्रेजी राज्य आने पर, ब्राह्मण भी नौकरी- चाकरी की ओर बढ़े। और क्या करते? जमीन तो थी नहीं कि खेती करते। व्यापार के लिए पैसा न था। व्यापार-बुद्धि एक दिन में आ भी नहीं जाती है। फलतः अंग्रेजी सरकार की नौकरी में ये भी गये। बुद्धि थी ही। बड़े-बड़े पदों पर पहुँचे। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर-जैसे महर्षि इस युग में ब्राह्मणों ने पैदा किये हैं और राजनीति के नेताओं में यह बुद्धि का खेल है, जिसमें त्याग की परम्परा का पुट है।

यह सब है; पर हमें मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण में जो बात उस समय थी, अब नहीं है। कारण चाहे जो समझ ले। अब तो नाम भर है। वर्ण-व्यवस्था अपने असली रूप में छिन्न-भिन्न हो चुकी है। आगे राष्ट्र कैसी समाज-व्यवस्था अपनायेगा, नहीं कहा जा सकता। परन्तु एक त्याग-मूलक परम्परा को उतना बड़ा बुद्धिशाली वर्ग हजारों लाखों वर्ष तक चलाता रहा, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। इतने दिन वह त्याग की परम्परा चली, यही बहुत है। इस परम्परा के कारण जो आज भी गरीबी समेटे हुए समाज में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलकर काम कर रहे हैं, वे गर्व कर सकते हैं। गर्व इस बात का कि उनकी गरीबी उस त्यागमय समाज-सेवा का फल है, जो उनके पुरखों ने की। अन्यथा, परम्परा-प्राप्त धन या भू-भाग के स्वामी ये भी होते। किन्तु समाज सदा ही अतुल धन या भू-भाग किसी वर्ग के पास रहने नहीं देता। उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए, अपनी परम्परा-प्राप्त गरीबी के उत्कर्ष पर गर्व ही प्रकट करना चाहिए। साथ ही, समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ब्राह्मण सदा वह काम करता रहा है, जो समाज के लिए जरूरी उसने समझा। जब एक समय ऐसा आया कि अन्त्रियों की तलवारों ने म्यान से बाहर भाँकता कुछ कम कर दिया। तब ब्राह्मण न शत्रु के विरुद्ध चमकायी और रण में पेशवाई की

लक्ष्मीबाई ने जो रण-रंग प्रकट किया, जग-जाहिर है। लक्ष्मीबाई ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण-वधु यी, जिन्होंने क्षत्रिय मर्दों के सामने आदर्श उपस्थित किया। इसी तरह क्षत्रियों और वैश्यों में भी ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ब्राह्मणत्व का आदर्श उपस्थित किया—जनता का पथ-निर्देश किया। महात्मा गोतम बुद्ध और महात्मा गान्धी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं; यहीं नहीं, शूद्र वर्ग ने भी ऐसे महात्मा उत्पन्न किये हैं, जिनका उपदेश ब्राह्मणों ने भी भिर-माथे लिया है। वैष्णवों में ऐसे महात्माओं की वहुन बड़ी संख्या है। भक्त रैदास और भक्त नामदेव आदि के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वर्ण-व्यवस्था के होते हुए भी कोई ऐसा वन्धन नहीं रहा कि एक वर्ण का व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर और शक्ति होने पर इतर वर्ण का काम न कर सके; या करे तो जनता उसे ग्रहण न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आवश्यकता पड़ने पर घर के सभी आदमी एक ही काम करते हैं, यद्यपि साधारणतः उनके काम बँटे रहते हैं। मान लीजिए, घर के सब लोगों में उनकी शक्ति के अनुसार काम बँटे हैं। एक के जिसमें घर का सब पानी भरना है, ठीक है, काम चल रहा है। किन्तु समझिए, यदि किसी समय घर में आग लग जाय, तो? तब क्या उसी एक आदमी के भरोसे सब बँठे रहेंगे और घर जल जाने देंगे? तब तो सभी घड़ पकड़कर पानी लेने दौड़ेंगे। हाँ, जिनमें बिलकुल शक्ति नहीं, यह तो अन्य कामों में लगे हैं—सामान आदि निकालकर अलग कर रहे हैं, उनकी बात दूसरी है। इसी तरह समय पड़ने पर एक दूसरे के काम किये जाते रहे हैं। परन्तु वे सब अपवाद की बातें हैं। प्रवान धाराएँ तो वे हैं ही या रही ही हैं।

## प्रजा-रंजन

क्षत्रिय वर्ग को भी देश में महत्व प्राप्त था; पर ब्राह्मण के बाद। महत्व तो होता ही चाहिए। अपनी तलबार से देश की रक्षा करना क्या कम महत्व की चीज़ है? प्रत्येक देश में ऐसे शूर-वीर ('मार्शल') वर्ग होते हैं ये सोग राज-शासन करते थे, आनंद सेते थे जब कभी देश

को शत्रु का भय पैदा हो, तो ये तलबार लेकर रणाङ्गण में कूद पड़ते थे। गये-गुजरे जमाने में भी महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी महाराज-जैसे रत्न क्षत्रिय वर्ग ने दिये हैं। अब भी उनमें वही खून है। जाट और गूजर आदि भी क्षत्रिय वर्ग में ही हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने एक नया ही क्षत्रिय वर्ग उत्पन्न कर दिया, जो सिख नाम से प्रसिद्ध है।

प्रजा-रञ्जन क्षत्रिय अपना मुख्य काम समझते थे। 'राजा प्रकृति-रञ्जनात्'—प्रकृति (प्रजा) का रञ्जन करे, सो राजा। प्रजा खुश रहे, यही उसकी चेष्टा रहती थी। प्रजा खुश रहे, यह और बात है और प्रजा को खुश करना दूसरी। प्रजा खुश रहती है सुन्दर राज-व्यवस्था से और प्रजा को खुश करता है कोई राजा किसी कारण से। अन्यान्य धर्मों की तरह राजा के इस प्रकृतिरञ्जन का भी गलत अर्थ किया गया और रामजी की पवित्र कथा में 'शम्बूक-हत्या' तथा सीता-परित्याग की कहानी जोड़ दी गयी। वेचारा शम्बूक वन में तप कर रहा था, तो प्रजा की क्या हानि थी? तप तो अच्छी चीज है। क्या द्योटे दर्जे का आदमी कोई अच्छा काम करे, तो वह केवल इसीलिए बुरा कहा जायगा कि वह छोटा होकर वैसा अच्छा काम कर्यों कर रहा है? और बदिंबुरा भी मान लिया जाय, तो मना कर देना चाहिए या उसे जान से मार देना चाहिए? श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र जीनन से इस कहानी का कोई मेल ही नहीं। एक ब्राह्मण के कहने से, उसे खुश करने के लिए, एक निर्दोष तपस्वी को जान से मार देना भी कोई 'प्रजा-रञ्जन' है? एक प्रजा को खुश करने के लिए दूसरी निरपराध प्रजा का गला काट देना कहाँ का न्याय है? पर जब इस तरह का प्रजा-रञ्जन धर्म समझा जाने लगा, तब राम-कथा में कहानियाँ मिलायी जाने लगी। 'सीता-परित्याग' की कहानी भी ऐसी ही है। एक धोवी की बात में आकर सीता को वियावान जगल में ढुड़वा देना और फिर उस विशेष दशा में? धोवी का 'रञ्जन' और सीता का कत्ल! एक प्रजा के कहने से उसे खुश करने के लिए दूसरी प्रजा के गले पर कुरी! सीता भी तो राम की प्रजा ही थी। उनकी अग्नि-परीक्षा हो चुकी थी, बक्षिष्ठ आदि गुरुओं ने उनकी पवित्रता की धोषणा कर दी थी सो सब कुछ नहीं, और एक धोवी की वह बोली-ठोली सब कुछ!

उसे पकड़वाकर जेल में डालता था, जो वैमे प्रवाद विचार का अपराधी था। मान लीजिए, हमारा कोई जन अपराधी ही है; पर हमने उसे ग्रहण कर ही लिया, तो समझा जाता है कि हमने उसके अपराध माफ़ कर दिये। जिसे अगीकार कर लिया, उसका निवाह महापुरुष का अक्षण है — 'अङ्गीकृतं सुकृतिं परिपात्रत्वं'। परन्तु राम से सीता के साथ धोखा किया। ऐसी दशा में क्या वे मर्यादापुर्खोत्तम रहते हैं? ऐसे कानों के कच्चे शामक क्या खाक शामन करेंगे! और सीता के निकाल देने पर भी क्या वह प्रवाद जा सकता था, जिसके लिए वह कल्पना की गयी? झटपटांग कहानियाँ तब गढ़ी गयीं, जब धर्म का हृष क्षेत्र भूल गया और लकीर पीटने लगे। कह दिया — 'प्रजा को खुब करने के लिए राम ने सीता तक को छोड़ दिया'। वेवकूफों ने यह भी नहीं समझा कि ऐसी कहानी जोड़ देने से राम में देवत्य तो क्या, मनुष्यत्व भी न समझा जायगा। कोई हृदयहीन भी उस दशा में एक अबला को ऐसे धोर बन में न छुड़वा देगा, जहाँ भेड़ियों और बधेरों का राज्य हो! भूख-प्यास से तड़पाकर मार डालने की अपेक्षा तो तलवार का एक झटका अच्छा था। राम में भी 'क्रूरात् क्रूरतर' कृत्य कराया गया है, प्रजारजन के नाम पर।

### धर्म-युद्ध माने भैसा-युद्ध

इसी तरह 'धर्म-युद्ध' की व्याख्या भी बदल दी गयी। धर्म के लिए जो युद्ध हो 'वह धर्म-युद्ध' सीधी भी बात है। पर कहा जाने लगा कि रण में युद्ध-बल लगाये बिना, रण चातुरी किये बिना, सीधे-सादे हँग से आभने-सामने जो 'भैसा-युद्ध' हो, वही धर्म-युद्ध है। थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग (छल बल आदि) हुआ, तो अधर्म-युद्ध! इस व्याख्या ने भी बड़ा नाश किया। हमारी कितनी ही शक्ति व्येकार गयी।

किन्तु हमने मन्दिर नहीं किया कि धर्मिय वीरों ने और धक्षिय वीराज्ञ-राजों ने जो जीहर दिखाये हैं, उनकी समना अन्यत्र मिलना कठिन है। धर्मिय वीरों ने बहुत दिन तक तलवार की उपासना की। काल पाकर नसमें कुछ जंग लगी। किमी न लोहे की जगह संतों की तलवार बनवा-

सी। तो भी, अभी बहुत कुछ है।

### वैश्यों का समाज-हित भी कम नहीं

वैश्य का काम था व्यापार करना, खेती करना और गो पालन करना। खेती और गो-पालन के बाद ही व्यवसाय-वाणिज्य का नाम है—‘कृषिगोरक्षवाणिज्यम्’। परन्तु कृषि तथा गो-रक्षण का काम छोड़कर वैश्यों ने केवल व्यापार पर ही ध्यान दिया। फलतः कृषि वी दशा वैसी नहीं सुधरी। दुग्ध-व्यवसाय भी जैसा अन्य देशों में है, हमारे यहाँ उसका सहस्रांश भी नहीं। गोशाला आदि खोलकर गो-रक्षा करते से वैश्य-समाज ने करोड़ों रुपये खर्च किये; पर इससे कहीं गो-रक्षा होती है? गो-रक्षा हमारे धर्म का अत्यधिक महत्वपूर्ण अङ्ग है। भारत का शिव (कल्याण) बैल पर है; क्योंकि वह कृषि प्रदान देश है। गोदुग्ध हमारे लिए अमृत है। गोवंश की रक्षा और वृद्धि तो दूर, यहाँ गो-हत्या होने लगी! दुर्भाग्य यहाँ ऐसे लोग आये या पैदा हुए, जो भारतीय संस्कृति तथा धर्म के विरुद्ध गो-हत्या करना ही अपना धर्म समझते लगे! ‘धर्म-कृत्य’ के लिए गो-हत्या को आवश्यक समझा! हमारी राष्ट्रीय मरकार का कर्तव्य है कि एक कानून बनाकर इन राष्ट्रीय अपराध की समाप्ति सदा के लिए कर दे।

वैश्य-समाज ने धन से समाज का उपकार किया है। जगह-जगह धर्मशालाएँ प्रायः उन्हींकी बनायी हुई हैं। संस्कृत की पाठशालाएँ स्थान-स्थान पर धनी वैश्यों ने खोलीं, जहाँ छात्रों के भोजन आदि की भी व्यवस्था की। वहाँ पढ़-पढ़कर न जाने कितने संस्कृत के विद्वान तैयार हुए। इसी तरह अन्याय समाज-हितकर काम वैश्य-समाज ने किये हैं। उन्होंने अपने अच्यवसाय से अन्नत लक्ष्यी पैदा की। न जाने कितने करोड़पति वैश्य-समाज में हैं। उनके पास जो धन है, समाज का है। किसी भी रूप में वह समाज के ही काम आयेगा। समाज व्यवस्था आवश्यकतानुसार बदलती रहती है, बदलेगी; पर इस से उन लोगों पर आक्षेप कैसे, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के अनुसार काम करके उत्कर्ष प्राप्त किया है?

## कारीगर-वर्ग

कारीगर-वर्ग के भी दिन अब अच्छे आ रहे हैं। बड़े ही धैर्य से इन वेचारों ने अपना-अपना काम किया और हिन्दू-धर्म में भावना दृढ़ रखी। इससे-जाति को बल मिला है। अनेक बार भागवत् धर्म, वैष्णव धर्म तथा आर्य-समाज आदि धार्मिक संस्थानों ने नीचे गिराये हुए इस वर्ग को ऊपर लाने के प्रयत्न किये। देश-काल के अनुमार कुछ सफलता भी मिली। परन्तु अब देश स्वतन्त्र हो जाने से अधिक प्रगति होगी।

## छुआङूत का अर्थ और अनर्थ

धर्म में छुआङूत का स्थान है, पर किस तरह? जिसने शराब पी रखी हो, उसे मत छाओ, उसके साथ मत खाओ, उसे मन्दिर में मत जाने दो। जो व्यभिचारी और दुराचारी है, उससे सगत मत रखो, उसके हाथ का मत छाओ, उसे मन्दिर में मत जाने जाने दो। और, जो अपवित्र दशा में हो, जिसके कपड़ों से और शरीर से बदबू आ रही हो, उसके पास मत बैठो और उसे मन्दिर आदि में, सबके बीच में, मत जाने दो। इसी तरह संकानक रोग के रोगियों के हाथ का मत छाओ, उनके पास मत बैठो, उन्हें मत छाओ। यही छुआङूत का असली मतलब है। वेचारे चमार और भङ्गी यदि भगवान् के दर्शन कर लेंगे, तो क्या भगवान् अपवित्र हो जायेंगे? जिस घाटपर दूसरे लोग स्नान करते हैं, ये क्यों न करें? सरकारी नौकरी आदि में समानता आ ही गयी है।

## उपसंहार

वस, इतना संक्षेप में कहकर अब अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ अनेक विषयों पर अति संक्षेप में चर्चा की गयी है। न जाने कितने विषय बिलकुल छुए ही नहीं गये। यह तो इस विषय की एक भूमिका-मात्र है। आवश्यकता है, प्रत्येक विषय पर एक-एक ग्रन्थ लिखा जाय, जिसका निर्देश-मात्र यहाँ हुआ है। परन्तु धर्म का स्वरूप समझने के लिए यह छोटी-सी चीज़ कुछ काम देगी ऐसा

मेरा विश्वास है।

सबका संक्षेप यह है कि हिन्दू-धर्म सामजिकस्य को मानता है। वह एकाङ्गी नहीं है कि सभी अवस्थाओं में अहिंसा और क्षमा को ही लेकर चले, या शौर्य के नाम पर क्रूरता का समर्थन करे। वह आग और पानी को साथ-साथ रख कर यथा-समय उनसे काम लेता है, काम लेने का समर्थक है। इसीलिए हिन्दू जनता के माङ्गलिक कार्यों के अवसर पर मण्डप के नीचे बेदी पर जहाँ नियन्त्रित अवस्था में अग्नि का अवस्थान होता है, वहाँ शीतल जल से पूर्ण मङ्गल-घट पहले ही से स्थापित रहता है। आग जरा भी नियंत्रण से बाहर जाय, जाने को हो, तो जल का घड़ा उसके शमन के लिए तैयार है। आग का अपना काम है, जल का अपना। यही हमारी आग तथा जल की एकसाथ पूजा का रहस्य है। यही मानव-समाज के सुख-सञ्चालन की कुञ्जी है। यही मानव-धर्म है। मानव-धर्म ही हिन्दू जाति ने अपनाया है, किसी मत-मजहब का 'धर्म' नहीं। मत-मजहब केवल पारलीकिक गवेषणाओं तक सीमित रहे हैं यहाँ।

